



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Childhood and Growing Up

बचपन एवं विकास



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

संरक्षक	अध्यक्ष
प्रो. अशोक शर्मा कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो. एल.आर. गुर्जर निदेशक (अकादमिक) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

** संयोजक	* संयोजक
डॉ. अनिल कुमार जैन सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. रजनी रंजन सिंह सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ) एल.आर. गुर्जर निदेशक (अकादमिक) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो. जे. के. जोशी निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
प्रो. दिव्य प्रभा नागर पूर्व कुलपति ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त) शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
प्रो. अनिल शुक्ला आचार्य शिक्षा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	डॉ. रजनी रंजन सिंह सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. अनिल कुमार जैन सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. कीर्ति सिंह सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. पतंजलि मिश्र सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. अखिलेश कुमार सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

*डॉ. रजनी रंजन सिंह, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक

** डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 14.06.2015 से निरन्तर

समन्वयक एवं सम्पादक

समन्वयक (बी.एड.)**डॉ. कीर्ति सिंह**सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**सम्पादक****डॉ. अनिल कुमार जैन**सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**पाठ्यक्रम लेखन**

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. आरसी अब्बासी (इकाई सं. 1)
व्याख्याता
क्षेत्रालय महिला टी.टी; कॉलेज, रावतभाटा | 2 | श्री संजय कुमार (इकाई सं. 2, 4,6,7,8,20)
व्याख्याता
प्रारंभ शिक्षक शिक्षा विद्यापीठ
झंझर, हरियाणा |
| 3 | डॉ. अखिलेश कुमार (इकाई सं. 3)
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा | 4 | श्री अनिल कुमार जैन (इकाई सं.5,9,16)
व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बरुआसागर, झॉंसी |
| 5 | श्री हेमन्त नामदेव (इकाई सं. 10,17)
व्याख्याता
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उज्जैन | 6 | डॉ. आरती कालानी (इकाई सं. 11)
व्याख्याता
एस एस जी पारीक महाविद्यालय, जयपुर |
| 7 | डॉ. प्रमिला दुबे (इकाई सं. 12)
व्याख्याता
एस एस जी पारीक महाविद्यालय, जयपुर | 8 | डॉ. सुमित्रा आर्य (13)
व्याख्याता
एस एस जी पारीक महाविद्यालय, जयपुर |
| 9 | निधि प्रजापति (इकाई सं. 14,15,18,19)
व्याख्याता
सर्वोदय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा | | |

आभार

प्रो. विनय कुमार पाठक

पूर्व कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. अशोक शर्मा

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. करण सिंह

निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. एल.आर. गुर्जर

निदेशक (अकादमिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. सुबोध कुमार

अतिरिक्त निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन 2015, ISBN : 978-81-8496-521 -6

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
1	बचपन, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे, विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे	1
2	बचपन का संप्रत्यय : विभिन्न सामाजिक –राजनीतिक वास्तविकताओं के सन्दर्भ में	21
3	बचपन के अध्ययन हेतु अवलोकन एवं अंतःक्रियाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अंतर्विषयक फ्रेमवर्क	36
4	बाल विकास के सिद्धांत	45
5	विभिन्न सामाजिक - आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन तथा किशोरावस्था की संकल्पना	60
6	सीमांतीकरण से जुड़े मुद्दे	70
7	विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था का अनुभव	81
8	बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव	92
9	लिंग, वर्ग तथा गरीबी के सन्दर्भ में बच्चों के वास्तविक जीवन के निरूपण में मीडिया की भूमिका	105
10	विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को समझना	115
11	बालक के वास्तविक जीवन के अध्ययन की विधियाँ	131

12	बालकों के साथ अन्तःक्रिया	155
13	बच्चों का वास्तविक परिस्थितियों में विकास और बाल्यवस्था व किशोरावस्था के सार्वजनिक मानक लक्षण	175
14	बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभव पर जाति व वर्ग का प्रभाव	197
15	लोकप्रिय व्यक्तियों के बचपन से सीख	205
16	बचपन के संरक्षण में समुदाय, परिवार, क्रेच तथा बाल सुधार गृह की भूमिका	224
17	परिवार का बदलता स्वरूप और बचपन	237
18	भारत में बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान, नीतियाँ एवं योजनायें	247
19	बच्चों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	266
20	बचपन की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका	289



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठकों से आग्रह

प्रिय पाठकों,

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 एवं 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुशंसाओं के क्रम में एनसीटीई द्वारा 2014 में तैयार किये गये पाठ्यक्रम की अनुपालना में विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद् की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप में बने बी.एड. (ओडीएल) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष की स्व-अधिगम सामग्री (SLM) तैयार की है। यह पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अन्य शिक्षाविदों के अथक प्रयास से तैयार की गई है। यह एनसीटीई द्वारा 2014 में सुझाये गये नये पाठ्यक्रम के प्रकाश में किया गया प्रथम प्रयास है। आप प्रबुद्ध पाठक हैं। आपको इस SLM के किसी विषय, उप विषय, बिन्दु या किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है या इसके परिवर्द्धन हेतु आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शिक्षा विद्यापीठ सहर्ष आपके सुझावों को अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। आप अपने सुझाव हमें निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा रावतभाटा रोड, कोटा - 324010 या मेल soe@vmou.ac.in पर भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(डॉ. अनिल कुमार जैन)

निदेशक

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई - 1

बचपन, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे, विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे (Childhood; Children of different age groups, Children from diverse socio-economic backgrounds)

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 उद्देश्य तथा लक्ष्य
- 1.2 परिचय
 - 1.2.1 बचपन - ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में
 - 1.2.2 बचपन - आधुनिक परिपेक्ष्य में
 - 1.2.3 वर्तमान में, प्रकृति के अभाव में बचपन
- 1.3 विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे
 - 1.3.1 शैशवावस्था
 - 1.3.2 बचपनावस्था
 - 1.3.3 बाल्यावस्था
 - 1.3.4 वयःसंधि
 - 1.3.5 किशोरावस्था
- 1.4 विविध सामाजिक परिवेश में बचपन
 - 1.4.1 गाँव के परिवेश में
 - 1.4.2 शहर के परिवेश में
 - 1.4.3 नगर के परिवेश में
- 1.5 विविध आर्थिक परिवेश में बचपन
 - 1.5.1 निम्न आर्थिक परिवेश में
 - 1.5.2 मध्यम तथा उच्च आर्थिक परिवेश में
 - 1.5.3 अनाथालयों में बचपन
 - 1.5.4 फुटपथों पर बचपन
 - 1.5.5 झुग्गी-झोपड़ी में बचपन
 - 1.5.6 बाल मजदूरी युक्त बचपन
- 1.6 विविध पारिवारिक परिवेश में बचपन
 - 1.6.1 परिवार का आकार

- 1.6.2 माता-पिता का व्यवसाय
- 1.6.3 टूटे परिवार
- 1.6.4 परिवार में अनुशासन
- 1.7 विविध सांस्कृतिक परिवेश में बचपन
 - 1.7.1 बचपन पर संस्कृति का प्रभाव
 - 1.7.2 भारतीय संस्कृति में बचपन
 - 1.7.3 पश्चिमी तथा पूर्वी संस्कृतियों के बचपन में अंतर
- 1.8 वर्तमान सन्दर्भ में बचपन को आकार देने वाले पहलू
 - 1.8.1 माता-पिता की भूमिका
 - 1.8.2 शारीरिक स्वास्थ्य
 - 1.8.3 खेलों की भूमिका
 - 1.8.4 गली की संस्कृति का योगदान
- 1.9 सारांश
- 1.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.1 उद्देश्य तथा लक्ष्य (Objectives and Aims)

अंग्रेजी साहित्य के कवि, **वर्ड्सवर्थ** ने कहा था कि, “बच्चा ही मनुष्य का जनक है।” यह कथन निर्विवाद माना जाता है। बच्चे का बचपन जैसा गुजरेगा, भविष्य में उसका विकास वैसा ही होगा। जैसा बालक होगा - वैसा व्यक्ति होगा, जैसा व्यक्ति होगा - वैसा ही समाज होगा और जैसा समाज होगा - देश भी वैसा ही होगा।



प्रस्तुत इकाई में हमारा लक्ष्य बचपन, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों तथा सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश की विविधताओं में बचपन का अध्ययन करना है। इस इकाई की समाप्ति पर आप इस योग्य होने चाहिए –

1. आधुनिक परिपेक्ष्य में बचपन को समझ सकेंगे
2. विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बचपन को वर्गीकृत कर सकेंगे
3. गाँव, शहर व महानगर के बचपन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
4. मध्यम व उच्च आर्थिक परिवेश के बचपन के लक्षण बता सकेंगे।
5. विभिन्न पारिवारिक परिवेश का बचपन पर प्रभाव बता सकेंगे।
6. विविध संस्कृतियों में बचपन को समझा सकेंगे।

1.2 परिचय (Introduction)

बचपन, जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक के आयुकाल को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशव अवस्था (चलना सीखना), प्रारम्भिक बचपन (खेलने की आयु), मध्य बचपन (विद्यालयी आयु) तथा किशोर अवस्था (वयःसंधि) के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। शब्द 'बचपन' विशिष्ट है, जिसे मानव विकास में आयु के विभिन्न चरणों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। यह शैशव अवस्था तथा वयस्कता के बीच की अवधि है। सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरम्भ हुआ माना जाता है। अवधारणा के रूप में कुछ लोग बचपन को खेल और मासूमियत से जोड़कर देखते हैं, जो किशोर अवस्था में समाप्त होता है और व्यक्ति कानूनी तौर पर वयस्क हो जाता है। यह उम्र 13 वर्ष से 21 वर्ष की हो सकती है और 18 वर्ष सबसे सामान्य है।

1.2.1 बचपन ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में – बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर समाज की रचना है।

- “सेन्चुरीज़ ऑफ़ चाइल्डहुड” पुस्तक में इतिहासकार फिलिप्स एरिस ने इस विषय को प्रस्तुत किया।
- “इनवेन्शन ऑफ़ चाइल्डहुड” पुस्तक में कनिंघम ने इस विषय को आगे बढ़ाया, जो मध्यकाल से बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालता है।
- एरिस ने पुरानी पेंटिंग्स, समाधि पत्थरों तथा विद्यालय अभिलेखों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर यह पाया कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्प वयस्कों की तरह किया जाता था।

1.2.2 बचपन आधुनिक परिपेक्ष्य में – जीन जैक्स रूसो को बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय मिलता है।

- जॉन, लॉक तथा 17वीं सदी के अन्य उदार विचारकों के आधार पर रूसो ने बचपन को वयस्कता के खतरों और कठिनाइयों में मुठभेड़ से पहले की लघु अभ्यास अवधि कहा। रूसो ने व्यक्त किया कि “इन मासूमों की खुशियों को क्यों क्यों लूटें? जो इतनी जल्दी बीत जाती हैं। शुरुआती बचपन के जल्दी निकल जाने वाले दिनों में कड़वाहट क्यों क्यों भरें? जो दिन उनके लिए और ना ही आपके लिए कभी लौट कर आने वाले हैं।”

- विक्टोरिया काल को बचपन की आधुनिक संस्था के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। विडंबना यह है कि इस काल की औद्योगिक क्रान्ति ने बाल श्रम को बढ़ा दिया था, लेकिन लेखक **चार्ल्स डिकेंस** तथा अन्य के अभियानों के कारण बाल मजदूरी उत्तरोत्तर कम हुई तथा विक्टोरिया कालीन लोगों ने एकजुट होकर परिवार की भूमिका तथा बच्चे की पवित्रता पर जोर दिया।
- **जी.एल. किन्चोले** तथा **शार्ली आर. स्टीनबर्ग** ने बचपन और बचपन की शिक्षा पर आलोचनात्मक सिद्धांत **किंडरकल्चर** दिया। किंडरकल्चर का पहला संस्करण “दी कारपोरेट कल्चर ऑफ चाइल्डहुड इन 1977” एक क्रान्ति थी, जिसने अनेक लोग जो बच्चों से सम्बंधित अध्ययन, अध्यापन या उनकी देखभाल करके अपनी जीविका चला रहे थे, इस साहित्य के अध्ययन से बचपन के स्वभावों में आये परिवर्तनों से अवगत हुए।
- किंडरकल्चर का मुख्य प्रयोजन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से बचपन की बदलती ऐतिहासिक स्थिति को स्थापित करना तथा विविध मीडिया द्वारा स्थापना में सहायक उन तरीकों को विशेष रूप से जाँचना है जिसे किन्चोले तथा स्टीनबर्ग “नया बचपन” कहते हैं।
- किंडरकल्चर समझता है कि, बचपन हमेशा एक बदलती सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्पकृति है ना कि केवल एक जैविक इकाई, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि बचपन बढ़ने, व्यस्क बनने का एक प्राकृतिक चरण है। **किन्चोले** तथा **स्टीनबर्ग** ने किंडरकल्चर को बचपन के “मनोवैज्ञानिकीकरण” जैसे सुधारात्मक रूप में देखा।

1.2.3 वर्तमान में, प्रकृति के अभाव में बचपन – “लॉस्ट चाइल्ड इन द वुड्स” (2005) में **रिचर्ड** ने अपनी पुस्तक में ‘**प्रकृति अभाव विकार**’ (Nature deficit disorder) शब्द को प्रस्तुत किया, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बच्चों द्वारा घर से बाहर कम समय व्यतीत करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलिविज़न के आगमन के साथ बच्चों को बाहर से अधिक घर के अन्दर रहने के अनेक कारण मिल गए हैं। औसत रूप से बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सप्ताह के 44 घंटे बिताता है। माता पिता भी बच्चों को बढ़ते हुए “अजनबियों के खतरों से” सम्बंधित भय के कारण उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें घर के भीतर ही रख रहे हैं। वर्तमान में हुए शोधों ने बच्चों द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय उद्यानों में जाने की घटती संख्या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपभोग में वृद्धि के अतिरिक्त अंतर को रेखांकित किया है।



इसका उदाहरण लेखिका की अपनी बेटियाँ भी हैं। लेखिका का बचपन प्रकृति के साथ-साथ व्यतीत हुआ है। पेड़ों पर चढ़ना, मैदानों में खेलकूद करना, नदियों में तैरने का आनंद उठाना, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, विद्यालय से पैदल आते समय रास्ते में तितलियाँ पकड़ना तथा आम के पेड़ से कच्ची कैरियां तोड़ना ये ऐसे बाल सुलभ क्रिया-कलाप हैं जो बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं। वहीं उसी नगर और उसी विद्यालय में लेखिका की पुत्रियाँ विद्यालय में वाहन द्वारा आती-जाती हैं और घर आते ही अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर विद्यालय द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट कार्य को सर्च करती हैं, बाहर प्राकृतिक वातावरण में खेलने के स्थान पर वीडियो गेम में समय व्यतीत करती हैं। इस प्रकार प्रकृति के साथ बचपन के नैसर्गिक संबंधों से वे अछूती हैं

1.3 विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे (Children of different age groups)

बाल-जीवन की अवधि, सभी बालकों में समान नहीं होती। परिवार, संस्कृति, समाज तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार बचपन की अवधि घटती-बढ़ती रहती है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि 20 वीं शताब्दी में शारीरिक परिपक्वता अल्प आयु में आने लगी है। यौवनारंभ अथवा बाल्यावस्था का आरम्भकाल जलवायु पर भी निर्भर है। अधिकतर गर्म प्रदेश के बालक बालिकाएं ठण्डे प्रदेश के बालक बालिकाओं की तुलना में शीघ्र परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। बाल्यावस्था की आरम्भ आयु की तरह ही उसकी समाप्ति की आयु भी सभी बालकों में समान नहीं है। निम्न आयु वर्ग के बालकों में बाल्यावस्था की समाप्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण निम्न आयु वर्ग के बालक घर के दायित्व जल्दी संभाल लेते हैं। कभी कभी 17 – 18 वर्ष की आयु में ही विवाह कर अपना परिवार बसा लेते हैं। दूसरी ओर उच्च आयु वर्ग के किशोर अधिक समय तक बाल्यावस्था का आनंद लेते हैं और 22-23 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी माता-पिता पर ही निर्भर रहते हैं तथा घर के बंधनों से मुक्ति नहीं पाते इस कारण उनमें प्रौढ़ता के लक्षण भी देर से प्रकट होते हैं। यही कारण है कि बालक के विकास की अवधि भिन्न-भिन्न परिवेशों में अलग-अलग होती है।

इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के जीवन तथा विकास में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्रमबद्ध रूप से गुजरता है। किसी विशेष अवस्था में तो ये विशेषताएं इतनी अधिक प्रभावशाली होती हैं कि वे उस

अवस्था का व्यवहार ही समझ ली जाती हैं। परन्तु हम ये नहीं कह सकते कि उस अवस्था से गुजरने वाले सामान्य बच्चे में वही विशेषताएँ होंगी, हम यह कह सकते हैं की उस अवस्था से गुजरने वाले प्रत्येक सामान्य बच्चों में ये विशेषताएं होनी चाहिए उदाहरण – हम ये नहीं कह सकते की सभी 6 वर्षीय बच्चे एक समान होते हैं, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि इस आयु तक अधिकतर बच्चों में क्रियात्मक तथा बोलने की क्रियाओं का विकास हो जाना चाहिए।

प्रत्येक अवस्था के लिए एक आयु सीमा होती है, परन्तु कुछ बच्चों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था से पहुँचने में कम समय लगता है और कुछ को ज़्यादा समय लगता है। प्रत्येक बालक का विकास अनेक चरणों में पूरा होता है। विद्वानों में विकास की इस क्रिया को लेकर मतभेद हैं। हम यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं –

सैले ने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है –

- शैशव (Infancy)–1 से 5 वर्ष तक।
- बाल्यकाल (Childhood)–5 से 12 वर्ष तक।
- किशोरावस्था (Adolescence) – 12 से 18 वर्ष तक।

रॉस ने अपने ढंग से विकास की अवस्थाएं इस प्रकार बताई हैं -

- शैशव –1 से 3 वर्ष तक।
- आरंभिक बाल्यकाल –3 से 6 वर्ष तक।
- उत्तर बाल्यकाल –6 से 12 वर्ष तक।
- किशोरावस्था –12 से 18 वर्ष तक।

कालसनिक (Kalsnic) ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण बहुत अधिक चरणों में किया है –

- नवशैशव (Neonatal) – जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक।
- आरंभिक शैशव (Early Infancy) – 1 या 2 मास से 15 मास तक।
- उत्तर शैशव (Late Infancy) – 15 से 30 मास तक।
- पूर्व बाल्यकाल (Early Childhood) - 2.5 से 5 वर्ष तक।
- मध्य बाल्यकाल (Middle Childhood) – 9 से 12 वर्ष तक।
- किशोरावस्था (Adolescence) –12 से 21 वर्ष तक।

अध्ययन की सुविधा के लिए हम बालक के विकास की प्रक्रियाओं को इस प्रकार विभाजित करेंगे

1.3.1 शैशवावस्था (Infancy) – जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय शिशु स्वयं को नए वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। इस समय शिशु असहाय होता है और उसकी उचित देखभाल द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन का कार्य माता-पिता द्वारा किया जाता है।

1.3.2 बचपनावस्था (Babyhood) –ये अवस्था 2 सप्ताह से आरम्भ होकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि वह इतना छोटा और शारीरिक रूप से दुर्बल होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। लेकिन इस अवस्था के अंत तक वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है जैसे –

- 2 माह : पेट के बल लेटे होने पर छाती ऊपर उठाना।
- 3 माह : पीठ के बल लेटे होने पर सिर उठाने का प्रयास करना।
- 4 माह : सहारे के साथ बैठना।
- 7 माह : बिना सहारे के बैठना।
- 8 माह : सहारे के साथ खड़े होना।
- 11–12 माह : खड़े होकर चलना।

इस अवस्था में बच्चा स्व-केन्द्रित होता है। उसके सम्पूर्ण व्यवहार व क्रियाकलाप में नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, भय, घृणा आदि प्रमुख संवेग होते हैं।

1.3.3 बाल्यावस्था (Childhood) –2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है –

- पूर्व बाल्यावस्था (Early Childhood) – 2 से 6 वर्ष
- उत्तर बाल्यावस्था (Late Childhood) – 7 से 12 वर्ष

इस अवस्था में बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है। नए वातावरण में समायोजन से पूर्व वह उसके बारे में जानना चाहता है, इस कारण वह अपने माता-पिता व शिक्षकों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है। इस अवस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अब वह बचपन अवस्था के सामान स्व-प्रेमी नहीं रहता अपितु, खेल के साथियों के साथ रहना पसंद करता है। सामाजिकता की दृष्टि से यह अवस्था अति-महत्वपूर्ण होती है। समूह प्रवृत्ति के कारण अच्छी सामाजिकता का विकास होता है। समूह में रहने से बालकों के अन्दर अनेक सकारात्मक गुणों जैसे अनुकरण, खेल, सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता आदि का विकास होता है।

सकारात्मक गुणों के साथ-साथ कुछ नकारात्मक गुण भी प्रकट होते हैं जैसे द्वन्द, स्पर्धा, झगड़ा, मारपीट, आक्रामकता आदि। परन्तु इन सभी नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन वह सामाजिक समायोजन के लिए ही करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है।

1.3.4 वयःसंधि (Puberty)– वयःसंधि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को मिलाने के सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, किन्तु शारीरिक विकास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यौन अंगों की परिपक्वता तथा काम शक्ति का उदय होना है। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारम्भ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। इस अवस्था में शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास की गति भी अत्यधिक तीव्र होती है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी यह अवस्था अपना महत्त्व रखती है।

1.3.5 किशोरावस्था (Adolescence) – किशोरावस्था को 13 से 19 वर्ष तक मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इसे “टीन ऐज(Teen-Age)” भी कहा है। यह अवस्था बालक के विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है।

अभ्यास प्रश्न -1

1. बचपन विषय पर निम्न पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गयी हैं ?
 - (i). सेन्चुरीज ऑफ़ चाइल्डहुड
 - (ii) इनवेन्शन ऑफ़ चाइल्डहुड
 - (iii) दी कारपोरेट कल्चर ऑफ़ चाइल्डहुड
 - (iv) लॉस्ट चाइल्ड इन द बुइस
2. किन्चोले तथा स्टीनबर्ग के अनुसार 'नया बचपन' क्या है?
3. प्रकृति अभाव विकार की उत्पत्ति से क्या तात्पर्य है?
4. सैले के अनुसार बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है?

1.4 विविध सामाजिक परिवेश में बचपन

(Childhood in different social atmosphere)

बाल मन पर परिवार, पड़ोस तथा परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। बालक की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। शिवाजी तथा महाराणा प्रताप में वीरत्व के भाव भरने का श्रेय उनकी माताओं और उनके वंशजों को ही जाता है। भारतीय समाज अनेक समुदायों का सम्मिलित रूप है। बालक के बचपन पर समुदाय विशेष का प्रभाव पड़ता है। हम विभिन्न समुदायों के बालकों का प्रत्यक्ष अध्ययन करें तो हमें इसका बोध होगा कि जैसा समुदाय है, प्रायः बालक का बचपन तदनुकूल ही होता है। हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, चाल-चलन तथा विचारधारा आदि का प्रभाव एक समुदाय में दूसरे समुदाय से हटकर कुछ विशेष होता है। एक समुदाय यदि शाकाहारी है तो दूसरा मांसाहारी भोजन को रुचिपूर्वक खाता है। कहीं मदिरापान मान्य है तो कोई इसे हेय दृष्टि से देखता है।

आइये इसी आधार पर गाँव, शहर और नगर के बालकों के बचपन का अवलोकन करें –



1.4.1 गाँव के परिवेश में बचपन –सामान्यतया गाँव के बच्चे विज्ञान की आधुनिक प्रगति से अनभिज्ञ होते हैं। इस समुदाय के व्यक्ति मुख्यतः कृषि करके जीवन यापन करते हैं यहाँ बालकों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। बच्चे सितोलिया खेलकर, पानी भरकर तथा चौपाल पर बैठकर समय व्यतीत करते हैं। छोटी उम्र के बालक भी कुटीर उद्योगों में काम पर जाते हैं तथा थोड़े से रुपयों के लिए ही दिनभर वहां काम करते हैं। पिता के साथ खेतों की रखवाली करते हुए ,भेड़-बकरियां चराते हुए, कुम्हार का लड़का चाक गुमाकर, लुहार का लड़का कीलें ठोक कर अपना बचपन गुज़ार देता है। अर्थात उनका बचपन घर, खेत व पशुतैनी कामों के बीच में ही व्यतीत हो जाता है।

1.4.2 शहर के परिवेश में बचपन – शहरी परिवार आर्थिक दृष्टि से मज़बूत होते हैं। बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, छुट्टी होते ही बस्ता रखकर मित्रों के साथ टोली बनाकर खेलते हैं। शाम को घर आकर भाई-बहनों से झगड़ा करते हैं, भोजन करते हैं तथा विद्यालय का गृह कार्य करके सो जाते हैं। फिर सुबह तैयार होकर विद्यालय चले जाते हैं। अतः उनका बचपन विद्यालय, खेलना, झगड़ना, भोजन व नींद में व्यतीत होता है। संयुक्त परिवार में रहने की स्थिति में वे अपने दादा-दादी, नाना-नानी से ढेरों कहानियां सुनकर आनंदित होते हैं।

1.4.3 नगर के परिवेश में बचपन – बड़े नगरों में बड़ी-बड़ी इमारतों में सुन्दर विद्यालय होते हैं। बालक विद्यालयों में सजी-धजी यूनिफार्म में पढ़ने जाते हैं। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ कई प्रकार के खेलकूद एवं घुड़सवारी, तैराकी, स्केटिंग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके माता-पिता उच्च शिक्षित व संपन्न होते हैं और सामान्यतया बच्चों का बचपन खर्चीला व अपव्ययी होता है। अतः नगर के बच्चों का बचपन पढ़ने-लिखने, टीवी देखने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व माता-पिता के साथ मॉल में सैर-सपाटे के साथ गुज़रता है।

1.5 विविध आर्थिक परिवेश में बचपन (Childhood from diverse economy)

बालक के परिवार का आर्थिक परिवेश तथा उसके परिवार का शिक्षा स्तर ही उसके सामाजिक वर्ग का निर्धारण करता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है और वे बड़ी इमारतों

में रहते हैं। कम आमदनी, गरीबी, निम्न शैक्षिक स्तर, रहने के लिये छोटे मकान आदि निम्न सामाजिक वर्ग से सम्बंधित होते हैं। धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक दर्जों के कई स्तर हैं। सामाजिक वर्ग ये निर्धारित करता है कि बालक को किस प्रकार के अवसर और सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं। उसे पेट भर खाना, पहनने को कपड़ा और शिक्षा प्राप्त होगी या नहीं? बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं? और रहने के लिए कैसी जगह मिलेगी? ये सभी उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

1.5.1 निम्न आर्थिक परिवेश में बचपन - निम्न आर्थिक स्थिति के परिवार में इतना पैसा नहीं होता कि वे अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण कर सकें। बच्चों को पर्याप्त भोजन और पहनने को कपड़े नहीं मिलते। सीमित संसाधनों के कारण लड़कियों को अपेक्षाकृत और भी कम हिस्सा मिलता है। ऐसे परिवेश वाले परिवारों के पास घर के नाम पर एक या दो कमरे होते हैं। बच्चों का बचपन इसी भीड़ भरे माहौल में व्यतीत होता है। झुग्गी-झोपड़ियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चारों ओर गन्दगी और अस्वच्छता के कारण से संक्रामक रोग व बीमारियाँ हो जाती हैं। गरीब परिवार के बच्चों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अत्यधिक गरीबी में ये सभी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक समय का भोजन भी मुश्किल से नसीब हो पाता है। आश्रय ना होने के कारण वे सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन आदि पर ही सो जाते हैं।

- **बचपन में जिम्मेदारियाँ** - गरीब परिवारों के बच्चों पर छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। लड़के पिता के व्यवसाय में मदद करते हैं, वे मवेशियों की निगरानी करते हैं, खेती में सहायता करते हैं, पिता के साथ मछली पकड़ने नाव में जाते हैं। पिता का व्यवसाय जिस कौशल से सम्बंधित है जैसे, बढ़ाई गिरी, कुम्हार गिरी तथा धोबी इत्यादि। तब बच्चे छोटे-मोटे कामों में उनकी मदद करते हैं। घर के काम-काज में माता-पिता की मदद करने के अतिरिक्त बहुत से बच्चे घर के सुरक्षित वातावरण से निकलकर पैसे कमाने लगते हैं और परिवार की आमदनी को बढ़ाते हैं। वे घरेलू नौकर, कारखानों में या फेरी वाले का काम करने लगते हैं। उत्तरदायित्व व अभावों का सामना करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही भावात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। वे दुनियादारी समझने लगते हैं। उदाहरणतः छोटी उम्र में ही बालिकाएं फल सब्जी के सही दाम देना सीख जाती हैं और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। संभव है कि वह दूँ गाँव से रेल द्वारा काम की तलाश में स्वयं अकेली भी आ सकती हैं।
- **शिक्षा की स्थिति** - निम्न वर्ग की इन परिस्थितियों में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। यहाँ जीने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है तो ऐसे में माता-पिता शिक्षा को अनिवार्य कैसे समझेंगे? बच्चे अभिभावकों की काम में मदद करते हैं या पैसे कमाने में जुटे रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि संभव होता है तो निम्न आर्थिक वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं परन्तु शिक्षा के साथ-साथ वे पैसा कमाने के लिए किसी रोजगार से भी जुड़े रहते हैं।

अतः निम्न आर्थिक वर्ग के बच्चों के लिए बचपन, जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं से भरा होता है। परन्तु इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इनको कोई भी सुखद अनुभव नहीं होते। वे सड़कों पर, खेतों में या तटों के पास रेत और पानी में खेलते-कूदते हैं। समय-समय पर उन्हें माता-पिता से स्नेह पोषण और प्रोत्साहन भी मिलता है। पारिवारिक आमदनी में सहयोग देने की वजह से बच्चों की महत्ता और भी बढ़ जाती है, फिर भी ये बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों की तुलना में परिश्रमी एवं कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं।

1.5.2 मध्यम व उच्च आर्थिक परिवेश में बचपन - मध्यम व उच्च आर्थिक परिवेश के परिवारों की स्थिति अच्छी होती है और उनके जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव नहीं होता। बच्चों को संतुलित और पर्याप्त भोजन मिलता है और अक्सर महँगे रेस्टोरेंटों में जाकर भोजन का आनंद भी उठाया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य के देखभाल में भी कोई कमी नहीं होती।

- **बचपन में जिम्मेदारियाँ** – इन परिवारों के बच्चों में छोटी उम्र में कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण आम तौर पर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्हें घरेलू काम तथा छोटे बहन-भाइयों को संभालना नहीं होता। संपन्न परिवार के होने के कारण इन बच्चों के पास ऐशो-आराम के साधन होते हैं। अधिक कपड़े, ज्यादा महँगे कपड़े, खिलौने जैसे गुड़ियाएँ, बंदूकें, विडियो गेम्स तथा ड्राइंग कोपियाँ, रंग तथा अनेक कहानियों की किताबें उपलब्ध होती हैं।
- **शिक्षा की स्थिति** – इन परिवारों में शिक्षा को प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरे अर्थों में बच्चों का एक मात्र लक्ष्य विद्यालय में अच्छी तरह से पढ़ना होता है। आम तौर पर अधिक संपन्न घरों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है। अच्छे विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए 3-4 वर्ष की कोमल उम्र से ही कड़ी शिक्षा आरम्भ हो जाती है। उनका प्रवेश 'डे-बोर्डिंग स्कूल' में करवा दिया जाता है। अधिकांश बच्चों का दिन स्कूल में या घर लौट कर स्कूल का काम व खेलने में बीतता है।
- **बालिकाओं की स्थिति** - अधिक संपन्न परिवारों में बालिकाओं के बचपन की स्थिति अच्छी है परन्तु, मध्यम स्तर के परिवारों में बालिकाओं के प्रति पक्षपात अब भी दिखाई देता है। सामान्यतः भारतीय परिवारों में पुत्रों को पुत्रियों की अपेक्षा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुत्र बुढ़ापे का सहारा व मृत्यु के बाद मुखाम्नि देकर उद्धार करवाने वाला माना जाता है। पुत्रियों से अभिभावक ये अपेक्षा करते हैं कि वे उनके अधीन ही रहे, लड़कियाँ अगर ज्यादा बोलती हैं और सवाल-जवाब करती हैं तो उन्हें यह कहकर डांट दिया जाता है कि इन आदतों से उन्हें भविष्य में कठिनाई होगी।



- 1.5.3 अनाथालयों में बचपन** –अनाथालय समाज द्वारा निर्मित एक शरणगाह है जिसमें अनाथ बच्चे रहते हैं। अनाथालय के बच्चों का बचपन स्नेह से अछूता व ममता-रहित होता है। इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक व गत्यात्मक विकास उचित तरीके से नहीं होता। ऐसे बालक समाज से उपेक्षित होते हैं तथा शिक्षा की दृष्टि से सामान्य स्तर के बालकों से पिछड़े हुए होते हैं। इन बालकों में बचपन की अतृप्त इच्छाएं व कुंठाएं रहती हैं।
- 1.5.4 फुटपार्थों पर बचपन** – बड़े-बड़े शहरों व नगरों में बच्चे फुटपार्थों पर ही अपना बचपन व्यतीत करते हैं। ये बच्चे इधर-उधर, आस-पड़ौस के घरों में भीख मांगकर अपना बचपन व्यतीत करते हैं। इनके माता-पिता होते हैं, परन्तु वे भी स्वयं भीख मांगते हैं या बच्चों की भिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं।
- 1.5.5 झुग्गी-झोपड़ी में बचपन**– बड़े नगरों व महानगरों में शहर के बाहर या सड़कों के किनारे कुछ लोग झुग्गी-झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनके बच्चे खिलौने आदि बेचते हैं, कोई इधर-उधर मजदूरी का काम कर लेते हैं। ये बच्चे शिक्षित नहीं होते और ना ही अच्छे परिवार से सम्बंधित होते हैं। ऐसे बालकों के संस्कार खराब होने की संभावना होती है।



1.5.6 बाल मजदूरी युक्त बचपन—माता-पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ माता-पिता अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। ये बच्चे चाहकर भी विद्यालय नहीं जा पाते। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने निशुल्क शिक्षा, मिड डे मील, निःशुल्क विद्यालय यूनिफार्म तथा स्टेशनरी की व्यवस्था कर रखी है। होटल, ढाबे, छोटी दुकानों व घरों पर बच्चों को कम मजदूरी में रख लिया जाता है। सरकार बाल श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें बनाती है, फिर भी बाल श्रमिक दुकानों, फेक्टरियों व घरों में काम करते हैं। ऐसे बच्चों में नशाखोरी, बीड़ी-सिगरेट आदि का व्यसन लगने की संभावना होती है।

1.6 विविध पारिवारिक परिवेश में बचपन

(Childhood from diverse families)

सुखद बाल जीवन की परिकल्पना प्रसन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही संभव है। परिवार का नाम आते ही माता-पिता व बच्चों का ध्यान आना स्वाभाविक ही है क्योंकि ये ही परिवार के आधार हैं, जिन पर परिवार रुपी इमारत खड़ी होती है। परिवार तभी सही अर्थों में परिवार कहलाता है जबकि बालक व माता-पिता के बीच प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हों और ये ही संबंध बालक का स्थिर व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं।

1.6.1 परिवार का आकार—छोटे परिवार में बच्चों और अभिभावकों के बीच मधुर और घनिष्ठ सम्बन्ध होते हैं व बच्चों का बचपन माता-पिता के दुलार में गुजरता है। यदि परिवार बढ़ता है, तो बच्चे के बचपन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माँ-बाप बच्चे पर वो ध्यान नहीं दे पाते जो नए बच्चे के आगमन से पूर्व दे रहे थे। अभिभावकीय प्यार बंटकर कम हो जाता है। इसीलिये आज सुखी परिवार वही परिवार समझा जाता है जहां केवल दो ही बच्चे हों और दोनों के जन्म के बीच अंतर हो। ताकि दोनों का बचपन अच्छे से व्यतीत हो सके।

1.6.2 माता-पिता का व्यवसाय—माता-पिता के व्यवसाय की सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बच्चे का बचपन प्रभावित होता है। उच्च व्यवसाय वालों के बच्चे गर्व से अपने माता-पिता के व्यवसाय के सम्बन्ध में बताते हैं जबकि, तस्करी, हेराफेरी या निम्न व्यवसायों का उल्लेख करने में बच्चे को ग्लानि का अनुभव होता है। यदि माता-पिता दोनों ही काम पर जाते हैं तो वे बालक को शिशु गृह, घर के किसी बड़े या घर के नौकर के पास छोड़ जाते हैं। शिशु गृह में बालक अन्य बच्चों के साथ देखरेख में अपना प्रारम्भिक बचपन व्यतीत करता है।

1.6.3 टूटे परिवार—पति-पत्नि के बीच विवाह-विच्छेद वाले परिवार को टूटा परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे अक्सर अपना बचपन दादी-नानी के पास गुजारते हैं और उनका बचपन मानसिक तनाव से भरा रहता है। किसी परिवार में माता का देहांत हो जाने की परिस्थिति में विधुर पिता को ही बच्चे का लालन-पालन करना पड़ता है। पिता का निधन होने की दशा में विधवा माता की देखरेख में ही बचपन गुजरता है। एक स्थिति यह भी संभव होती है कि माता-पिता का पुनर्विवाह होने पर बालक के बचपन को सौतेलेपन की त्रासदी

झेलनी पढ़ती है, जो उसमें धनात्मक अथवा ऋणात्मक दिशा में विकृति उत्पन्न कर देता है तथा उसे असामान्य बना देता है। जिससे उनका बचपन कुंठित हो जाता है।

1.6.4 परिवार में अनुशासन –सामान्यतः माता-पिता अपने बच्चों में अनुशासन उन्ही विधियों से करते हैं, जैसा कि उनके माता-पिता ने किया था। यदि माता-पिता रौबदार हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। यदि माता-पिता सरल, स्नेहिल और विनम्र हुए तो उनके बच्चे भी वैसे ही स्वभाव के होंगे। माता-पिता अगर कठोर अनुशासन वाले हैं तो उसी आधार पर बच्चे का बचपन प्रभावित होता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं –

- यदि माता-पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक हर बात समझाते हैं, और बालक की हर गलती पर प्रेम से उसे समझाया जाता है, तो इस विधि से बालमन आसानी से अनुशासित होने की राह पर चल पड़ता है। ये माता-पिता अपने बच्चों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वे अपने बच्चों को सहज रूप से उनके कर्तव्य और अधिकार समझाते हैं, इस कारण इन बच्चों के बचपन में आत्म विश्वास की वृद्धि होती है। बच्चों में दूसरों को प्रेम करने और सम्मान देने की वृत्ति विकसित होती है।
- माता-पिता द्वारा यदि बच्चों को अत्यधिक डांट-फटकार से रखा जाता है, प्रत्येक गलती पर उन्हें दुष्कारा जाता है, उन्हें बात-बात पर कोसा और पीटा जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में बालमन में खीझ, झल्लाहट, आक्रोश व घृणा की भावनाएं घर कर जाती हैं और बचपन कड़वाहट युक्त हो जाता है। ऐसे में बच्चे का आत्मविश्वास मर जाता है। ऐसे बच्चे बचपन में प्यार नहीं पाते हैं और बड़े होने पर स्वयं भी दूसरों को प्रेम व सम्मान नहीं दे पाते।
- बच्चों को यदि माता-पिता अति-संरक्षण प्रदान करते हैं, और उनकी उचित या अनुचित, हर इच्छा को स्वीकृति देते हैं, तो ऐसे स्थिति में बालमन में अनुशासन की परिभाषा बदल जाती है। उसके लिए उचित व अनुचित में अंतर नहीं रहता। ऐसे बच्चों का बचपन अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढलता जाता है। विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप वे अपने-आप को नहीं ढाल पाते और विद्यालय में अनुशासनहीनता का व्यवहार करने लगते हैं। इस कारण शिक्षकों और सहपाठियों का स्नेह भी उन्हें नहीं मिल पाता और उनका आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। ऐसे बच्चे अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह बन जाते हैं और उनका बचपन कुंठित हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न -2

1. गाँव एवं शहर के परिवेशों के बचपन में अंतर स्थापित करें।
2. निम्न आर्थिक परिवेश में बचपन के दो लक्षण लिखिए।
3. मध्यम आर्थिक परिवेश के बचपन में बालिकाओं की स्थिति की विवेचना कीजिये।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –
 - (i) फुटपाथ पर बचपन
 - (ii) अनाथालयों में बचपन
 - (iii) झुग्गी-झोपड़ी में बचपन

- (iv) बाल मजदूरी युक्त बचपन
5. परिवार का आकार तथा टूटे परिवार दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार बचपन प्रभावित होता है।
6. पारिवारिक अनुशासन बचपन को किन-किन रूपों में ढाल सकता है? समझाइये।

1.7 विविध सांस्कृतिक परिवेश में बचपन

(Childhood from diverse cultural background)

संस्कृति बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित करती है। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में पला है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। ये समझने के लिए हम संस्कृति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं – 1. भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता तथा 2. अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मान लीजिये, जिस देश में घड़ियों का आविष्कार हो जाता है तो वहां के लोग समयानुसार तथा नियमानुसार अपना जीवन बिताने लगते हैं। इसी प्रकार अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ तथा संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं। जिनका बालक के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

टेलर के अनुसार – “संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें उन सबका ज्ञान, विश्वास, कला नैतिकता, नियम, रीति-रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है।”

“Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society.” - E.B. Taylor

ओटावे ने संस्कृति को उसके व्यापक रूप में स्वीकार किया है। उनके शब्दों में – “किसी समाज की संस्कृति से अर्थ, उस समाज की सम्पूर्ण जीवन शैली से होता है।”

“The culture of a society means the total way of life of the society.”- A.K.C. Otaway

1.7.1 बचपन पर संस्कृति का प्रभाव - विश्व में सांस्कृतिक विविधताएं हैं जो बालमन को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई एक व्यवहार किसी एक संस्कृति द्वारा तो स्वीकार्य होता है परन्तु वही व्यवहार किसी दूसरी संस्कृति द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। बालक उसकी स्वयं की संस्कृति में उपस्थित भौतिक और सामाजिक परम्पराओं जैसे, रीतिरिवाजों, लालन-पालन की विधाओं और विभिन्न आस्थाओं के आधार पर ही अपना बचपन व्यतीत करता है। बालक के बालमन के विकास में उसका वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है।

प्रत्येक संस्कृति अपने-आप में अनूठी है, उसमें अलग-अलग आस्थाएं और रीति-रिवाज स्थापित हैं, जो बालक के बचपन को दिशा प्रदान करती है। बालक द्वारा किया गया व्यवहार, उसकी सोच, क्रियाकलाप और रहन-सहन यह दर्शाता है कि वो कैसी संस्कृति से सम्बद्ध है। यह सत्य है कि अपनी संस्कृति की विचारधारा के अनुसार ही बालक समस्त दुनिया के प्रति अपना नज़रिया विकसित करता है।

1.7.2 भारतीय संस्कृति में बचपन - भारत में संस्कृति का स्रोत संस्कार है, संस्कार बालक की पवित्रता की क्रिया है। इन संस्कारों का सम्बन्ध भाषा की अभिव्यक्ति एवं आचरण दोनों से होता है, जिससे बालक में पवित्रता आती है। संस्कार की प्रक्रिया के दो मुख्य कार्य हैं –1. बालक को दोषों से निवृत्त करना तथा 2. अच्छे गुणों को मन में बैठाना या आत्मसात करना। जिस प्रकार खुरदरे पत्थर को चमका दिया जाता है, उस प्रकार भारतीय संस्कृति बालक के बचपन को दीप्तिमान बना देती है। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बचपन की निम्न विशेषताएं हैं –

- **मानवता-** यह संस्कृति बालक में मानवता का भाव उत्पन्न करती है। ताकि बालकों का बचपन उच्च आदर्शों तथा शांत प्रकृति से संपन्न हो सके। भारतीय संस्कृति में बचपन में पंचतंत्र की कथाएँ, रामायण की कहानी, महाभारत की कथा सुनायी जाती हैं, जिससे बालक में उदारता व मानवता के गुण उत्पन्न होते हैं।
- **सहनशीलता** – भारतीय संस्कृति बालक को सहनशील बनाने को प्रेरित करती है। यहाँ विद्यालयों में गांधीजी तथा विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती हैं, ताकि बालक हमेशा अपने जीवन में इनका अनुकरण कर सके।
- **धर्मनिरपेक्षता** – भारत की विशेषता ही अनेकता में एकता है। इसकी संस्कृति बालक को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संस्कृति का सबसे उज्ज्वल पक्ष है। यही कारण है कि यहाँ विद्यालयों में सर्वधर्मसमभाव का वातावरण है और बालक का बचपन सभी धर्मों के संस्कारों के बीच व्यतीत हो रहा है।
- **बड़ों का सम्मान** - भारतीय संस्कृति बालक में बड़ों के प्रति आदर की भावना को उभारती है, यही कारण है कि बालक बचपन में अपने बड़ों का आदर करता है, पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और बड़ों से शुभकामनायें प्राप्त करता है। ऐसा बचपन विश्व की किसी और संस्कृति में नहीं दृष्टिगत होता। यहाँ अतिथि देवो-भवः की भावना बालमन में अपना स्थान सुनिश्चित करती है जिससे बालक सामाजिक सामंजस्य को अपने जीवन का आधार बनाता है।
- **दूसरों की सहायता** – भारतीय संस्कृति बालक को एक दूसरे की सहायता करने की सीख देती है तथा भारतीय परिवेश के बचपन में बालक को ये शिक्षा दी जाती है कि जब किसी को आवश्यकता हो उसकी सहायता करना अपना धर्म समझना चाहिए। इससे मन को सुख और शान्ति मिलती है।

1.7.3 पश्चिमी तथा पूर्वी संस्कृति के बचपन में अंतः-पाश्चात्य संस्कृति में बालक का बचपन आग्रहिता, अर्थवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता युक्त होता है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी संस्कृतियों में बालक का बचपन सहयोगात्मक व सामंजस्यपूर्ण होता है। निम्न बिन्दुओं के आधार पर हम इन अंतरों को समझेंगे-

- **स्वभाव (Temperament)** – पाश्चात्य संस्कृति आग्रहित मूल्यों तथा बाल स्वातंत्र्य पर आधारित है, इस व्यवहार को वह लज्जा, भयावहता तथा सामाजिक अज्ञानता के रूप में मानते हैं। जबकि पूर्वी संस्कृति इस व्यवहार को अनुपालना, आज्ञाकारिता तथा शिष्टाचार के रूप में देखती है। यही कारण है की पाश्चात्य संस्कृति में बच्चों को अधिक स्वतन्त्रता मिली होती है जिससे उनमें उच्छ्रंखलता आती है वहीं पूर्वी संस्कृति के बचपन में अनुशासन दिखाई देता है।



- **सामाजिक व्यवहार (Social behavior)** -पाश्चात्य संस्कृति के बचपन की अपेक्षा पूर्वी संस्कृति के बचपन में सहायक, सहभाजक और आपसी देखभाल वाली प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
- **सहयोग/प्रतिभागिता (Coordination/Competitiveness)** - पूर्वी देशों में बच्चे अधिक सहयोगात्मक प्रवृत्ति के होते हैं तथा पाश्चात्य देशों के बच्चों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी होते हैं। हालांकि सहयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति हर बच्चे के बचपन में अलग-अलग हो सकती है। ऐसा भी देखा जा रहा है की पूर्वी देशों के बच्चों का बचपन भी प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।
- **आक्रामकता (Aggression)** –अधिकांश संस्कृतियों में बच्चों की शारीरिक या मौखिक आक्रामकता को अस्वीकार किया गया है। तथा दोनों ही संस्कृतियाँ इसे सिरे से नकारती हैं।
- **सहगामियों से रिश्ते (Peer relationship)**– दोस्ती को अलग-अलग संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न विचारधारा द्वारा परिभाषित किया गया है। कुछ संस्कृतियों में बच्चे

कठिनता से ही गैर-पारिवारिक दोस्ती में संलग्न हैं, जबकि अधिकतर पूर्वी संस्कृतियों में पारिवारिक तथा गैर पारिवारिक दोनों प्रकार की मित्रताओं में बच्चे अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं।

- **खेल (Play)** –एशियाई परिवारों में लोगों का अपने बच्चों के खेल देखना, अपने स्वयं की आनंद के लिए होता है ना की बच्चों के शैक्षिक और शारीरिक क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए। हालांकि इन संस्कृतियों में बच्चे खेलों में अपना बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। यहाँ खेलों को जातीयता और समुदायों के आधार पर भी प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में मुख्यतया 'न्यूक्लियर फेमिली' होती है, जिसमें बच्चा व्यक्तिवादी तथा स्वावलंबी प्रकृति का होने के कारण सामूहिक खेलकूद की प्रक्रिया से दूर रहता है।
- सहगामी सामाजिकता (Peer Sociability) –सहगामी सामाजिकता, पूर्वी संस्कृति में समूह-सामंजस्यता का प्रतीक होती है। वो पाश्चात्य संस्कृति से पूरी तरह भिन्न है। उदाहरण के लिए भारत में बच्चे, सामान्यतया समूहों में खेलते हैं और आपसी सामंजस्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे अट्टा-पट्टा खेल में बच्चे एक गोला बनाकर खड़े होते हैं, हाथ से हाथ पकड़ते हैं और एक साथ घुमते हैं। वहीं पाश्चात्य संस्कृति में इस तरह के समूह सामंजस्य वाले बच्चों के खेल मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं।

1.8 वर्तमान सन्दर्भ में बचपन को आकार देने वाले पहलू (Aspects in present context which gives shape to childhood)

बचपन, वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के विकास के निर्माण की होती है। बचपन में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण होता है। बचपन को आकार देने में योगदान करने वाले विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं –

1.8.1 माता-पिता की भूमिका

–बालक की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार ही होती है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन क्षमता का सबसे अधिक प्रभाव उसके परिवार के पर्यावरण का ही पड़ता है। इस सम्बन्ध में फ्रायड का कथन है – “प्रथम 5 – 6 वर्षों में ही बालक अपने भावी जीवन में जो कुछ बनने को रहता है बन जाता है।”

बालक की संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ भी बचपन में प्राप्त कौटुम्बिक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। माता-पिता द्वारा प्राप्त व्यवहारों पर ही बालक का भावी चरित्र तथा व्यक्तित्व संबंधी गुण निर्भर करते हैं। यदि बच्चे के बचपन को माता-पिता स्वस्थ विचारों से पोषित करेंगे तो निश्चित रूप से बालक पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः स्वस्थ बचपन के विकास में माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.8.2 शारीरिक स्वास्थ्य

–स्वस्थ बचपन के विकास में शिशु का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। यदि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पायेगा जिसका प्रभाव उसके समग्र विकास पर पड़ेगा। अतः स्वस्थ बचपन के लिए शिशु का उत्तम स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण है।

1.8.3 खेलों की भूमिका- बच्चे की ज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक दृढ़ता के लिए खेल अनिवार्य हैं। खेल, बाल जीवन में रचनात्मकता और परिकल्पना को प्रोत्साहित करते हैं तथा बालक को दूसरों के साथ रहने, बातचीत करने, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेने, मतभेद और संकल्पों के अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार खेल बच्चों को समूह में कार्य करने, समझौता करने, विवाद सुलझाने और स्व-प्रवक्ता कौशल सीखने के अवसर भी प्रदान करते हैं।

1.8.4 गली की संस्कृति का योगदान- बच्चों की गलियों की संस्कृति को युवा द्वारा रचित सामूहिक संस्कृति के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, और कभी-कभार इसे उनके गोपनीय संसार के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है। यह 7 से 12 वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चों के बीच बहुत आम है। यह औद्योगिक शहरों के कामकाजी वर्ग में दृढ़तम है, जहां बच्चों को परम्परागत रूप से बिना निगरानी के लम्बे समय तक बाहर खेलने की छूट है। वयस्कों के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ इसका आविष्कार और काफी हद तक संचालन खुद बच्चों द्वारा किया जाता है। बच्चे निश्चित क्षेत्र निर्धारित करते हैं जहां वे अनौपचारिक मिलन और आराम करने के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अतः बाल विकास में गली की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है।

अभ्यास प्रश्न -3

1. टेलर के अनुसार संस्कृति को परिभाषित कीजिये।
2. 'संस्कृति' किस प्रकार बचपन पर प्रभाव डालती है?

1.9 सारांश (Conclusion)

बचपन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। कहते हैं की नींव के पत्थर जितने मज़बूत होते हैं, इमारत उतनी ही दृढ़ बनती है। अतः यदि बालक को सर्वगुण संपन्न नागरिक बनाना है तो, बाल्यकाल के दौरान बच्चे को स्वस्थ वातावरण, अनुशासित जीवन जीने की विधाओं तथा सुसंस्कृत समाज का वातावरण प्रदान करना हमारा उद्देश्य एवं धर्म होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि, विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशों के बालकों को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें स्वावलंबी व सुस्पष्ट विचारों वाला बना सकें ताकि हमारे बालक जो आने वाले कल का भविष्य हैं, उनका बचपन सही अर्थों में पूर्ण विकसित हो सके। तभी वे एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकेंगे एवं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे तथा देश की संस्कृति को नए और उत्कृष्ट आयामों तक स्थापित करने में सहायक होंगे।

1.10 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type questions)

1. ऐतिहासिक व वर्तमान परिपेक्ष्य में समय के साथ बचपन के सन्दर्भ में आये परिवर्तनों को समझाइये।
2. विविध आर्थिक परिवेश बचपन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? वर्णन कीजिये।
3. भारतीय संस्कृति में बचपन की विशेषताओं को समझाइये।
4. पश्चिमी व पूर्वी संस्कृति के परिपेक्ष्य में बचपन में अंतर स्पष्ट करें।

5. वर्तमान सन्दर्भ में बचपन को आकार देने वाले पहलुओं का विश्लेषण करें।

1.11 सन्दर्भ (References)

- “Childhood development” –सोनिया महाजन
- “Childhood and children” - डॉ. सुनील कुमार यादव
- “बच्चे और बचपन” –डॉ. सूरजमल शर्मा ; डॉ. चन्दन सहारण
- “बाल विकास एवं शिक्षणशास्त्र” –डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव ; डॉ. प्रीती वर्मा
- [Wikipedia.org/wiki/Childhood](https://www.wikipedia.org/wiki/Childhood)

इकाई – 2

बचपन का संप्रत्यय : विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं के सन्दर्भ में Concept of Childhood: In context of different socio-political Realities

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 बचपन : संप्रत्यय
- 2.4 परिभाषा
- 2.5 विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा की समझ
- 2.6 परिवार के सन्दर्भ में बचपन
- 2.7 विद्यालय के सन्दर्भ में बचपन
- 2.8 पड़ोस के सन्दर्भ में बचपन
- 2.9 समुदाय के सन्दर्भ में बचपन
- 2.10 सारांश
- 2.11 शब्दावली
- 2.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 2.14 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

बच्चे का बचपन माता-पिता, मित्र, परिवार, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय समाज और संस्कृति आदि सभी सामाजिक घटकों के मध्य होने वाली अन्तःक्रिया की प्रतिकृति के फलस्वरूप पुष्पित और पल्लवित होता है। बचपन की इसी अवधारणापर समाज का भविष्य टिका होता है। प्रस्तुत इकाई में आप विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा की समझ के साथ ही बच्चों की विभिन्न वास्तविक परिस्थितियों जैसे- परिवार, विद्यालय, पड़ोस और समुदाय के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करनेकेपश्चात आप-

- बचपनका अर्थ समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।

- विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा की समझ विकसित कर सकेंगे।
- बचपन के सन्दर्भ में परिवार के संप्रत्यय को बता सकेंगे।
- बचपन के सृजन में विद्यालय की भूमिका को समझ सकेंगे।
- बचपन को पड़ोसकैसे प्रभावित करता है के विषय में बता सकेंगे।
- बचपन के सन्दर्भ में समुदाय की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

2.3 बचपन : संप्रत्यय

आपको और हम सभी में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। आप सभी ने अपने बचपन को उन्मुक्तता के साथ जिया है। आप में से शायद ही कोई होगा, जिसे अपना बचपन याद न आता हो। बचपन की अपनी मधुर यादों में माता-पिता, भाई-बहन, यार-दोस्त, स्कूल के दिन, आम के पेड़ पर चढ़कर 'चोरी से' आम खाना, खेत से गन्ना उखाड़कर चूसना और खेत मालिक के आने पर 'नौ दो ग्यारह' हो जाना आपके मस्तिष्क पटल पर आज भी अंकित है। बचपन से पचपन तक यादों का अनोखा और जादुई संसार है। आज की कवयित्री **सुभद्रा कुमारी चौहान** ने अपनी चर्चित काव्य रचना '**अनुभूति**' में बचपन को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है –

“बार-बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी।

ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी।।

चिन्ता-रहित खेलना-खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छन्द।

कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनन्द?”

बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर अपितु समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है। इस विषय पर **कनिंघम** द्वारा रचित पुस्तक '*Invention of Childhood*' में विस्तार से चर्चा की गयी है। बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से **जीन जैक्स रूसो** को जाता है। **जान लॉक** और 17वीं सदी के अन्य विद्वानों के विचारों के आधार पर रूसो ने बचपन को वयस्कता के खतरों और कठिनाइयों से मुठभेड़ से पहले की लघु अभ्यारण्य अवधि कहा है। **रूसो** के अनुसार - "इन मासूमों की खुशियों को क्यों लूटें जो इतनी जल्दी बीत जाता है। शुरुआती बचपन के जल्दी निकल जाने वाले दिनों में कड़वाहट क्यों भरें, जो दिन न उनके लिए और ना ही आपके लिए कभी लौट कर आने वाले हैं?"

विक्टोरिया काल को बचपन की आधुनिक संस्था के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है। किंडरसंस्कृति यह समझती है कि बचपन केवल एक जैविक इकाई है, बल्कि यह हमेशा एक बदलती सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्प कृति है। इस विषय में कई मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि बचपन बढ़ने, वयस्क बनने का एक प्राकृतिक चरण है। सामान्यतः बचपन खुशी, आश्चर्य, चिंता और लचीलेपन का संयुग्मन है। यह संसार में वयस्कों के हस्तक्षेप के बिना, अभिभावकों से अलग रहकर खेलने, सीखने, मेल-मिलाप और खोज करने का समय है। यह वयस्क उत्तरदायित्वों से पृथक रहते हुए जिम्मेदारियों के विषय में सीखने का समय है। बचपन को प्रायः बाह्य तौर पर मासूमियत की अवधि के रूप में देखा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के

आयु काल को बचपन कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में, बचपन को शैशवावस्था (चलना सीखना), प्रारंभिक बचपन (खेलने की उम्र), मध्य बचपन (स्कूली उम्र), तथा किशोरावस्था (वयः संधि) के विकासात्मक चरणों में वर्गीकृत किया गया है। इस आयु में मानसिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं –

1. बचपन में मानसिक विकास की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती है।
2. इस अवधि में संवेदना की क्षमता का विकास आरम्भ हो जाता है जो समयानुरूप परिपक्व होती जाती है। बच्चे में ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित संवेदनाएँ जन्मजात होती हैं। बच्चे की आयु में बुद्धिके साथ ही इन संवेदनाओं का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षीकरण होने लगता है।
3. इस अवस्था के उत्तरार्ध में समझ का विकास भी क्रमिक रूप से होने लगता है। अर्थात् उसमें विभेदीकरण की क्षमता विकसित होने लगती है।
4. विभिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित संप्रत्ययों का विकास भी इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है।

2.3.1 परिभाषा

मानव विकास में आयु के विभिन्न चरणों के लिए बचपन शब्द प्रयुक्त हो सकता है। विकासात्मक रूप से यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवधि को अभिव्यक्त करता है। सामान्य शब्दों में बचपन को जन्म से आरम्भ हुआ माना जाता है। कुछ लोगों के दृष्टिकोण से बचपन खेल और मासूमियत का मिश्रण है, जो वयः संधि में समाप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का बचपन एक प्रेरणा भी है। बचपन में की गई गलतियों, नादानियों एवं शैतानियों को जब आप वयस्क होने पर स्मरण करते हैं तब आप विचार करते हैं कि हां, हमने बचपन में ये-ये गलतियां की थीं और अब इनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे? लेकिन अब कब? बचपन तो अब बीत चुका है। आप सुधार और परिमार्जन करने की आयु की दहलीज पर खड़े हैं। अब वो जो बचपन बीत चुका है, वह अगले जन्म के पहले नहीं आने वाला। हां, उसकी सुखद-मधुर यादें आपके मस्तिष्क पटल पर मृत्यु पर्यंत तक अंकित रहेंगी। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बचपन की परिभाषा के सन्दर्भ में कहा गया है कि –

कक्कड़ (1980) के अनुसार – “भारतीय परंपरा में बच्चा वैचारिक रूप से एक मूल्यवान और स्वागत योग्य मनुष्य है जिसके प्रति वयस्कों को सुरक्षा, प्रेम और पूरा ध्यान देना चाहिए।”

सामान्यतः जन्म से लेकर 13 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था को बचपन की संज्ञा दी जाती है। जिसमें 6 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को बालक का “निर्माणकारी काल” कहा गया है। शिक्षा आरम्भ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। इसे “**प्रारम्भिक विद्यालय की आयु**” (*Elementary School Age*) कहा गया है। बच्चों के अलग-अलग समूह बनाने के कारण इस अवस्था को “समूह की आयु” (*Group Age*) कहा गया है। इसे “**चुस्ती की आयु**” (*Smart Age*) भी कहा जाता है। बालक खेल-कूद व भाग दौड़ में लगे रहने के कारण गंदा व लापरवाह दिखाई देता है, अतः इसे “**गंदी आयु**” (*Dirty Age*) भी कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न :-1

1. _____ने अपनी चर्चित काव्य रचना _____ में बचपन को अभिव्यक्त किया है।

2. बचपन की आधुनिक धारणाकी उत्पत्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से----- को जाता है ।
3. जन्म से लेकर -----तक के आयु काल को बचपन कहा जाता है।
4. बचपन में ----- की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती है ।
5. इस अवस्था को बालक का ----- कहा गया है ।

2.4 विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा की समझ

बचपन मानवीय जीवन की एक संस्था न होकर उसका एक तथ्य है। आप अपने जन्म के समय जीने के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं। वे ही आपको खिलाते-पिलाते हैं, आपको साफ करते हैं, सर्दी-गर्मी से बचाते हैं और सभी प्रकार के संकटों से आपकी सुरक्षा करते हैं। इस सन्दर्भ में मनुष्य पशुओं के समान है, परन्तु पशुओं की तरह उसे अपनी असहायता और दूसरों पर निर्भरता की स्थिति से निकलने के लिए महीनों नहीं अपितु सालों-साल लगते हैं। यह बचपन की सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो उतनी ही पुरानी है जितना पुराना स्वयं मनुष्य है।

भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच रस्साकसी का खेल चलता रहता है। केन्द्र और राज्यों के विद्यालयी पाठ्यक्रम में असामनता बचपन को दिशाहीन बना रही है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह होगा कि बचपन से ही बच्चों को आजादी और इज्जत के साथ रखने का प्रबन्ध किया जाये। परन्तु दूषित राजनीति के कारण बचपन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बचपन को किताबों के बोझ तले दबाया जा रहा है। छः साल के बच्चे को भारी बजन लेकर विद्यालय जाना होता है। प्रत्येक दिन की अलग-अलग ड्रेस निर्धारित है जिसे एक भी दिन बच्चा यदि पहन कर न जाये तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी ओर माता-पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए बच्चे पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। उसके लिए घर पर निजी शिक्षक की व्यवस्था भी करते हैं, परन्तु बच्चे की मानसिकता को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। माता-पिता बच्चे के स्तर पर जाकर नहीं सोचते, बल्कि उसे विवश करते हैं कि वह उनके जैसा सोचे। वे चाहते हैं कि बच्चा उन सपनों को पूरा करे जिन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए। जबकि कार्यशील माता-पिता के बच्चों को यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ भोजन कब किया। एकाकी जीवन, कामवाली बाई, विलासिता की ढेरों वस्तुयें आदि उनके बचपन का साथी होती हैं। लगभग यही स्थिति स्लम में रहने वाले बच्चों की भी है। मात्र अंतर इतना है कि उनके माता-पिता का काम पर जाना मजबूरी है अन्यथा शाम को घर में भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। फलस्वरूप स्लम के बच्चों को पूरा दिन अनैतिक गतिविधियों जैसे- अपनी उम्र से बड़ी उम्र के दोस्तों के साथ सिगरेट के कश लगाना, गुटखा खाना, शराब पीना, पोलीथिन बीनना या फिर किसी दुकान पर मजदूरी करना आदि के लिए मिलता है। कभी-कभी तो इन्हें घरों में अपने माता-पिता के साथ ही काम में हाथ बटाने के लिए भी जाना पड़ता है। ऐसे बच्चे अपने बचपन में ही वयस्कों की भाँति व्यवहार करना आरम्भ कर देते हैं। ऐसे बच्चे काफी कम उम्र में ही यह महसूस करने लगते हैं कि बचपन एक बगिया नहीं, बल्कि कैदखाना है। कई बच्चों के लिए बचपन का अनुभव खुशनुमा,

निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता। कुछ दूसरे बच्चों के लिए बचपन का अनुभव सकारात्मक होने के बावजूद आवश्यकता से अधिक खिंचता जाता है। उससे बाहर निकलने का कोई कष्ट रहित मार्ग भी ऐसे बच्चों के सामने नहीं होता। कुछ बच्चों के परिवार नहीं होते वे सरकार के आश्रय में होते हैं अर्थात् वे बन्दी होते हैं। कुछ बच्चे सामान्य लगने वाले परिवारों में सामान्य दिखने वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परन्तु उनका बचपन कुछ अर्थों में निरापद होते हुए भी सामान्य नहीं होता। बल्कि इसके उलट उनका शोषण होता है। उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपमानित किया जाता है। यदि इन बच्चों को कुछ समय तक अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहने का अवसर मिल पाता है तो ऐसे परिवारों में जीना भी बच्चों के लिए इतना कष्ट दायी नहीं होता है। कुछ संपन्न परिवारों के बच्चे लम्बे समय तक अपने माता-पिता के साथ बहुत खुश रहते हैं। परन्तु कुछ समय बाद अचानक उनके बीच मतभेद के स्वर सुनाई देने लगते हैं। इस नई परिस्थिति में माता-पिता और बच्चों दोनों को पीड़ा होती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अवश्य हमसे गलती हुई है, परन्तु हमें यह समझ नहीं आता कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई है। कई बार आप भी यह सोचते होंगे कि –“मैं अपने माता-पिता को बहुत प्रेम करता हूँ, परन्तु वे अब चाहते हैं कि मैं उनकी पसन्द का कार्य या विवाह करूँ। लेकिन मैं यह करना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पसन्द का दूसरा ही कार्य करना चाहता हूँ, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं अपराधबोध से घिर गया हूँ। क्या करूँ, समझ नहीं आता। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, परन्तु अपनी जिन्दगी अपने तरीके से गुजारना भी चाहता हूँ।” इससे प्रतीत होता है कि उन्हीं लोगों के बचपन का अन्त सबसे दुखद था जिनका बचपन बहुत आनन्दमय था। जब बच्चे माता-पिता के मोहपाश से मुक्त नहीं हो पाते हैं तो उनके पास विद्रोह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं होता। जितने मजबूत ये जोड़ने वाले रिश्ते होते हैं, उन्हें तोड़ने में उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसे में कभी न भुलाई जाने वाली दर्दनाक घटनाएँ सामने आती हैं। यह इसी तरह होता है जैसे- किसी अनजान पक्षी को घोंसले से निकलने का कोई तरीका ही न सूझे तो वह उस घोंसले को ही तहस — नहस कर डाले। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में बचपन कुछ इसी तरह का बनता जा रहा है। आधुनिक परिवारों और विद्यालयों में बचपन बन्दी बनता जा रहा है, जो कि भविष्य में दुखद परिणाम के अतिरिक्त कुछ नहीं देने वाला।

यद्यपि कुछ आदर्श विद्यालय भी भारतीय समाज में हैं परन्तु वे भी दूषित समाज से आने वाले बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अतः बच्चे के सम्मुख ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करना चाहिए ताकि बच्चा चारित्रिक और नैतिक गुणों को अपनाये और समाज के साथ-साथ विश्व कल्याण में भी सहायक बने।

अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें -

1. आप अपने जन्म/मृत्यु के समय जीने के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं।
2. भारत में शिक्षा को केन्द्रीय/समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है।
3. छः साल के बच्चे को भारी/हल्का बजन लेकर विद्यालय जाना होता है।
4. कई बच्चों के लिए बाल्याबस्था/बचपन का अनुभव खुशनुमा, निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता।
5. आधुनिक परिवारों और विद्यालयों में बचपन/वयस्क बन्दी बनता जा रहा है।

2.5 परिवार के सन्दर्भ में बचपन

बच्चे के बचपन की प्रथम अनौपचारिक (Informal) पाठशाला समाज की सबसे छोटी इकाई उसका परिवार है। इस इकाई में उसके पिता – पिता शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। परिवार से तात्पर्य एक या एक से अधिक दम्पतियों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों का वह सामाजिक समूह है जिसमें पुरुषों में रक्त का सम्बन्ध होता है तथा जिसके सभी सदस्य पारम्परिक सम्बन्धों और सयुक्त उत्तरदायित्व से जुड़े रहते हैं। कमेनियस (Comenius) के अनुसार- “बच्चे के प्रथम छः वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय होता है।” कमेनियस परिवार को बच्चे की सभी प्रकार की शिक्षा का केन्द्र कहता है। पेस्टालॉजी (Pestalozzi) भी यही मानता है कि बच्चे की शिक्षा में परिवार के वातावरण का बहुत महत्व होता है। बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास में परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बच्चे की औपचारिक शिक्षा का प्रबन्ध भी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, वह उसी परिवार की भाषा, संस्कार, संस्कृति और व्यवहार के प्रतिमानों को अर्जित करता है। ऐसे परिवार जहाँ बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। वहाँ का बचपन सामाजिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होता है। उच्च, प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवारों में बचपन बेफ़िक्र और अभिमानी व्यवहारों वाला होता है। परन्तु उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में कोई भी बाधा अवरोध नहीं बनती। इनमें निम्न परिवारों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास होता है। जबकि कलहपूर्ण वातावरण वाले परिवार में बचपन कुण्ठित और अराजक हो जाता है। स्लम्स में रहने वाले परिवारों के बच्चों का बचपन अभावों में व्यतीत होता है इसलिए अक्सर देखा गया है कि बच्चे बचपन से ही झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना और अन्य अवांछित व्यवहारों को सीखते हैं। उनके द्वारा अपराधी व्यवहार अपनाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी और हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। परिवार का स्वरूप बचपन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। सयुक्त और एकल परिवार के बच्चों का बचपन भिन्न होता है। सयुक्त परिवार में मितव्ययिता, नैतिकता और समूह में कार्य करने की भावना का विकास बचपन में ही हो जाता है। जबकि एकल परिवार में बच्चे का बचपन एकाकीपन से ग्रस्त हो जाता है। परिवार बच्चे के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। बचपन में बच्चे अपने माता-पिता एवं अभिभावकों से सामाजिक और राजनीतिक जगत के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके मूल्यों तथा अनुभवों को अपना लेते हैं। इसलिए बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके माता-पिता या अभिभावक होते हैं। माता-पिता बच्चों पर यथेष्ट प्रभाव रखते हैं और उनके सोचने-समझने, महसूस करने, कार्य करने और व्यवहार इत्यादि के तरीकों को निर्धारित करते हैं। बच्चों के सकारात्मक विकास में अभिभावक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती है। माता-पिता का प्राथमिक कार्य बच्चों को बचाव और सुरक्षा प्रदान करना है। केवल सुरक्षित वातावरण में ही एक बच्चा स्वयं को प्रिय स्वस्थ और उल्लासित महसूस कर सकता है। एक बच्चा इस बात से संतुष्ट और बेफ़िक्र होना चाहता है कि उसकी जो कुछ भी भावनाएँ हैं जैसे-प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या या खुशी आदि उसके माता-पिता द्वारा स्वीकार्य होंगी। बचाव और सुरक्षा के अलावा एक बच्चा अपने माता-पिता से व्यक्तिगत प्रेम की इच्छा भी रखता है। वह इस बात से सहमत और संतुष्ट होना चाहता है कि वह स्वयं उसी के लिए लोगों जैसे माँ और शिक्षक से प्रेम पा रहा है। बच्चे अपने माता-पिता से एक निष्ठ और स्थिर प्रेम की उम्मीद रखते हैं। उनकी इच्छा होती है कि किसी प्रतिकूल स्थिति में भी, जैसे उनके शरारती स्वभाव के बावजूद

भी, माता-पिता उन्हें प्रेम करें। अंततः माता-पिता का (प्रमुख रूप से माता) का समझदार होना बहुत जरूरी है। बच्चे मूलतः अपने माता-पिता से समान अनुभूति, निष्पक्ष तथा बिनाशर्त के प्रेम चाहते हैं, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। परन्तु माता-पिता का एक मनोविज्ञान होता है कि एक समय बाद वे बच्चों से प्रेम मांगने लगते हैं। प्रेम कभी मांग कर नहीं मिलता है और जो प्रेम मांग कर मिले उस का कोई मूल्य नहीं होता। आपको यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए किये दि माता-पिता बच्चों से प्रेम करें तो वह बड़ा स्वाभाविक है, सहज है, बड़ा प्राकृतिक है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। नदी जैसे नीचे की ओर बहती है, ऐसे ही माता-पिता का प्रेम भी है। लेकिन बच्चे का प्रेम माता-पिता के प्रति बड़ी अस्वाभाविक घटना है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना। कई माता-पिता यह सोचते हैं कि हमने बच्चे को जीवन भर प्रेम दिया और जब अवसर आया तो वह हमें प्रेम नहीं दे रहा, वह लौटा नहीं रहा। इसमें एक सवाल तो यह है कि क्या उन्होंने अपने मां-बाप को प्रेम दिया था? यदि आप अपने माता-पिता को प्रेम, स्नेह और सम्मान नहीं दे पाए तो आप के बच्चे आपको कैसे दे सकेंगे? इसलिए हमारे यहां सभी प्राचीन संस्कृतियां माता-पिता के लिए प्रेम के स्थान पर आदर की स्थापना भी करती हैं। बच्चे को बचपन में सिखाना होता है, इसके संस्कार डालने होते हैं, इसके लिए एक पूरी संस्कृति के वातावरण का सृजन करना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह इतना निर्दोष होता है, इतना प्यारा होता है कि कोई भी उसको स्नेह करेगा, तो माता-पिता की तो बात ही अलग है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, हमारा प्रेम सूखने लगता है। हम कठोर हो जाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है तब हमारे और बच्चे के बीच एक अदृश्य खाई बन जाती है। अब बच्चे का भी अहंकार बन चुका है वह भी संघर्ष करेगा, वह भी प्रतिकार करेगा, उस को भी जिद है, उसका भी हठ है। इस लिए प्रेम का सौदान करें इसे सहज रूप में प्रवाहित होने दें। परिवार में बच्चा जो सीखता है वही संसार में उसके स्थान का निर्धारण करता है। एक बच्चा जो तिरस्कृत है, वह स्वयं का तिरस्कार करना सीख लेता है; एक बच्चा जो स्वीकार कर लिया जाता, वह आत्म स्वीकृति की प्रवृत्तियों को भी विकसित कर सकता है। उसे प्राकृतिक वातावरण में सिंचित करें। तभी बचपन सुरक्षित और संरक्षित होकर भविष्य का वटवृक्ष बनकर देश और समाज के लिए दिशा प्रदान करेगा।

अभ्यास प्रश्न :-3

1. समाज की सबसे छोटी इकाई उसका ----- है।
2. "बच्चे के प्रथम ----- में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय होता है।"
3. -----का प्राथमिक कार्य बच्चों को बचाव और सुरक्षा प्रदान करना है।
4. बच्चे का प्रेम माता-पिता के प्रति बड़ी----- घटना है।
5. एक बच्चा जो ----- है, वह स्वयं का ----- करना सीख लेता है।

2.6 विद्यालय के सन्दर्भ में बचपन

परिवार में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बच्चे का औपचारिक (Formal) शिक्षा हेतु प्रवेश माता-पिता द्वारा विद्यालय में कराया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री **जॉन ड्यूवी (जॉन Dewey)** यह मानता है कि विद्यालय समाज का लघुरूप है और यदि वास्तव में देखा जाये तो विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय ही बच्चे को विभिन्न कलाओं में दक्षता देकर सामाजिक व्यवस्था के विकास में योगदान के लिए तैयार करता है। वास्तव में विद्यालय वह स्थान है

जो बच्चे को अनुशासित और व्यवस्थित समाज का सदस्य बनने की ओर उन्मुख करता है। यह बच्चे को विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पारिवारिक परिवेश से आये विद्यार्थियों को एक-दूसरे को समझने और परस्पर अंतःक्रिया करने के अवसर प्रदान करता है।

विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के पारस्परिक सम्बन्ध, उसके द्वारा संचालित क्रियाएँ, शिक्षक और सहपाठियों का सामाजिक व्यवहार तथा विद्यालय का स्तर आदि सभी चीजें बचपन को प्रभावित करती हैं। विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता के माध्यम से बच्चा अनेक सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। वह सहयोग, मित्रता, उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता आदि को सीखता है। बच्चों के आनुभविक जगत में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रमानुसार और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों से विद्यालय की शुरूआत बच्चे के जीवन में एक विशिष्ट समयावधि की समाप्ति है। पहली बार बच्चों को एक समूह के विभिन्न कार्यव्यवहारों के अनुकूल बनाए जाने का भरसक प्रयास किया जाता है, वह भी उन व्यक्तियों द्वारा जो उनके माता-पिता या परिजन नहीं होते। विद्यालयका यह दायित्व होता है कि वह बच्चों के अंदर पन पने वाले हर नकारात्मक भावों का शमन करे और उनके बेहतर विकास के लिए समुचित वातावरण प्रदान करें। विद्यालयमें शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चों के लिए एक भावात्मक साथी, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक या एक प्रतिनिधि अभिभावक की भूमिका निभाता है। यह शिक्षक ही होता है जो बच्चों से पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा उनकी आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति का निर्धारण कर सकता है। विद्यालय बच्चों को यह महसूस करा सकता है कि वह अग्रणी है या असफल है। बच्चों की खुशी या दुःख दोनों उसके विद्यालय के अनुभवों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। विद्यालय बच्चे में भावात्मक विकास को विकसित या प्रोत्साहित कर सकता है अथवा उसे बाधित कर सकता है। विद्यालय बच्चे के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं जो प्रसिद्ध **जापानी** पुस्तक **तोतो-चान** से उद्धृत है – नए स्कूल के हेडमास्टर जी तोतो-चान को वह सभागार दिखाने ले गये जहाँ बच्चे दोपहर का भोजन खाते थे। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो-चान पहले आई थी। यहाँ बच्चे मेज और कुर्सियों को उठाकर और खिसका कर एक गोल घेरे में लगा रहे थे, जबकि हेड मास्टर जी सभागार के एक कोने में खड़े होकर कुर्सी खिसका रहे बच्चों को देख रहे थे। तोतो-चान ने हेडमास्टर जी की जैकेट का किनारा खींचकर पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं? हेडमास्टर जी ने कहा कि बस इतने ही हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं। तोतो-चान सोचने लगी कि यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। जब सभी बच्चे बैठ गये तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि प्रत्येक बच्चा खाने में कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से लाया है अथवा नहीं। सभी बच्चों ने अपने-अपने टिफिन खोलते हुए एक-साथ ऊँचे स्वर में हाँ जी कहा। जहाँ बच्चे बैठे थे वहाँ मेजों के चारों ओर घूमते हुए हेडमास्टर जी ने कहा कि जरा देखें तो आप लोग क्या-क्या लाये हैं। इस तरह हेडमास्टर जी प्रत्येक बच्चे के टिफिन में झाँक रहे थे, और बच्चे खुशी से झूमकर किलकारियाँ मार रहे थे। तोतो-चान ने सोचा, वाह यह कितना अच्छा और अलग स्कूल है। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। इस विचार ने तोतो-चान को प्रफुल्लित कर दिया कि कल वह भी इन मेजों में से किसी एक पर बैठी होगी और अपना टिफिन खोलकर हेड मास्टर जी को कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से दिखा रही होगी। इस उदाहरण का निहितार्थ यही है कि विद्यालय बच्चों को नैसर्गिक भाव से सिखाएँ। उन पर अपनी इच्छा को न थोपें। उन्हें मशीन के रूप में न देखें, बल्कि

मानव की शिल्पकृति के रूप में उसका संरक्षण करें। बच्चे चाहते हैं कि वे फूलों के रंगों को देखें, उनकी सुगंध को महसूस करें और टहनियों को छुयें। अँधेरी रात में गतिमान तारों को गिनना उनके मन को भाता है। पालतू पशुओं के साथ अटखेलियाँ करना उन्हें अच्छा लगता है। परन्तु आज का विद्यालय उसके बचपन को कक्षा की चार दिवारी में कैद करके रखना चाहता है। विद्यालय चाहता है कि बच्चा उन चीजों को सीखे जो वह सिखाना चाहता है, बल्कि वे चीजें नहीं जो बच्चा स्वयं सीखना चाहता है। ऐसी स्थिति में बचपन स्वतंत्र कहाँ है? वह अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। उम्मीद की किरण कैलाश सत्यार्थी और मलाला के रूप में दिखती है जिन्होंने बचपन को संरक्षित करने और विकसित करने का प्रयास किया है। विद्यालय भी अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समझकर शिक्षण प्रक्रिया को बचपन के अनुकूल बनायें। तभी वह अपने औचित्य को सिद्ध कर सकता है अन्यथा बदलते दौर में वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आयेगा।

अभ्यास प्रश्न :-4

सही विकल्प का चयन करें –

1. बच्चे का औपचारिक (Formal)/निरौपचारिक (Non formal) शिक्षा हेतु प्रवेश माता-पिता द्वारा विद्यालय में कराया जाता है।
2. विद्यालय समाज का वृहत रूप/लघुरूप है।
3. विद्यालय बच्चे के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान /स्थान है।
4. मानव की शिल्पकृति के रूप में उसका संरक्षण/आरक्षण करें।
5. शिक्षण प्रक्रिया को बचपन के प्रतिकूल/अनुकूल बनायें।

2.7 पड़ोस के सन्दर्भ में बचपन

बचपन कई स्रोतों से अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। जैसे-जैसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है वह घर आँगन को लाँघ कर पड़ोस के संपर्क में आता है। पड़ोसियों की रुचियों, आदतों गुणों, अवगुणों, जीवन-शैली और पड़ोस में उपलब्ध साधन आदि का बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक क्रिया-कलापों को करने का अपना विशिष्ट तरीका होता है जिसको बच्चा अनायास ही ग्रहण कर लेता है और वह उसी की भाँति व्यवहार प्रदर्शित करता है। पड़ोस में स्थित विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक संस्थाएँ जैसे-मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सामाजिक क्लब, मार्केट, मॉल, खेल का मैदान और पार्क आदि भी बच्चे के बचपन को प्रभावित करती हैं। पड़ोस में जिस तरह का वातावरण होता है जो आदर्श और मान्यताएँ होती हैं उनका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका बच्चे के सामाजिक व्यवहार और समग्र विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। ये बच्चे के व्यक्तित्व को उचित और अनुचित दिशा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती हैं। यदि बच्चे का पड़ोस उच्च आर्थिक व सामाजिक स्तर वाला है तो उसका आत्मविश्वास अधिक होता है। वह उन बच्चों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है जिन बच्चों का पड़ोस निम्न स्तर का होता है। पड़ोसियों के साथ

तनावपूर्ण अथवा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बच्चे के विकास पर भावात्मक, क्रियात्मक और संवेगात्मक रूप से असर डालते हैं। पड़ोस में यदि भावात्मक असुरक्षा का वातावरण रहता है तो वहाँ बच्चे का उचित विकास नहीं हो पाता है जिससे उसके द्वारा अपराधी या समाज के प्रतिकूल व्यवहार अपनाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत यदि पड़ोस में भावात्मक सुरक्षा का वातावरण रहता है, पड़ोसी शिक्षित और मिलनसार हों तो वहाँ के वातावरण में पवित्रता पायी जाती है और स्वयं बच्चा भी यदि प्रतिष्ठित परिवार से सम्बन्ध रखता है तो उसके समग्र विकास में बाधा नहीं आती है। अतः आपका पड़ोस आपके बचपन को निश्चित रूप से मार्गदर्शन देता है।

2.8 समुदाय के सन्दर्भ में बचपन

किसी समुदाय का संगठन सामान्यतः समुदाय के सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। शिक्षा भी मनुष्य की सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं में सम्मिलित है। इसलिए समुदाय शिक्षा का अनौपचारिक साधन (Informal Agency) है। समुदाय वह सामाजिक समूह होता होता है जिसमें रहकर उस समूह के व्यक्तियों की सामान्य जरूरतों जैसे- सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि की पूर्ति होती है समुदाय की अपनी भौगोलिक, सामाजिक और राजनैतिक परिसीमाएँ होती हैं जिसके अन्तर्गत उसके सदस्य अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **बोगार्डस (Bogardus)** द्वारा समुदाय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – “समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है।” राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा में विद्यालयों का सीधा सम्बन्ध राज्य से होता है। परन्तु जहाँ राज्य द्वारा शिक्षा पूर्ण रूप से नियन्त्रित नहीं होती वहाँ समुदाय द्वारा शैक्षिक गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाता है। भारत में राज्य और समुदाय दोनों ही शैक्षिक गतिविधियों को नियन्त्रित करते हैं।

परिवार की दुनिया से निकलकर जब बच्चा बाहरी परिवेश में कदम रखता है तो उसका समुदाय से सामना होता है। वह इसके सदस्यों के सम्पर्क में आकर अनुकरण द्वारा ज्ञानार्जन करता है। बच्चा अपने परिवार में सीखे गए ज्ञान और व्यवहार का परिमार्जन समुदाय में ही करता है। समुदाय द्वारा बचपन को संरक्षित करने के लिए अनेकानेक शैक्षिक गतिविधियों संचालित की जाती हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है –

- समुदाय द्वारा बच्चों के मनोरंजन और शारीरिक विकास के लिए सार्वजनिक पार्को और व्यायामशालाओं का निर्माण कराया जाता है।
- बच्चों के मानसिक विकास और ज्ञान में वृद्धि के लिए समुदाय पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करता है।
- सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय पर्वों और उत्सवों का आयोजन समुदाय द्वारा किया जाता है। इन आयोजनों से बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है।
- जो बच्चे किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं समुदाय उनके सर्वांगीण विकास के लिए कौशल विकास केन्द्रों का संचालन करते हैं।

- समुदाय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भी संचालन करते हैं ताकि बच्चों को रोग मुक्त रखा जा सके।

अतः बचपन को संरक्षित करने के लिए समुदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सहायक होते हैं। बच्चों के समग्र विकास और व्यक्तिव निर्माण में परिवार के बाद सबसे अधिक योगदान समुदाय का ही होता है। परिवार, समुदाय और विद्यालय सभी को एक-दूसरे का पूरक बनकर कार्य करना चाहिए। इसके अभाव में बच्चों की वास्तविक शिक्षा का प्रबंध हो पाना सम्भव नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्रों के रूप में संगठित करने की जरूरत है ताकि मौजूदा बचपन निर्माणकारी कार्यों की और उन्मुख हो सके।

अभ्यास प्रश्न :-5

1. वह घर आँगन को लाँघ कर ----- के संपर्क में आता है।
2. बच्चे के ----- और समग्र विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।
3. समुदाय शिक्षा का ----- है।
4. राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा में ----- का सीधा सम्बन्ध ----- से होता है।
5. ज्ञान में वृद्धि के लिए समुदाय ----- और ----- की व्यवस्था करता है।

2.9 सारांश

बचपन से पचपन तक यादों का अनोखा और जादुई संसार है। बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर अपितु समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है। इस बिषय पर **कनिंघम** द्वारा रचित पुस्तक *'Invention of Childhood'* में विस्तार से चर्चा की गयी है। बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से **जीन जैक्स रूसो** को जाता है। **जान लॉक** और 17वीं सदी के अन्य विद्वानों के विचारों के आधार पर रूसो ने बचपन को वयस्कता के खतरों और कठिनाइयों से मुठभेड़ से पहले की लघु अभ्यारण्य अवधि कहा है। **रूसो** के अनुसार - "इन मासूमों की खुशियों को क्यों लूटें जो इतनी जल्दी बीत जाता है। शुरु आती बचपन के जल्दी निकल जाने वाले दिनों में कड़वाहट क्यों भरें, जो दिन न उनके लिए और ना ही आपके लिए कभी लौट कर आने वाले हैं?"

मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को बचपन कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में, बचपन को शैशवावस्था (चलना सीखना), प्रारंभिक बचपन (खेलने की उम्र), मध्य बचपन (स्कूली उम्र), तथा किशोरावस्था (वयः संधि) के विकासात्मक चरणों में वर्गीकृत किया गया है। **कक्कड़ (1980)** के अनुसार - "भारतीय परंपरा में बच्चा वैचारिक रूप से एक मूल्यवान और स्वागत योग्य मनुष्य है जिसके प्रति वयस्कों को सुरक्षा, प्रेम और पूरा ध्यान देना चाहिए।"

इसे “**प्रारम्भिक विद्यालय की आयु**”(Elementary School Age) कहा गया है। बच्चों के अलग-अलग समूह बनाने के कारण इस अवस्था को “समूह की आयु” (Gang Age) कहा गया है। इसे “**चुस्ती की आयु**” (Smart Age) भी कहा जाता है। बालक खेल-कूद व भाग दौड़ में लगे रहने के कारण गंदा व लापरवाह दिखाई देता है, अतः इसे “**गंदी आयु**” (Dirty Age) भी कहा जाता है।

कई बच्चों के लिए बचपन का अनुभव खुशनुमा, निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता। कुछ दूसरे बच्चों के लिए बचपन का अनुभव सकारात्मक होने के बावजूद आवश्यकता से अधिक खिंचता जाता है। उससे बाहर निकलने का कोई कष्ट रहित मार्ग भी ऐसे बच्चों के सामने नहीं होता। जब बच्चे माता-पिता के मोहपाश से मुक्त नहीं हो पाते हैं तो उनके पास विद्रोह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं होता। जितने मजबूत ये जोड़ने वाले रिश्ते होते हैं, उन्हें तोड़ने में उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसे में कभी न भुलाई जाने वाली दर्दनाक घटनाएँ सामने आती हैं। यह इसी तरह होता है जैसे- किसी अनजान पक्षी को घोंसले से निकलने का कोई तरीका ही न सूझे तो वह उस घोंसले को ही तहस-नहस कर डाले। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में बचपन कुछ इसी तरह का बनता जा रहा है। अतः बच्चे के सम्मुख ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करना चाहिए ताकि बच्चा चारित्रिक और नैतिक गुणों को अपनाये और समाज के साथ-साथ विश्व कल्याण में भी सहायक बने।

बच्चे के बचपन की प्रथम अनौपचारिक (Informal) पाठशाला समाज की सबसे छोटी इकाई उसका परिवार है। इस इकाई में उसके पिता – पिता शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। **कमेनियस (Comenius)** के अनुसार- “बच्चे के प्रथम छः वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय होता है।” ऐसे परिवार जहाँ बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। वहाँ का बचपन सामाजिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होता है। उच्च, प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवारों में बचपन बेफ़िक्र और अभिमानी व्यवहारों वाला होता है। सयुंक्त और एकल परिवार के बच्चों का बचपन भिन्न होता है। सयुंक्त परिवार में मितव्ययिता, नैतिकता और समूह में कार्य करने की भावना का विकास बचपन में ही हो जाता है। जबकि एकल परिवार में बच्चे का बचपन एकाकीपन से ग्रस्त हो जाता है। परिवार बच्चे के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। परिवार में बच्चा जो सीखता है वही संसार में उसके स्थान का निर्धारण करता है।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री **जॉन ड्यूवी (जॉन Dewey)** यह मानता है कि विद्यालय समाज का लघुरूप है और यदि वास्तव में देखा जाये तो विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यालय ही बच्चे को विभिन्न कलाओं में दक्षता देकर सामाजिक व्यवस्था के विकास में योगदान के लिए तैयार करता है। वास्तव में विद्यालय वह स्थान है जो बच्चे को अनुशासित और व्यवस्थित समाज का सदस्य बनने की ओर उन्मुख करता है। यह बच्चे को विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पारिवारिक परिवेश से आये विद्यार्थियों को एक-दूसरे को समझने और परस्पर अंतःक्रिया करने के अवसर प्रदान करता है।

जैसे-जैसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है वह घर आँगन को लाँघ कर पड़ोस के संपर्क में आता है। पड़ोसियों की रुचियों, आदतों गुणों, अवगुणों, जीवन-शैली और पड़ोस में उपलब्ध साधन आदि का बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक और

राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक क्रिया-कलापों को करने का अपना विशिष्ट तरीका होता है जिसको बच्चा अनायास ही ग्रहण कर लेता है और वह उसी की भाँति व्यवहार प्रदर्शित करता है। पड़ोस में स्थित विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक संस्थाएँ जैसे-मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सामाजिक क्लब, मार्केट, मॉल, खेल का मैदान और पार्क आदि भी बच्चे के बचपन को प्रभावित करती हैं। पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण अथवा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बच्चे के विकास पर भावात्मक, क्रियात्मक और संवेगात्मक रूप से असर डालते हैं।

किसी समुदाय का संगठन सामान्यतः समुदाय के सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। शिक्षा भी मनुष्य की सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं में सम्मिलित है। इसलिए समुदाय शिक्षा का अनौपचारिक साधन (Informal Agency) है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **बोगार्डस (Bogardus)** द्वारा समुदाय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – “समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है।” राज्य द्वारा नियन्त्रित शिक्षा में विद्यालयों का सीधा सम्बन्ध राज्य से होता है परन्तु जहाँ राज्य द्वारा शिक्षा पूर्ण रूप से नियन्त्रित नहीं होती वहाँ समुदाय द्वारा शैक्षिक गतिविधियों को नियन्त्रित किया जाता है। भारत में राज्य और समुदाय दोनों ही शैक्षिक गतिविधियों को नियन्त्रित करते हैं। बच्चा अपने परिवार में सीखे गए ज्ञान और व्यवहार का परिमार्जन समुदाय में ही करता है। वर्तमान परिदृश्य में विद्यालयों को सामुदायिक केन्द्रों के रूप में संगठित करने की जरूरत है ताकि मौजूदा बचपन निर्माणकारी कार्यों की और उन्मुख हो सके।

2.10 शब्दावली

- **बचपन**—अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **उन्मुक्तता**—स्वतन्त्र रूप से छोड़ देना या त्यागना।
- **सृजनशीलता**—किसी नवीन वस्तु या मौलिक विचार का निर्माण करना।
- **शैशवावस्था**— बाल विकास की आरम्भिक अवस्था।
- **किशोरावस्था**—बचपन के बाद और वयस्क होने से पूर्व की अवधि।
- **संवेदना**— मन में होने वाला अनुभव या बोधा।
- **परिपक्व**—जो अभिवृद्धि और विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो।
- **संवेग**— एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **समवर्ती**— जो समान रूप से स्थित रहता हो।
- **सामाजिक**—जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **स्लम्स**—बड़े शहरों की मलिन या गन्दी बस्तियाँ।

- **औपचारिक** - ऐसा आचरण जो वास्तविक न हो जो केवल दिखाने भर को किया गया हो।
- **अनौपचारिक** - ऐसा आचरण जो वास्तविक हो जो केवल दिखाने भर को नहीं किया गया हो।
- **एकाकीपन** - बिना किसी साथी केया एकान्तप्रिय।
- **समुदाय** - बहुत से लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।

2.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. सुभद्रा कुमारी चौहान, 'अनुभूति'
2. जीन जैक्स रूसो
3. किशोरावस्था
4. मानसिक विकास
5. "निर्माणकारी काल"

अभ्यास प्रश्न -2

1. जन्म
2. समवर्ती
3. भारी
4. बचपन
5. बचपन

अभ्यास प्रश्न -3

1. परिवार
2. छः वर्ष
3. माता-पिता
4. अस्वाभाविक
5. तिरस्कृत, तिरस्कार

अभ्यास प्रश्न -4

1. औपचारिक (Formal)
2. लघुरूप
3. सोपान
4. संरक्षण
5. अनुकूल

अभ्यास प्रश्न -5

1. पड़ोस
2. सामाजिक व्यवहार
3. अनौपचारिक साधन (Informal Agency)
4. विद्यालयों, राज्य
5. पुस्तकालयों, वाचनालयों

2.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. "बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर अपितु समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
2. बचपन किसे कहते हैं ? विभिन्न सामाजिक - राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
3. परिवार के सन्दर्भ में बचपन को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।
4. विद्यालय बचपन को किस प्रकार प्रभावित करता है ? स्पष्ट कीजिए।

5. पड़ोस बचपन को क्या दिशा देता है ? समझाइए।
6. समुदाय बचपन को संरक्षित करने के लिए क्या करता है ? वर्णन कीजिए।

2.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता, एस. पी. (2003), *उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान*, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- होल्ट, जॉन (2005). *बचपन से पलायन*, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन।
- कुमार, के. (2002). *शिक्षा और ज्ञान*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- कुरोयानागी, तेत्सुको (1982). *तोत्तो – चान: खिड़की में खड़ी एक नन्हीं लड़की*, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट (इण्डिया)।
- लाल, आर. बी. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त*, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
- लिन्थ्रेन, एच. सी. (1973). *कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- माथुर, एस.एस. (2009). *सामान्य मनोविज्ञान*, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
- मंगल, एस. के. (2009). *जनरल सायकोलोजी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- सक्सेना, एस. (2004). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आगरा: साहित्य प्रकाशन।
- सिंह, सी. वी. (2011). *बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एबम अपराधी बालक)*, नई दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन्स।
- शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, रचना (2004). *एडवांसड एप्लायड सायकोलोजी*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

इकाई - 3

बचपन के अध्ययन हेतु अवलोकन एवं अंतःक्रियाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अंतर्विषयक फ्रेमवर्क

Interdisciplinary framework to interpret and analyze observations and interactions to study childhood

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 प्रस्तावना
- 3.3 बाल विकास के अध्ययन का प्राचीन परिप्रेक्ष्य
- 3.4 बाल विकास के अध्ययन का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य
- 3.5 बाल विकास के अध्ययन का अधिगम आधारित व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य
- 3.6 बाल विकास के अध्ययन का पारिस्थिकीय मॉडल
- 3.7 बाल विकास के अध्ययन के नवीन अंतर्विषयक मॉडल: गतिशील निकाय का सिद्धांत
- 3.8 सारांश
- 3.9 अभ्यास प्रश्न
- 3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- बाल विकास के अध्ययन के प्राचीन परिप्रेक्ष्य को समझ सकेंगे
- बाल विकास के अध्ययन का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य बता सकेंगे
- बाल विकास के अध्ययन का संज्ञानात्मक मॉडल की व्याख्या कर सकेंगे
- बाल विकास के अध्ययन का पारिस्थिकीय मॉडल का वर्णन कर सकेंगे
- बाल विकास के अध्ययन का सामाजिक-भावनात्मक मॉडल का वर्णन कर सकेंगे
- बाल विकास के अध्ययन के नवीन अंतर्विषयक मॉडल की व्याख्या कर सकेंगे

3.2 प्रस्तावना (Introduction)

बचपन एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का जीवन उसके बचपन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है। बाल्यावस्था का अध्ययन जटिल किन्तु दिलचस्प है। यह कोई एक विषय नहीं बल्कि कई विषयों का एकीकृत एवं समन्वित अध्ययन है जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्सशास्त्र, समाज कार्य, बाल चिकित्सा शास्त्र आदि सभी समाहित हैं। बाल्यावस्था पर उपलब्ध ज्ञान का भंडार अंतरविषयी है जिसका विकास कई क्षेत्रों के विद्वानों के समन्वित योगदान से हुआ है। बच्चों से सम्बन्धित दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, जीवविज्ञान, स्नायुविज्ञान आदि के विशेषज्ञों ने शिक्षा, परिवार अध्ययन, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, समाज सेवा आदि के साथ मिलकर कार्य किया और फलस्वरूप बाल विकास का ज्ञान का भंडार वृहत हो गया। बाल्यावस्था के अध्ययन को क्रमिक एवं व्यवस्थित बनाते हुए वर्तमान इकाई में इसके अंतरविषयी स्वरूप का अध्ययन हम निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे:

- दार्शनिक परिप्रेक्ष्य
- पारिस्थिकीय मॉडल
- सामाजिक-भावनात्मक मॉडल
- नवीन अंतर्विषयक मॉडल

उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त बाल्यावस्था के अध्ययन के संदर्भ में बचपन की अवधि को लेकर प्रायः द्वंद्व उत्पन्न होता है कि कैसे इस पुरे वृहत बाल्यावस्था का अध्ययन विभिन्न खंडों में बांटकर किया जाए। विषय विशेषज्ञ प्रायः निम्नांकित अवस्थाओं में बांटकर बाल्यावस्था का अध्ययन करते हैं क्योंकि प्रत्येक अवस्था में नई क्षमताएँ एवं सामाजिक अपेक्षाएँ समाहित हैं जो विभिन्न सिद्धांतों के प्रक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है :

1. जन्म से पूर्व की अवस्था
2. शैशवावस्था
3. पूर्व बाल्यावस्था (early childhood)
4. मध्य बाल्यावस्था (middle childhood)
5. किशोरावस्था

3.3 बाल विकास के अध्ययन का प्राचीन परिप्रेक्ष्य

बचपन/ बाल्यावस्था के विकास के अध्ययन का इतिहास अत्यंत पुराना है। बाल विकास के वर्तमान सिद्धांत वर्षों के सांस्कृतिक परिवर्तन, दार्शनिक चिंतन एवं वैज्ञानिक प्रगति का परिणाम हैं। मध्यकालीन यूरोप में 6ठी से 15वीं शताब्दी तक बचपन को जीवन की एक अलग अवस्था समझा जाता था। मध्यकालीन पेंटिंग्स में प्रायः बच्चों को ढीले ढाले गाउन में खेलते हुए या वयस्कों की ओर देखते हुए चित्रित किया गया है। उपलब्ध लिखित सामग्री बताती है कि इस काल में 7-8 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अन्य व्यक्तियों से अलग समझा जाता था। प्रायः किशोर वय के व्यक्ति अपरिपक्व माने जाते थे। 14वीं शताब्दी से कई प्रकार के मैनुअल जो बच्चों की देखभाल के विभिन्न

पहलुओं (स्वस्थ, भोजन, कपडे पहनना, खेल) से सम्बंधित थे अस्तित्व में आये। कानून ने बच्चों की सुरक्षात्मक आवश्यकता को समझा एवं तत्सम्बंधित कानून बनाये साथ ही न्यायालयों द्वारा किशोर अपराधियों के संदर्भ में लचीला रुख अपनाया गया क्योंकि वे परिपक्व नहीं माने गए थे। स्पष्टतः मध्यकाल में बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पाई जाती है। हालाँकि मध्यकालीन समाज में बच्चों की प्रकृति के बारे में विरोधाभासी विचार व्याप्त थे, कुछ परिस्थितियों में विभिन्न पोर्ट्रेट में उन्हें शैतान का शिकार दर्शाया गया है एवं उनके शुद्धिकरण की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। 16वीं शताब्दी में प्यूरिटन विचारों के अनुसार बच्चों को जन्मजात रूप से शैतान एवं जिद्दी माना गया था और उन्हें सभ्य बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। डरपोक एवं नटखट बच्चों के लिए कड़ी सजा देने की बात कही गयी थी। बच्चों के पहनावे कष्टप्रद एवं वयस्कों की तरह बनाये गए थे ताकि वे वयस्कों की तरह दिखें एवं शिक्षक के आदेश की अवहेलना करने वाले छात्रों की नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। हलाकि अधिकाँश प्योरटन अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनका स्नेह एवं प्यार उन्हें बच्चों के प्रति दमनकारी व्यवहार से बचाता था। इंग्लैंड से प्योरटन समुदाय ने नई दुनिया में पलायन किया और वे अपने साथ यह विश्वास भी लेकर गए कि बच्चों का पालन पोषण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

3.4 बाल विकास के अध्ययन का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य

पुर्नजागरण(Enlightenment Period) काल में 17 वीं शताब्दी में नए दार्शनिक विचारों का उदय हुआ था जिन्होंने मानव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान जैसे आदर्शों पर जोर दिया तथा बचपन को पहले से अधिक मानवीय रूप में देखा। इन दार्शनिकों में प्रमुख थे जॉन लॉक एवं रूसो। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के दार्शनिक लेखन को व्यवहारवाद का पूर्ववर्ती माना जाता है। जॉन लाक ने बच्चे कि तुलना 'टेबुला रसा' (खाली स्लेट) (Tabula Russa) से किया। जॉन लॉक के विचारों के अनुसार बच्चे बिलकुल नगण्य से शुरुआत करते हैं एवं उनका चरित्र निर्माण पूर्णतया अनुभव आधारित होता है। लॉक के अनुसार माता पिता विवेकशील शिक्षक होते हैं और वे उपयुक्त निर्देशन प्रभावी उदाहरण एवं अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए अपने बच्चों को वे जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। जॉन लाक अपने समय के अत्यंत दूरदर्शी दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों के पालन पोषण के उन तरीकों की बात 17वीं शताब्दी में कही जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप दुनिया में 21वीं सदी में अपनाया गया है। पुरस्कार के रूप में मिठाइयों एवं 'खाद्य पदार्थों' की बजाय 'प्रशंसा' का प्रयोग करने का सुझाव जॉन लाक ने सर्वप्रथम दिया था। उन्होंने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए शारीरिक दंड का तीव्र विरोध किया। जॉन लाक के विचारों ने बच्चों के प्रति समाज के व्यवहार को कटुता से दयालुता की ओर परिवर्तित किया। जॉन लाक पूर्णतया वातावरणवादी थे। जॉन लाक के विचारों में बच्चे अपने भविष्य निर्माण के लिए कुछ नहीं करते बल्कि वे 'खाली स्लेट' के समान हैं जिस पर लिखनेवाला कोई दूसरा है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है क्योंकि तत्कालीन अन्य सिद्धांतों में बच्चे को क्रियाशील एवं उद्देश्यपूर्ण जीव के रूप में देखा गया है जो अपने विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। 18 वीं सदी में फ्रांसिसी दार्शनिक रूसो ने बचपन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रूसो के अनुसार बच्चे खाली स्लेट अथवा खाली बर्तन नहीं हैं जिन्हें वयस्कों के निर्देशों द्वारा भरा जाए बल्कि वे 'कुलीन असभ्य' (Noble Savage) हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने वातावरण के द्वारा सीखते हैं।

3.5 बाल विकास के अध्ययन का अधिगम आधारित व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य

20वीं सदी के आरंभिक दौर में वाटसन द्वारा मनोविज्ञान के प्रति दिये गये दृष्टिकोण व्यवहारवाद ने बाल विकास के अध्ययन को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। व्यवहारवाद के जनक वाटसन का मानना था बाल विकास के अध्ययन में प्रत्यक्ष निरीक्षण योग्य घटनाएँ एवं वातावरण में उद्दीपक और अनुक्रिया संबंधका अध्ययन मनोविज्ञान का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। वाटसन इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीनींग के अध्ययन सिद्धान्त से अत्यंत प्रभावित थे। वाटसन की रूचि पावलोव के क्लासिकल अध्ययन सिद्धान्त के संदर्भ में बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में थी। अपने ऐतिहासिक प्रयोग में उन्होंने 11 साल के बच्चे लिट्ल अल्बर्ट को एक उदासीन उद्दीपक (सफेद चूहा) से क्लासिकल अनुबंधन सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए डरना सिखा दिया। जॉन लॉक की मान्यता कि बच्चे टेबुला रसा (खाली स्लेट) के समरूप वाटसन ने प्रतिपादित किया कि वातावरण बाल विकास को आकार देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि वयस्क, बच्चों के व्यवहार को सावधानीपूर्वक नियंत्रित उद्दीपक-अनुक्रिया संबंधनके द्वारा निर्मित किया जा सकता है। वाटसन के मतानुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है एवं आयु के साथ साथ शनैः शनैः इस प्रकार के संबंधनकी संख्या एवं उनकी मजबूती बढ़ती जाती है। वाटसन के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद ने 20वीं सदी के मनोविज्ञान एवं तदनुसार बाल विकास के अध्ययन को सर्वाधिक प्रभावित किया।


व्यवहारवाद का दूसरा रूप स्किनर के ऑपरेट संबंधनके सिद्धान्त में दिखाई देता है जिसकी मान्यता के अनुसार किसी वांछनीय व्यवहार की आवृत्ति को उपयुक्त पुनर्बलकों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है या दंड के द्वारा अवांछनीय व्यवहार में कमी की जाती है। वाटसन पावलोव एवं स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन सिद्धान्तों को आप आगे की इकाइयों में विस्तार से पढ़ेंगे।

बाल विकास के अध्ययन का सामाजिक अधिगम का अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत

अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया कि मॉडलिंग दूसरे शब्दों में नकल अथवा निरीक्षणात्मक अधिगम बाल विकास का एक शक्तिशाली स्रोत है। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। एक बच्चा जो अपनी माँ के ताली बजाने पर ताली बजाता है या एक बच्चा जो क्रोधित होने पर अपने साथियों को मारता है ये सभी व्यवहार निरीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया से सीखे गये होते हैं। बल्बर्ट बंडूरा ने अपने अपने आरंभिक अध्ययनों में पाया कि विविध कारक बच्चे के नकल करने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं जिसमें प्रमुख है उन्हें उनका अपना उस व्यवहार के बाद प्राप्त होने वाला पुनर्बलक का अनुभव, भविष्य में उस व्यवहार विशेष के लिए मिलने वाले पुनर्बलक अपना दंड का पूर्वानुमान आदि। बंडूरा ने प्रतिपादित किया कि बच्चे की सुनने, याद करने और लोगों के जटिल व्यवहार के द्वारा निरीक्षण के सीखे गये सामान्य नियम उनके निरीक्षण एवं अधिगम को प्रभावित किया। बंडूरा ने व्यवहारवादी अधिगम की मान्यता पर आधारित अपने सिद्धान्तों के द्वारा बाल विकास के अध्ययन के सामाजिक - संज्ञानात्मक उपागम का विकास किया।

3.6 बाल विकास के अध्ययन का पारिस्थिकीय मॉडल (Bronfrenbrener's Ecological System Model)

यूरी ब्रोनफेनब्रेनर ने बाल विकास के अध्ययन के पूर्ववर्ती सिद्धांतों से बिलकुल अलग एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाल विकास के अध्ययन का यह पर्यावरणीय निकाय सिद्धांत बाल विकास पर संदर्भों के प्रभाव का सम्पूर्णता में वर्णन करता है। पर्यावरणीय निकाय सिद्धांत बच्चे को विभिन्न स्तर के वातावरण से प्रभावित, संबंधों के एक जटिल निकाय के अंदर विकसित होते देखता है। चूंकि बच्चे की जैव विशेषताएं वातावरण के साथ मिलकर उसके विकास को आकार देते हैं, अतः ब्रोनफेनब्रेनर इसे जैव पारिस्थितिकीय (Bio-Ecological Model) के रूप में देखते हैं। ब्रोनफेनब्रेनर वातावरण को विभिन्न संरचनाओं के एक जाल के रूप में देखते हैं जो एक जटिल निकाय का निर्माण करता है। बाल विकास इस निकाय में घर, विद्यालय, पड़ोस आदि समाहित है



जिसमें बच्चे की दिनचर्या व्यतीत होती है। वातावरण का प्रत्येक स्तर दूसरे स्तरों के साथ मिलकर बालक के विकास पर शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। ब्रोनफेनब्रेनर ने बाल विकास को विभिन्न तंत्रों के प्रभाव की अन्तः क्रिया माना है। ब्रोनफेनब्रेनर के अनुसार बालक के विकास में निम्नांकित तंत्रों की अन्तः क्रिया को उत्तरदायी मानते हैं:

- सूक्ष्म तंत्र (Micro System)
- मीजो तंत्र (Meso System)

- बाह्य तंत्र (Exo System)
- महा तंत्र (Macro System)

सूक्ष्म तंत्र (Micro System) यह बाल विकास से अन्तः क्रिया करने वाला वातावरण का सबसे आंतरिक तंत्र है जिसमें बच्चे के पर्यावरण निकाय में क्रियाओं एवं अन्तः क्रियाओं का पैटर्न समाहित है। ब्रोनफेनब्रेनर ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर पर बच्चों के विकास को समझने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी सम्बन्ध द्वि-ध्रुवीय (Bi-directional) होते हैं परन्तु बालक की जैविक एवं समाज निर्मित विशेषताएँ यथा उसकी शारीरिक विशेषताएँ, व्यक्तित्व एवं क्षमताएँ भी वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करती है। एक शांत, सुशील बालक को माता-पिता से सकारात्मक अनुक्रिया प्राप्त होने की सम्भावना होती है वही एक हठी बालक को माता-पिता का दंड एवं प्रतिबंध प्राप्त होने की सम्भावना ज्यादा होती है। यदि माता-पिता की उपरोक्त प्रतिक्रियाएँ बच्चों को लम्बे समय तक प्राप्त होती है उसका बालक के विकास एवं जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इन सबके अतिरिक्त सूक्ष्म वातावरण में तीसरे अन्य व्यक्ति भी दो व्यक्तियों के सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। जैसे माता-पिता की अपसी अन्तःक्रिया माता या पिता के साथ बच्चे के संबंधों को भी प्रभावित करती है।

मीजो तंत्र (Meso System)

बच्चे के सूक्ष्म तंत्र को आपने में समेटने वाला तंत्र एवं ब्रोनफेनब्रेनर के मॉडल का दूसरा आंतरिक तंत्र है मीजो तंत्र (Meso System) जो विभिन्न सूक्ष्म तंत्रों को जोड़ती है यथा विद्यालय, पड़ोसी, बाल देखभाल केंद्र आदि उदाहरण स्वरूप बच्चे की शैक्षिक प्रगति सिर्फ विद्यालय की पढ़ाई पर नहीं बल्कि बालक विद्यालय के कार्यकलापों में माता पिता की सक्रिय भागीदारी एवं घर पर बच्चे की पढ़ाई पर भी निर्भर करती है। मीजो तंत्र का प्रत्येक संबंधन बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। उच्च आय / अमीर परिवारों के बच्चे सामाजिक सहयोग के लिए आपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं होते क्यों कि उनके माता पिता बच्चों की शिक्षा एवं मनोरंजन तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का खर्च उठा सकते हैं, उन्हें मंहगे विद्यालयों में भेज सकते हैं जहाँ बहुत सी पाठ्यक्रमेतर क्रियाएं जो बच्चे के सर्वांगीण अनुभव में वृद्धि करती हैं। अल्प आय वर्ग के बालकों में पड़ोस, परिवार आदि सम्बन्ध बालक के समाजीकरण एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता या पिता की बच्चे के पालन पोषण में भागीदारी एवं घर पर बच्चे की पढ़ाई पर भी निर्भर नहीं करते हैं क्योंकि वे बच्चे सामाजिक सहयोग के लिये अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं करते क्योंकि वे बच्चे की शिक्षा मनोरंजन एवं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए खर्च उठा सकते हैं और मंहगे स्कूलों में भेज सकते हैं। कम आय परिवारों में पड़ोस, परिवार संबंध अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बालक के अंदर की प्रतिभा को संपन्न बनाने वाले पाठ्यक्रमेतर कार्यलापों का अभाव उसमें भावनात्मक विकृतियाँ उत्पन्न करता है।

बह्यतंत्र (Macro System) यह ब्रोनफेनब्रेनर के मॉडल का तीसरा तंत्र है जो विभिन्न उन सामाजिक इकाइयों को शामिल करता है जिसमें बच्चे मौजूद नहीं होते परन्तु बच्चे के निकटतम विन्यास को प्रभावित करते हैं। ये औपचारिक संगठन हो सकते हैं यथा पिता का कार्यस्थल या धार्मिक संस्थायें हो सकती हैं। उदाहरण के लिये पिता का कार्यस्थल बच्चे के पालन पोषण के लिये सहयोगी हो सकता है एवं परोक्ष रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करता है।

महातंत्र (Macro system): ब्रोनफेनब्रेनर के मॉडल का सबसे बाहरी तंत्र 'महातंत्र' है जिनमें सांस्कृतिक मूल्य, कानून, रीति रिवाज और विभिन्न संसाधन आदि शामिल हैं। यह महातंत्र बच्चों की आवश्यकता को कितना आश्रय देता है इससे अन्य आन्तरिक स्तरों पर उनको मिलने वाली सहायता प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ वैसे देश जो बच्चे के पालन पोषण को प्राथमिकता देते हैं वहां पर बच्चे को उसके आन्तरिक निकाय से ज्यादा सहयोग प्राप्त होता है।

समय तंत्र (Chrono System)

ब्रोनफेनब्रेनर के अनुसार बच्चे को प्रभावित करनेवाला वातावरण स्थिर शक्ति नहीं है जो बालक के विकास को एक समरूप तरीके से प्रभावित करें, बल्कि यह एक सतत परिवर्तनशील तंत्र है। महत्वपूर्ण घटनायें यथा घर में भाई बहन का जन्म, विद्यालय आरंभ, नयी जगह पर जाना, माता पिता का तलाक आदि बच्चे एवं उसके वातावरण के संबंधोंको परिवर्तित करते रहते हैं और तदनुसार बच्चे के विकास को भी प्रभावित करते हैं। अपने वातावरणीय मॉडल की गतिशीलता के इस गुण को ब्रोनफेनब्रेनर ने क्रोनो सिस्टम (Chrono system) अथवा समयतंत्र कहा। सारांशतः परिस्थिति तंत्र सिद्धान्त के अनुसार बालक का विकास न तो पूर्णतः वातावरण से प्रभावित होता है न ही आंतरिक विशेषताओं से, बल्कि बच्चे अपने वातावरण के उत्पाद एवं उत्पादक (Process & Product both) दोनों होते हैं।

3.7 बाल विकास के अध्ययन की नवीन अंतर्विषयक प्रवृत्तियाँ: गतिशील निकाय का सिद्धान्त

वर्तमान समय में शोधार्थियों ने अनुभव किया कि बाल विकास में स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों समाहित हैं। इस अनुभव के आधार पर बाल विकास के गत्यात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। गतिशील निकाय दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क, शरीर, एवं उसका भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का एकीकृत निकाय हैं जो बच्चे को नये कौशल में महारत हासिल करने को निर्देशित करता है। यह संपूर्ण निकाय सतत गतिशील है। इस निकाय के किसी एक भाग यथा मस्तिष्क के विकास से लेकर बच्चे के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में परिवर्तन बच्चों और वातावरण के बीच के संबंधोंमें व्यवधान उत्पन्न करता है। जब ऐसा व्यवधान उत्पन्न होता है। यह निकाय इसे सक्रिय रूप से पहचान लेता है और इस तंत्र के सभी अवयव एक समन्वित परन्तु पहले से जटिल प्रभावी तरीके से उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं।

बाल विकास के गतिशील निकाय का यह सिद्धान्त मान्यता रखते हैं कि बच्चे के वंशानुगत गुण एवं बच्चे की भौतिक एवं सामाजिक दुनिया एक सार्वभौमिक वृहत निकाय को आरेखित करती है। परन्तु आनुवंशिक गुण, दैहिक कार्य, एवं ने व्यक्ति जो बच्चे के सान्निध्य में रहते हैं और बच्चे के अधिगम में सहयोग करते हैं उनमें पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न कर देते हैं। इसे गत्यात्मकता के दृष्टिकोण के अनुसार विकास एक रैखिक परिवर्तन की प्रक्रिया न होकर एक शाखीय परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें एकीकृत तंत्र के सभी अवयवों की सहभागिता होती है। बाल विकास का गत्यात्मक विकास का सिद्धान्त कई अन्य विषयों से प्रभावित है विशेषकर जीवविज्ञान एवं भौतिक विज्ञान से। उसके अतिरिक्त बाल विकास के अन्य दृष्टिकोणों यथा आरंभिक विकासात्मक मनोविज्ञान, समाज सांस्कृतिक सिद्धान्त एवं पर्यावरण निकाय सिद्धान्त आदि से भी प्रभावित है।

3.8 सारांश

बाल्यावस्था का अध्ययन कोई एक विषय नहीं बल्कि कई विषयों का एकीकृत एवं समन्वित अध्ययन है जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्साशास्त्र, समाज कार्य, बाल चिकित्सा शास्त्र, शिक्षा, परिवार अध्ययन, जनस्वास्थ्य, समाज सेवा आदि का योगदान है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लाक ने बच्चे कि तुलना 'टेबुला रसा' (खाली स्लेट) (Tabula Russa) से किया। जॉन लॉक के विचारों के अनुसार बच्चे बिलकुल नगण्य से शुरुआत करते हैं एवं उनका चरित्र निर्माण पूर्णतया अनुभव आधारित होता है। लॉक के अनुसार माता पिता विवेकशील शिक्षक होते हैं और वे उपयुक्त निर्देशन प्रभावी उदाहरण एवं अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए अपने बच्चों को वे जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं। व्यवहारवाद के जनक जे बी वाटसन के मतानुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है एवं आयु के साथ साथ शनैः शनैः इस प्रकार के संबंधन की संख्या एवं उनकी मजबूती बढ़ती जाती है। ऑपरेट संबंधन के सिद्धान्त में दिखाई देता है जिसकी मान्यता के अनुसार किसी वांछनीय व्यवहार की आवृत्ति को उपयुक्त पुनर्बलकों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है या दंड के द्वारा अवांछनीय व्यवहार में कमी की जाती है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया कि मॉडलिंग, दूसरे शब्दों में नकल अथवा निरीक्षणात्मक अधिगम बाल विकास का एक शक्तिशाली स्रोत है। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया में खोज एवं परिवर्तन करते हुए ज्ञान की संरचना करते हैं। ब्योगत्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक अंतर्क्रिया विशेष रूप से बच्चों के अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद आवश्यक है, ताकि बच्चों में अन्य बच्चों एवं सोचने के नये तरीके एवं व्यवहार जो समुदाय की संस्कृति का पहचान है का विकास हो सके। ब्योगत्सकी बाल विकास के संज्ञानात्मक पक्ष को समाज संपोषित प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। बच्चे की जैव विशेषताएं वातावरण के साथ मिलकर उसके विकास को आकार देते हैं, अतः ब्रोनफेनब्रेनर इसे जैव पारिस्थितिकीय मॉडल (Bio-Ecological Model) के रूप में देखते हैं। ब्रोनफेनब्रेनर वातावरण को विभिन्न संरचनाओं के एक जाल के रूप में देखते हैं जो एक जटिल निकाय का निर्माण करता है। बाल विकास इस निकाय में घर, विद्यालय, पड़ोस आदि समाहित है जिसमें बच्चे की दिनचर्या व्यतीत होती है। बॉल्बी का आचारशास्त्रीय संबंधन का सिद्धान्त बालक के भावनात्मक विकास एवं उसपर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करता है और इस प्रकार बाल विकास के अध्ययन का एक अंतर्विषयक आचारशास्त्रीय मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें पर्यावरण एवं भावनाओं दोनों का समावेश है। बॉल्बी ने अपने पालनकर्ता के साथ शिशु के भवनात्मक संबंध को बालक के जीवन से जुड़ी अनुक्रिया का प्रतिफल माना है। बॉल्बी के संबंधन का सिद्धान्त, की मान्यता है कि 'पालनकर्ता से शिशु के संबंधन की गुणवत्ता का बाद में जीवन में उसकी सुरक्षा अनुभूति और संबंधों में विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ता है'। बाल विकास के गतिशील निकाय दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क, शरीर, एवं उसका भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का एकीकृत निकाय हैं जो बच्चे को नये कौशल में महारत हासिल करने को निर्देशित करता है। यह संपूर्णनिकाय सतत गतिशील है। इस निकाय के किसी एक भाग यथा मस्तिष्क के विकास से लेकर बच्चे के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में परिवर्तन बच्चों और वातावरण के बीच के संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करता है। जब ऐसा व्यवधान उत्पन्न होता है, यह निकाय इसे सक्रिय रूप से पहचान लेता है और इस तंत्र के सभी

अवयव एक समन्वित परन्तु पहले से जटिल प्रभावी तरीके से उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार बाल विकास का अध्ययन किसी एक दृष्टिकोण से किये जाने की बजाय कई 'अध्ययन क्षेत्रों, दृष्टिकोण से किया जाना समीचीन है।

3.9 अभ्यास प्रश्न

- बाल विकास के अंतर्विषयक प्रकृति को स्पष्ट कीजिये।
- बाल विकास के अध्ययन के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करें।
- बाल विकास के सन्दर्भ में जॉन लाक के विचारों को स्पष्ट करें।
- बालविकास के अध्ययन के पारिस्थिकीय मॉडल की व्याख्या करें।
- बालविकास के अध्ययन के आचार शास्त्रीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।
- बालविकास के अध्ययन के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर प्रकाश डालें।

3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

- Bowlby, J. (1951). Maternal care and mental health. World Health Organization Monograph
- Bowlby, J. (1958), The nature of the child's tie to his mother. International Journal of Psycho- Analysis, XXXIX, 1-23.
- Bowlby, J. (1969), Attachment and loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
- Berk, L. (2013) Child Development: A Life Span Approach, PHI Learning, New Delhi, India
- सिंह, अरूण कुमार, (2001) शिक्षा मनोविज्ञान, पटना, भारती भवन, पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- सिंह, अरूण कुमार, (2001) संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- सिंह, अरूण कुमार, (2001) उच्चतर मनोविज्ञान, पटना, भारती भवन, पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- सिंह, अरूण कुमार, (2001) नैदानिक मनोविज्ञान, पटना, भारती भवन, पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

इकाई – 4

बाल विकास के सिद्धांत

(अन्तः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञान के सन्दर्भ में)

Theories of child development

(In Context of Inter-cultural psychology, sociology and anthropology)

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 बाल विकास: संप्रत्यय
 - 4.3.1 परिभाषा
- 4.4 बाल विकास के सिद्धांत : संप्रत्यय
- 4.5 अन्तः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञान के सन्दर्भ में बाल विकास के सिद्धांत
- 4.6 राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में बचपन के संप्रत्यय
- 4.7 सारांश
- 4.8 शब्दावली
- 4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

4.1 प्रस्तावना

विकास का संप्रत्यय एक व्यापक और गूढ़ अवधारणा है। इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विकासीय लक्षणों का बोध होता है। रेबर (1995) के मतानुसार किसी प्राणी के सम्पूर्ण जीवन विस्तार के दौरान होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास की संज्ञा दी जाती है। अर्थात् विकास का अर्थ गर्भधारण से लेकर मृत्युपर्यन्त तक जीवन के विविध पदानुक्रमों से है। प्रस्तुत इकाई में आप अन्तः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञान के सन्दर्भ में बाल विकास के सिद्धांतों एवं राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में बचपन के संप्रत्यय से जुड़े महत्वपूर्ण आयामों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- बाल विकास का अर्थ समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।
- बाल विकास के सिद्धांतों को समझ सकेंगे।

- बाल विकास के विविध सिद्धांतों के बीच अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
- बाल विकास की प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे।
- अन्तः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञान के सन्दर्भ में बाल विकास के सिद्धांतों की अवधारणा को बता सकेंगे।
- राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में बचपन के संप्रत्यय से जुड़े महत्वपूर्ण आयामों की व्याख्या कर सकेंगे।

4.3 बाल विकास : संप्रत्यय

मानव जीवन की गतिक क्रियाओं और परिवर्तन को प्रतिरूपित करने के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः आपकी यह धारणा होती है कि विकास गुणात्मक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो गर्भ-धारण से लेकर मृत्यु-पर्यन्त निरंतर चलती रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया वाला


शब्द है तथा उन सभी आयामों से संबन्धित है जिनमें बच्चे का समग्र विकास समाहित होता है।

उदाहरणतया,



बाल विकास की विविध अवस्थाएँ

एक 14 वर्षीय लड़के के शरीर में शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में उसके मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यक्तित्व सम्बन्धी आयाम भी सम्मिलित होते हैं।



प्रायः विकास को वृद्धि और परिपक्वता के साथ परस्पर परिवर्तन वाले शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों में कुछ विभेद है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से जैविक संरचना में हुए परिवर्तनों या कोशीय गुणज (Cellular Multiplication) के लिए किया जाता है।

उदाहरणतया जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, शरीर का आकार, कद, वजन, आपके शरीर के अंगों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि इसे विभिन्न विधियों की सहायता से मापा जा सकता है। आपकी वृद्धि का अवलोकन अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से कर सकता है। लेकिन आपके अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी जब इनकी कार्यक्षमता में अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता है तब आप यह समझ लीजिये कि

आपकी वृद्धि तो हो रही है परन्तु आपका विकास अवरुद्ध है। अतः विकास एक व्यापक और एकीकृत शब्द है जिसमें वृद्धि का भाव हमेशा शामिल रहता है। इसका अधिकांशतया प्रयोग संज्ञानात्मक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता और इसी प्रकार के क्रियात्मक तथा गुणात्मक बदलावों के अर्थ में किया जाता है। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर की विभिन्न संरचनाओं और कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विविध आन्तरिक शरीर रचना सम्बन्धी परिवर्तन और इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ संगठित होकर आपको सहजता और मितव्ययिता से कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। विकास सम्बन्धी परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किये जाते हैं। इस प्रकार अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं की संगठित और श्रंखलाबद्ध परिवर्तनों की प्रक्रिया विकास कहलाती है।

4.3.1 परिभाषा

सामान्यतः विकास से तात्पर्य प्राणी के बड़े होने से लगाया जाता है परन्तु बड़ा होना ही विकास नहीं है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप आपके अन्दर नवीन क्षमताएँ प्रकट होती हैं। इसके अन्तर्गत सामान्यतः दो प्रकार की परस्पर विरोधी प्रक्रियाएँ वृद्धि (Growth) और क्षय (Atrophy) आती हैं जो सतत रूप में गर्भधारण से लेकर मृत्यु-पर्यन्त तक चलती रहती हैं। आपके जीवन के आरम्भिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है, जबकि क्षय की प्रक्रिया धीमी गति से संचालित होती है। ये दोनों प्रक्रियाएँ परस्पर एक-दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। जैसे-जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे वृद्धि की प्रक्रिया की गति मंद और क्षय की प्रक्रिया की गति तेज हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा वृद्धि तथा विकास से सम्बंधित निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गयी हैं –

ड्रेबर (Drever)के अनुसार-“विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है।”

मेरीडिथ (Meridith) के शब्दों में – “कुछ लेखक वृद्धि का प्रयोग केवल आकार की बढ़ोत्तरी के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में।”

हरलॉक (Hurlock) के अनुसार- “विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर बदलावों का प्रगतिशील क्रम सम्मिलित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ और नयी योग्यताएँ प्रकट होती हैं।”

ईरा गोर्डन (Era Gordon)के मतानुसार – “व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारम्भ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है, जब तक कि व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में हम विकास को एकीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं।”

उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से आप विकास के अभिलक्षणों की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं –

- विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु-पर्यन्त तक चलती रहती है।
- यह प्राणी में विकासशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरन्तर निर्देशित होता रहता है।
- यह एकीकरण की प्रक्रिया है जिसका प्रारम्भ गर्भाधान से ही हो जाता है।

- इसका अवलोकन और मूल्यांकन भी किया जा सकता है।
- विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक एवं नियमित होते हैं तथा एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
- विकासात्मक परिवर्तन सापेक्षतया स्थिर होते हैं। मौसम और अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
- विकास में लचीलापन होता है अर्थात् एक ही व्यक्ति अपनी पूर्व विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत अचानक से सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा वातावरण शारीरिक शक्ति, स्मृति और बुद्धि के स्तर में ऐसा सुधार ला सकता है जिसकी कभी उम्मीद ही न की गयी हो।
- विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक –सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित हो सकता है। माता-पिता की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, दुर्घटना, कुपोषण और परम्पराएँ आदि ऐसे तत्वों के उदाहरण हैं जिनका बालक के विकास पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।

अभ्यास प्रश्न -1

निम्नलिखित उक्तियों में से सत्य/असत्य विकल्प का चयन करें –

1. आपके जीवन के आरम्भिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती है। सत्य/असत्य
2. विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। सत्य/असत्य
3. विकास का अवलोकन और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सत्य/असत्य
4. विकास में लचीलापन होता है। सत्य/असत्य
5. विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक – सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित नहीं होता है। सत्य/असत्य

4.4 बाल विकास के सिद्धांत : संप्रत्यय

बाल विकास के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गए विविध अध्ययनों में यह पाया गया है कि विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सामान्यतः इन सिद्धांतों को वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। **गैरिसन और अन्य (Garrison & Others)** के अनुसार- “जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है।” वृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. निरन्तर विकास का सिद्धांत।
2. विकास की विविध गति का सिद्धांत।
3. विकास – क्रम का सिद्धांत।
4. विकास - दिशा का सिद्धांत।

5. एकीकरण का सिद्धांत।
6. परस्पर सम्बन्ध का सिद्धांत।
7. वैयक्तिकता का सिद्धांत।
8. समान प्रतिमान का सिद्धांत।
9. सामान्य एवं विशिष्टताओं का सिद्धांत।
10. वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत।

4.5 अन्तः सांस्कृतिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्रीय तथा नृविज्ञान के सन्दर्भ में बाल विकास के सिद्धांत

मानव विकास में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मानवीय परिवेश की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। यह परिवेश उसे बचपन में मिलता है जिस पर उसका भविष्योन्मुख विकास टिका होता है। समाज के अभाव में मानव का विकास सम्भव नहीं है। संस्कृति और समाज मानव के लिए एक जरूरी व्यवस्था है जिसमें रहकर ही वह अपना सुरक्षित जीवन यापन का सकता है। इसके साथ ही वह अपने सामाजिक सम्बन्धों को बनाने, सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनाने अन्य समुदायों के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। **सोरेसन (Sorenson)** के मतानुसार –“ सामाजिक और सांस्कृतिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली-भाँति समायोजित करने की बढ़ती हुई योग्यता है।” बाल विकास के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों के विचारों में मतभेद है परन्तु अधिकतर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मुख्य रूप से मानव के स्वस्थ विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। **फ्रीमैन एवं शौवल (Freeman and Showel)** के अनुसार – “सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह स्तर पर परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुकूल अपने आपको ढालने तथा एकता, मेल-जोल एवं पारस्परिक सहयोग की भावना के विकास में सहायक सिद्ध होती है।” अतः बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने समूह विशेष में अपना उचित ढंग से समायोजन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, योग्यता, दक्षता, क्षमता और अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। इसके साथ ही उसमें आत्म-निर्भरता, सहयोग और एकता की भावना भी बढ़ती है। शिक्षक और माता-पिता को विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है ताकि वे बच्चों के लिए उचित अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकें। आप एक बच्चे की चलना सीखने में सहायता तभी कर सकते हैं, जब आपको यह पता हो कि उसकी चलने की आयु क्या होती है? यदि आपको विकास के सिद्धांतों की जानकारी नहीं है तो बच्चे के विकास में देरी हो सकती है या उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। यदि बच्चों को विभिन्न अन्तःसांस्कृतिक, सामाजिक और समुदायों वाले वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उचित परिवेश प्रदान न किया जाये तो वे सामाजिक कुसमायोजन का शिकार हो सकते हैं।

बाल विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. **जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत**—स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे (1896-1980) ने अल्फ्रेड बिनने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मॉडल को कन्स्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता। इसके अनुसार मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही स्वयं ज्ञान का

निर्माण करता है। उसका बौद्धिक विकास उसकी स्वयं की बौद्धिक क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने चारों ओर के परिवेश के ज्ञान को संगठित करने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान वे मुख्यतः बाह्य वस्तुओं पर अपने द्वारा की गयी क्रियाओं द्वारा विचारों की श्रेणियों का निर्माण करते हैं। बच्चा अपने वातावरण के साथ इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य विचार शक्ति में गुणात्मक बदलाव से है जो पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक संरचनाओं में अनुकूलन द्वारा होता है। बच्चा अपनी ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है जो एक मानसिक संरचना है। पियाजे के मतानुसार बच्चे के स्कीमा के संशोधन में आत्मसातीकरण (Assimilation) और समायोजन (Accommodation) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे का विचार था कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सदैव क्रियाशील रहते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास आयु विशेष की चार क्रमागत अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थायें निम्नलिखित हैं - 1. संवेदी-पेशीय अवस्था (बालक के जन्म से दो वर्ष तक की अवधि), 2. प्राकसंक्रियात्मक अवस्था (दो से सात वर्ष तक की अवधि), 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था (सात से बारह वर्ष की अवधि) और 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था (बारह वर्ष से वयस्क होने तक की अवधि)। प्रत्येक अवस्था में चिंतन के विशेष प्रकार पाए जाते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था को विभेदित करते हैं।

2. **फ्रायड का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत** – सिगमंड फ्रायड (1856-1939) ने 40 वर्ष के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के प्रथम और व्यापक सिद्धांत का प्रतिपद किया जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत (Psycho-Analytical Theory) कहा जाता है। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की मूल धारणाओं पर आधारित है और इसमें दो मुख्य प्रत्यय प्रथम अचेतनता एवं द्वितीय इदं, अहं व परअहं सम्मिलित हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन में मानव व्यक्तित्व की जीवन्त शक्तियों का संचय होता है और यह उसके चेतन व्यवहार को नियंत्रित भी करता है। दूसरी ओर मानव व्यक्तित्व के तीनों संघटक इदं, अहं व परा-अहं एक सुसंगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं जिससे वह अपने परिवेश के साथ सरलता से समायोजन कर लेता है। फ्रायड ने मानव को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा युक्त जीव माना है जो शारीरिक ऊर्जा की सहायता से शारीरिक क्रियाओं को संचालित करता है और मानसिक क्रियाओं को करने के लिए मानसिक ऊर्जा का प्रयोग करता है। उसने व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्षों में मूल प्रवृत्तियों को प्रमुख स्थान दिया है और कहा है कि रचनात्मक कार्य तथा सकारात्मक व्यवहार मानव की जीवन मूल प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है जबकि विध्वंसात्मक कार्य एवं नकारात्मक व्यवहार मानव की मृत्यु नामक मूल प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन प्रवृत्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है तथा इसके ऊर्जा बल (Energy Force) को लिबिडो (Libido) की संज्ञा दी है। लिबिडो या लैंगिक ऊर्जा (Sexual Energy) की निम्नलिखित पाँच मनोलैंगिक अवस्थायें होती हैं -

- मुखावस्था (Oral Stage) – जन्म से लेकर एक वर्ष आयु तक की अवधि।
- गुदावस्था (Anal Stage) - एक वर्ष की आयु से लेकर दो वर्ष आयु तक की अवधि।
- शिश्रावस्था (Phallic Stage) –तीन वर्ष की आयु से लेकर छः वर्ष आयु तक की अवधि।

- अव्यक्तावस्था (Latency Stage) – सात वर्ष तक की आयु से लेकर बारह वर्ष आयु तक की अवधि।
- जनेन्द्रियावस्था (Genital Stage) – तेरह वर्ष तक की आयु से लेकर निरन्तर।

सारांशतः फ्रायड का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत मानव व्यवहार की तार्किक व्याख्या करता है। परन्तु उसके शिष्य कार्ल जुंग और एडलर ने कालान्तर में इस सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ नवीन रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यौन प्रवृत्ति की अपेक्षा सामाजिक प्रवृत्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना और इसे मानव व्यवहार का मुख्य निर्धारक कहा।

3. **लिव सिमनोविच वाइगोत्सकी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत**—रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्सकी (1896-1934) का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विवेचन दर्शाता है। उन्होंने मानव के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के बीच अंतःक्रिया को एक महत्वपूर्ण आयाम बताया है। उनके मतानुसार संज्ञानात्मक विकास बहुमुखी होता है जो भाषा विकास, अन्तःसांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास के सन्दर्भ में होता है। वाइगोत्सकी के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अपने कार्यों के संगठन और नियोजन के लिए भाषा को दूल के रूप में प्रयोग करता है। सामाजिक सम्प्रेषण के लिए वह भाषा को ही एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाता है। वाइगोत्सकी का यह भी मत है कि संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में निर्मित होते हैं तथा सामाजिक कारक जैविक कारकों की अपेक्षा मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अधिगम और विकास सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश के सामानांतर चलते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास को सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं से पृथक नहीं किया जा सकता है, वह इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जनजातीय और आदिवासी संस्कृति में बच्चे प्राकृतिक परिवेश में वस्तुओं को गिनना सीखते हैं जबकि मुख्यधारा के धनाड्य परिवारों के बच्चे कम्प्यूटर या अन्य किसी आधुनिक तकनीक की सहायता से गणना के कार्यों को करना सीखते हैं। वाइगोत्सकी के विचारानुसार ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों और परिवेश तथा समुदायों में वितरित होता है जिसे अंतःक्रिया एवं सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करना सर्वोत्तम होता है। अतः वे इस बात पर बल देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामान्यतः सामाजिक होती है न कि संज्ञानात्मक। वे आगे यह भी कहते हैं कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। सभी मानसिक क्रियाएँ पहले बाह्य वातावरण में सम्पन्न होती हैं जिन्हें बच्चे अन्तःसांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। इसीलिए वाइगोत्सकी ने सामाजिक वातावरण के विभिन्न आयामों जैसे-परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समुदाय और मित्र-मण्डली की भूमिका को बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण माना है।
4. **एरिकसन का मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत**—जर्मन मनोवैज्ञानिक ईरिक एच. एरिकसन (Erick H. Erikson) द्वारा आठ स्तरीय मानव विकास के सिद्धांत को 1950 में अपनी पुस्तक 'बाल्यावस्था एवं समाज' (Childhood and Society) में 'मनुष्य की आठ आयु' शीर्षक से प्रकाशित कराया गया। एरिकसन ने फ्रायड के द्वारा अहं के निर्माण की पाँच अवस्थाओं में तीन

और अवस्थाओं को सम्मिलित करके मानव के क्रमबद्ध विकास से सम्बन्धित आठ स्तरीय पूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके इस सिद्धांत को विविध नामों जैसे- जीव-मनो-सामाजिक विकास, एरिकसन का मानव विकास का चक्र, एरिकसन का मनो-सामाजिक सिद्धांत आदि के नाम से जाना जाता है। एरिकसन के मतानुसार मानव जीवन के निश्चित कालखंडों में वह द्वन्द्वों का सामना करता है, जिनका समाधान स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये द्वन्द्व समाज में पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, मित्र-मण्डली, समाज और संस्कृति आदि सभी सामाजिक कारक बच्चे के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। ये पारस्परिक अन्तःक्रियाएँ मानव के जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त तक सतत रूप से बनी रहती हैं, इसलिये एरिकसन द्वारा मानव के सम्पूर्ण जीवन-काल पर बल दिया गया है।

एरिकसन ने फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर ही अपने मनो-सामाजिक विकास के सिद्धांत की आठ अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में इदं (Id) और परा-अहं (Super ego) “षडशोषको अधिक महत्त्व दिया है। उनका विचार था कि मानव के इदं में उसकी अनुभूतियों को संगठित करने और व्यवहार को अर्थपूर्ण बनाने की क्षमता होती है। अर्थात् इदं में सृजनात्मक गुण विद्यमान होता है। इदं पर वातावरण के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एरिकसन ने इदं के निर्माण की मनो-सामाजिक अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया है। एरिकसन द्वारा प्रतिपादित मनो-सामाजिक विकास के विविध चरणों का अध्ययन आप निम्नलिखित ढ़तालिका के माध्यम से कर सकते हैं -

क्र. सं.	अवधि	समस्याएँ	समुचित समाधान	अपर्याप्त समाधान	विशेषता
1.	0 से 1 वर्ष	विश्वास बनाम अविश्वास	सुरक्षा और निश्चय का मौलिक भाव स्वयं के अतिरिक्त बाह्य बलों पर भरोसा	असुरक्षा चिंता	आशा
2.	2 से 3 वर्ष	स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह	कर्ता के रूप में स्व का प्रत्यक्षीकरण, अपने स्वयं के शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता और कार्यों को करना	आत्म नियंत्रण से सम्बंधित अपर्याप्त अनुभूति, घटनाओं का नियंत्रण	इच्छाशक्ति
3.	4 से 6 वर्ष	उपक्रम बनाम ग्लानि	सृजन या पहल करने के लिए अपने ऊपर विश्वास	स्व के महत्व की कमी का भाव	उद्देश्य

4.	6 से 12 वर्ष	मेहनत बनाम हीनता	मौलिक सामाजिक और बौद्धिक कार्यों में प्रवीणता, मित्र मण्डली द्वारा स्वीकृति	आत्मविश्वास की कमी, असफलता की अनुभूति	सक्षमता
5.	13 से 19 वर्ष	पहचान बनाम भूमिका की अस्पष्टता	एक व्यक्ति के रूप में स्व का सहज भाव, विशिष्ट और सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यक्ति के रूप में	विखंडित निष्ठा स्व का अनुभव, बदलता हुआ और अस्पष्ट भाव	मित्रता
6.	20 से 30 वर्ष	अंतरंगता बनाम अलगाव	आत्मीयता और दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता, अंतरंगता की जरूरत को झुठलाना	एकाकीपन, अलगाव	प्रेम
7.	30 से 65 वर्ष	उत्पादकता बनाम गतिरोध भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान	अपने आप से मतलब, भविष्योन्मुख का अभाव	अंतरंगता की जरूरत	सुश्रुषा
8.	65 से आगे	समग्रता बनाम निराशा	सम्पूर्णता का भाव और जीवन से मूल संतुष्टि	व्यर्थता और निराशा की अनुभूति	बुद्धि

5. **बाऊलबाई का लगाव सिद्धांत** – ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन बाऊलबाई (John Bowlby) के द्वारा लगाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उनके अनुसार लगाव मानवों के बीच सदैव रहने वाली मनोवैज्ञानिक सम्बन्धता है। लगाव में विकासात्मक घटक होता है जो जीवित रहने में सहायक होता है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ मजबूत संवेगात्मक सम्बन्ध बनाने की

प्रवृत्ति मानवीय प्रकृति का मूल तत्व है। बाऊलबाई का विचार है कि बच्चों द्वारा प्रारम्भ में बनाये गए सम्बन्ध (Bond) जीवन पर्यन्त प्रभाव डालते हैं। इसी सम्बन्ध के कारण शिशु अपनी माँ के अधिक निकट रहता है, जिससे उसकी जीवन प्रत्याशा में बुद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत का केन्द्रीय बिन्दु वे माताएँ हैं जो सदैव उपलब्ध रहती हैं और अपने शिशुओं की जरूरतों को पूरा करती हैं, सुरक्षा की भावना को मजबूत करती हैं। यह सिद्धांत बच्चों के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान करता है और उनके व्यक्तित्व विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। जब परिवार के सदस्य बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करते रहते हैं, तब परिणामस्वरूप बच्चे अपनी देखभाल करने वाले लोगों के प्रति एक संवेगात्मक सम्बन्ध निर्मित कर लेते हैं। यह सम्बन्ध लगाव कहलाता है। लगाव के विकास के लिए निकटता और पारस्परिक अंतःक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। किसी के साथ लगाव की स्थिति में जो व्यवहार प्रदर्शित होता है, उसे लगाव व्यवहार (Attachment Behaviour) कहा जाता है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे – बच्चे द्वारा माँ को देखना, उसे देखकर मुस्कुराना, हाथ-पैर चलाना, उसके लिए रोना, उसके निकट आना। यह लगाव व्यवहार परिवर्तनशील होता है जो आयु के साथ-साथ बदलता रहता है। लगाव में हस्तक्षेप करने वाली घटनाएँ जैसे-बच्चों का परिचित लोगों से अचानक अलगाव होना उनके संवेगात्मक और ज्ञानात्मक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं जो दीर्घ या अल्प अवधि वाले हो सकते हैं। बच्चे के लिए प्राथमिक सम्बन्ध (Primary Bond) जो उसकी माँ से होता है वह किसी अन्य सम्बन्ध से अधिक महत्वपूर्ण होता है। माँ से जो सम्बन्ध होता है वह अन्य संबंधों से बिलकुल भिन्न होता है। इस प्रकार के लगाव को मोनोट्रोपी (Monotropy) कहा जाता है अर्थात् किसी एक वस्तु या व्यक्ति के साथ निकटतम लगाव। इस लगाव के टूट जाने या इसमें अवरोध उत्पन्न होने पर बच्चे के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसके लिए बाऊलबाई द्वारा मैटरनल डैप्रिवेशन (Maternal Deprivation) शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके दीर्घकालीन परिणाम अपराधिता, निम्न बुद्धि, तनाव और प्रेम-रहित मनोरोगी के रूप में सामने आते हैं। ऐसे बच्चे अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान न देकर जो उनके मन में आता है वे उसे ही करते हैं। बच्चे का लगाव सम्बन्ध अपने प्राथमिक पोषक के साथ आन्तरिक कार्य प्रारूप का विकास करता है। आन्तरिक कार्य प्रारूप संज्ञानात्मक ढांचा होता है जो परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने लिए मानसिक प्रतिबिम्बों द्वारा निर्मित होता है। आन्तरिक कार्य प्रारूप की अधोलिखित तीन विशेषताएँ होती हैं-

- दूसरों का प्रारूप, जो विश्वसनीय हो।
- स्वयं का प्रारूप, जो उपयोगी हो।
- स्वयं का प्रारूप, जो अन्यो के साथ अंतःक्रिया के समय प्रभावी हो।

यही मानसिक ज्ञापन बच्चे के भावी सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि बच्चे का आन्तरिक कार्य प्रारूप सामान्यतः अन्यो के प्रति अनुक्रिया को नियोजित करता है। अतः बाऊलबाई के लगाव सिद्धांत की अपनी महत्ता है।

अभ्यास प्रश्न -2

1. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मॉडल को----- के नाम से भी जाना जाता ॥
2. बच्चा अपने----- के साथ इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है ।
3. बच्चे के स्कीमा के संशोधन में----- और----- की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।
4. अचेतन में मानव व्यक्तित्व की----- का संचय होता है
5. इसके ऊर्जा बल (Energy Force) को----- की संज्ञा दी है
- 6.----- और----- ने कालान्तर में इस सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ नवीन रूप में प्रस्तुत किया ।
7. वाइगोत्सकी के अनुसार भाषा----- का महत्वपूर्ण साधन है ।
- 8.----- में 'मनुष्य की आठ आयु' शीर्षक से प्रकाशित कराया गया ।
9. इस सिद्धांत का केन्द्रीय बिन्दु वे----- हैं जो सदैव उपलब्ध रहती हैं ।
10. बाऊलबाई द्वारा----- शब्द का प्रयोग किय गया है ।

4.6 राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ में बचपन के संप्रत्यय

शैशावावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बचपन अथवा बाल्यकाल या बाल्यावस्था (Childhood) कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी अवधि छः वर्ष से लेकर बारह वर्ष की आयु तक मानी गयी है। यह अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश को समझते हुए उससे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। वह अपनी पहचान को निश्चित करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने की भरपूर कोशिश करता है। इस अवस्था में सामूहिक क्रियाओं का विकास बहुत तेजी से होता है इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज (Gang-age) के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी सभ्य समाज और राष्ट्र के लिए बच्चे और उनका बचपन भविष्य निधि के रूप में संरक्षित होते हैं। इनकी अनदेखी राष्ट्र और समाज के लिए घातक हो सकती है। समाज और सरकार की सक्रियता के बाद भी इन भावी कर्णधारों का बचपन संकट में उलझता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में 14 वर्ष की आयु से कम आयु के सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में पाये गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से बुद्धिदर्ज की गयी है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा इन दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। भारत में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रहने वाले सीमांत वर्ग के लोग अनाज के बदले अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आये विनाशकारी भूकंप में हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं। उनके बचपन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से उनका भविष्य अधर में

लटका हुआ प्रतीत होता है। कुपोषण, असुरक्षा, शोषण और बाल अपराध जैसी तमाम समस्याओं से घिरे हजारों बच्चे वंचित अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं।

एक अध्ययन के तहत भारत में हर वर्ष लगभग 50 हजार बच्चे गायब हो रहे हैं जिनसे मजदूरी करायी जाती है या सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। भारत में परम्पराओं के नाम पर बचपन को अंधेरे में धकेला जा रहा है जिसका जीवंत उदाहरण बाल-विवाह है। भारत में सर्वाधिक बाल-विवाह राजस्थान में होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बाल-विवाह नादान बालिकाओं के बचपन को पंगु बना रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से तो बचपन की और भी दुर्दशा है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर तो विद्यालय नहीं हैं और यदि हैं भी तो उनकी इमारत का हाल-बेहाल है तथा शिक्षकों के महीनों तक दर्शन नहीं होते हैं। निःसंदेह बच्चे समाज और राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं समाज का भविष्य उनके समुचित विकास पर निर्भर करता है। अतः बच्चों के बचपन को सुरक्षित और संरक्षित रखना सरकार और समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ही नहीं अपितु नैतिक कर्तव्य भी है।

अभ्यास प्रश्न :-3

सही विकल्प का चयन करें –

1. इसे परिपक्वता /मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है।
2. इस अवस्था को गैंग एज (Gang-age)/ओल्ड एज के नाम से भी जाना जाता है।
3. भारत के पड़ोसी देश नेपाल/श्रीलंका में आये विनाशकारी भूकंप में हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं।
4. भारत में हर वर्ष लगभग 20 हजार/50 हजार बच्चे गायब हो रहे हैं।
5. बाल-विवाह/विवाह नादान बालिकाओं के बचपन को पंगु बना रहा है।

4.7 सारांश

विकास का संप्रत्यय एक व्यापक और गूढ़ अवधारणा है। इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विकासीय लक्षणों का बोध होता है। प्रायः विकास को वृद्धि और परिपक्वता के साथ परस्पर परिवर्तन वाले शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से जैविक संरचना में हुए परिवर्तनों या कोशीय गुणज (Cellular Multiplication) के लिए किया जाता है। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर की विभिन्न संरचनाओं और कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। **ड्रेवर (Drever)** के अनुसार—“विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है।” विकास ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक – सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित हो सकता है। माता-पिता की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, दुर्घटना, कुपोषण और परम्पराएँ आदि ऐसे तत्वों के उदाहरण हैं जिनका बालक के विकास पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। **गैरिसन और अन्य (Garrison & Others)** के अनुसार- “जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है।” बाल विकास की

प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत
2. फ्रायड का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत
3. लिव सिमनोविच वाइगोत्सकी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत
4. एरिकसन का मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत
5. बाऊलबाई का लगाव सिद्धांत

शैशवावस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बचपन अथवा बाल्यकाल या बाल्यावस्था (Childhood) कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी अवधि छः वर्ष से लेकर बारह वर्ष की आयु तक मानी गयी है। यह अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में 14 वर्ष की आयु से कम आयु के सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में पाये गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से बुद्धिदर्ज की गयी है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा इन दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। भारत में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रहने वाले सीमांत वर्ग के लोग अनाज के बदले अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश हैं। भारत में परम्पराओं के नाम पर बचपन को अंधेरे में धकेला जा रहा है जिसका जीवंत उदाहरण बाल-विवाह है। शिक्षा के दृष्टिकोण से तो बचपन की और भी दुर्दशा है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अब्बल तो विद्यालय नहीं हैं और यदि हैं भी तो उनकी इमारत का हाल - बेहाल है तथा शिक्षकों के महीनों तक दर्शन नहीं होते हैं। निःसंदेह बच्चे समाज और राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं समाज का भविष्य उनके समुचित विकास पर निर्भर करता है। अतः बच्चों के बचपन को सुरक्षित और संरक्षित रखना सरकार और समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ही नहीं अपितु नैतिक कर्तव्य भी है।

4.8 शब्दावली

- **बचपन**—अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **परिमाणात्मक**—किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण की मात्रा को व्यक्त करने वाला।
- **गुणात्मक**—किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को व्यक्त करने वाला।
- **कोशीय गुणज**—कोशका विभाजन की प्रक्रिया।
- **द्वन्द**—विरोधाभास।
- **विध्वंसात्मक**—विनाशकारी।
- **शैशवावस्था**— बाल विकास की आरम्भिक अवस्था।
- **संवेदना**— मन में होने वाला अनुभव या बोध।
- **परिपक्व**—जो अभिवृद्धि और विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो।

- **संवेग-** एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **सामाजिक** –जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **समुदाय** - बहुत से लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।
- **परिवेशीय** –किसी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर वायु का घेरा।
- **परम्पराएँ** –चलन के अनुसार कार्य करने का दीर्घकालीन तरीका।
- **आदिवासी** –खास भौगोलिक स्थान और समुदाय में रहने वाला।

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. असत्य

अभ्यास प्रश्न -2

1. कन्स्ट्रक्टिविज्म 2. वातावरण 3. आत्मसातीकरण (Assimilation), समायोजन (Accommodation)
4. जीवन्त शक्तियों 5. लिबिडो (Libido) 6. कार्ल जुंग, एडलर
7. संज्ञानात्मक विकास 8. 'बाल्यावस्था एवं समाज' (Childhood and Society)
9. माताएँ
10. मैटरनल डैपरीवेशन (Maternal Deprivation)

अभ्यास प्रश्न -3

1. मिथ्या परिपक्वता 2. गैंग एज (Gang-age)
3. नेपाल 4. 50 हजार
5. बाल-विवाह

4.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. विकास और वृद्धि से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।
2. विकास और वृद्धि में अन्तर स्पष्ट करें।
3. विकास की प्रकृति और विशेषताओं का उल्लेख करें।
4. विकास के सिद्धांत को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।
5. जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बाल विकास के अध्ययन में क्यों महत्वापूर्ण है? वर्णन करें।
6. विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
7. बाऊलबाई का लगाव सिद्धांत क्या है? समझाइए।

4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता, एस. पी. (2003), *उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान*, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन ।
- होल्ट, जॉन (2005). *बचपन से पलायन*, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन ।
- कुमार, के. (2002). *शिक्षा और ज्ञान*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ।
- लिनथ्रेन, एच. सी. (1973). *कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।
- माथुर, एस.एस. (2009). *सामान्य मनोविज्ञान*, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर ।
- मंगल, एस. के. (2009). *जनरल सायकोलोजी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ।
- सिंह, सी. वी. (2011). *बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एबम अपराधी बालक)*, नई दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन्स ।
- शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, रचना (2004). *एडवांसड एप्लायड सायकोलोजी*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ।

इकाई – 5

विभिन्न सामाजिक - आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन तथा किशोरावस्था की संकल्पना

Concept of Childhood and adolescence in different socio-economic and cultural settings

इकाई की रूपरेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन
- 5.4 किशोरावस्था की संकल्पना
- 5.5 किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएँ
- 5.6 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में किशोरावस्था
- 5.7 सारांश
- 5.8 शब्दावली
- 5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 5.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

5.1 प्रस्तावना

सामान्यतः बालविकास प्रगतिशील परिवर्तनों के क्रम को प्रदर्शित करता है। इन परिवर्तनों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक स्तरों के सन्दर्भ में होने वाले बदलाव सम्मिलित हैं। बालक के भार और आकार में वृद्धि, शिशु का अचानक अपने सिर पर नियन्त्रण कर लेना और सरल शब्दों का उच्चारण कर लेना आदि ये सभी क्रियाएँ बाल विकास को प्रदर्शित करती हैं। इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विकासीय लक्षणों का बोध होता है। प्रस्तुत इकाई में आप बाल विकास के सिद्धांत (मनोविज्ञान), विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन तथा किशोरावस्था की संकल्पनाके सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करनेकेपश्चात आप-

- बाल विकास के विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे।

- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन की समझ विकसित कर सकेंगे।
- किशोरावस्थाके संप्रत्यय को बता सकेंगे।
- किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- किशोरावस्था की समस्याओं के विषय में बता सकेंगे।
- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में किशोरावस्थाकी व्याख्या कर सकेंगे।

5.3 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में बचपन

बचपन मानवीय जीवन की एक संस्था न होकर उसका एक तथ्य है। आप अपने जन्म के समय जीने के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं। वे ही आपको खिलते-पिलाते हैं, आपको साफ करते हैं, सर्दी-गर्मी से बचाते हैं और सभी प्रकार के संकटों से आपकी सुरक्षा करते हैं। इस सन्दर्भ में मनुष्य पशुओं के समान है। परन्तु पशुओं की तरह उसे अपनी असहायता और दूसरों पर निर्भरता की स्थिति से निकलने के लिए महीनों नहीं अपितु सालों-साल लगते हैं। यह बचपन की सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो उतनी ही पुरानी है जितना पुराना स्वयं मनुष्य है।

भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच रस्साकसी का खेल चलता रहता है। केन्द्र और राज्यों के विद्यालयी पाठ्यक्रम में असामनता बचपन को दिशाहीन बना रही है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह होगा कि बचपन से ही बच्चों को आजादी और इज्जत के साथ रखने का प्रबन्ध किया जाये। परन्तु दूषित राजनीति के कारण बचपन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बचपन को किताबों के बोझ तले दबाया जा रहा है। छः साल के बच्चे को भारी बजन लेकर विद्यालय जाना होता है। प्रत्येक दिन की अलग-अलग ड्रेस निर्धारित है जिसे एक भी दिन बच्चा यदि पहन कर न जाये तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी ओर माता-पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए बच्चे पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। उसके लिए घर पर निजी शिक्षक की व्यवस्था भी करते हैं, परन्तु बच्चे की मानसिकता को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। माता-पिता बच्चे के स्तर पर जाकर नहीं सोचते, बल्कि उसे विवश करते हैं कि वह उनके जैसा सोचे। वे चाहते हैं कि बच्चा उन सपनों को पूरा करे जिन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए। जबकि कार्यशील माता-पिता के बच्चों को यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ भोजन कब किया। एकाकी जीवन, कामवाली बाई, विलासिता की ढेरों वस्तुयें आदि उनके बचपन का साथी होती हैं। लगभग यही स्थिति स्लम में रहने वाले बच्चों की भी है। मात्र अंतर इतना है कि उनके माता-पिता का काम पर जाना मजबूरी है अन्यथा शाम को घर में भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। फलस्वरूप स्लम के बच्चों को पूरा दिन अनैतिक गतिविधियों जैसे- अपनी उम्र से बड़ी उम्र के दोस्तों के साथ सिगरेट के कश लगाना, गुटखा खाना, शराब पीना, पोलीथिन बीनना या फिर किसी दुकान पर मजदूरी करना आदि के लिए मिलता है। कभी-कभी तो इन्हें घरों में अपने माता-पिता के साथ ही काम में हाथ बटाने के लिए भी जाना पड़ता है। ऐसे बच्चे अपने बचपन में ही वयस्कों की भाँति व्यवहार करना आरम्भ कर देते हैं। ऐसे बच्चे काफी कम उम्र में ही यह महसूस करने लगते हैं कि बचपन एक बगिया नहीं, बल्कि कैदखाना है। कई बच्चों के लिए बचपन का अनुभव खुशनुमा,

निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता। कुछ दूसरे बच्चों के लिए बचपन का अनुभव सकारात्मक होने के बावजूद आवश्यकता से अधिक खिंचता जाता है। उससे बाहर निकलने का कोई कष्टरहित मार्ग भी ऐसे बच्चों के सामने नहीं होता। कुछ बच्चों के परिवार नहीं होते वे सरकार के आश्रय में होते हैं अर्थात् वे बन्दी होते हैं। कुछ बच्चे सामान्य लगने वाले परिवारों में सामान्य दिखने वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परन्तु उनका बचपन कुछ अर्थों में निरापद होते हुए भी सामान्य नहीं होता। बल्कि इसके उलट उनका शोषण होता है। उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपमानित किया जाता है। यदि इन बच्चों को कुछ समय तक अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहने का अवसर मिल पाता है तो ऐसे परिवारों में जीना भी बच्चों के लिए इतना कष्टदायी नहीं होता है। कुछ संपन्न परिवारों के बच्चे लम्बे समय तक अपने माता-पिता के साथ बहुत खुश रहते हैं। परन्तु कुछ समय बाद अचानक उनके बीच मतभेद के स्वर सुनाई देने लगते हैं। इस नई परिस्थिति में माता-पिता और बच्चों दोनों को पीड़ा होती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अवश्य हमसे गलती हुई है, परन्तु हमें यह समझ नहीं आता कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई है। कई बार आप भी यह सोचते होंगे कि- “मैं अपने माता-पिता को बहुत प्रेम करता हूँ, परन्तु वे अब चाहते हैं कि मैं उनकी पसन्द का कार्य या विवाह करूँ। लेकिन मैं यह करना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पसन्द का दूसरा ही कार्य करना चाहता हूँ, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं अपराधबोध से घिर गया हूँ। क्या करूँ, समझ नहीं आता। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, परन्तु अपनी जिन्दगी अपने तरीके से गुजारना भी चाहता हूँ।” इससे प्रतीत होता है कि उन्हीं लोगों के बचपन का अन्त सबसे दुःखद था जिनका बचपन बहुत आनन्दमय था। जब बच्चे माता-पिता के मोहपाश से मुक्त नहीं हो पाते हैं तो उनके पास विद्रोह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं होता। जितने मजबूत ये जोड़ने वाले रिश्ते होते हैं, उन्हें तोड़ने में उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसे में कभी न भुलाई जाने वाली दर्दनाक घटनाएँ सामने आती हैं। यह इसी तरह होता है जैसे- किसी अनजान पक्षी को घोंसले से निकलने का कोई तरीका ही न सूझे तो वह उस घोंसले को ही तहस-नहस कर डाले। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में बचपन कुछ इसी तरह का बनता जा रहा है। आधुनिक परिवारों और विद्यालयों में बचपन बन्दी बनता जा रहा है, जो कि भविष्य में दुःख परिणामके अतिरिक्त कुछ नहीं देने वाला।

यद्यपि कुछ आदर्श विद्यालय भी भारतीय समाज में हैं परन्तु वे भी दूषित समाज से आने वाले बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अतः बच्चे के सम्मुख ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करना चाहिए ताकि बच्चा चारित्रिक और नैतिक गुणों को अपनाये और समाज के साथ-साथ विश्व कल्याण में भी सहायक बने।

अभ्यास प्रश्न :-1

सही विकल्प का चयन करें-

1. आप अपने जन्म/मृत्यु के समय जीने के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं।
2. भारत में शिक्षा को केन्द्रीय /समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है।
3. छः साल के बच्चे को भारी/हल्का बजन लेकर विद्यालय जाना होता है।
4. कई बच्चों के लिए बाल्यावस्था/बचपन का अनुभव खुशनुमा, निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता।
5. आधुनिक/परंपरागत परिवारों और विद्यालयों में बचपन बन्दी बनता जा रहा है।

5.4 किशोरावस्था की संकल्पना

एक विकास की अवस्था दूसरी विकास की अवस्था से पूर्णतः भिन्न होती है। किशोरावस्था मानव विकास का ऐसा पड़ाव है जहाँ का वातावरण विषमताओं से परिपूर्ण होता है। किशोरावस्था आपके जीवन का संक्रमण काल है जो आपके भविष्य के निर्धारण में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह बचपन से प्रौढ़ता की ओर जाने का मार्ग है जिसमें कई प्रकार के सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत होती है। आप अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में माता-पिता पर निर्भर होते हैं और शनैः-शनैः सीखकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, परन्तु कुछ क्षेत्रों में अंतिम निर्णय आपके अभिभावक ही लेते हैं। उदाहरणतया-आप मित्रों के साथ फुटबाल के खेल का आनंद लेना चाहते हैं, किन्तु माता-पिता पहले गणित के प्रश्न हल करने पर जोर देते हैं। अर्थात् माता-पिता किशोरों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव पर अधिक भरोसा होता है। अतः किशोरावस्था ऐसा संक्रमण काल है जिसमें नई सामाजिक भूमिकाओं के लिए, तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जरूरत होती है। इन परिवर्तनों के कारण किशोरों को कई तरह की भ्रान्तियों और दुश्चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इस संक्रमण काल के दौरान बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाता है। इसलिए उसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामंजस्य की जरूरत होती है। सामान्यतः विद्वानों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली किशोरावस्था की चार अवस्थाओं को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

क्र. सं.	किशोरावस्था की अवस्थाओं के नाम	समयावधि	
		बालिकाओं में	बालकों में
01	पूर्व किशोरावस्था	11 से 13 वर्ष की आयु तक	13 से 15 वर्ष की आयु तक
02	प्रारम्भिक किशोरावस्था	13 से 15 वर्ष की आयु तक	15 से 17 वर्ष की आयु तक
03	मध्य किशोरावस्था	15 से 18 वर्ष की आयु तक	17 से 19 वर्ष की आयु तक
04	उत्तर किशोरावस्था	18 से 21 वर्ष की आयु तक	19 से 21 वर्ष की आयु तक

शाब्दिक दृष्टि से किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के 'एडोलसेंस'(Adolescence) का हिन्दी रूपांतरण है। 'एडोलसेंस'(Adolescence) का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर (Adolescere) से हुआ है जिसका तात्पर्य है 'परिपक्व रूप में विकसित होना'। अतः किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें आप परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं और जिसकी समाप्ति पर आप पूर्ण वयस्क व्यक्ति के रूप में परिणित हो जाते हैं। महान मनोवैज्ञानिक स्टेनली हॉल (Stanley Hall, 1904) ने अपनी पुस्तक "Adolescence" में किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इसकी कोई परिभाषित आयु नहीं है कि यह कब शुरू होती और कब समाप्त, परन्तु यह सामान्यतः 10 वर्ष की आयु के बाद आरम्भ होती है और 20 वर्ष की आयु से पूर्व समाप्त हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे समस्यात्मक अवस्था (Problem Age) भी कहा है और इसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है।

ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन (Blair, Jones & Simpson) के मतानुसार-“किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है, जो बाल्यावस्था के अन्त में आरम्भ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरम्भ में समाप्त होता है।”

इ. ए. किर्कपैट्रिक (E. A. Kirkpatrick)के शब्दों में- “इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।”

संयुक्त राष्ट्र संघ(UNO) के अनुसार – “वे लोग जो 10 से 19 वर्ष तक की आयु के बीच हैं, वे किशोरावस्था में आते हैं। ”

भारतीय पुरातन सामाजिक आश्रम व्यवस्था में किशोरावस्था को ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत रखा गया है जो कि जीवन की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा गुरुगृह में रहकर भावी जीवन के उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु विविध कौशलों की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता था। वर्तमान परिदृश्य में यह कार्य विभिन्न आवासीय शिक्षण संस्थायें कर रही हैं।

5.5 किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएँ

जीवनक्रम की प्रत्येक अवस्था में प्रतियोगी प्रवृत्तियों में एक विशेष संघर्ष की स्थिति भी आती है। एरिकसन का मत है कि यदि व्यक्ति इस संघर्ष की स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर लेता है तो उसका विकास एक सामान्य और स्वस्थ ढंग से होता है। किशोरावस्था तनाव, आक्रामकता और खिंचाव की अवस्था है जो जीवन में अनेक द्वन्द उत्पन्न करती है। इस अवधि में व्यक्ति दुविधाओं से घिरा रहता है। इसी अवस्था में अनेक प्रकार के व्यसन जैसे- अपराध, नशाखोरी और धूम्रपान आदि पनपते हैं। भविष्य की योजनाओं के प्रति जीवन-दर्शन का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। इस प्रकार इस अवस्था में जैविक और सामाजिक दोनों तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है-

- किशोरावस्थाशारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल है।
- किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुमुखी होता है अर्थात् तार्किक क्षमता, चिंतन शक्ति और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है।
- इस अवस्था में घनिष्टता और व्यक्तिगत मित्रता महत्वपूर्ण होती है।
- आवेगों और संवेगों की बहुलता के फलस्वरूप इस अवस्था में उद्दिग्धता और विद्रोह की भावना की प्रबलता अधिक होती है।
- इस अवस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है।
- विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत होता है जो धीरे-धीरे प्रबल रूचि का रूप धारण कर लेता है।
- समूह और मित्र-मंडली को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है।

इस प्रकार किशोरावस्था में अनेक विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इसके सम्बन्ध में स्टेनली हॉल का कथन महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उसके अनुसार- “किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं।”

अभ्यास प्रश्न -2

सही विकल्प का चयन करें-

1. किशोरावस्था/शैशवावस्था मानव विकास का ऐसा पड़ाव है जहाँ का वातावरण विषमताओं से परिपूर्ण होता है।
2. संक्रमण काल के दौरान बच्चा निर्भरता से परतंत्रता/स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाता है।
3. स्टेनली हॉल/आलपोर्ट ने अपनी पुस्तक “Adolescence” में किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है।
4. किशोरावस्था में व्यक्ति दुविधाओं/खुशियों से घिरा रहता है।
5. किशोरावस्था में भौतिक/जैविक और सामाजिक दोनों तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।

5.6 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में किशोरावस्था

बच्चों की किशोरावस्था जीवन क्रम का सबसे जटिल और चुनौतियों से भरा काल माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और सामाजिक आदि सभी स्थितियों में परिवर्तन होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे स्वयं को बड़ा और बड़े उन्हें छोटा ही समझते हैं। माता-पिता, अभिभावक और शिक्षक यह महसूस करते हैं कि बच्चा अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह जो कुछ सोचे-समझे और करे वह सब कुछ सही हो। मध्यवर्गीय परिवार के किशोरवय बच्चे के कंधों पर माता-पिता के सपनों का बोझ होता है। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनाने के अतिरिक्त और न जाने क्या-क्या अपेक्षाएं होती हैं। कठिन स्पर्धा के बीच अनिश्चितता भी होती है। इससे वह तनाव काशिकार हो जाता है। तनाव-मुक्ति की खोज उसे ड्रग, शराब आदि कुकृत्यों की ओर ले जाती है। अर्थात् बच्चे चाहे गरीब परिवार में जन्मे हों या मध्यवर्गीय परिवार में, बचपन को बचपन की भांति न जीने देने के दबाव दोनों को एक हीमार्ग की ओर ढकेल देते हैं। इसमें दोष किसका है? प्रत्येक वर्ग में पला-बढ़ा किशोरवय बच्चा जानता है कि उसको तनाव की ओर ढकेलने, अपनी अपेक्षाओं का बोझ लादने और असमय ही बचपन को छीन लेने के लिए उसके माता-पिता भी जिम्मेदार हैं।

किसी भी देश या राष्ट्र की पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, परन्तु मानव संसाधनों यथा श्रम, संघटन, प्रशासन, उपलब्ध पूंजी और शोध की सुविधाओं के अभाव में इनका उपयोग संभव नहीं है। जिस देश में ये मानव संसाधन जितनी अधिक मात्रा में और उच्च स्तर के होते हैं, उस देश में उतनी ही अधिक तेजी से आर्थिक परिवर्तन होते हैं और वह आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे के संपूरक हैं, अर्थात् एक-दूसरे का कारण और परिणाम है। संरचनात्मक परिवर्तन के बिना आर्थिक परिवर्तन सम्भव नहीं है। विकासशील देशों के आर्थिक बदलाव के लिए औद्योगीकरण बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि औपनिवेशिक सत्ता ने भारत को विकासशील ही बनाये रखा जो कुछ भी अल्प रूप में औद्योगिक विकास हुआ था, वह उसकी पूंजीवादी जरूरतों के अनुकूल ही हुआ था। उसने भारी उद्योगों को विकसित ही नहीं होने दिया। जटिल क्रान्ती व्यवस्था के आरम्भ होने से तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का विघटन होने लगा। सामुदायिक सहयोग और सामंजस्य के परंपरागत सिद्धांत आर्थिक प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रतिस्थापित हो गए जिससे सामाजिक संरचना में एक भूचाल आ गया। इस जटिलता को कम करने के लिए वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर

उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से भारतीय समुदाय की जीवन शैली विकासोन्मुख हो सके। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाईलफोन और फिल्म आदि पर बच्चों की सक्रियता देख उनके लिए डिजायनर कपड़ों के अलावा किशोरवय बच्चों के लिए लिपिस्टिक, आईलाइनर, साबुन, क्रीम, फेशियल जैसे उत्पादों से बाजार अटे पड़े हैं। इस तरह के परिवर्तन से कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। पूरी शिक्षा प्रणाली जिसे बच्चे के मौलिक और बहुआयामी विकास को समर्पित होना चाहिए, सूचना और आंकड़ों में सिमटकर रह गई है। कोई मानवाधिकारवादी संगठन इसके विरुद्ध खड़ा नजर नहीं आता। बच्चे चाहे गरीब परिवार में जन्मे हों या मध्यवर्गीय परिवार में, बचपन को बचपन की भांति न जीने देने के दबाव दोनों को एक ही रास्ते की ओर ढकेल देते हैं।

अभ्यास प्रश्न :3

1. -----स्वयं को बड़ा और बड़े उन्हें छोटा ही समझते हैं।
2. किसी भी देश या राष्ट्र की पूंजी उसके -----संसाधन होते हैं।
3. आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे के -----हैं।
4. -----परिवर्तन के बिना आर्थिक परिवर्तन सम्भव नहीं है।
5. -----योजना के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

5.7 सारांश

विकास एक सतत प्रक्रिया वाला शब्द है। विकास को वृद्धि और परिपक्वता के साथ परस्पर परिवर्तन वाले शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। विकास सम्बन्धी परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किये जाते हैं। ड्रेवर (Drever) के अनुसार-“विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है।” अतः विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु-पर्यन्त तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सामान्यतः इन सिद्धांतों को वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है-

- जीन पिपाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
- फ्रायड का व्यक्तित्व विकास सिद्धांत।
- लिव सिमनोविच वाइगोत्सकी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
- एरिक्सन का मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत।
- बाऊलबाई का लगाव सिद्धांत।
- कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत।
- चोमस्की का भाषा विकास सिद्धांत।

कई बच्चों के लिए बचपन का अनुभव खुशनुमा, निरापद, सुरक्षित और निष्कपट नहीं होता। कुछ दूसरे बच्चों के लिए बचपन का अनुभव सकारात्मक होने के बावजूद आवश्यकता से अधिक खिंचता जाता है।

किशोरावस्था ऐसा संक्रमण काल है जिसमें नई सामाजिक भूमिकाओं के लिए, तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जरूरत होती है। इन परिवर्तनों के कारण किशोरों को कई तरह की भ्रान्तियों और दुश्चिंताओं का सामना करना पड़ता है।

शाब्दिक दृष्टि से किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के 'एडोलसेंस'(Adolescence) का हिन्दी रूपांतरण है। 'एडोलसेंस'(Adolescence) का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर (Adolescere) से हुआ है जिसका तात्पर्य है 'परिपक्व रूप में विकसित होना'। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाईलफोन और फिल्म आदि पर बच्चों की सक्रियता देख उनके लिए डिजायनर कपड़ों के अलावा किशोरवय बच्चों के लिए लिपिस्टिक, आईलाईनर, साबुन, क्रीम, फेशियल जैसे उत्पादों से बाजार अटे पड़े हैं। सारांशतः बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप बच्चों का व्यक्तित्व भी उसके परिवेश के अनिरूप ही विकसित होता है।

5.8 शब्दावली

- **विकास**-वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपे सम्पूर्ण जीवनकाल में बढ़ता और परिवर्तित होता रहता है।
- **परिमाणात्मक**-किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण की मात्रा को व्यक्त करने वाला।
- **गुणात्मक**-किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को व्यक्त करने वाला।
- **बचपन**- अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **सृजनशीलता**- किसी नवीन वस्तु या मौलिक विचार का निर्माण करना।
- **शैशवावस्था**- बाल विकास की आरम्भिक अवस्था।
- **किशोरावस्था**- बचपन के बाद और वयस्क होने से पूर्व की अवधि।
- **सांस्कृतिक**- संस्कृति के क्षेत्र में आने या होने वाला।
- **परिपक्व**- जो अभिवृद्धि और विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो।
- **संवेग**- एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **सामाजिक**- जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **औपचारिक**- ऐसा आचरण जो वास्तविक न हो जो केवल दिखाने भर को किया गया हो।

- **अनौपचारिक-** ऐसा आचरण जो वास्तविक हो जो केवल दिखाने भर को नहीं किया गया हो।
- **एकाकीपन-** बिना किसी साथी केया एकान्तप्रिया।
- **आर्थिक-** अर्थ या मुद्रा से सम्बंधितक्रियाकलाप।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

- | | |
|-----------|------------|
| 2. जन्म | 2. समवर्ती |
| 3. भारी | 4. बचपन |
| 5. आधुनिक | |

अभ्यास प्रश्न -2

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. किशोरावस्था | 2. स्वायत्तता |
| 3. स्टेनली हॉल | 4. दुविधाओं |
| 5. जैविक | |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. बच्चे | 2. प्राकृतिक |
| 3. संपूरक | 4. संरचनात्मक |
| 5. भारत निर्माण | |

5.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. बाल विकास से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
2. विकास और वृद्धि में अन्तर स्पष्ट करें।
3. विकास के सिद्धांत को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।
4. बाऊलबाई का लगाव सिद्धांत क्या है? समझाइए।
5. बाल विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत समझाइए।
6. बचपन का विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में वर्णन कीजिए।
7. किशोरावस्था क्या है? इसके संप्रत्यय का वर्णन कीजिए।
8. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में किशोरावस्था को स्पष्ट कीजिए।

5.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता, एस. पी. (2003), उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
- होल्ट, जॉन (2005). बचपन से पलायन, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन.

- कुमार, के. (2002). *शिक्षा और ज्ञान*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड.
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड.
- कुरोयानागी, तेत्सुको (1982). *तोत्तो-चान: खिड़की में खड़ी एक नहीं लड़की*, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट (इण्डिया).
- लाल, आर. बी. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त*, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स.
- लिन्थ्रेन, एच. सी. (1973). *कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
- माथुर, एस.एस. (2009). *सामान्य मनोविज्ञान*, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.
- मंगल, एस. के. (2009). *जनरलसायकोलोजी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड.
- सक्सेना, एस. (2004). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आगरा: साहित्य प्रकाशन.
- सिंह, सी. वी. (2011). *बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एबम अपराधी बालक)*, नई दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन्स.
- शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, रचना (2004). *एडवांसड एप्लायड सायकोलोजी*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

इकाई – 6

सीमांतीकरण से जुड़े मुद्दे

Issues of marginalization

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 सीमांतीकरण : संप्रत्यय
 - 6.3.1.1 परिभाषा
- 6.4 मलिन बस्ती : संप्रत्यय
- 6.5 शहरी मलिन बस्ती के बच्चों का जीवन और वास्तविक अनुभव
- 6.6 सारांश
- 6.7 शब्दावली
- 6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.9 निबंधात्मक प्रश्न
- 6.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

6.1 प्रस्तावना

सीमांतीकरण या सामाजिक बहिष्कार ऐसी मानसिक विकृति है जो बहिष्कृत व्यक्ति के जीवन को नरक बना देती है। जिससे वह विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट जाता है। आज के उपभोगतावादी वैश्विक दौर में शहरों का आकर्षण मलिन बस्तियों में तब्दील होता जा रहा है। परिणामस्वरूप बचपन मुस्कराना और अठखेलियाँ करना भूलकर कहीं कूड़े के ढेर से अपना भविष्य बीनता नजर आता है। प्रस्तुत इकाई में आप सीमांतीकरण से जुड़े मुद्दों बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभव – शहरी मलिन बस्ती के बच्चों का जीवन, लड़की के रूप में बड़े होना तथा दलित परिवार व अन्य विपरीत परिस्थितियों में बच्चों का पलना और बड़े होनाके सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- सीमांतीकरण का अर्थ समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।
- मलिन बस्ती के संप्रत्यय को बता सकेंगे।
- मलिन बस्ती की विशेषताओं को बता सकेंगे।
- शहरी मलिन बस्ती के बच्चों के जीवन के अनुभवों को समझ सकेंगे।
- शहरी मलिन बस्ती की विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट कर सकेंगे।
- मलिन बस्ती के बच्चों की बुद्धि और विकास के विषय में बता सकेंगे।

- दलित परिवार व अन्य विपरीत परिस्थितियों में बच्चोंके विकास की व्याख्या कर सकेंगे।

6.3 सीमांतीकरण: संप्रत्यय

भारत में जन्मे और पले-बढ़े लोग भली भांति जानते हैं कि सामाजिक विषमता जीवन का एक कटु सत्य है। आप गलियों में और रेल पटरियों के किनारे या प्लेटफार्म पर या चलती ट्रेन के सामान्य कोच में छोटे-छोटे बच्चों को भीख मांगते, प्लास्टिक की बोतलों को बीनते हुए, सजावट की वस्तुएँ बेचते हुए और ढोलक की थाप पर करतब दिखाते हुए देखते हैं। आप इन छोटे बच्चों को, जो बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हुए, चाय की गुमठी पर कप-प्लेट धोते हुए, ढाबे पर सफाई करते हुए या बड़ी निर्माणाधीन ईमारत में कार्य करते हुए देखकर विस्मित नहीं होते हैं। आपको यह एक अन्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता कि इन बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से शोषण होता है। यह स्थिति उन्हें सीमांतीकरण या सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाती है जो साधन संपन्न लोगों को एक सामान्य बात लगती है। साधन संपन्न लोगों की यह मान्यता होती है कि लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त श्रम नहीं करते। अर्थात् अपने इन हालातों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यदि वे अधिक श्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ आज हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि ये सीमांत या वंचित लोग ही हैं जो सबसे अधिक श्रम करते हैं। एक दक्षिण अमेरिकी सूक्ति है, “यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते।” संपूर्ण पृथ्वी पर शारीरिक श्रम जैसे-खुदाई करना, रिकशा चलाना और बोझा उठाना आदि वंचित वर्ग के लोग ही करते पाए जाते हैं। अतः सीमांतीकरण वह अभिवृत्ति है जहाँ अपने सांस्कृतिक अनुरक्षण की या तो संभावना कम होती है या रुचि कम होती है और दूसरे सांस्कृतिक समूहों से संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है। यह वह स्थिति है जिसमें लोग सामान्यतः अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं तथा वे एक अत्यंत दबावमाय स्थिति में रहते हैं। बहुत से विभाजन भारतीय समाज को वर्गीकृत करते हैं। ये विभाजन संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, जाति, धनी-निर्धन, साक्षर-निरक्षर, गाँव-शहर और उच्च वर्ग-निम्न वर्ग आदि पर आधारित हैं। सीमांत वर्ग के अधिकांश लोग सीमांत किसान और भूमिहीन निम्न जाति के गरीब श्रमिक होते हैं। गाँव और शहरों में निर्धनों और श्रमिकों के बीच कई ऐसे समूह और उपसमूह हैं जो जाति और निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए गए हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक और वाणिज्यिक वर्ग भी है। दलित संस्कृति और दलित समाज के मूलभूत पक्षों को सामान्यतः पिछड़ापन मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, सीमांत या निम्न समुदायों द्वारा किये जाने वाले श्रम को शर्मदायक एवं निम्नतम माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता है जिन्हें निम्न समुदाय के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्यों जैसे-शिल्प कला की तकनीकी योग्यता, कृषि ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान और पशुपालन संबंधी जानकारी आदि को सूचना क्रांति के युग में गैर अयोग्य मान लिया गया है, जिससे सीमांत वर्ग का दायरा बढ़ता जा रहा है। विगत वर्षों में दलित अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा का अनुभव करने लगे हैं। हालाँकि दलित जातीय समूहों में सबसे ज्यादा गरीब और सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर अन्य क्षेत्रों में उनके दबे-कुचले होने की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। इन्हें भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण

न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रताआदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है । संवैधानिक भाषा में इन्हें अनुसूचित जातिकहा गया है।

6.3.1 परिभाषा

सीमांतीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाज का साधन संपन्न वर्ग साधन विहीन वर्ग की जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और कार्य पद्धति आदिके आधार पर उपेक्षा करने लगता है ।अर्थात समाज केऐसे वर्गजो समाज की उपेक्षा के कारण मूलाधिकारों से वंचित रह जाते हैं और समाज के सबसे निचले पायदान पर रहकर अपना जीवनयापन करने के लिए बाध्य होते है साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से समाज की मुख्यधारा से पृथक कर दिए जाते हैं । आधुनिक विचारक इन्हें सीमांत वर्ग, वंचित वर्ग या वहिष्कृत वर्ग या हाशिये के लोग आदि नामों से संबोधित करते हैं ।

सीमांतीकरण वह तौर-तरीका है जिसके माध्यम से किसी समूह या वर्ग या व्यक्ति को समाज में पूर्णता घुलनेमिलने से रोका जाता है और सामाजिक रूप से पृथक रखा जाता है । यह उन सभी तथ्यों की



ओर ध्यानाकर्षण करता है जो समूह को अवसरों से वंचित करते हैं और अन्य सभी लोगों के लिए खुले होते हैं । सीमांतीकरण आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं होता बल्कि यह क्रमबद्ध तरीके से समाज की संरचनात्मक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप होता है । यह वंचित लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है । भेदभाव का लम्बा अनुभव सामान्यतया सीमांतीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है । उदाहरण के लिए, सवर्ण हिन्दु समुदाय ने अक्सर निम्न वर्ण के (दलितों के) मंदिर में प्रवेश पर, चारपाई पर बैठने और आभूषण पहनने आदि पर रोक लगायी है । सदियों तक इस तरह के व्यवहार के पश्चात दलितों ने अपने मंदिर बना लिये या अपना नया मार्ग बौद्ध, ईसाई या इस्लाम धर्म में तलाश लिया।इस तरह आप देखते हैं कि सीमांतीकरण की प्रक्रिया अपमान के लम्बे अनुभव से ही प्रारंभ होती है । इस प्रकार सीमांत से तात्पर्य वंचित वर्ग या हाशिये पर खड़े समुदाय से है जिसमें दलित, आदिवासी, महिलाएँ और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति आदि सम्मिलित हैं । सीमांतीकरण एक नाजुक और बहुस्तरीय संप्रत्यय है जिसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है –

चार्ल्सवर्थ (2000) के अनुसार –“यह आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिस्थितयाँ हैं जिनमें वे प्रारंभ में भेजे गए थे । वह जो इन लोगों का सीमांतीकृत जीवन है, स्वाभाविक और पर्याप्त रूप से उनके आचरण, तरीके और शैली से प्रकट होता है ।”

पीटर लिओनार्ड (1984) के शब्दों में – “मुख्यधारा की उत्पादक क्रिया और सामाजिक प्रजनन गतिविधि से बाहर होना ।”

उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से या स्पष्ट होता है किसी मांतीकरण एक जटिल और सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन की घटना है । उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति या समूह किसी समय उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद उठा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई सामाजिक परिवर्तन या बदलाव

होता है तो उसकी यह प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, जिससे वह सीमांत श्रेणी में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे-जैसे जीवन चक्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो लोग अवश्य ही सीमांत श्रेणी में आ जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न :-1

1. भेदभाव का लम्बा अनुभव सामान्यतया ----- की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है।
2. यह क्रमबद्ध तरीके से समाज की -----विशेषताओं के परिणाम स्वरूप होता है।
3. सीमांत से तात्पर्य वंचित वर्ग या-----से है।
4. यह वंचित लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध -----होता है।
5. सीमांतीकरण एक नाजुक और ----- है

6.4 मलिन बस्ती : संप्रत्यय

संयुक्त राष्ट्र संघकी हैबिटेड आवासीय रिपोर्ट में माना गया है कि सात अरब से ज्यादा की दुनिया की एक तिहाई आबादी, 'मलिन बस्तियों' की दुनिया है। जहाँ तक भारत जैसे विकासशील देश का प्रश्न है, मलिन बस्ती की समस्या यहां अत्यधिक गंभीर है। यह लोगों को बुरी आर्थिक दशा, बढ़ती हुई जनसंख्या, उन्नत तकनीकी और धीमी प्रगति से होने वाले औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है। भारत में मलिन बस्ती का उदय कबहुआ, इसका निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है नई-नई मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है। अत्यधिक निर्धनता के कारण ग्रामीण निवासी बहुत बड़ी तादाद में शहरों में काम की तलाश में आ रहे हैं। इससे नशहरों में आवास की समस्या उत्पन्न हुई है। औद्योगिक शहरों में जनसंख्या का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। मलिन बस्तियाँ मूलतः औद्योगिक शहरों एवं महानगरों की उपज है। अतः मलिन बस्तियाँ प्रायः सभी छोटे और बड़े शहरों में विकसित हो चुकी हैं। **प्रणब सेन समिति** ने मलिन बस्तियों को नए रूप में परिभाषित किया है। समिति ने मलिन बस्ती यानी स्लम को परिभाषित करते हुए इसे आम तौर पर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में पर्याप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं से रहित अधिकतर अस्थायी कमजोर और सघन रूप से बने कम से कम 20 घरों की बस्ती बताया है। फिर भी मलिन बस्तियों की सामान्य परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही गंदी बस्तियाँ स्थापित होती हैं। मलिन बस्तियाँ झोपड़ी सराय, छोटी-छोटी कोठरियाँ, खपडेल और बांससे बने हुए कच्चे मकान, टिन शेड से निर्मित मकान, लकड़ी की छोटे केबिन आदिसे स्थापित हो जाती हैं। एक स्थान पर बस्तियों की उत्पत्ति के लिए कोई निश्चित पर्यावरण निर्धारित करना कठिन है। यह कभी भी विकसित हो सकती हैं। फिलीपीन्स के दलदली क्षेत्रों में, छोटे-छोटे पहाड़ी क्षेत्रों में और युद्ध में जो स्थान नष्ट हो गए थे वहां मलिन बस्तियाँ स्थापित हो गई हैं। लैटिन अमेरिका में छोटे-छोटे पहाड़ों की ढलान पर मलिन बस्तियाँ हैं। करांची में कब्रिस्तान और सड़क के किनारे इन्हें देखा जा सकता है। भारतके प्रमुख शहरों जैसे-दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में एक कमरे वाली अंधेरी कोठरियों की मलिन बस्तियों की संख्या अत्यधिक है। **गिस्ट और हलबर्ट** 'मलिन बस्तियों को विशिष्ट क्षेत्रों का विशिष्ट स्वरूप बताते हैं, तथा **क्वीन एवं थामस** 'मलिन बस्तियों को रोगग्रस्त क्षेत्रों का पर्यायवाची समझते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में प्रवेश करते ही आपको देश के दिल यानि दिल्ली में आने का गर्व महसूस होता है, लेकिन एक शर्म का एहसास भी कि 24 से 25 किलोमीटर के दायरे में बसे लूटियन जोन्स के लोग सबके लिये काम करने की बात करते हैं और कितना काम करते हैं ये देखने के लिये दिल्ली शहादरा की रेल पटरियों के पास की छोटी छोटी गलियों में बने एक-एक कमरों के मकान देख कर पता चल जाता है। झुगियां ऐसी बसी हैं कि इंसान तो क्या परिंदा भी पर न मार पाये लेकिन वहां न जाने कितने वर्तमान और भविष्य सांस ले रहे होते हैं। सुबह होते ही झुगियों का बचपन सड़क किनारे प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ बीनता नजर आता है। दिल्ली का एक भाग वाशिंगटन डीसी लगता है और दूसरा किसी मलिन बस्ती जैसा। दिल्ली के कई इलाके इन झुगियों में बसे हैं। जखीरा, मुनिरका, कापस हेड़ा, हौजखास गांव, शहादरा नरैना, बवाना, और न जाने कितने नाम शायद आप याद नहीं रख पायेंगे। इसी तरह हर छोटे बड़े शहर में ये बस्तियाँ शोभायमान हो रही हैं। मुंबई की धारावी, हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, गुण गाँव की चकरपुर और कानपुर का अहाता आदि मलिन बस्तियों में अंदर जाइये तो ऐसा लगता है मानो आप कमरे में नहीं दड़बे में आये हैं। खाना बनाने के लिये ढंग की जगह मयस्सर नहीं, शौच के लिये दूर जाना पड़ता है या सुबह और शाम के अँधेरे में रेल की पटरियों के किनारे लज्जा को त्यागकर बैठना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि इन झुगियों में केवल बरसाती पत्तियों से बने घर शामिल हों इनमें ईंट गारे से बने घर भी शामिल हैं जो केवल एक कमरा मात्र हैं। इन कमरों में सांस लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन लोग इनमें जिदगियां गुजार देते हैं।

उदारीकरण के फलस्वरूप शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने जहां व्यक्तियों को विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, शिक्षा और एक अच्छी वैज्ञानिक समझ दी है वहीं करोड़ों व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया है। इस नारकीय जीवन को मलिन बस्तियों में देखा जा सकता है। एक छोटी-सी झोपड़ी, कच्चे मकान अथवा एक कोठरी में 10 से 15 व्यक्ति तक रहते हैं। जलनिकासी का कोई प्रबंध नहीं होता। कूड़े, कचरे का यहां ढेर लगा रहता है। शौच की कोई व्यवस्था नहीं होती। बैठने के लिए इनके पास खुला स्थान नहीं है। तंग संकरी मलिन बस्तियाँ जहां जीवन कम और बीमारियाँ अधिक हैं। पीले, मुझाये चेहरे, पिचके गाल, उभरती हड्डियाँ, फटे-गंदे कपड़े यहां कासौंदर्य है। इन्हें पता नहीं ये कब जवान होते हैं और कब बूढ़े हो जाते हैं? कब इन्हें टी.बी. हो जाती है और कब कैंसर। ये तो मौत के मुंह में जन्म लेते हैं। इनका जिंदा रहना और मरना समाज के लिए कोई अर्थ नहीं रखता। मलिन बस्तियों में इनका जीवन अत्यन्त पीड़ादायी है। **पंडित जवाहर लाल नेहरू** ने कानपुर के अहाता को देखकर एकबार कहा था – “आदमी-आदमी को इस रूप में कैसे देखता है?”

इस प्रकार मलिन बस्ती का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरहकी कठिनाईयों जैसे-जर्जर आवास व्यवस्था, दुर्गन्ध युक्त पर्यावरण, परिवेश तथा वातावरण से है। प्रत्येक देशकी मलिन बस्ती का अपना स्वरूप है, किन्तु उसका पर्यावरण और रहने की दशाएं लगभग समान हैं। इसमें निवास करने वाले निर्धन, बेरोजगार और कम आय वाले व्यक्ति हैं जिनका न कोई मकान है और न मकान होने की आशा है। यह वह आवासीय अनाथालय है जहां जमीन की समस्त असुविधाएँ एक साथ देखने को मिलती हैं, जहां व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के नाम पर वे पशुओं की तरह नारकीय जीवनयापन करते हैं।

अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें -

1. सात अरब से ज्यादा की दुनिया की एक तिहाई/एक चौथाई आबादी, 'मलिन बस्तियों' की दुनिया है।
2. अत्यधिक परिश्रम/निर्धनता के कारण ग्रामीण निवासी बहुत बड़ी तादाद में शहरों में काम की तलाश में आ रहे हैं।
3. मलिन बस्तियाँ मूलतः औद्योगिकशहरों एवं महानगरों की उपज/खेती है।
4. चीन में/करांची में कब्रिस्तान और सड़क के किनारे इन्हें देखा जा सकता है।
5. सुबह होते ही झुगियों/बंगलों का बचपन सड़क किनारे प्लास्टिक की बोतलों और कबाड़ बीनता नजर आता है।

6.5 शहरी मलिन बस्ती के बच्चों का जीवन और वास्तविक अनुभव

भारत में जिस कृषि को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की गयी थी, आज उसकी ओर शिक्षित जनसंख्या का बिल्कुल भी झुकाव नहीं है और वह इसे असभ्य और पिछड़ेपन की निशानी मानती है। जिस नौकरी को निकृष्ट माना जाता था उसे आज सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। भारत के सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें किसी-न-किसी प्रकार की नौकरी मिल जाय। दुःखद पहलू यह है कि गांवों में कृषियोग्य भूमि सिमटती जा रही है, यहाँ कार्य करने के विकल्प भी सीमित हैं और अन्य रोजगारों का नितान्त अभाव है। कुछ माहकृषि कार्य करने के बाद ग्रामीण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फलस्वरूप रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरों में पहुँचेवाले इन लोगों की इतनी भी क्षमता नहीं होती कि ये लोग किराये पर एक कमरा ले सकें। इस स्थिति में ये लोग सिर ढकने के लिए झुगी-झोपड़ियों का ही सहारा लेते हैं। इससे शहरीकरण में बुद्धि होती है और मलिन बस्तियाँ अस्तित्व में आती हैं। बम्बई के चाल अथवा झोपड़-पट्टी, कलकत्ते में बस्ती, कानपुर के अहाते, मद्रास के चैरी ऐसी ही मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ लाखों श्रमिक, निर्धन और मध्यम परिवार के लोग कष्टदायी परिवेश में निवास करते हैं।

मलिन बस्तियों की व्याख्या करते हुए डॉ. राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि – “औद्योगिक केंद्रों की हजारों मलिन बस्तियों ने मनुष्यत्व को पशु बना दिया है, नारीत्व का अनादर होता है और बाल्यावस्थाको आरम्भ में ही विषाक्त किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संहिता श्रमिकों को औद्योगिक केंद्रों में अपनी पत्नियों के साथ रहने के लिए हतोत्साहित करती है। ऐसी दशा में जहाँ कम आयु में विवाह प्रचलित है, वहाँ युवा श्रमिक, जिनसे आप वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही किया हो, नगर के आकर्षण से प्रभावित होता है।”

मलिन बस्तियाँ धरती के नरक और सभ्य मानव जाति के लिए कलंक हैं। ये वे स्थान हैं जहाँ से असंख्य बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं और सम्पूर्ण समाज को निगल जाती हैं। यहाँ सब कुछ प्रदूषित है। न यहाँ शुद्ध जल है, न वायु और न वातावरण बच्चे इस नारकीयस्थान में रहते हैं। यहाँ क्षय रोग सामान्य बात है। पेचिश, डायरिया तथा अनेक रोग यहाँ के बच्चों की विशेषता है। मलिन बस्तियों के बच्चे सामाजिक बुराइयों के बीच जन्म लेते हैं। इनके चारों ओर असामाजिक वातावरण होता है। ये सहज ही बुराइयों को अपना लेते हैं और बचपन से ही वे सभी कार्य करने लगते हैं जो अपराध की श्रेणी आते हैं। इनके माध्यम से ही चरस, गांजा कच्ची शराब बेची जाती है। ये अनैतिक यौन संबंधों

की दलालीकरते हैं। जुओं के अड्डों की देख-रेख भी करते हैं। इन्हें इसी रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। आगे चलकर ये खूंखार अपराधी बनते हैं। उदाहरण के लिए आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के सामान्य प्रतीक्षालय में रात्रि दो बजे के बाद जो तस्वीर दिखी वह लेखक के लिए सामान्य नहीं थी। कूड़ा बीनने वाले 4-5 बच्चों का एक समूह कूड़ेदान से कुछ तलाश रहा था। ये सभी 8 से 12 वर्ष की आयु के थे जिनमें से कुछ बच्चों की शर्ट के अन्दर पानी की बोतलें रखी हुई थीं जिन्हें वे प्लेटफार्म पर लगे वाटर कूलर से भर कर लाये थे और उनके मुंह पर लगे ढक्कन को नीले रंग का टेप चिपकाकर बंद कर रहे थे। इन बोतलों को वे पैसेंजर रेलगाड़ियों के यात्रियों को बेच देते थे। इसी समूह में एक विकलांग लड़का भी था जो हाथ में लगे रुमाल को बार-बार सूंघ रहा था मानों किसी फूल की सुगंध ले रहा हो। इस पर सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ छिड़ककर बारी-बारी से वह अपने साथियों को भी सुंघा रहा था। उसकी आँखें लाल हो रहीं थी और वह असामान्य हरकतें कर रहा था। कभी जमीन पर शो रही महिला यात्रियों को नजदीक से देखता तो कभी ऊँची आवाज करता। उसी समूह में करीब 11 साल की एक लड़की भी थी। वह भी उस रुमाल को लड़के की जिद पर सूंघ लेती थी। इस लड़की का पेट उभरा हुआ और चेहरा निश्चेत था। जब इन्हें भगाने के लिए रेलवे कर्मचारी आया तो उसने बताया कि ये बच्चे जिन्हें आप देख रहे हैं इनसे संभलकर रहना क्योंकि ये व्हाइटनर को रुमाल पर लगाकर नशा कर रहे हैं और ये लड़की गर्भवती है। ये सुनते ही लेखक के पैरों तले जमीन खिसक गयी। इस दृश्य को लेखक सुबह 5 बजे तक अपनी ट्रेन के आने तक देखता रहा और सोचता रहा कि बचपन को बचाने की मुहिम जो प्रति दिन सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जाती है क्या उनकी दृष्टि इन पर नहीं पड़ती? जिन बच्चों के हाथों में कलम और पुस्तकें होनी चाहिए उन हाथों में कूड़े के थैले और नशे की शीशियाँ चौकाने वाले हैं। ऐसा प्रत्येक बच्चा सरकार की तथाकथित नीतियों पर एक प्रश्नचिह्न है।

बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं तथा इस निधि को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना एवं इनके मनोसामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास का दायित्व केवल उन परिवारों का ही नहीं, जहाँ ये बच्चे जन्म लेते हैं वरन उस समाज तथा देश का भी है जहाँ ये बड़े होते हैं और जहाँ रहते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक व्याख्या के अनुसार उनके माता-पिता के पास ऐसे बच्चों के पालन-पोषण के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। जिस कारण वे इसे एक जटिल कार्य समझते हैं। इस असफलता के कारण वे अपने बच्चों को उत्पीड़ित भी करते हैं। बाल उत्पीड़न के अनेक दुःप्रभाव परिलक्षित होते हैं। जैसे-आत्म – अवमूल्यन, पलायन, निर्भरता, अलगाव, अविश्वास, विचलित व्यवहार, मानसिक आघात आदि। उत्पीड़ित बालक स्वयं के विषय में नकारात्मक विचार विकसित कर लेता है। निर्भरता के कारण उसके पास अपने माता-पिता, अभिभावकों, संरक्षकों तथा रोजगार प्रदान करने वाले के उत्पीड़न को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। निर्भरता तब परिलक्षित होती है, जब बच्चा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अन्य लोगों पर निर्भर होता है। यह निर्भरता शारीरिक आवश्यकताओं, भावात्मक एवं सामाजिक समर्थन तथा धनोपार्जन के लिए कार्य करने की आवश्यकता के रूप में देखी जा सकती है। सामान्यतः उत्पीड़न का मुख्य प्रभाव एक बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रत्याशाओं से अनुरूपता पर पड़ता है। बड़ी संख्या में उत्पीड़ित बच्चे ऐसे क्रियाकलापों में सहभागी होने के लिए बाध्य किये जाते हैं जो सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। फलस्वरूप कालान्तर में उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरूध हो जाता है। घर और स्कूल से पलायन, नशाखोरी, चोरी तथा अन्य अपराधों के रूप में इन बच्चों का

विचलित व्यवहार परिलक्षित होता है। सारांशतः मलिन बस्तियों का बचपन कष्टदायी और सामाजिक रूप से अवांछनीय होता है। बच्चों को नशे का हथियार कुछ रूपों में उपलब्ध हो जाता है जो उनके बचपन को बर्बाद कर रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम केवल योजनायें बनाते हैं और उनको पूरा करने के लिये सालों का इंतजार करते हैं, तब तक न जाने कितने बचपनबर्बाद हो जाते हैं। जिन हाथों में देश का भविष्य है अगर उन हाथों में ही कोरेक्स की शीशियाँ, विक्स की डिब्बियाँ और व्हाईटनर फ्लूड की शीशियाँ हों तो यह कौन से भारत का निर्माण हो रहा है?

अभ्यास प्रश्न :-3

1. गांवों में----- भूमि सिमटती जा रही है।
2. लाखों श्रमिक, निर्धन और मध्यम परिवार के लोग -----में निवास करते हैं।
3. -----की हजारों मलिन बस्तियों ने मनुष्यत्व को पशु बना दिया है।
4. यहां सब कुछ----- है।
5. निर्भरता तब परिलक्षित होती है, जब बच्चा अपनी-----की संतुष्टि के लिए अन्य लोगों पर निर्भर होता है।

6.6 सारांश

सामाजिक विषमता जीवन का एक कटु सत्य है। इसका दुष्परिणाम सीमांतीकरण के रूप में सामने आता है। यह वह अभिवृत्ति है जहाँ अपने सांस्कृतिक अनुरक्षण की या तो संभावना कम होती है या रूचि कम होती है और दूसरे सांस्कृतिक समूहों से संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है यह वह स्थिति है जिसमें लोग सामान्यतः अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं तथा वे एक अत्यंत दबावमाय स्थिति में रहते हैं। गाँव और शहरों में निर्धनों और श्रमिकों के बीच कई ऐसे समूह और उपसमूह हैं जो जाति और निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए गए हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक और वाणिज्यिक वर्ग भी है। दलित संस्कृति और दलित समाज के मूलभूत पक्षों को सामान्यतः पिछड़ापन मान लिया जाता है। अतः सीमांतीकरण वह तौर-तरीका है जिसके माध्यम से किसी समूह या वर्ग या व्यक्ति को समाज में पूर्णता घुलने-मिलने से रोका जाता है और सामाजिक रूप से पृथक रखा जाता है। पीटर लिओनार्ड (1984) के शब्दों में – “मुख्यधारा की उत्पादक क्रिया और सामाजिक प्रजनन गतिविधि से बाहर होना।”

संयुक्त राष्ट्र संघकी हैबिटेट आवासीय रिपोर्ट में माना गया है कि सात अरब से ज्यादा की दुनिया की एक तिहाई आबादी, ‘मलिन बस्तियों’ की दुनिया है। प्रणब सेन समिति ने मलिन बस्ती यानी स्लम को परिभाषित करते हुए इसे आमतौर पर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में पर्याप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं से रहित अधिकतर अस्थायी कमजोर और सघन रूप से बने कम से कम 20 घरों की बस्ती बताया है। मलिन बस्ती का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरहकी कठिनाईयों जैसे-जर्जर आवास व्यवस्था, दुर्गन्ध युक्त पर्यावरण तथा वातावरण से है। मलिन बस्तियों का बचपन कष्टदायी और सामाजिक रूप से अवांछनीय होता है। खुले में शौच करना हो या स्नान, मलिन बस्तियों की लड़कियों की यह मज़बूरी उनके साथ होने वाली अनाचार की घटनाओं को आमंत्रित करती है। उच्च परिवारों में घर

की सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चे को खिलाना और जोखिम भरे अन्य कार्य करते हुए इन मलिन बस्तियों की लड़कियां ही नजर आती हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में लड़कियों को नारकीय जीवन जीना पड़ता है। कच्ची उम्र में विवाह और उसके बाद माँ बनने का उत्तरदायित्व उन्हें समय से पूर्व मौत के मुंह में धकेल देता है। कुपोषण, एनीमिया, डायरिया, टी.बी., एड्स, पीलिया, त्वचा रोग और न जाने कितनी बीमारियाँ शहर की मलिन बस्तियों की लड़कियों को घेरे रहती हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है।

भारत की जनसंख्या में लगभग 16 प्रतिशत आबादी दलितों की है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है- दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आजाता है जिसका शोषण या उत्पीड़न हुआ है। **रामचंद्र वर्मा** ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ। समाज में अभी भी सामंतीमानसिकता कायम है और दलित समुदाय बहिष्कृत जीवन जीने को विवश है। कुछ दलितों और आदिवासियों की बस्ती या घरों का भौतिक वातावरण भी भी बच्चों की परवरिश में कई चुनौतियाँ खड़ी करता है जैसे- पीने के शुद्ध पानी का अभाव, पोषणयुक्त भोजन की कमी, बिजली का बाधित होना और शिक्षा की कमी के कारण बच्चे डायरिया, एनीमिया, तपेदिक और खसरा जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और कभी-कभी उनकी मौत भी हो जाती है। बच्चे पूरे दिन कंचे खेलते हैं या काम पर भेज दिए जाते हैं। छोटी बालिकाएँ अपने भाई-बहनों को संभालने, कपड़े धोने, खाना बनाने में माँ की मदद करने और टी.वी. देखने में ही अपना पूरा दिन बिता देती हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं होता। अतः सीमांतीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज और राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास को प्रभावित करती है।

6.7 शब्दावली

- **सीमांतीकरण**—मुख्यधारा की उत्पादक क्रियाओं से बाहर होने की प्रक्रिया।
- **अभिवृत्ति**—किसी विषय पर विचार की वह स्थिति जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक घटक होते हैं।
- **बचपन**—अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **अनुरक्षण**—वह देख-भाल या व्यवस्था जो किसी चीज को ठीक दशा में और काम के योग्य बनाये रखने के लिए मरम्मत आदि के रूप में की जाती है।
- **मलिन**—मैला-कुचैलाया गंदा।
- **उदारीकरण**—नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले।
- **शहरीकरण**—गाँव के लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन जिससे उनका भौतिक विस्तार होता है।

- **औद्योगिकीकरण** -वह प्रक्रिया जिसमें एक समाज या देश स्वयं को वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के आधार पर रूपांतरित करता है।
- **सृजनशीलता**—किसी नवीन वस्तु या मौलिक विचार का निर्माण करना।
- **संवेदना** - मन में होने वाला अनुभव या बोधा
- **संवेग** - एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **सामाजिक** —जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **अस्पृश्यता** -अस्पृश्य होने की अवस्था, भाव या मानसिक विकृति कि अमुक प्रकार के प्राणी, वस्तुएँ या व्यक्ति अस्पृश्य हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए।
- **अनौपचारिक**—ऐसा आचरण जो वास्तविक हो जो केवल दिखाने भर को नहीं किया गया हो।
- **समुदाय** - बहुत से लोगों का समूह जिस का मुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| 1. सीमांतीकरण | 2. संरचनात्मक | |
| 3. हाशिये पर खड़े समुदाय | 4. कार्यान्वित | 5. बहुस्तरीय संप्रत्यय |

अभ्यास प्रश्न -2

- | | | |
|----------|-------------|------------|
| 1. तिहाई | 2. निर्धनता | |
| 3. उपज | 4. करांची | 5. झुगियों |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|
| 1. कृषि योग्य | 2. कष्टदायी परिवेश | |
| 3. औद्योगिककेंद्रों | 4. प्रदूषित | 5. आवश्यकताओं |

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. सीमांतीकरण से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिए।
2. मलिन बस्ती की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
3. मलिन बस्तियाँ देश के विकास में बाधक क्यों हैं? उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।
4. शहरी मलिन बस्ती का बचपन किस प्रकार विकसित होता है ? स्पष्ट कीजिए।
5. शहरी मलिन बस्ती की लड़कियों को कौन-कौन-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ? समझाइए।

6. दलित समुदाय बचपन को संरक्षित, सुशिक्षित और विकसित करने के लिए क्या करता है ? वर्णन कीजिए।
7. दलित और आदिवासी समुदाय की कौन-सी समस्याएँ हैं जो बच्चों की उचित परवरिश में बाधक हैं ? स्पष्ट कीजिए।

6.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

- होल्ट, जॉन (2005). *बचपन से पलायन*, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन।
- कुरोयानागी, तेत्सुको (1982). *तोत्तो – चान: खिड़की में खड़ी एक नन्हीं लड़की*, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट (इण्डिया)।
- लिन्थ्रेन, एच. सी. (1973). *कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- माथुर, ओ.पी. (2009). *ए न्यू डील फॉर दी अर्बन पुअर – स्लमस फ्री सिटीज*, नई दिल्ली: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एण्ड पॉलिसी।
- मंगल, एस. के. (2009). *जनरल सायकोलोजी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- न्युवर्थ, आर. (2005). *शैडो सिटीज : ए बिलियन स्क्यूटर्स*, ए न्यू अर्बन वर्ड, न्यूयार्क : रूत्लेज।
- पाटिल, ए. डी. (2007). *ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र*, भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- प्रेरणा. (2007). *सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ बस्ती हजरत निजामुद्दीन*, नई दिल्ली: होप प्रोजेक्ट।
- सिंह, जे. पी. (2013). *समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत*, नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- सिंह, सी. वी. (2011). *बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एबम अपराधी बालक)*, नई दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन्स।
- सिंह, एन. (2006). *सामाजिक न्याय और सतत विकास*, नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन्स।
- शाह, जी. एवं अन्य (2006). *अनटचेबिलिटी इन रूरल इण्डिया*, नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स।

इकाई - 7

विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था का अनुभव

Experience of adolescence of children across different cultures and situations

इकाई की रूपरेखा

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 संस्कृति : संप्रत्यय
- 7.4 संस्कृति के विविध आयाम
- 7.5 मानवीय सन्दर्भ में संस्कृति
- 7.6 विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था का अनुभव
- 7.7 सारांश
- 7.8 शब्दावली
- 7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 7.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.1 प्रस्तावना

सदियों से मानव मन के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है जिसके फलस्वरूप अनेकानेक संस्कृतियों का विकास हुआ है। संस्कृति मानव समाज को पशुओं से अलग करती है। जहाँ मानव संस्कृति को विकसित अवस्था की ओर बढ़ाता है वहीं संस्कृति मानव के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास का कारण बनती है।

प्रस्तुत इकाई में आप विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था के अनुभवों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करनेकेपश्चात आप-

- विकास की एक अवस्था के रूप में किशोरावस्था की प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे।
- किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।

- संस्कृति के संप्रत्यय और विशेषताओं को बता सकेंगे।
- संस्कृति के विविध आयामों का वर्णन कर सकेंगे।
- किशोरावस्था के सृजन में संस्कृति की भूमिका को समझ सकेंगे।
- विभिन्न संस्कृतियों और परिस्थितियों के सन्दर्भ में किशोरावस्था के अनुभवों को बता सकेंगे।

7.3 संस्कृति : संप्रत्यय

चिंतन शक्ति के कारण आपको सभी प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। इस चिंतन शक्ति और धैर्य का प्रमुख आधार आपका संस्कृतीकरण है। आपको जिस प्रकार अनजानी जगह का पता लगाने के लिए गूगल अर्थ या मानचित्र की जरूरत होती है, उसी तरह से सामाजिक बनने के लिए आपको संस्कृति की आवश्यकता होती है। यह एक सामान्य समझ है जिसे अपने वातावरण में रहते हुए सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्जित और विकसित किया जाता है। संस्कृति में स्थिरता का अभाव होता है, बल्कि यह सदैव परिवर्तनशील और विकसित होती रहती है। आपकी जैसी संस्कृति होती है वैसा ही आपका व्यवहार होता है। आपकी जीवन शैली, विचारधारा और क्रियाएँ आपकी संस्कृति का ही प्रतिफल होती हैं। इसके अभाव में मानवीय मूल्यों और उसके समाज का निर्माण संभव नहीं है। संस्कृति की उत्पत्ति मनुष्यों के बीच ही होती है। संस्कृति के जन्म से पूर्व मनुष्य खानाबदोश था। जैसे ही संस्कृति का विकास हुआ, जैसे ही मनुष्य का व्यवहार भी परिष्कृत होता गया और वह खानाबदोश से सभ्य मानव बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति के अभाव में मनुष्य पशु के सामान है। इसलिए यह मानव जीवन की अनमोल धरोहर है। यह प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में सदैव गतिशील रहती है। संसार में मनुष्य ही ऐसा एक मात्र प्राणी है जिसने अपनी संस्कृति का निर्माण और विकास किया है।

मनुष्य विविध प्राकृतिक परिवेशों जैसे- घने जंगल, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, नदी घाटी, द्वीप, टापू और समतल आदि स्थानों पर अपना आवास बनाता है तथा वहाँ सामाजिक परिवेश जैसे- गाँव, नगर और शहरों का सृजन करता है। विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए आप विविध नीतियों और योजनाओं को अपनाते हैं। इससे जीवन जीने की विभिन्न संस्कृतियों का प्रादुर्भाव होता है। वास्तव में संस्कृति मनुष्य की ऐतिहासिक विरासत है। उत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द संस्कृत से बना है और इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति संस्कार से हुई है। संस्कार से तात्पर्य कुछ कृत्यों की पूर्ति करना है। अर्थात् सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति जिन संस्कारों द्वारा की जाती है वे सभी संस्कार संयुक्त होकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति आदतों, मूल्यों और अभिवृत्तियों का संगठित रूप है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित विचार दिए हैं –

ओटावे (Ottawa) के मतानुसार – “किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य है उस समाज की सम्पूर्ण जीवन पद्धति से।”

व्हाइट (White) के अनुसार – “संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरन्तर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है।”

ई. बी. टायलर (E. B. Tylor) ने 'Primitive Culture' में लिख है – “संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति-रिवाज, आदतें और योग्यताएँ जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है, सम्मिलित हैं।”

रेडफील्ड (Redfield) के शब्दों में – “कला और उपकरणों का वह संगठित रूप जो परम्परा के द्वारा संयुग्मित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है, संस्कृति कहलाता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं –

- संस्कृति एक व्यापक, जटिल और सार्वभौमिक प्रत्यय है।
- प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट और पृथक संस्कृति होती है। समाज की आवश्यकतानुसार संस्कृति का स्वरूप परिवर्तित होता है।
- प्रत्येक समाज अपनी व्यवस्थित संस्कृति के माध्यम से दैहिक, दैविक और भौतिक आदि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- संस्कृति का स्वरूप वैचारिक और तार्किक होता है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है।
- संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है। विविध संस्कृतियों के किशोरों का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होता है।
- मूलरूप से संस्कृति मानवीय क्रियाकलापों, चिंतन, रुचियों और अभिवृत्तियों से निर्मित होती है।
- संस्कृति विभिन्न तत्वों का समुच्चय होती है जिसमें प्रत्येक तत्व मानवीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित होता है।
- संस्कृति में देशकाल, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन की क्षमता होती है जैसे- पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों और ठंडे क्षेत्रों में समय और परिस्थिति के अनुरूप संस्कृति का स्वरूप अलग-अलग होता है।

सारांशतः संस्कृति मानव को परिष्कृत करने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह आपको आपके अस्तित्व से परिचित कराती है। अतः किसी समाज विशेष का सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमान और समग्र जीवन पद्धति ही उसकी संस्कृति को अभिव्यक्त करता है।

अभ्यास प्रश्न : 1

सही विकल्प का चयन करें -

1. चिंतन शक्ति के कारण आपको सभी प्राणियों में सर्वोत्तम /निकृष्ट प्राणी माना जाता।
2. सामाजिक बनने के लिए आपको पुस्तकों/संस्कृति की आवश्यकता होती है।
3. संस्कृति की उत्पत्ति मनुष्यों/वनस्पतियों के बीच ही होती है।
4. उत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द देवनागरी/संस्कृत से बना है।
5. संस्कृति एक व्यापक, जटिल और सार्वभौमिक/काल्पनिक प्रत्यय है।

7.4 संस्कृति के विविध आयाम

सामान्यतया संस्कृति एक सामाजिक और जटिल प्रत्यय है। मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश में रहकर अपनी जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य

जिन साधनों को अपनाता है, उन्हें संस्कृति कहा जाता है। इस तरह संस्कृति के निर्माण का आधार आपकी आवश्यकताएँ हैं। इसी आधार पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री **ऑगबर्न (Ogburn)** ने संस्कृति के निम्नलिखित दो आयामों की विवेचना अपनी पुस्तक 'Social Change' में की है –

- **भौतिक संस्कृति (Material Culture)** – मनुष्य द्वारा निर्मित मूर्त पदार्थ जैसे-भवन, यन्त्र, वेश-भूषा, इंटरनेट और खान-पान आदि भौतिक संस्कृति का अंग कहलाते हैं और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आपकी भौतिक आवश्यकताओं में बुद्धि के कारण भौतिक संस्कृति भी फलती-फूलती है। आदिम जनजातीय समुदायों की अपेक्षा आधुनिक मशीनी युग के समुदायों में मूर्त पदार्थों की लालसा अधिक पाई जाती है। भौतिक संस्कृति ने आज अधिकतर समुदायों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान सन्दर्भ में किशोरावस्था की पहली आवश्यकता भौतिक संस्कृति बन गयी है। आज का बच्चा भौतिक परिवेश में ही जन्म लेता है उसके चारों ओर भौतिक-वस्तुओं का जाल बिछा रहता है। आपको न चाहते हुए भी बदलते समय के साथ चलना होता है, अर्थात् सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता के साथ स्वयं का अनुकूलन स्थापित करना जरूरी होता है। इस प्रकार आपके वे सभी क्रियाकलाप जो भौतिक साधनों के उपयोग से सम्बंधित होते हैं भौतिक संस्कृति के अन्तर्गत आते हैं।
- **अभौतिक संस्कृति (Non-material Culture)**—आपकी आस्था, विश्वास, मूल्य, रीति-रिवाज और परम्पराएँ आदि सभी वस्तुयें अभौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। अर्थात् अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। इसका स्वरूप अतिसूक्ष्म होता है। **सोरोकिन** ने इसे भावात्मक संस्कृति के नाम से सम्बोधित किया है। इसके अन्तर्गत सामान्यरूप से वे आचार-विचार और सामाजिक मानदण्ड आते हैं जो मनुष्य को अपने समुदाय या परिवार से विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसकी प्रकृति स्थिर होती है। इसके अभाव में मनुष्य उच्छृंखल होकर मनमानी करने लगता है। यह आपके अनैतिक क्रिया-कलापों पर नियन्त्रण रखती है, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहता है। यदि आप स्वयं को इसके अनुकूल नहीं ढालते हैं तो आपको सामाजिक निंदा का पात्र बनना पड़ता है। अतः अभौतिक संस्कृति आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

संस्कृति के विविध आयाम

भौतिक संस्कृति (मूर्त वस्तुएं जैसे- भवन, यन्त्र और खान-पान आदि)

अभौतिक संस्कृति (अमूर्त वस्तुएं जैसे- आस्था, विश्वास और मूल्य आदि)

सारांशतः संस्कृति के दो सैद्धांतिक आयाम हैं— भौतिक और अभौतिक। जहाँ संज्ञानात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक हैं, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन में वृद्धि करने और जीवन शैली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। संस्कृति के एकीकृत और संगठित कार्यों के लिए भौतिक और अभौतिक आयामों को मिलकर कार्य करना जरूरी है।

अभ्यास प्रश्न :-2

1. ऑगबर्न (Ogburn) ने संस्कृति के दो आयामों की विवेचना अपनी पुस्तक ----- में की है।
2. आपकी ----- में बुद्धिके कारण भौतिक संस्कृति भी फलती-फूलती है।
3. -----और ----- के साथ स्वयं का अनुकूलन स्थापित करना जरूरी होता है।
4. अभौतिक संस्कृति----- होती है।
5. ----- ने इसे भावात्मक संस्कृति के नाम से सम्बोधित किया है।

7.5 मानवीय सन्दर्भ में संस्कृति

पहचान आपको विरासत में नहीं मिलती, बल्कि आपके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति विविध भूमिकाओं का निर्वहन करता है। उदाहरणतया समुदाय में एक महिला किसी की माँ, बहन, बेटी, बुआ, चाची, ताई, पत्नी और प्रेमिका हो सकती है लेकिन प्रत्येक भूमिका के लिए कुछ निश्चित उत्तरदायित्व और शक्तियाँ होती हैं। भूमिकाओं को प्रभावी बनाने के लिए इन्हें पहचान और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसे भूमिका निर्वहन करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मान्यता देकर किया जा सकता है। किशोरवय विद्यार्थियों के पास स्कूलों में अपने शिक्षकों, सहपाठियों और मित्रों से अन्तःक्रिया करने का अपना तरीका होता है। किशोरवय भाषा के सृजन द्वारा जिसमें कुछ कूट अर्थ भी होते हैं का अपना एक विशिष्ट संसार बनाते हैं। उदाहरणतया श्री इडियट मूवी में छात्रों द्वारा शिक्षक के लिए वायरस शब्द को कूट भाषा के रूप में प्रयोग करते हुए दिखाया गया है।

किसी भी संस्कृति की अनेक उपसंस्कृतियाँ भी होती हैं जैसे धनाड्य और श्रमिक वर्ग के किशोर युवक और युवतियाँ। किसी भी उपसंस्कृति की पहचान उसकी जीवन-शैली, भाषा, सामूहिक एकता और रुचियों से होती है। उदाहरणतया कुछ आदिवासी समुदाय में युवा सदस्यों को किशोरावस्था आरम्भ होने पर गाँव से बाहर युवागृहों (घोटुल संस्था) में रखा जाता है ताकि उनको संरचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जा सके। अतः समाज में संस्थागत स्तर पर किसी मानवीय समूह के लिए संस्कृति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- संस्कृति मूल्यों और आदर्शों की स्थापना कर मनुष्य के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करती है। साथ ही सामूहिक अनुशासन भी कायम करती है।
- संस्कृति नवीन आवश्यकताओं को जन्म देती है जिससे मनुष्य के मन में नई जिज्ञासाओं का संचार होता है।
- संस्कृति ही मनुष्य को अपने राज्य और राष्ट्र से अवगत कराती है एवं उसका दृष्टिकोण मानवीय बनाती है।
- संस्कृति के माध्यम से आप अपनी जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने व्यवहार को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। जैसे – परिवार में आपको रिश्तों की पहचान का बोध आपकी संस्कृति ही कराती है।

- आपके व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति अहम् भूमिका निभाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा आप अपनी संस्कृति के तत्वों से परिचित होते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं।
- संस्कृति के माध्यम से ही आप अपनी संस्कृति के अनेक निर्वाचक अथवा अवगुणों से अवगत होते हैं एवं उसी के अनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं।

अतः स्पष्ट होता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व वैसा ही होता है जैसी उसकी संस्कृति। किसी भी संस्कृति का रूप मूलतः समाज के व्यक्तियों की विस्तृत बाह्य सीमाओं को निर्धारित करता है।

अभ्यास प्रश्न :-3

सही विकल्प का चयन करें –

1. प्रत्येक भूमिका के लिए कुछ निश्चित/अनिश्चित उत्तर दायित्व और शक्तियाँ होती हैं।
2. भूमिकाओं को अप्रभावी/प्रभावी बनाने के लिए इन्हें पहचान और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
3. किसी भी संस्कृति/समुदाय की अनेक उपसंस्कृतियाँ भी होती हैं।
4. आदिवासी समुदाय में युवा सदस्यों को किशोरावस्था आरम्भ होने पर गाँव से बाहर छात्रावासों/युवागृहों (घोटल संस्था) में रखा जाता है
5. संस्कृति नवीन/पुरानी आवश्यकताओं को जन्म देती है

7.6 विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था का अनुभव

युंक्त ने अपने परीक्षणों के आधार पर कहा कि मनुष्य के विकास में जातीय संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसके अनुरूप ही मनुष्य का विकास होता है। जो संस्कृति जितनी अधिक विकसित होती है, उससे सम्बंधित मनुष्य उतनी ही मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा, जैसे- भारतीय बच्चे का आध्यात्मिक होना और पाश्चात्य बच्चे का भौतिकता की ओर झुकाव रखना स्वाभाविक है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है और बाहर से पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे सदैव खुले रखता है। विविध जीवन शैलियों, रूपों, रीति-रिवाजों और कलाओं को देशीय संस्कृति के साथ शामिल करने से विश्वव्यापी संस्कृति को पहचान प्राप्त होती है।



पाश्चात्य संस्कृति के किशोरवय

पाश्चात्य संस्कृति बहुत हद तक आत्म-केन्द्रित और उपभोग पर आधारित है। पश्चिमी देशों में एक निश्चित आयु के बाद किशोरवय बच्चे अपने परिवार और माता-पिता से दूर हो जाते हैं। अर्थात् पाश्चात्य संस्कृति में किशोरावस्था परिवार से अलग होने और आत्मनिर्भर बनने की अवधि माना

जाता है। किशोरावस्था की समाप्ति तक, यह उम्मीद की जाती है कि एक अमेरिकन बच्चा स्वतन्त्र रूप से वयस्क हो जायेगा। लेकिन यह प्रत्येक संस्कृति में नहीं होता है। बहुत से पूर्वी देशों जैसे- चीन और भारत जहाँ के माता-पिता की सामाजिक उम्मीदें भिन्न होती हैं। पूर्वी देशों की संस्कृति में जिन किशोर और किशोरियों का पालन-पोषण होता है, वे पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक शर्मीले और अपने माता-पिता की आज्ञा को बिना किसी विद्रोह और बहस के मानते हैं। अमरीकी संस्कृति के बच्चे जैसे-जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने माता-पिता के विचारों के प्रति कुछ प्रश्न उठाएँ, परन्तु भारतीय संस्कृति के बच्चों से यह आशा की जाती है कि वे अपने अभिभावकों के विश्वासों को बिना किसी प्रति प्रश्न के सहर्ष स्वीकार करें। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि अमेरिकी माता-पिता बच्चों को अपने विचारों के प्रति असहमत देखकर खुश होते हैं अथवा वे जानबूझकर ऐसे विभेदों को प्रोत्साहन देते हैं। फिर भी जब आप अमरीकी और भारतीय संस्कृति की तुलना करते हैं तो अमरीकी किशोर-किशोरियों द्वारा आत्माभिव्यक्ति हेतु प्राप्त स्वतंत्रता को देखकर चकित रह जाते हैं। अमरीकी या पाश्चात्य संस्कृति और वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा है जो बच्चों को अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाश्चात्य संस्कृति में पोषित बच्चों द्वारा ऐसा व्यवहार इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनके माता-पिता उनकी स्वायत्तता को अधिक महत्व देते हैं।

विस्तृत अमरीकी संस्कृति के अन्तर्गत कुछ उपसंस्कृतियों वाले परिवार भी हैं जिनकी अपनी विशेषताएँ हैं। ये उपसंस्कृतियाँ उन परिवारों में विकसित होती हैं जिन्होंने न तो अमरीकी संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किया है, और न ही उसके द्वारा आत्मसात हुए हैं। वस्तुतः वे संस्कृतियों के बीच में हैं। यद्यपि वे स्वयं को ग्रीक, ब्रिटिश और इटैलियन या भारतीय मान सकते हैं, परन्तु वास्तव में वे जो कुछ थे उससे कहीं भिन्न रूप में व्यवहार करते हैं। इसके साथ ही उनकी कुछ प्रवृत्तियाँ और व्यवहार कुछ रूपों में बिलकुल अमरीकियों जैसी ही होती हैं, लेकिन वे मूल अमरीकियों से

बिलकुल भिन्न होते हैं। जब उनके बच्चे भी जिनका जन्म अमेरिका में ही हुआ होता है बहस करने लगते हैं या किसी विषय पर अपनी राय देते हैं तो उनके माता-पिता मूल अमरीकी माता-पिता की तुलना में अधिक क्रोधित हो जाते हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमरीकी संस्कृति के किशोर बच्चों को जो उच्च स्तर प्राप्त है, वे उसे भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अमरीकी संस्कृति में पोषित किशोरों की तुलना में अन्य देशों की संस्कृति में पले



– बड़े किशोर माता-पिता से अधिक भयभीत होकर रहते हैं। उनमें असुरक्षा की भावना होती है और वे नहीं जानते कि उन्हें विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वे किशोर बच्चे भी, जिनके माता-पिता किसी निश्चित धार्मिक संस्कृति के कट्टर अनुयायी होते हैं- कुछ विशेष समस्याओं का सामना करते हैं, विशेषकर तब, जब वे विद्यालय में अल्पसंख्यक होते हैं और अन्य किशोर बच्चों से बिलकुल अलग रहने की भावना को माता-पिता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे बच्चे एकाकी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या बिलकुल अलग समूह के रूप में अपने सहपाठियों द्वारा उपेक्षित कर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये किशोर बच्चे समाज के लिए गम्भीर समस्याओं को जन्म देते हैं।

उदाहरणतया ट्विन टावर की घटना के पश्चात ऐसे किशोर बच्चों के प्रति हिंसक घटनाएँ अधिक हुईं जिन्होंने विशिष्ट वस्त्र पहन रखे थे।

भारतीय उपमहाद्वीप में विविध संस्कृतियों के समुदाय रह रहे हैं जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। उच्च वर्गीय परिवार की संस्कृति के किशोरवय बच्चों का दृष्टिकोण, शिक्षा के अवसर, सुरक्षा और व्यवहार आदि माध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति से बिलकुल भिन्न होता है। उदाहरण के लिए चकरपुर गाँव जो कि सायबर सिटी गुडगांव का ही एक भाग है, में अनेक मलिन बस्तियाँ विकसित हो गयी हैं जिनमें किशोर बच्चे जुआ खेलते, लड़ते-झगड़ते और अपने छोटे भाई-बहनों को खिलाते हुए दिख जायेंगे। नगर निगम के द्वारा रखे गए कूड़ेदान से प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथिन और डिब्बे इकट्ठा करना भी इन बच्चों की मजबूरी है। उन्हें न शिक्षा से कोई सरोकार है और न ही लोगों की दुत्कार से, उन्हें तो बस फिक्र है कि कैसे भी कुछ पैसे का बंदोबस्त हो जाये ताकि शाम को झुग्गी में जाकर माता-पिता के साथ मिलकर रात्रि के भोजन की व्यवस्था की जा सके।

भारत के कुछ राज्यों में आवासित जनजातियों की संस्कृति में युवागृहों का प्रचलन आज भी देखने में आता है। यहाँ मनोरंजन के अतिरिक्त किशोर और किशोरियों को अनेक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोर और किशोरियों को इन युवागृहों या घोटुल-गृहों में एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है तथा उनमें यौन-सम्बन्ध भी स्थापित हो जाते हैं जिसकी परिणति विवाह के रूप में सामने आती है। कम उम्र में विवाह होने से किशोर और किशोरियों के कंधों पर जीविका का संकट खड़ा हो जाता है फलस्वरूप ये नक्सलवाद को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और समाज विरोधी कार्यों को करने लगते हैं।

सारांशतः विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था उनके रीति-रिवाजों, मूल्यों, परम्पराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकसित होती है।

अभ्यास प्रश्न :-4

1. एक आधुनिक समाज -----का प्रशंसक होता है।
2. पाश्चात्य संस्कृति बहुत हद तक ----- और उपभोग पर आधारित है।
3. विस्तृत अमरीकी संस्कृति के अन्तर्गत कुछ -----वाले परिवार भी हैं।
4. विश्व के अन्य देशों की तुलना में ----- के किशोर बच्चों को जो उच्च स्तर प्राप्त है।
5. ----- में विविध संस्कृतियों के समुदाय रह रहे हैं।

7.7 सारांश

किशोरावस्था आपके जीवन का संक्रमण काल है जो आपके भविष्य के निर्धारण में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह ऐसा संक्रमण काल है जिसमें नई सामाजिक भूमिकाओं के लिए, तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जरूरत होती है। इन परिवर्तनों के कारण किशोरों को कई तरह की भ्रान्तियों और दुश्चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इस संक्रमण काल के दौरान बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाता है। यद्यपि परिवेश, संस्कृति, परिस्थिति और व्यक्तिगत विभेदों आदि के कारण इसकी समय सीमा में कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने 12

से 18 वर्ष की आयु के बीच के समय को किशोरावस्था की संज्ञा दी है। शाब्दिक दृष्टि से किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के 'एडोलसेंस'(Adolescence) का हिन्दी रूपांतरण है। 'एडोलसेंस'(Adolescence) का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर (Adolescere) से हुआ है जिसका तात्पर्य है 'परिपक्व रूप में विकसित होना'। अतः किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें आप परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं और जिसकी समाप्ति पर आप पूर्ण वयस्क व्यक्ति के रूप में परिणित हो जाते हैं। ई. ए. किर्कपैट्रिक (E.A. Kirkpatrick) के शब्दों में – "इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।"

संस्कृति के जन्म से पूर्व मनुष्य खाना बंदोश था। जैसे ही संस्कृति का विकास हुआ, वैसे ही मनुष्य का व्यवहार भी परिष्कृत होता गया और वह खाना बंदोश से सभ्य मानव बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति के अभाव में मनुष्य पशु के सामान है। संस्कृति आदतों, मूल्यों और अभिवृत्तियों का संगठित रूप है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। व्हाइट (White) के अनुसार – "संस्कृति एक प्रतिकात्मक, निरन्तर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है।" संस्कृति के दो सैद्धांतिक आयाम हैं – भौतिक और अभौतिक। जहाँ संज्ञानात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक हैं, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन में बुद्धिकरने और जीवन शैली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। किसी भी संस्कृति की अनेक उपसंस्कृतियाँ भी होती हैं जैसे धनाड्य और श्रमिक वर्ग के किशोर युवक और युवतियाँ। किसी भी उपसंस्कृति की पहचान उसकी जीवन-शैली, भाषा, सामूहिक एकता और रुचियों से होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व वैसा ही होता है जैसी उसकी संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति बहुत हद तक आत्म-केन्द्रित और उपभोग पर आधारित है। पश्चिमी देशों में एक निश्चित आयु के बाद किशोरवय बच्चे अपने परिवार और माता-पिता से दूर हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विविध संस्कृतियों के समुदाय रह रहे हैं जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। उच्च वर्गीय परिवार की संस्कृति के किशोरवय बच्चों का दृष्टिकोण, शिक्षा के अवसर, सुरक्षा और व्यवहार आदि माध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होता है। अतः विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था उनके रीति-रिवाजों, मूल्यों, परम्पराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकसित होती है।

7.8 शब्दावली

- **किशोरावस्था** – बचपन के बाद और वयस्क होने से पूर्व की अवधि।
- **परिपक्व** – जो अभिवृद्धि और विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो।
- **संवेग** – एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **सामाजिक** – जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **समुदाय** – बहुत से लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।
- **संस्कृति** – आदतों, मूल्यों और अभिवृत्तियों का संगठित रूप।

- उपसंस्कृति –मुख्य संस्कृति से पृथक मानदंडों का संगठित रूप ।
- भौतिकता –मनुष्य द्वारा मूर्त वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग ।
- उपमहाद्वीप –पृथ्वी का विस्तृत क्षेत्र जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकें ।
- मलिन बस्तियाँ –मूलभूत सुविधाओं से रहित मानव आवासों का समूह ।

7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. सर्वोत्तम | 2. संस्कृति |
| 3. मनुष्यों | 4. संस्कृत |
| 5. सार्वभौमिक | |

अभ्यास प्रश्न -2

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. 'Social Change' | 2. भौतिक आवश्यकताओं |
| 3. सामाजिक परिवर्तन, गतिशीलता | 4. अमूर्त |
| 5. सोरोकिन | |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. निश्चित | 2. प्रभावी |
| 3. संस्कृति | 4. युवागृहों (घोटुल संस्था) |
| 5. नवीन | |

अभ्यास प्रश्न -4

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1. सांस्कृतिक विभिन्नता | 2. आत्म-केन्द्रित | 3. उपसंस्कृतियों |
| 4. अमरीकी संस्कृति | 5. भारतीय उपमहाद्वीप | |

7.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. किशोरावस्था किसे कहते हैं ? प्रयुक्त उदाहरणों द्वारा किशोरावस्था की अवधारणा का वर्णन कीजिए ।
2. किशोरावस्था की प्रमुखविशेषताओं को स्पष्ट कीजिए ।
3. संस्कृति के संप्रयय को प्रयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए ।
4. संस्कृति के विविध आयामों का वर्णन कीजिए ।
5. मानवीय सन्दर्भ में संस्कृति के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए ।
6. विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोरावस्था के अनुभवों को प्रयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए ।

7.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता, एस. पी. (2003), उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन ।
- लाल, आर. बी. (2009). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स ।
- लिन्थ्रेन, एच. सी. (1973). कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।
- माथुर, एस.एस. (2009). सामान्य मनोविज्ञान, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर ।
- मंगल, एस. के. (2009). जनरलसायकोलोजी, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड।
- पाल, बी. के. (2009). सामाजिक मनोविज्ञान, नई दिल्ली:युनिवर्सिटी पब्लिकेशन ।
- सक्सेना, एस. (2004). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, आगरा: साहित्य प्रकाशन ।
- सिंह, सी. वी. (2011). बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एबम अपराधी बालक), नई दिल्ली:कल्पज पब्लिकेशन्स ।
- शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, रचना (2004). एडवांसड एप्लायड सायकोलोजी, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ।
- शर्मा, जी. एवं व्यास, एच. (2013). अधिगम-शिक्षण और विकास के मनोसामाजिक आधार, जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।

इकाई – 8

बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर

शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव

The Impact of urbanisation and economic

change on formation and experience of

adolescence of children

इकाई की रूपरेखा

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव
- 8.4 शहरीकरण : संप्रत्यय
- 8.5 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर शहरीकरण का प्रभाव
- 8.6 आर्थिक परिवर्तन : संप्रत्यय
- 8.7 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव
- 8.8 सारांश
- 8.9 शब्दावली
- 8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.11 निबंधात्मक प्रश्न
- 8.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

8.1 प्रस्तावना

सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि अगले कुछ वर्षों में भारत आर्थिक विकास के मामले में अपने पड़ोसी देश चीन से बहुत आगे निकल जायेगा। परन्तु इस विकास को दुनिया की आबादी का 17% भाग जो कि भारत में रहता है निगल जायेगा है। विकास के कुछ क्षेत्रों जैसे संचार क्रांति और औद्योगिकीकरण के कारण नगर पंचायतें बड़े शहरों में बदल रही हैं। बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन ने भारतीय समुदायों के किशोर बच्चों के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। प्रस्तुत इकाई में आप बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का प्रभावके सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- किशोरावस्था की चुनौतियों को समझ सकेंगे।
- शहरीकरण के संप्रत्यय को बता सकेंगे।
- शहरीकरण से उत्पन्न किशोर बच्चों की समस्याओं को समझ सकेंगे।
- आर्थिक परिवर्तन के विषय में बता सकेंगे।
- किशोरावस्था पर आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे।

8.3 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव

बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था के आरम्भ में संवृद्धि की दर बच्चे को समन्वय और संतुलन के कौशलों को विकसित करने में कुशल बनाती है। बच्चों की किशोरावस्था जीवन क्रम का सबसे जटिल और चुनौतियों से भरा काल माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और सामाजिक आदि सभी स्थितियों में परिवर्तन होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे स्वयं को बड़ा और बड़े उन्हें छोटा ही समझते हैं। माता-पिता, अभिभावक और शिक्षक यह महसूस करते हैं कि बच्चा अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह जो कुछ सोचे-समझे और करे वह सब कुछ सही हो। मध्यवर्गीय परिवार के किशोरवय बच्चे के कंधों पर माता-पिता के सपनों का बोझ होता है। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनाने के अतिरिक्त और न जाने क्या-क्या अपेक्षाएं होती हैं। कठिन स्पर्धा के बीच अनिश्चितता भी होती है। इससे वह तनाव काशिकार हो जाता है। तनाव-मुक्ति की खोज उसे ड्रग, शराब आदि कुकृत्यों की ओर ले जाती है। अर्थात् बच्चे चाहे गरीब परिवार में जन्मे हों या मध्यवर्गीय परिवार में, बचपन को बचपन की भांति न जीने देने के दबाव दोनों को एक ही मार्ग की ओर ढकेल देते हैं। इसमें दोष किसका है? प्रत्येक वर्ग में पला-बढ़ा किशोरवय बच्चा जानता है कि उसको तनाव की ओर ढकेलने, अपनी अपेक्षाओं का बोझ लादने और असमय ही बचपन को छीन लेने के लिए उसके माता-पिता भी जिम्मेदार हैं। यह स्थिति किशोरवय बच्चों में मानसिक रोगग्रस्तता और संघर्ष का कारण बनती है, जो कभी-कभी उन्हें अपने लक्ष्य से भ्रमित कर बाल अपराधी भी बना देती है। उदाहरण के लिए भोपाल जैसे बड़े शहर में रहने वाला सोहन स्कूल की छुट्टियों में अपनी ताई के पास इन्दौर गया था। ताई के बेटे के साथ खेलते हुए दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और इसी दौरान सोहन ने पास में रखे चाकू से ताई के बेटे पर वार कर दिया जो उसके हृदय को भेदता चला गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सोहनके व्यवहार परिवर्तन के लिए बाल गृह में रखने के लिए चाइल्ड लाइन भोपाल भेज दिया गया। चाइल्ड लाइन भोपाल के कर्मचारियों ने बताया कि हादसे से पहले सोहन को छोटी-छोटी बात पर बहुत क्रोध आता था। परन्तु घटना के बाद से वह बहुत शांत और एकांतप्रिय हो गया। चाइल्ड लाइन में सोहन की लगातार काउन्सलिंग की जाती रही, कुछ समय बाद उसे स्कूल में भेजा गया जहाँ वह धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने लगा। पढ़ाई के साथ-साथ उसकी दूसरी प्रतिभायें भी उभरने लगीं, उसने चित्रकला प्रतियोगिता में कई पुरस्कार प्राप्त किए। सोहन चार साल तक “उम्मीद बाल गृह” में बच्चों के साथ रहा। वहां उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले, वह बालगृह में रह रहे छोटे बच्चों को होमवर्क पूरा

कराने में मदद करने लगा। यहाँ उसे भविष्य की नई दिशा भी मिली, रंगों से मित्रता करने के साथ-साथ उसने अपने लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं, वह कम्प्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है इसके लिए उसने कम्प्यूटर की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोहन अब पूरी तरह से सामान्य है और उसे अपने परिवार के पास भेज दिया गया है। अतः किशोरावस्था मानव जीवन का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ से भविष्य का निर्धारण होता है।



अभ्यास प्रश्न :-1

सही विकल्प का चयन करें -

1. किशोरावस्था जीवन क्रम का सबसे जटिल/सरल और चुनौतियों से भरा काल माना जाता है।
2. भारत में शिक्षा को केन्द्रीय/समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है।
3. छः साल के बच्चे को भारी/हल्का बजन लेकर विद्यालय जाना होता है।
4. तनाव-मुक्ति/तनाव वृद्धि की खोज उसे ड्रग, शराब आदि कुकृत्यों की ओर ले जाती है।
5. असमय ही प्रौढ़ावस्था/बचपन छीन लेने के लिए उसके माता-पिता भी जिम्मेदार हैं।

8.4 शहरीकरण : संप्रत्यय

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है या गाँव शहरों में बदल जाते हैं। दुनिया में पाँच हजार साल पहले की सिन्धु घाटी की सभ्यता में शहरीकरण प्रक्रिया के शुरुआती प्रमाण भारत में ही देखे गये। इसके बाद मध्यकाल में भी सत्ता व्यवस्थाओं के उत्थान और पतन के फलस्वरूप शहरों की स्थापना की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया सी नजर आती है। सामान्यतः कई बार इसे एक सांस्कृतिक व्यवहार के साथ भी जोड़कर देखा जाता रहा है। परिभाषा के स्तर पर व्यापार, उद्योग, राज्य और सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्था को चलाने के लिये शहरों के वजूदको अनिवार्य माना गया है। आधुनिक भारत में शहरीकरण का तेज दौर 18वीं सदी में तब देखा गया, जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में आई। उसने व्यापार-उत्पादन के लिये बंदरगाहों का निर्माण किया और उन बंदरगाहों के आसपास सूरत जैसे शहर बसायेया उनका विकास किया। इसके बाद हमारे लिये बीसवीं सदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1901 से 2001 की अवधि में यहां कुल शहरों की संख्या 1827 से बढ़कर 5161 हो गई और यह संख्या लगातार बढ़ ही रही है। शहर तो बढ़े परन्तु यह बात भी साफ तौर पर उभरकर आती है कि भारत में छोटे शहरों से ज्यादा बड़े शहरों का विकास हुआ है। वर्ष 1901 में एक लाख की जनसंख्या वाले केवल 24 शहर थे, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 393 हो गये जबकि 5 से 10 हजार की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 744 से बढ़कर महज 888 हो पाईयानी संसाधन और विकास बड़े नगरों के आस-पास केन्द्रित हुआ। अब बड़े शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 26 से बढ़कर अब 68 हो गया है और छोटे शहरों में आबादी का अनुपात भी कम हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1.2 बिलियन आबादी में से 31 प्रतिशत से भी अधिक लोग शहरों में निवास करते हैं। तीन बड़े शहरों मुम्बई, दिल्ली और कोलकता की जनसंख्या दस मिलियन से भी अधिक है। क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल) ने अपने अध्ययन में पाया कि 2007 के बाद से 3.7 करोड़ से ज्यादा भारतीय किसानों ने खेती छोड़कर शहरों का रुख

किया। शहरीकरण का यह परिदृश्य बताता है कि कहीं नकहीं गाँवों की बदहाली ने इसके लिये उर्वरक का काम किया है। प्रोफेसर **सुरेश तेंदुलकर** समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 25.7 प्रतिशत शहरी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ये एक व्यक्ति पर 19 रुपये प्रतिदिन से भी कम खर्च करके जीवनयापन करते हैं। भारत में शहरीकरण औद्योगीकरण या उदारीकरण का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते बढ़ती हुई बेरोजगारी का परिणाम है। गाँव के लोगों के पास भूमि सीमित होती जा रही है और लोगों के विकास की सम्भावनाएँ लगभग स्थिर-सी हो गई हैं। जनसंख्या में इतनी बुद्धि हो चुकी है कि गाँवों में अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हो गयी है, परिणामस्वरूप लोग गाँव को छोड़कर शहरों में काम करना पसन्द कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय शहरीकरण गाँवों की बढ़ती हुई गरीबी का नतीजा है, औद्योगिक विकास का नहीं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में शहरों और महानगरों की ओर पलायन की समस्या सबसे अधिक है। जिससे शहरों के नजदीक का क्षेत्र जो प्रायः कृषि की भूमि था, शहरी विकास और विस्तार में उपयोग हो रहा है।



एक आम इंसान जब शहर की कल्पना करता है तो उसके सम्मुख चकाचौंध कर देने वाली बड़ी-बड़ी गगनचुंबी इमारतें होती हैं, आधुनिकता का भव्य प्रदर्शन होता है। अभावों में रहकर जिंदगी के एक-एक हिस्से को जोड़कर संवरने की जद्दोजहद करने वाला गाँव में रहने वाला सरल मन यह मानने लगता है कि शहर यानी आसानी से उपलब्ध पानी, कदम-कदम पर इलाज और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की सुविधाएँ। ग्रामीण लोग शहरों की चकाचौंध ही नहीं अपितु शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं शिक्षा और रोजगार मिलने की लालसा में आकर्षित हो गाँवों से पलायन कर शहरों का रुख कर रहे हैं। क्योंकि गाँवों में या तो ये सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध नहीं या हैं भी तो निम्न स्तरीय। गाँवों की दुर्दशा यह है कि गाँवों तक के संपर्क मार्ग कच्चे हैं उन्हें पक्की सड़क की सुविधा नहीं, बिजली-पानी नहीं, ऐसे में वे करें भी तो क्या करें सिवाय शहरों की ओर पलायन के।

शहर या नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी (City) का हिन्दी रूपांतरण है। विद्वतजन इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिविटाज (Civitas) से मानते हैं जिसका तात्पर्य है नागरिकता जो नगर शब्द से ही निर्मित है। लेकिन सामान्य रूप से शहर शब्द अधिक प्रचलित है। वर्तमान विश्व के आधुनिक शहर औद्योगीकरण की देन हैं। शहरीकरण को विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका विचार है कि –“शहरीक्षेत्रों का भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण (urbanization) कहलाता है।” यह एक वैश्विक परिवर्तन है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार – “ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी 'शहरीकरण' है।

लुई वर्थ के अनुसार – “गाँवों को शहरों में बदलने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है।”

गोल्ड और **कॉल्ब** के शब्दों में – “शहरी जीवन सम्बन्धी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम शहरीकरण है।”

कुछ अन्य विद्वानों ने ग्रामीण जनसंख्या के शहर की ओर प्रवास की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि शहरीकरण का मतलब ही प्रतिस्पर्धा हो गया है। एक-दूसरे से आगे निकलने की यह प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ठहर कर कोई भी यह देखने को तैयार नहीं है कि उनके अपने कहीं पीछे छूट रहे हैं। जब जिन्दगी में एक समय के बाद ठहराव आता है, तब महसूस होता है कि जो अपने हम से पीछे छूट गए वही हमारा सहारा बने हुए हैं। यह सत्य है कि शहरीकरण के अपने कुछलाभ भी हैं जैसे कि शहरीकरण के कारण शिक्षा का स्तर सुधरता है, रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं साथ ही आसपास के गाँवों का भी विकास होता है। देश का विकास मुख्यतः शहरों के विकास से जुड़ा होता है। जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव कम होते हैं। बुद्धिजीवियों शिक्षित वर्ग को अधिक अवसर मिलते हैं। उद्यमियों, व्यवसायियों को समाजमें विशेष दर्जा मिलता है, संपत्ति में बढ़ोत्तरी होती है। गाँवों की अपेक्षा परंपरागत आचार-विचारों से मुक्ति मिलने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक मिलती है। परन्तु इसके कुछ दुष्परिणाम भी समाज को भुगतने पड़ते हैं जैसे कि रोक-टोक ना होने के कारण व्यक्तियों में कुप्रवृत्तियां बलवती होती हैं। शहर का मतलब है औद्योगीकरण न कि अनियोजित कारखानों की भरमार, नतीजा यह हुआ है कि शहरों की प्रमुख नदियां जहरीली हो चुकी हैं। नदी थी खेती के लिए, मछली के लिए, दैनिककार्यों के लिए, न कि गंदगी सोखने के लिए। साल दर साल बढ़ती गर्मी, फैलता जलसंकट और मरीजों से पटते अस्पताल। इसी तरह की बहुत-सी और समस्याएं भी हैं जो दिनों-दिन शहरों की चिंता का विषय बनती जा रही हैं। क्योंकि गाँवों में संबंध भावनाओं पर आधारित होते हैं जबकि शहरों में उपयोगिता पर इसके कारण जो सामाजिक बंधन कुप्रवृत्तियों को थामने के काम आते हैं वे शिथिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नोयडा के एक फ्लैट में खुद को सात महीने से बंद रखने वाली दो बहनों का मामला उनकी मानसिक अवस्था और बीमारी का तो है ही, साथ ही हमारे विकास और शहरीकरण के प्रभावों की कहानी भी कहता है। अतः सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि शहर के गुणों के विस्तार की प्रक्रिया ही शहरीकरण है। जिस प्रकार मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसी प्रकार शहर भी उत्पत्ति से लेकर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बीच से पदार्पण करता है, जिसके दौरान एक छोटा कस्बा, नगर, महानगर या मेट्रोपोलिटन शहर का रूप धारण कर लेता है।

अभ्यास प्रश्न :-2

1. ----- की सभ्यता में शहरीकरण प्रक्रिया के शुरुआती प्रमाण भारत में ही देखे गये।
2. आधुनिक भारत में शहरीकरण का तेज दौर ----- सदीमें तब देखा गया।
3. वर्तमान विश्व के आधुनिक शहर ----- की देन हैं।
4. ----- को शहरों में बदलने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है।
5. ----- का विकास मुख्यतः शहरों के विकास से जुड़ा होता है।

8.5 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर शहरीकरण का प्रभाव

आधुनिक भारत के मूल में आज भी गाँव हैं जिनमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। परन्तु आज गाँवों का नष्ट होना और शहरों का नवीनीकरण होना शहरीकरण के विकास को दर्शाता है।

कि मनुष्य ने किस प्रकार आज प्रगति की है। पर क्या? मनुष्य की यह शहरीकरण की प्रवृत्ति केवल विकास के लिए हितकर है, क्या इसका मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता? आधुनिक शहर भिन्न सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन के क्षेत्र बन गए हैं, जहाँ परिवार, जाति, विवाह, अर्थव्यवस्था और धर्म आदि सभी कुछ परिवर्तन के दौर में है। यही नहीं, शहरीकरण ने एकल परिवार को जन्म देकर परिवार की संरचना को छिन्न-भिन्न कर दूषित दिया है।

किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण की बहुत भूमिका होती है। भारतीय शहरों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि निवास और व्यवसाय के लिए बहुमंजिली इमारतों का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। इससे भारतीय शहरों का ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख रहे बच्चों को तनावग्रस्त स्थिति में देखा जा सकता है, जब उन्हें अच्छी प्रतिशत के बाद भी मनचाहे अच्छे स्कूल या कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भी भीड़ का आलम होता है। शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है या मजबूरी में अपराध की ओर कदम बढ़ा रहा है। चैन स्नेचिंग, लूट, किडनेपिंग, चोरी और यौनाचार जैसे कुकृत्यों में किशोर आये दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। शिक्षा संस्थानों के परिसर आपसी विवाद के केन्द्र बनते जा रहे हैं। धीरे-धीरे शहरों का जीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से दूषित होता जा रहा है। प्रत्येक बड़े शहर के अन्तर्गत विकृत शहरी क्षेत्रों की या मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय शहरी जीवन कितना कष्टकर है, इसे प्रमुख दैनिक पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जीवन मूल्य का पतन इतनी तेजी से हो रहा है कि अधिकांश किशोरवय बच्चे क्षणिक लाभ के लिए किसी भी अनैतिक आचरण को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के खतरों के प्रति आगाह करते हुए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यू.एच.ओ. की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 16 मिलियन किशोरियाँ बच्चों को जन्म देती हैं और 3.2 मिलियन किशोरियाँ गर्भपात के अभिशाप को झेलती हैं। 90% माँ बनने वाली किशोरियाँ विवाहित होती हैं। शहरीकरण के कारण बढ़ते मानसिक रोग, अपराधों की बढ़ती तादाद, बुजुर्गों की दिन-ब-दिन दयनीय स्थिति तथा बच्चों से छिन्ते बचपन के कारणों पर आज कहीं भी चर्चा नहीं होती दिखती। शहरीकरण और आधुनिकता की भयावहता यहीं तक सीमित नहीं है। अमरीका जैसे देशों में मीडिया से हो रही अश्लीलता की बौछार और पारिवारिक विघटन के कारण किशोर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। **यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन** की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में प्रति सप्ताह 15 से 17 साल की करीब 1,700 किशोरियाँ माँ बनती हैं। भारत में भी इस तरह के केस आये दिन बढ़े शहरों में अखबारों की सुर्खियाँ बनते हैं। कुछ दिनों पूर्व एक सर्वे में कहा गया था कि मुंबई की किशोरियों में गर्भगिराने के आंकड़ों में 60 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। आखिर क्यों किशोरावस्था को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है? क्या इसके लिए शहरीकरण जिम्मेदार है या माता-पिता या फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली? आखिर दोष किसे दिया जाये? बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति को या सिनेमा के प्रभाव को जिसमें अश्लीलता और फूहड़ता की सारी हदें पार कर दी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2012 में निर्भया तथा इस तरह की दूसरी वीभत्स और रोंगटे खड़ी करने वाली घटनाओं में किशोरों की संलिप्तता बहुत गंभीर मुद्दा है। इस तरह की अमानवीय घटनाओं के सम्मिलित होने वाले बच्चे या किशोर कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं। यह हमारा शहरी समाज की क्लब और मॉल संस्कृति ही है जो औरतों के खिलाफ हिंसा और क्रूरता को अंजाम देने

वालों को उत्पन्न कर रही है। सारांशतः बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर शहरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे- बाल अपराध, प्रतिस्पर्धा, तनाव, एकाकीपन, मानसिक रोग ग्रस्तता, आत्म विनाश की प्रवृत्ति, व्यक्तिव विघटन, घर से पलायन और बालश्रम इत्यादि।

अभ्यास प्रश्न :-3

सही विकल्प का चयन करें –

1. आधुनिक भारत/चीन के मूल में आज भी गाँव हैं जिनमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।
2. किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में पुस्तकों/वातावरण की बहुत भूमिका होती है।
3. लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 15 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
4. धीरे-धीरे शहरों का जीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद/दूषित होता जा रहा है।
5. रोंगटे खड़ी करने वाली घटनाओं में किशोरों/छोटे बच्चों की संलिप्तता बहुत गंभीर मुद्दा है।

8.6 आर्थिक परिवर्तन : संप्रत्यय

उदारीकरण और वैश्वीकरण से परिपूर्ण हमारी शहरीकृत, औद्योगिकीकृत संस्कृति दिन-प्रतिदिन जटिलतम रूप से बढ़ रही है। यह जटिलता इस बात को इंगित करती है कि समाज की आवश्यकताएँ और रुचियाँ भी बदल रही हैं। इन आवश्यकताओं और रुचियों में परिवर्तन का आधार आर्थिक सम्बृद्धि होता है। किसी भी देश या राष्ट्र की पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों होते हैं, परन्तु मानव संसाधनों यथा श्रम, संघटन, प्रशासन, उपलब्ध पूंजी और शोध की सुविधाओं के अभाव में इनका उपयोग संभव नहीं है। जिस देश में ये मानव संसाधन जितनी अधिक मात्रा में और उच्च स्तर के होते हैं, उस देश में उतनी ही अधिक तेजी से आर्थिक परिवर्तन होते हैं और वह आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। आर्थिक परिवर्तन से तात्पर्य देश के नागरिकों की जीवन शैली के ऊँचा उठने से है। इसमें कुछ अवरोध भी हैं जैसे-प्रतिकूल भौतिक वातावरण, कार्यशील जनसंख्या की निम्न गुणवत्ता, तकनीकी ज्ञान का अभाव, पूँजी की कमी, जनसंख्या वृद्धि और दोषयुक्त कृषि संरचना आदि।

सामान्यतः यह माना जाता है कि यूरोप में धार्मिक और औद्योगिक सुधारों के फलस्वरूप आर्थिक परिवर्तन का मार्ग समाज और उसकी संस्थाओं के दृष्टिकोण में आये परिवर्तनों के कारण खुल गया। इसी आधार पर धार्मिक नैतिकता का विकास हुआ जो कि आर्थिक परिवर्तन के लिए अनुकूल था। भारत भी यूरोप के धार्मिक और औद्योगिक सुधारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत में यूरोपियाई देशों का शासन था। सन् 1947 में मिली स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में आर्थिक परिवर्तन को क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। नवनिर्वाचित सरकार की दोगुनी जिम्मेदारी थी, पहली उपनिवेशवादी आर्थिक-पद्धति को समाप्त करना और दूसरी यह कि आधुनिक, स्वाधीन और आत्मनिर्भर आर्थिक अर्थव्यवस्था का ढाँचा खड़ा करना। फलस्वरूप बड़ी

मात्रा में उद्योग स्थापित किये गए। इसे केवल भारत का औद्योगीकरण कहा जा सकता है न कि आर्थिक परिवर्तन। भारत में वास्तविक आर्थिक परिवर्तन का दौर 1990 के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आरम्भ हुआ। लेकिन जातिवाद, बढ़ती जनसंख्या, सम्पत्ति कानून, असमान भूमि वितरण और अकुशल श्रम अभी भी इसमें बाधा बना हुआ है। जातिवाद एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो भारत में लोगों के आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है। वास्तव में, सम्पूर्ण देश के लोगों के भाग्य का नियन्त्रण कुछ जातियों तक ही सिमट कर रह गया है, जिससे स्वस्थ राष्ट्रीय आर्थिक-पद्धति के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। **ए. आर. देसाई** का विचार है कि पुरानी संस्थाओं के साथ-साथ यह संकुचित मानसिकता कई प्रकार से उपयुक्त आर्थिक परिवर्तन को बाधित करती है। बिना आर्थिक परिवर्तन के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन सम्भव नहीं है और यह भी सत्य है कि समाज की आंतरिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन ही उसके आर्थिक परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे के संपूरक हैं, अर्थात् एक-दूसरे का कारण और परिणाम है। संरचनात्मक परिवर्तन के बिना आर्थिक परिवर्तन सम्भव नहीं है। विकासशील देशों के आर्थिक बदलाव के लिए औद्योगीकरण बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि औपनिवेशिक सत्ता ने भारत को विकासशील ही बनाये रखा जो कुछ भी अल्प रूप में औद्योगिक विकास हुआ था, वह उसकी पूंजीवादी जरूरतों के अनुकूल ही हुआ था। उसने भारी उद्योगों को विकसित ही नहीं होने दिया। जटिल कानूनी व्यवस्था के आरम्भ होने से तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का विघटन होने लगा। सामुदायिक सहयोग और सामंजस्य के परंपरागत सिद्धांत आर्थिक प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रतिस्थापित हो गए जिससे सामाजिक संरचना में एक भूचाल आ गया। इस जटिलता को कम करने के लिए वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से भारतीय समुदाय की जीवन शैली विकासोन्मुख हो सके।

8.7 बच्चों की किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव

उद्योगों के माध्यम से हुए आर्थिक परिवर्तन ने भारतीय सामाजिक संरचना को वांछित दिशा में प्रभावित किया है। अपने समुदाय के मूल्यांकन के लिए भले ही आप कोई भी प्रतिरूप जैसे - विकासात्मक प्रतिरूप, कार्यात्मक प्रतिरूप या संघर्ष प्रतिरूप आदि आत्मसात कर लें, परन्तु यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विभिन्न सामाजिक प्रतिमानों और व्यवस्थाओं में वृहद स्तर पर परिवर्तन हुआ है। लोग व्यक्तिगत रूप से वैयक्तिक स्वतन्त्रता और सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं और साथ ही साथ प्रौद्योगिकीय ज्ञान का अनुकरण करने को भी उत्सुक हैं। वे विभिन्न नवाचारों को स्वीकार करने और सामाजिक परिवर्तन के परिणामों से डरते नहीं हैं।

बच्चे कल का भविष्य हैं। उन्हें पनपने के लिए, खिलने के लिए सही अवसर देना जरूरी है। विगत वर्षों में बढ़ते औद्योगीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में सभी राष्ट्रों में तीव्र आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्गीय माता-पिता बालक के समुचित विकास के लिए समय दे ही नहीं पाते। क्योंकि उस अवधि में वे आर्थिक संसाधनों को एकत्र करने में जुटे होते हैं। यह स्थिति मध्यवर्गीय परिवारों में असंतोष और विघटन की बढ़ती दर के रूप में सामने आती है। उदारीकरण और सूचना

क्रांति ने भारतीय मध्यम वर्गीय समुदाय की प्रतिव्यक्ति आय में तीव्र प्रगति की है। इस समुदाय ने गत दो दशकों में अपनी जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन किया है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाईलफोन और फिल्म आदि पर बच्चों की सक्रियता देख उनके लिए डिजायन कपड़ों के अलावा किशोरवय बच्चों के लिए लिपिस्टिक, आईलाईनर, साबुन, क्रीम, फेशियल जैसे उत्पादों से बाजार अटे पड़े हैं। इस तरह के परिवर्तन से कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बच्चे जल्दी परिपक्व होने लगे हैं, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। अजीर्ण, सिर-दर्द, उल्टी, नजर की कमजोरी जैसी बीमारियाँ असमय ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हैं।

परिवार की आर्थिक बेहतरी के लिए काम करने का दबाव गरीब और मलिन बस्ती के परिवारों में भी होता है। लेकिन ये माता-पिता अपने बच्चों को इसलिए बड़ा होते देखना चाहते हैं ताकि वे आर्थिक मोर्चों पर उनकी सहायता कर सकें। लेकिन यह उनके नियंत्रण में नहीं होता है कि वे किशोरवय बच्चों को उनकी आयु के अनुकूल काम दिला सकें। फलस्वरूप इस समुदाय के किशोरवय बच्चे कम उम्र में ही चायके ढाबों पर, होटलों में, कबाड़ी के यहां, घरों में साफ-सफाई, स्टेशनों पर छोटे-मोटे काम करने लगते हैं, जहां उन्हें नशाखोरी और शराब की शरण में जाने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

बच्चे को डिजायनर कपड़े पहनाने, फैशन की डगर पर पटक देने में सभी वर्गों के माता-पिता को उसका विकास नजर आता है। उनमें से अधिकांश वे हैं जो लार्डमैकाले को कोसते हैं कि उसने भारतीयों पर अंग्रेजी थोपी। शिक्षा का रूप बदलकर उसे तोता रटत-कला बना दिया। आज के शिक्षाशास्त्री उन्हें नजर नहीं आते जो आर्थिक लाभ के लिए और बाजार के संकेत पर ज्ञान को सूचना में समेट चुके हैं। पूरी शिक्षा प्रणाली जिसे बच्चे के मौलिक और बहुआयामी विकास को समर्पित होना चाहिए, सूचना और आंकड़ों में सिमटकर रह गई है। कोई मानवाधिकारवादी संगठन इसके विरुद्ध खड़ानजर नहीं आता। बच्चे चाहे गरीब परिवार में जन्मे हों या मध्यवर्गीय परिवार में, बचपन को बचपन की भांति न जीने देने के दबाव दोनों को एक ही रास्ते की ओर ढकेल देते हैं। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने बच्चे को माता-पिता की विशिष्ट परिसंपत्ति मान लिया है। यह आर्थिक परिवर्तन की एक गंभीर चुनौती है। जिसका समाधान तलाशने के लिए बच्चे की बेहतरी की सोचने, उसको समग्र मानवीय इकाई मानने वाले साहित्य, साहित्यकार एवं शिक्षाविदों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है।

अभ्यास प्रश्न :-4

1. ----- से तात्पर्य देश के नागरिकों की जीवन शैली के ऊँचा उठने से है।
2. भारत में वास्तविक आर्थिक परिवर्तन का दौर ----- के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आरम्भ हुआ।
3. ----- एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो भारत में लोगों के आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है।
4. ----- और ----- ने भारतीय मध्यम वर्गीय समुदाय की प्रतिव्यक्ति आय में तीव्र प्रगति की है।

5. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने बच्चे को ----- की विशिष्टपरिसंपत्ति मान लिया है।

8.8 सारांश

एक विकास की अवस्था दूसरी विकास की अवस्था से पूर्णतः भिन्न होती है। किशोरावस्था मानव विकास का ऐसा पड़ाव है जहाँ का वातावरण विषमताओं से परिपूर्ण होता है। यह बचपन से प्रौढ़ता की ओर जाने का मार्ग है जिसमें कई प्रकार के सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत होती है। शाब्दिक दृष्टि से किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के 'एडोलसेंस'(Adolescence) का हिन्दी रूपांतरण है। 'एडोलसेंस'(Adolescence) का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर (Adolescere) से हुआ है जिसका तात्पर्य है 'परिपक्व रूप में विकसित होना'। ड्र. ए. किर्कपैट्रिक (E. A. Kirkpatrick)के शब्दों में – "इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।"

प्रत्येक वर्ग में पला-बढ़ा किशोरवय बच्चा जानता है कि उसको तनाव की ओर ढकेलने, अपनी अपेक्षाओं का बोझ लादने और असमय ही बचपन को छीन लेने के लिए उसके माता-पिता भी जिम्मेदार हैं। यह स्थिति किशोरवय बच्चों में मानसिक रोगग्रस्तता और संघर्ष का कारण बनती है, जो कभी-कभी उन्हें अपने लक्ष्य से भ्रमित कर बाल अपराधी भी बना देती है।

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है या गाँव शहरों में बदल जाते हैं। शहर या नगर शब्द अंग्रेजी भाषा के सिटी (City) का हिन्दी रूपांतरण है। विद्वतजन इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिविटाज (Civitas) से मानते हैं जिसका तात्पर्य है नागरिकता जो नगर शब्द से ही निर्मित है। लेकिन सामान्य रूप से शहर शब्द अधिक प्रचलित है। लुई वर्थ के अनुसार – "गाँवों को शहरों में बदलने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है।" शहरीकरण ने एकल परिवार को जन्म देकर परिवार की संरचना को छिन्न-भिन्न कर दूषित दिया है। भारतीय शहरों का ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख रहे बच्चों को तनावग्रस्त स्थिति में देखा जा सकता है, जब उन्हें अच्छी प्रतिशत के बाद भी मनचाहे अच्छे स्कूल या कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भी भीड़ का आलम होता है। शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है या मजबूरी में अपराध की ओर कदम बढ़ा रहा है। चैन स्नेचिंग, लूट, किडनेपिंग, चोरी और यौनाचार जैसे कुकृत्यों में किशोर आये दिन गिरफ्तार हो रहे हैं।

आर्थिक परिवर्तन से तात्पर्य देश के नागरिकों की जीवन शैली के ऊँचा उठने से है। भारत में वास्तविक आर्थिक परिवर्तन का दौर 1990 के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आरम्भ हुआ। उद्योगों के माध्यम से हुए आर्थिक परिवर्तन ने भारतीय सामाजिक संरचना को वांछित दिशा में प्रभावित किया है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बच्चे जल्दी परिपक्व होने लगे हैं, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। अजीर्ण, सिर-दर्द, उल्टी, नजर की कमजोरी जैसी बीमारियाँ असमय ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। उनमें आत्मविनाश की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। अतः यह जरूरी है कि शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन बच्चों की किशोरावस्था को उनके रीति-रिवाजों, मूल्यों, परम्पराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकसित होने दें।

8.9 शब्दावली

- **विकास** –वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपे सम्पूर्ण जीवनकाल में बढ़ता और परिवर्तित होता रहता है।
- **बचपन**–अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **किशोरावस्था**–बचपन के बाद और वयस्क होने से पूर्व की अवधि।
- **सामाजिक** –जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **एकाकीपन** –बिना किसी साथी केया एकान्तप्रिय।
- **समुदाय** - बहुत से लोगों का समूहजिसकामुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।
- **शहरीकरण** –शहरीक्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे-क्षेत्रफल, जनसंख्या, आवास आदि के विस्तार की प्रक्रिया।
- **सांस्कृतिक**–संस्कृति के क्षेत्र में आने या होनेवाला।
- **औद्योगीकरण** –निर्माणकार्यों को बढ़ावा देने से सम्बंधित अर्थप्रणाली।
- **उदारीकरण** –आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने और विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में लगे नियंत्रणों में ढील देना या उनको हटा लेना है।
- **औपनिवेशिक** –किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्नसंसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना।
- **वैश्वीकरण**–व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकीके प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरणकी प्रक्रिया।
- **आर्थिक** –अर्थ या मुद्रा से सम्बंधितक्रियाकलाप।
- **परिसंपत्ति**–चल-अचलमुद्राके श्रोत।
- **पूंजीवादी**–ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनोंपर निजी स्वामित्व होता है।

8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

1. जटिल
2. समवर्ती
3. भारी
4. तनाव-मुक्ति

5. बचपन

अभ्यास प्रश्न -2

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. सिन्धु घाटी | 2. 18वीं |
| 3. औद्योगीकरण | 4. गाँवों |
| 5. देश | |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | |
|------------|------------|
| 1. भारत | 2. वातावरण |
| 3. 11 | 4. दूषित |
| 5. किशोरों | |

अभ्यास प्रश्न -4

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. आर्थिक परिवर्तन | 2. 1990 |
| 3. जातिवाद | 4. उदारीकरण, सूचना क्रांति |
| 5. माता-पिता | |

8.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. किशोरावस्था क्या है ? इसके संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए ।
2. किशोरावस्था में पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन-से कारक हैं ? उचित उदाहरणों की सहायता से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए ।
3. शहरीकरण से आप क्या समझते हैं ? इससे उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए ।
4. शहरीकरणबच्चों की किशोरावस्था के निर्माण को कैसे प्रभावित कर रहा है ? स्पष्ट कीजिए।
5. आर्थिक परिवर्तन किसे कहते हैं ? उदाहरण की सहायता से समझाइए ।
6. आर्थिक परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए ।
7. आर्थिक परिवर्तन बच्चों की किशोरावस्था के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है? वर्णन कीजिए ।

8.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- गुप्ता, एस. पी. (2003), *उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान*, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन ।
- होल्ट, जॉन (2005). *बचपन से पलायन*, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन ।
- लिन्ध्रेन, एच. सी. (1973). *कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान*, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।
- महाजन, एस. (2010). *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन*, नई दिल्ली: अर्जुन पब्लिशिंग हाउस ।
- माथुर, एस.एस. (2009). *सामान्य मनोविज्ञान*, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर ।

- मंगल, एस. के.(2009).जनरलसायकोलोजी, नई दिल्ली:स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड ।
- सिंह, सी. वी. (2011). बालकों की भावनाओं और व्यक्तित्व का अध्ययन (सामान्य एवम अपराधी बालक), नई दिल्ली:कल्पज पब्लिकेशन्स ।
- सिंह, जे. पी. (2013).समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत, नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड ।
- शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, रचना (2004). एडवांसड एप्लायड सायकोलोजी, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ।
- सिंह, एन. (2006). सामाजिक न्याय और सतत् विकास, नई दिल्ली :राधा पब्लिकेशन्स।
- सोवानी, एन. वी. (2006).अर्बनाइजेशन एण्ड अर्बन इण्डिया, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशीगन: एशिया पब्लिशिंग हाउस ।
- एंडरसन, एन. एवं ईश्वरन, के. (1965).अर्बन सोशियोलोजी, बम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाउस।

इकाई – 9

लिंग, वर्ग तथा गरीबी के सन्दर्भ में बच्चों के वास्तविक जीवन के निरूपण में मीडिया की भूमिका

Role of media in representation of gender, class and poverty to understand lived realities of children

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 उद्देश्य
- 9.2 प्रस्तावना
- 9.3 मीडिया की अवधारणा
- 9.4 मीडिया के प्रकार
- 9.5 मीडिया के प्रमुख कार्य
- 9.6 लिंग, वर्ग और गरीबी के सन्दर्भ में मीडिया की भूमिका
- 9.7 सारांश
- 9.8 शब्दावली
- 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 9.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप –

- मीडिया के संप्रत्यय को जान सकेंगे।
- मीडिया के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- मीडिया के प्रमुख कार्यों के बारे में जान सकेंगे।
- मीडिया के प्रकार और समाज के निर्माण में उसकी भूमिका बता सकेंगे।
- लिंग, वर्ग तथा गरीबी के सन्दर्भ में मीडिया भूमिका बता सकेंगे।

- बच्चों के वास्तविक जीवन के निरूपण में मीडिया की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
- सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर मीडिया के प्रभावों की समीक्षा कर सकेंगे।

9.2 प्रस्तावना (Introduction)

सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने विश्व को एक डोर से बांध कर वैश्विक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। तेजी से फैलता सूचना माध्यमों का जाल जहां एक तरफ सकारात्मक पहलुओं को उभर रहा है वहीं दूसरी ओर इन माध्यमों के दुष्प्रभाव भी नजर आने लगे हैं। बात जब बच्चों की आती है तो अभिव्यक्ति का सरल साधन मानी जाने वाली मीडिया की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया वह माध्यम है जो लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के तौर पर जाना जाता है, ऐसे में समाज का आधार माने जाने वाले बच्चों की जीवन शैली पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा एक अहम मुद्दा है। भारत जैसे विकासशील देश में बच्चों की लिंग, वर्ग और गरीबी के निरूपण सम्बंधी मीडिया कवरेज की समीक्षा ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। आज आप जिस बदलते सामाजिक जीवन को देख रहे हैं, उसमें मीडिया का बहुत योगदान है। प्रस्तुत इकाई में आप लिंग, वर्ग तथा गरीबी के सन्दर्भ में बच्चों के वास्तविक जीवन के निरूपण में मीडिया की भूमिका का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

9.3 मीडिया की अवधारणा (Concept of Media)

मीडिया शब्द का हिंदी में अर्थ माध्यम है। मीडिया एक व्यापक शब्द है जो संचार व्यवस्था की पहुंच को व्यापक बनाने का कार्य करता है। इस को समझने से पूर्व हमें संचार के प्रकार के बारे में समझना होगा। संचार मुख्य तौर पर चार प्रकार का होता है :

अन्तःवैयक्तिक संचार : व्यक्ति जब स्वयं से बातें करता है या हम कहें कि जब वह सोचता है या सन्देश को मस्तिष्क में इनकोड करता है तो इस तरह के संचार को अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं।

अंतरवैयक्तिक संचार : दो व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत अंतरवैयक्तिक संचार कहलाती है।

समूह संचार : जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है तो यह समूह संचार कहलाता है।

जनसंचार : संचार व्यवस्था कायम करने के लिए जब हम माध्यम (मीडिया) का प्रयोग करते हैं तो यह संचार जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के साधनों को मीडिया कहते हैं।

मीडिया से अभिप्रायः

मीडिया शब्द से अभिप्राय संचार व्यवस्था में माध्यम के प्रयोग से है। मीडिया को जनमाध्यम या जनसंचार माध्यम के रूप में भी जानते हैं। मशहूर जनसंचार शास्त्री मार्शल मेकलुहान ने कहा था कि **माध्यम ही सन्देश है** उनके इस कथन से आप माध्यम की सार्थकता का अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया वह उपकरण है जिसके द्वारा जनसंचार किया जाता है। वर्तमान में हम मीडिया से घिरे रहते हैं। दीवारों पर लगे पोस्टर हों यह शहर में लगी होर्डिंग्स, अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल या कंप्यूटर सभी हमें अनेकों सूचनाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी से सूचनाओं की गति प्रकाश की रफ्तार से भी तेज

हो गई है। वर्तमान दौर में मीडिया का हस्तक्षेप लोगों के सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित रूप से दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक अभिरुचियों को भी निर्णायक रूप से प्रभावित कर रहा है। मीडिया समाज को आईना दिखाने का कार्य कर रहा है जिसमें लोगों को अपना प्रतिबिम्ब आदर्श प्रतीत हो रहा है। मीडिया की समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका और प्रभावों को पढ़ने से पूर्व आपको मीडिया के संप्रत्यय को समझना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में मीडिया वह व्यवस्था अथवा प्रक्रिया है, जिससे सूचनाओं का विनिमय लोगों के बीच होता है। इसके माध्यम से लोगों को एक-दूसरे के विषय में जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। मीडिया अंग्रेजी भाषा के शब्द **मीडियम** का बहुवचन है। यह लोगों के बीच संवाद सेतु का कार्य करता है।

यदि हम माध्यम के विकास की प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो मनुष्य की भाव-भंगिमाएँ और प्रतीक चिह्न संचार के प्रमुख माध्यम थे। कालांतर में संचार माध्यमों को आधुनिक रूप देने में युद्धों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य-श्रव्य माध्यमों के जरिये सफलता पूर्वक आदान-प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। सामान्यतः माध्यम के जरिए होने वाले संचार को जनसंचार की संज्ञा दी जाती है जो साधनलोगों में सूचनाओं का संचारण करें-उन्हें जनसंचार का माध्यम कहते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम से तात्पर्य ऐसा साधन, जिसके अनुप्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाए। अतः जब संवाद के लिए किसी तकनीकी या यान्त्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल जन समूह को संचारित किया जाए तो वह जनसंचार कहलाता है।

जनसंचार के प्रमुख साधन रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, सिनेमा, कंप्यूटरइंटरनेट और मोबाइल फोन आदि हैं। इन माध्यमों के द्वारा लोगों के लिए सूचनाओं और विचारों को एक साथ प्रसारित किया जाता है, इसीलिए इन्हें जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। **ब्राउन महोदय** ने इन्हें व्यावसायिक साधनों की श्रेणी में रखा है। वर्तमान तकनीकी युग में जनसंचार के अत्याधुनिक साधनों में लेपटॉप और मोबाइल फोन बहुत ही शक्तिशाली और लोकप्रिय हैं। जनसंचार के ये साधन सामाजिक ताने-बाने को गहराई तक प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपने घर से बाहर किसी स्थान विशेष की यात्रा पर जाते हैं तो लगातार अपने परिजनों और शुभचिंतकों को अपनी यात्रा के दौरान होने वाले खट्टे-मीठे अनुभवों की पल-पल की जानकारी स्मार्ट फोन के माध्यम से देते रहते हैं और फेसबुक पर यात्रा के दृश्यों को अपलोड करते रहते हैं। हाल ही में जब नेपाल में जब भूकंप आया तो इंटरनेट पर लोगों के करुण कृंदन की तस्वीरें पलक झपकते ही अपलोड कर दीं, और कुछ ही घंटों में विश्वभर से सहायता के लिए लोग नेपाल पहुंचने लगे थे। यह सब जनसंचार के अत्याधुनिक साधनों द्वारा ही संभव हो पाया है।

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात जनसंचार और उसके माध्यमों की निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं –

- जनसंचार लोगों के बीच होने वाला संप्रेषण है।
- जनसंचार में पृष्ठपोषण तुरंत प्राप्त नहीं होता।
- इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है।

- जनसंचार के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है।
- जनसंचार व्यवस्थित और स्वाभाविक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है।
- जनसंचार में सूचनाओं का विनिमय होता है।
- सामाजिक दृष्टि से यह लोगों को जागरूक करने और सजग बनाने का सशक्त माध्यम है।
- यह विचारों का विनिमय है जो विभिन्न समाजों और लोगों को समीप लाता है तथा उन्हें विविध मंचों से जोड़ता भी है।
- यह सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचनाओं और विशिष्टों के विचारों को शीघ्रता से पहुँचाने की व्यवस्थित प्रक्रिया है।
- यह सामाजिक परिवर्तन लाने और नवाचार से लोगों को अवगत कराने का साधन है।
- मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं का संग्रहण और प्रसारण किया जाता।
- इसके के लिये एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है।

अभ्यास प्रश्न- 1

1. जनसंचार में सूचनाओं का.....होता है।
2. मीडिया अंग्रेजी भाषा के शब्द.....का बहुवचन है।
3. जनसंचार के साधनों को.....कहते हैं।

9.4 मीडिया के प्रकार (Types of Media)

मीडिया का कार्य जनमानस सूचनाओं को प्रेषित करना है जिससे लोग समाज से जुड़ी बहुत सी समसामयिक घटनाओं से अवगत हो सकें। लोकतंत्र में मीडिया का कार्य आमजन में चेतना जागृत करना होता है। अतः मीडिया उन सभी सूचनाओं को प्रसारित और प्रचारित करता है जो लोकहित से जुड़ी हों। मीडिया का दायित्व शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और नवाचार से संबंधित सूचनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना है। वर्तमान में सूचना संप्रेषण के लिए अनेकों साधन मौजूद हैं पर यदि इनके प्रकारों की बात करें तो मुख्य तौर पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया)
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
3. न्यू मीडिया

पत्रित माध्यम (Print Media) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronic Media)

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. पुस्तकें | 1. रेडियो, स्मार्ट फोन |
| 2. समाचार पत्र | 2. टेलीविजन |
| 3. मैगजीन | 3. कम्प्यूटर |
| 4. जनरल या पत्रिकाएँ | 4. वीडियो डिस्क |
| 5. पैम्फलेट | 5. चलचित्र |

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 6. एटलस | 6. टेप-रिकार्डर |
| 7. शब्दकोष | 7. स्लाइड प्रोजेक्टर |
| 8. विश्व विज्ञान कोष | 8. फिल्म प्रोजेक्टर |
| 9. फ्लैश कार्ड | 9. वीडियो-टैक्सट |
| 10. चित्र | 10.टेली-टैक्सट |

1. मुद्रित माध्यम (Print Media)

प्रिंट मीडिया में मुख्य तौर पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं को शामिल किया गया है। विश्व में सर्व प्रथम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा ही जनसंचार का प्रारंभ माना जाता है। यदि भारत की बात करें तो सन 1780 में जेम्स आगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट निकला था यहीं से देश में मीडिया की शुरुआत मानी जाती है। धीरे-धीरे प्रेस के विकास ने प्रिंट मीडिया को आमजन की जरूरत के तौर पर स्थापित कर दिया। यदि आज आपको सुबह समाचार पत्र पढ़ने को न मिले तो दिन भर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छूट रहा है। मुद्रित माध्यमों में पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, पैम्फलेट और होर्डिंग्स आदि को भी शामिल किया जाता है।

2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronic Media)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन और फिल्में मुख्य तौर पर शामिल हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि टेलीविजन और फिल्में दृश्य-श्रव्य माध्यम हैं। रेडियो की शुरुआत भारत में सन 1923 में हुई थी। इसके बाद से लेकर आज तक रेडियो नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वर्तमान में रेडियो पूरे देश का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। इसकी व्यापक पहुंच और सुलभ उपलब्धता के कारण भारत में इसे किसानों का माध्यम भी कहते हैं। आकाशवाणी की रेडियो सेवा पूरे भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान कर रही है, साथ ही प्राइवेट रेडियो चैनलों के जरिए भी प्रसारण किया जा रहा है। रेडियो के विभिन्न रूपों में से एक सामुदायिक रेडियो भी है जिसका कार्य लोगों को सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और लोकतान्त्रिक मुद्दों पर जागरूक करना है। आज पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 150 सामुदायिक स्टेशन मौजूद हैं।

बात टेलीविजन की करें तो भारत में पहली बार 1959 में यूनेस्को के माध्यम से शुरुआत की गई। यूनेस्को की मदद से बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली दूरदर्शन केंद्र खोला गया, साथ ही दिल्ली के 251 स्कूलों में टेलीविजन सेट्स लगाए गए। इसके उपरांत साइट SITE (सेटेलाइट एजुकेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट) परियोजना के तहत कई राज्यों को टेलीविजन से जोड़ा गया। 90 के दशक में दूरदर्शन की पहुंच पूरे भारत में हो गई। इसके उपरांत प्राइवेट टीवी चैनलों के द्वारा टेलीविजन को व्यापक स्वरूप मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में टेलीविजन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वर्तमान में टेलीविजन सूचना, शिक्षा, जागरूकता और मनोरंजन का सरल स्रोत बन गया है।

भारत में फ़िल्मी सफ़र की शुरुआत 1912 में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र से मानी जाती है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दादा साहब फाल्के थे जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। सौ सालों के इतिहास में सिनेमा ने तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी अलग पहचान बना रखी है। फ़ट्टा टाकीज अब मल्टीप्लेक्स में तब्दील हो गए हैं और काली सफ़ेद चादर रंगों के जाल से भर

गई है। एक्शन और एनीमेशन तकनीकी सम्पन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। वर्तमान में फिल्में सूचना, जागरूकता और मनोरंजन का एक बेहतर साधन मानी जाती हैं।

3. न्यू मीडिया (New Media)

न्यू मीडिया से अभिप्राय सूचना संचार तकनीक से परिपूर्ण माध्यम से है यानी कंप्यूटर और इन्टरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली मीडिया से है। न्यू मीडिया के अंतर्गत वेबसाइट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया साइट्स और ई-मेल आदि आते हैं। इसकी तुरत प्रतिपुष्टि (Instant Feedback) की क्षमता ने इसे लोगों में लोकप्रिय बना दिया है। सोशल मीडिया तो लोगों की जिन्दगी का अहम हिस्सा बन गई है। लोग अपनी दिनचर्या की तमाम घटनाओं को इसके माध्यम से (फोटो, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से) साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चार चाँद लगा दिए हैं। उदाहरण के तौर पर अन्ना हजारे की आवाज हो या जैशमीन रेवोल्यूशन (अरब क्रांति) सभी सोशल मीडिया की पैठ का कमाल हैं। न्यू मीडिया ने सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचारों को तरजीह दी है। आज शिक्षा में ओपन रिसोर्सेस की भरमार है, जबकि मेडिकल सेवाओं के विस्तार में स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर ने विश्व में कहीं भी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है जिसके जरिए देश-विदेश के मेडिकल विशेषज्ञ एक दूसरे से सलाह प्राप्त कर पा रहे हैं। न्यू मीडिया ने ऑनलाइन मार्केट को भी जन्म दिया है आज फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके द्वारा लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। कन्वर्जेन्स के दौर में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी सभी ऑनलाइन मौजूद हो गए हैं। न्यूज पोर्टल, वेबसाइट्स, और विकीज पर सूचनाओं का भंडार है। गूगल जैसे सर्च इंजन से आप किसी भी विषय की जानकारी मात्र एक क्लिक से प्राप्त कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न:- 2

1. भारत में फ़िल्मी सफ़र की शुरुआत 1912 में बनी किस फिल्म से मानी जाती है
(क) राजा हरिश्चंद्र (ख) आलमआरा (ग) शोले (घ) गदर
2. भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को के माध्यम से कब की गई?
(क) 1958 (ख) 1959 (ग) 1960 (घ) 1957
3. मीडिया का पत्रित माध्यम नहीं है?
(क) समाचार पत्र (ख) चित्र (ग) टेली-टैक्स्ट (घ) फ्लैश कार्ड

9.5 मीडिया के प्रमुख कार्य (Major Functions of Media):

मीडिया शब्द की पहचान सूचना संप्रेषण माध्यम के तौर है। बात यदि मीडिया के प्रमुख कार्यों की करें तो उनको निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है:-

सूचनाओं का आदान-प्रदान:- मीडिया समाज या देश में घटने वाली तमाम घटनाओं की जानकारी लोगों को देता है। मीडिया सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी से जनता को अवगत करता है। साथ ही जनता की बात को मंच प्रदान कर जनसाधारण की समस्याओं को सरकार तक पहुंचता है। सामाजिक ताने-बाने को सूचनाओं से बांधने में मीडिया ही एक मात्र कड़ी है।

शिक्षित करना:- मीडिया सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के साथ ही साथ शिक्षित भी करता है। मीडिया के द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चाओं के द्वारा लोगों को शिक्षित

किया जाता है। शिक्षा दू-दराज तक पहुंचाने और मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानदर्शन जैसे टीवी चैनल भी प्रसारित किये जा रहे हैं। रेडियो के द्वारा भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सामुदायिक रेडियो इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। फिल्मों के द्वारा भी लोगों को शिक्षित किया जाता है। विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक और मानवाधिकार से सम्बंधित मुद्दों पर फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। आजकल तो एजुकेशन कंसल्टेंसी पर श्री एडिप्ट जैसी फिल्मों भी बनने लगी हैं। समाचार पत्र को तो एक ग्रन्थ के समान दर्जा मिला ही हुआ है। न्यू मीडिया तो सूचनाओं के खजाने के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है लोग कहते हैं जो भी सूचना चाहिए गूगल सर्च से लेलो।

मनोरंजन करना:- मीडिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, शिक्षित करने के साथ ही साथ मनोरंजन का भी साधन है। फिल्मों, संगीत, समाचार में प्राकृतिक रूपक, कहानियां, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे कॉमेडी, जोक्स और गेम्स इत्यादि माध्यमों के द्वारा लोग अपने को मनोरंजित करते हैं।

जागरूकता फैलाना:- मीडिया का एक अहम कार्य जागरूकता फैलाना भी है। मीडिया समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर समाज को जागरूक करने का कार्य करती है। जैसे स्वास्थ्य के विषय में मीडिया के द्वारा जागरूकता फैलाई जाती है। कुछ मुक्त भारत हो या पोलियो मुक्त भारत मीडिया की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। ठीक इसी प्रकार लोकतंत्र में मत की उपयोगिता और सही उम्मीदवारको चुनने की समझ भी पैदा करती है। मानवाधिकार से सम्बंधित मुद्दों पर खुली बहस के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करवाती है। शिक्षा की जरूरत को समझाने में भी मीडिया योगदान देती है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान:- मीडिया विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच से प्रसारित करता है, जिससे लोग एक-दूसरे के रहन-सहन और भेष-भूसा से परिचित हो पते हैं। साथ ही न्यू मीडिया ने पूरे विश्व को एक ग्राम में तब्दील करके सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आपसी जुड़ाव का बेहतर मंच प्रदान किया है, जिसके जरिए लोग एक-दूसरे की संस्कृति और संस्कारों को आसानी से समझ पा रहे हैं।

इनके आधार पर कुछ इस तरह मीडिया के कार्यों को बिन्दुओं में पिरोया जा सकता है।

- मीडिया के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों से सम्बंधित उपयोगी सूचनाओं को देने का कार्य करता है।
- मीडिया विभिन्न जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदि के लोगों को शैक्षिक सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है।
- मीडिया के विभिन्न साधनों जैसे- टेलीविजन, सिनेमा, स्मार्ट फोन, आई फोन, पत्र-पत्रिकाएँ, आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है।
- मीडिया सरकारी एवं सामुदायिक कार्यों की गुणवत्ता हेतु निगरानी करने में सहयोग करता है।
- मीडिया सरकारी एवं गैर सरकारी संघठनों हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को उपलब्ध कराकर एजेंडा तैयार करने में सहायता करता है।
- मीडिया लोगों को विचार-विमर्श के लिये मंच उपलब्ध कराता है जिससे लोग अपनी राय, विचारों, भावों, मतों आदि की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकें एवं अन्य लोगों के विचारों को जान सकें।

- मीडिया मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से जनसामान्य में जागरूकता पैदा करता है।
- मीडिया दिन-प्रतिदिन देश-विदेश की घटनाओं से जनसामान्य को अवगत कराकर उन्हें देश-विदेश से जोड़े रखने का कार्य करता है।

अभ्यास प्रश्न:- 3

1. मीडिया शब्द की पहचान माध्यम के तौर है।
2. समाचार पत्र को तो एक..... के समान दर्जा मिला ही हुआ है।
3. शिक्षा की जरूरत को समझाने में भी योगदान देती है।

9.6 लिंग, वर्ग और गरीबी के सन्दर्भ में मीडिया की भूमिका (Role of media in representation of gender, class and poverty)

मीडिया को समाज का आइना कहते हैं। समाज के निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका रही है। लिंग, वर्ग और गरीबी से सम्बंधित मुद्दों को लेकर मीडिया काफी सचेत रहता है। समाज का मुख्य आधार बच्चों के जीवन से सम्बंधित मुद्दों पर मीडिया कवरेज एक चर्चा का विषय है, साथ ही साथ मीडिया की लिंग, वर्ग और गरीबी के सम्बंध में भूमिका की समीक्षा भी जरूरी है। व्यवसायीकरण के दौर में मीडिया पर लगातार मुद्दों से भटकने के आरोप लगते रहे हैं और खास कर बच्चों से सम्बंधित मीडिया कवरेज हमेशा से ही कटघरे में नजर आता रहा है। इस सम्बन्ध में मीडिया के द्वारा प्रसारित और प्रकाशित सामग्री विभिन्न तरह के आंकड़े प्रस्तुत करती है।

समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, फिल्में और न्यू मीडिया सभी स्रोतों का कार्य सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। मीडिया के ये विभिन्न रूप जनमानस की ज्ञान पिपासा को शांत करने या उन तक आवश्यक जानकारी पहुंचने के लिए बने हैं। मीडिया इंसान की ही देन है और इसे इन्सान ही नियोजित, नियंत्रित और समन्वयित करता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तम्भ माना जाता है। मीडिया जनता की बात को सरकार तक और सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पुल का कार्य कराती है। मीडिया कवरेज में लिंग, वर्ग और गरीबी के सम्बन्ध में सकारात्मक भूमिका को देखा जा सकता है। जब कभी भी बात समाज में जेंडर सम्बंधी मुद्दे की होती है तो पुरुष प्रधान मानसिकता महिला और ट्रांसजेंडर को असहाय मान लेती है। मीडिया ने महिलाओं के हुनर को प्रचारित कर महिलाओं को सम्मान दिलाने में अहम भूमिका का निर्वाहन किया है। महिलाओं को पुरुषों की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित करने में मीडिया की अहम भूमिका रही है। आज महिला शिक्षा की बढ़ती दर इसी कवरेज की देन है। कन्या भ्रूणहत्या को समाने लाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी और परदे के पीछे छिपे सच के खिलाफ आवाज उठाई जिसके परिणाम स्वरूप इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया, साथ ही इस सम्बन्ध मजबूत कानून भी बनाए गए। आज लगातार फीमेल सेक्स रसियो बढ़ रहा है जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम हो गया था। मीडिया विभिन्न वर्गों से सम्बंधित आवश्यक मुद्दों को प्रमुखता से उभरता रहा है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में जाकर वहां की दशा को समाज के समाने लाता रहा है। जनजातीय प्रदेशों के कई क्षेत्रों में मीडिया कवरेज के उपरांत ही शिक्षा के हालात सुधरे हैं। प्राथमिक शिक्षा के साथ ही साथ जनजातीय विश्वविद्यालय भी खुले और उच्च शिक्षा से इन पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ा जा सका है। ऐसे ही कई उदाहरण मौजूद हैं जो वर्ग के सम्बन्ध में मीडिया की सकारात्मक पहल को दर्शाते हैं। यदि बात हाल

ही के कुछ वर्षों की करें तो जी न्यू पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम में उन बच्चों की समस्याओं को मंच दिया जाता है जिनके साथ कोई ज्यादाती हुई हो ऐसे में उन्हें आवाज उठाने का हौसला मिला और गुनहगारों को सजा दिलाने में जनमानस का साथ। ऐसे ही सत्यमेव जयते नामक एक टीवी सीरियल ने बच्चों से जुड़े बहुत से मुद्दों को मंच देकर सरकार और जनता दोनों को ही सोचने पर मजबूर किया। ब्लैक, पा और तारे जमीन पर जैसी कई फिल्में आयीं जिनके चरित्रों ने समाज को उन लोगों के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर किया जो शारीरिक तौर पर पिछड़े हैं। लिंग के सम्बन्ध में मीडिया ने सावधानी और विवेक पूर्ण ढंग से कवरेज की है। आदि काल से लिंग के तौर पर अपनी पहचान खोजने वाले ट्रांसजेंडर को न्यायिक तौर पर पहचान दिलाने में मीडिया ने एक सक्रीय भूमिका का निर्वहन किया है। बंधुवा मजदूरी के खिलाफ जब मीडिया ने कमर कसी तो बदलाव नजर आया और कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी या श्रम कराना कानून अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने वालों को सजा और जुर्माना दोनों ही दण्ड भुगतने पड़ सकते हैं।

आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) 2010 के पारित हो जाने के बाद जब स्कूलों में इसकी अनदेखी की जाने लगी तो मीडिया ने इस सम्बन्ध में कवरेज देकर सरकार को यथा स्थिति से अवगत कराया और इस सम्बन्ध में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सुविधा हुई और गरीब बच्चों को उनका अधिकार मिलने में आसानी हो गई। ऐसा होने से कई सस्थानों द्वारा की जा रही मनमानी पकड़ में आ सकी। मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित की जा रही अनेकों योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँच पाई है अब लोग उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। अनेकों शैक्षिक योजनाओं के द्वारा बालक-बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है अब लड़कियाँ भी आगे आकर लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं और इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रही हैं। विभिन्न रोजगारपरक सूचनाओं के बारे में भी जानकारी मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रही है। ये सूचनाएं मीडिया के द्वारा लोगों तक बिना किसी भेदभाव के दी जा रही हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बदलते दौर में शिक्षा जगत में बड़े परिवर्तन नजर आ रहे हैं। आज प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा सभी में तकनीक एक अहम भूमिका निभा रही है। नई मीडिया ने ओपन एजुकेशन लर्निंग सॉफ्टवेयर से शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता प्रदान की है। आज बहुत सी जानकारियां मात्र एक क्लिक तक सिमित हो गई हैं। शोध के क्षेत्र में न्यू मीडिया के रिसर्च गेट जैसी वेबसाइट्स दुनिया के तमाम विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर प्रस्तुत कर देती है।

9.7 सारांश (Conclusion)

इकाई के अध्ययन के उपरांत आप मीडिया के बारे में परिचित हो गए होंगे। इकाई में वर्णित तथ्यों के आधार पर आप मीडिया का अर्थ, प्रकार और उसके कार्यों के बारे में अवगत हो गए होंगे। इकाई का सार लिंग, वर्ग और गरीबी के सन्दर्भ में मीडिया की भूमिका से परिचित हो गए होंगे। साथ ही मीडिया के इस सन्दर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से भी अवगत हो गए होंगे।

9.8 शब्दावली (Vocabulary):

- जेंडर - लिंग
- सम्प्रदाय - समाज

- मीडिया - संचार व्यवस्था में माध्यम
- प्रतिपुष्टि- पृष्ठपोषण (फीडबैक)
- प्रिंट मीडिया- मुद्रित माध्यम

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न - 1

1. विनिमय
2. मीडियम
3. मीडिया

अभ्यास प्रश्न - 2

1. राजा हरिश्चंद्र
2. 1959
3. टेली-टैक्स्ट

अभ्यास प्रश्न - 3

1. सूचना संप्रेषण
2. ग्रन्थ
3. मीडिया

अभ्यास प्रश्न - 4

1. जेंडर
2. 2010

9.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type questions):

1. लिंग, वर्ग और गरीबी के सन्दर्भ में मीडिया की भूमिका की चर्चा कीजिए।
2. मीडिया क्या है? मीडिया के कार्यों के बारे में लिखिए।
3. मीडिया के प्रकारों के बारे में विस्तार से समझाइए।
4. मीडिया से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।

9.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference book list):

- त्रिपाठी, जय प्रकाश (2015). 'मीडिया हूं मैं' नई दिल्ली: अमन प्रकाशन.
- सिंह, अमिता (2015). 'लिंग एवं समाज' दिल्ली: विवेक प्रकाशन.
- भसीन, असीन (2013). 'मीडिया विश्वकोश' नई दिल्ली: ग्रंथ अकादमी.
- वत्स, जितेंद्र एवं किरणबाला (2009). 'जनसंचार माध्यम और सर्वांग' गाजियाबाद : अमर प्रकाशन.
- शर्मा, कुमुद (2009). 'समाचार बाजार की नैतिकता' नई दिल्ली: सामयिक बुक्स.
- उपाध्याय, अनिल कुमार (2008). 'पत्रकारिता और जनसंचार: सिद्धांत एवं विकास' वाराणसी : भारती प्रकाशन.
- अरोड़ा, हरीश (2007). 'जनसंचार' नई दिल्ली : युवा साहित्य चेतना मंडल.
- बैरन, डेविस (2006). 'मॉस कम्यूनिकेशन थ्योरी, थामसन-वर्ल्डसवर्था
- सरदाना, चन्द्रकान्त एवं मेहता, कृ.शि. (2004). 'जनसंचार: कल, आज और कल' दिल्ली : ज्ञानगंगा.

इकाई - 10

विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को समझना

Understanding of Children Living in different situation

इकाई की रूपरेखा

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
 - 10.3.1 बचपन
 - 10.3.2 रूढ़िवादिता की धारणाएं
- 10.4 कार्य और बचपन
- 10.5 कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे और उनको समझना
- 10.6 बाल श्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
 - 10.6.1 बाल श्रमिक से आशय
 - 10.6.2 बाल श्रम की उत्पत्ति एवं स्थिति
 - 10.6.3 बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में समस्याएँ
 - 10.6.4 बाल श्रमिकों के उन्मूलन, शिक्षा और कल्याण हेतु प्रयास
- 10.7. अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे
 - 10.7.1 कचरा बीनना
 - 10.7.2 भीख मांगना
 - 10.7.4 बाल शोषण
 - 10.7.5 बाल अपराध
- 10.8 सारांश अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.9 निबंधात्मक प्रश्न
- 10.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

10.1 प्रस्तावना

राष्ट्र का निर्माण एवं उसका भावी विकास वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षा आने वाली पीढ़ी पर अधिक निर्भर करता है क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति और उसका भविष्य होते हैं लेकिन सच तो यह है की आज देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी देश के करोड़ों बच्चे मौलिक अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लाखों बच्चे घरेलू नौकर या श्रमिक के रूप में होटल या रेस्टोरेंट, कारखानों या खदानों में जोखिम भरे काम करते हुए या आते-जाते लोगों के सामने हाथ फैलाए भीख मांगते और कचरे के ढेरों में कागज व पन्नी बीनते दिखाई देते हैं। जैसे कमाने की मजबूरी और लालसा ने बच्चों से उनका बचपन पूरी तरह से ही छीन लिया है। काम करने वाले ये बच्चे भिन्न कठिन परिस्थितियों में मलिन या गंदी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। परिवार में उपयुक्त वातावरण नहीं मिलने के कारण बच्चे विभिन्न अपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में आप बचपन तथा रूढ़िवादिता की धारणाओं की मान्यताओं, कार्य और बचपन, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों एवं बाल श्रम तथा उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ाने के बाद आप

- बचपन और रूढ़िवादिता की धारणाओं के बारे में बता सकेंगे।
- कार्य और बचपन और कार्य करने की दशाओं के बारे में बता सकेंगे।
- विभिन्न कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की स्थिति के बारे में बता सकेंगे
- बाल श्रम की स्थिति और उत्पन्न समस्याओं के बारे में बता सकेंगे।
- बाल श्रम और उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बता सकेंगे।

10.3 बचपन तथा रूढ़िवादिता की धारणाओं की मान्यता

Assumptions Of Notions Of Childhood And Stereotypes)

10.3.1 बचपन

बचपन एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता तथा जरूरत की वस्तुओं की पूर्ति माता-पिता अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। इस अवस्था में बच्चों को परिवार में प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद के साथ डाट-डपट आदि सभी कुछ मिलता है। इसके साथ ही बच्चे को परिवार में हंसी-खुशी के पल मिलते हैं जो उसे जीवन भर याद रहते हैं और उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को परिवार, समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में बताते हैं। परिवार के लोगों से ही बच्चा परिवार और समाज के रीति-रिवाज, मान्यताओं और धारणाओं के बारे में जानता एवं सीखता है और उसी प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश करता है जैसा परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। माता-पिता भी यही चाहते हैं की उनका बच्चा वही सीखे जो वे चाहते हैं और वैसा ही बने जैसा वे उसे बनाना चाहते हैं जैसे - सुबह उठकर भगवान को प्रणाम

करना, रोज नहाना, पूजा पाठ करना, तिलक लगाना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, माता-पिता और बुजुर्गों के पैर छूना, झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना आदि ।

10.3.2 रूढ़िवादिता की धारणाएं

किसी सामाजिक समूह (जैसे धर्म और जाति) के बारे में आम जनता के मन में पारम्परिक और प्राचीन समय से चली आ रही धारणा को रूढ़िवादिता या मान्यता कहते हैं । जब व्यक्ति वर्तमान जीवन निर्वाह की शैली का त्याग कर उसके स्थान पर प्राचीन और पारम्परिक शैली के आधार पर जीवन निर्वाह करता है तो उसे रूढ़िवादिता कहा जाता है ।

प्रत्येक मान्यता के पीछे व्यक्तिगत अनुभव और भ्रम होते हैं और जब व्यक्ति इनका प्रचार करता है तो कुछ और लोग उस भ्रम और अनुभव से जुड़ते जाते हैं । ये अनुभव और भ्रम ही कुछ समय बाद मान्यताएं या रूढ़िवादिता बन जाती हैं । जैसे - (1) आप लंबे समय से किसी कार्य या समस्या को लेकर परेशान हैं और आप का कोई मित्र या संबंधी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है । हर रोज आप किसी बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं । एक दिन आपके मन में विचार आता है और आप उस पेड़ के पास रुकते हैं और एक सिक्का चढ़ाकर मदद के लिए प्रार्थना करते हैं । उसके कुछ दिन बाद ही आपका वो रुका हुआ काम हो जाता है तब आप खुश होकर आश्चर्य करते हैं की इस पेड़ ने आपकी मदद की है । यह आपकी पहली मान्यता बन जाती है क्योंकि इसके पीछे आपका प्रत्यक्ष अनुभव है । जब यह बात आप अपने दोस्तों को बताते हैं और धीरे-धीरे बात फैलती जाती है। कुछ समय बाद आप देखते हैं की लोग उस पेड़ के आसपास एक धार्मिक स्थल का निर्माण करने लगते हैं । इस प्रकार आपकी व्यक्तिगत मान्यता सामूहिक मान्यता में बदल जाती है । (2) इसी प्रकार हम दैनिक जीवन में अनेकों व्यक्तियों से मिलते हैं जब किसी समुदाय विशेष का व्यक्ति आपके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करता है और उसके प्रति आपका अनुभव ठीक नहीं है तो आप उस समस्त समुदाय के व्यक्तियों को ही गलत समझने लगते हैं ।

रूढ़िवादिता की धारणाएं सामान्यतया वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं । ये धारणाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं । रूढ़िवादिता व्यक्ति की संकीर्ण और छोटी मानसिकता को दर्शाती है । जब व्यक्ति वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन प्राचीन रीतिरिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं के आधार पर निर्वाह करने लगता है तो उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं । कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको मानने या अपनाने की बच्चों से अपेक्षा की जाती है जबकि माता-पिता खुद उन्हें अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं । भारत के पिछड़ेपन का कारण ही देशवासियों का अत्यधिक रूढ़िवादी होना है । बचपन की अवस्था में अभिभावक अपने बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर टोकते या रोकते हैं और उन पर सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को अपनाने और सीखने के लिए जोर डाला जाता है । समाज में प्रचलित कुछ रूढ़िवादिता की धारणाएं निम्न प्रकार से हैं-

- 1) बिल्ली द्वारा रास्ता काटने और व्यक्ति को छींक आने को अपशुन माना जाता है । इसलिए बच्चों को यह सिखाया जाता है की थोड़ी देर रूकने से दुर्घटना होने की संभावना टल जाती है ।

- 2) बच्चों के अचानक अस्वस्थ होने का कारण नजर लगना माना जाता है जो इंसान की भ्रमित मानसिकता का उदाहरण है। नजर उतारने के लिए मिर्च जलाई जाती है अथवा बच्चों की रक्षा के लिए काला धागा या ताबीज बांधा जाता है।
- 3) घर में सुख शान्ति और व्यापार में सफलता के लिए दरवाजे पर यंत्र के रूप में नींबू मिर्ची टांगते हैं।
- 4) शराब, माँस, बीडी-सिगरेट एवं तम्बाकू का सेवन समाज में प्रतिष्ठा और अलग पहचान बनाने या परम्परा को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
- 5) व्यक्ति के अस्वस्थ होने के लिए जादू टोने और टोटके आजमाएँ जाते हैं या झाड़ू-फूँक का सहारा लिया जाता है।
- 6) परिवारों में रीति रिवाज और मन्त के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है।
- 7) दहेज प्रथा समाज का सबसे बड़ा कलंक है। एक और हम दहेज प्रथा का विरोध करते हैं दूसरी और हर व्यक्ति अपनी कन्या को खुशहाल और सुखी जीवन देने के लिए अधिक से अधिक सामान तोहफे के रूप में देता है।
- 8) परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के बाद दान और भोज में पैसा खर्च कर समाज में प्रदर्शन किया जाता है।
- 9) वर्तमान समय में समानता और समरसता को बढ़ावा दिया जा रहा है वही आज भी हम व्यक्ति की पहचान उसकी जाति और धर्म, शहर या प्रदेश के आधार पर कर रहे हैं।
- 10) विवाह एवं उत्सव आदि के अवसर पर दिखावे के लिए सजावट और भोजन आदि पर बड़ी मात्रा में राशि खर्च की जाती है।
- 11) विभिन्न त्योहारों पर रीति-रिवाजों को निभाने के नाम पर बड़ी मात्रा में धन व्यय किया जाता है।
- 12) अभिभावक लड़कियों पर बाल बांधकर रखने, नाक-कान छिदवाने, घूमने-फिरने और दोस्त बनाने और लड़कों से दूर रहने आदि बातों के लिए दबाव बनाते हैं।
- 13) अनेको परिवारों में आज भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है या उच्च शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके पीछे यह धारणा है कि उनका काम घर और परिवार को संभालना और बच्चों की देखरेख करना है।
- 14) परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कामना के लिए दान और प्रसाद पर व्यय किया जाता है जबकि बच्चों की कापी-किताबों और विद्यालय की फीस और उनके मानसिक विकास करने वाली वस्तुओं को खरीदते समय अभिभावक पैसा बचाने का प्रयत्न करता है।
- 15) व्यक्ति समाज में सम्पन्न और धनी होने का दिखावा करने के लिए मूल्यवान वस्त्र, संसाधन और आलिशान भवन बनाने और अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने पर बड़ी मात्रा में पैसा व्यय करते हैं।
- 16) समाज और परिवार में बेटे और बेटा में समान होने की बात की जाती है जबकी आज भी परिवारों में बेटा की जगह बेटा पैदा होने की दुआ मांगी जाती है।
- 17) धार्मिक आस्था के रूप में मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण में बड़ी मात्रा में धन और समय का व्यय किया जाता है।

- 18) बाल विवाह के इतने विरोध के बाद भी विवाह के व्ययों से बचने के लिए बड़ी बेटी के साथ छोटी व कम उम्र की बेटियों का विवाह कर दिया जाता है।
- 19) परिवार में बच्चे के नाम करण के समय बड़ी मात्रा में रूपया खर्च किया जाता है।
- 20) जाति या धर्म विशेष की सहानुभूति पाने के लिए साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त शहीदों व महापुरुषों के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित कर उत्पादन का हास किया जाता है।
- 21) जीवित इंसान के साथ अमानवीय कार्य (अत्यधिक शोषण, परेशान या प्रताड़ित अथवा हत्या) करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद यह डर उन्हें परेशान करता है की वह भूत बनकर परेशान करेगा।
- 22) जमीन पर बैठकर भोजन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में रक्त का संचार समान रहता है।
- 23) हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर ही नमस्कार या अभिवादन करना चाहिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति के स्पर्श होने से शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
- 24) श्राद्ध कर्म करते समय कोंए और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वजो का पेट भर जाता है।
- 25) नारी का कन्या रूप पूजनीय है एवं छोटी उम्र की बालिकाएं दुर्गा का रूप होती है अतः इनकी पूजा करना चाहिए।
- 26) सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिये क्योंकि इस अवधि में खाद्य वस्तुओं और जल में कीटाणु एकत्रित हो जाते हैं।
- 27) दाह संस्कार करते समय मृतक के मुख पर चन्दन की लकड़ी रखने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है।
- 28) परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर सर मुंडवाना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि मृत व्यक्ति के संपर्क में आने से बालों में संक्रमण होने का अधिक खतरा रहता है।
- 29) विधवा स्त्रियों को सफेद कपडे पहनाने के पीछे यह मान्यता है कि यह रंग उन्हें चुनोतियों का सामना करने का आत्मबल प्रदान करता है।

इस प्रकार से रूढ़िवादी प्रथाओं के प्रति समर्पित व्यक्ति अपनी कमजोर एवं स्थिर मानसिकता के कारण जीवन भर स्वयं का शोषण करता है और अपनी किस्मत को ही कोसता रहता है।

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजीए।

१. पारम्परिक और प्राचीन समय से चली आ रही धारणा को कहते हैं।
२. प्रत्येक मान्यता के पीछे अनुभव और भ्रम होते हैं।
३. रूढ़िवादिता की धारणाएं सामान्यतया पर आधारित नहीं होती है।
४. भारत के पिछड़ेपन का कारण ही देश वासियों का अत्यधिक होना है।

10.4 कार्य और बचपन – (Work And Childhood)

बचपन - बचपन हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होता है। यह जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपने दादा-दादी, नाना-नानी की गोद में परियों की कथाएँ

सुनता है और सपनों की दुनिया में खो जाता है। इस उम्र में उसे ना तो किसी बात की चिंता रहती और ना कोई परेशानी। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में बुजुर्गों का साथ और कहानियाँ गुम हो गयी है। आज का बचपन अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने, कूदने, दोड़ने और मस्ती करने की जगह टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वीडियोगेम में उलझा हुआ है। बच्चों में इन साधनों के उपयोग की प्रवृत्ति लगातार बढ़ने से वें भय और तनाव के शिकार हो रहे हैं। एक और स्कूल के बस्तों के बढ़ते बोझ एवं अधिक विषयों का गृह कार्य ने बच्चों से उनके खेलने का समय तो दूसरी और बच्चों से कार्य कराने की अभिभावकों की मजबूरी और पैसों की लालसा ने बच्चों से उनका बचपन पूरी तरह से ही छीन लिया है। बच्चों में परीक्षा में अधिक अंक और अच्छे परिणाम न लाने का भय हमेशा बना ही रहता है। यह भय केवल शिक्षा प्राप्त करने या पढ़ाई-लिखाई करने तक ही सीमित नहीं है इस प्रकार का भय और तनाव बच्चों में घर में भी दिखाई देता है जब परिवार का वातावरण और उनकी परवरिश ठीक प्रकार से नहीं की जाती है।

कार्य - गरीब बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एवं गरीब परिवारों के कम उम्र के बच्चे किसी न किसी रूप में घरों, खानों, खदानों, कारखानों, उद्योगों, बागानों, रेस्टोरेंट, होटलों और ढाबों में काम करते दिखाई देते हैं। शुरू-शुरू में बच्चा घर पर या घर के बाहर अपने माता-पिता के साथ उनके काम में सहायता करते हुए काम सीखता है ऐसा करते समय उसकी पढ़ाई- लिखाई और खेलकूद में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। माता-पिता के काम में सहयोग करते-करते कुछ समय बाद बच्चे की उस काम में रुचि बढ़ने लगती है। तब माता-पिता कमाने के उद्देश्य से या पारिवारिक मजबूरी की वजह से बच्चों से काम करवाने लगते हैं अथवा जब किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है और जब परिवार के दूसरे सदस्य परिवार की मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तब बच्चों पर काम करने के लिए दबाव बनाते हैं और अपने छोटे बच्चों को कार्य करने के लिए भेजने लगते हैं। इसप्रकार से प्रारम्भ के काम का उद्देश्य कार्य सीखना होता है जबकि बाद के कार्य का उद्देश्य परिवार की आय बढ़ाना होता है। बच्चा काम इसलिए करता है कि परिवार के लोगों की जीविका उसकी आमदनी पर भी निर्भर करने लगती है ऐसी दशा में बच्चा जब काम करना छोड़ देता है तो परिवार के सदस्य भूखे मरने लगते हैं। इसलिए बच्चे का काम में लगा रहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

कारण—निम्न कारण से बच्चा कम उम्र में काम करना शुरू करता है जैसे - परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, सीमित आमदनी, निम्न जीवन स्तर, परिवार का बड़ा आकार या बच्चों की संख्या अधिक होना, कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक या दो होना, अत्यधिक गरीबी की हालत, परिवार में आय के विकल्पों की कमी, पालकों की अज्ञानता आदि। जब परिवार के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं और दो समय की रोटी नहीं जुटा पाते हैं तब भोजन और साधनों के अभाव में पूरा परिवार ही तनाव ग्रस्त रहता है। ऐसी स्थिति में परिवार का भरण-पोषण करने और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम उम्र के बच्चों की सहायता ली जाती है और उनके माता-पिता द्वारा विद्यालय भेजने की जगह बच्चों को पैसे कमाने के लिए काम करने भेजा जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप इन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और धीरे-धीरे ये बच्चे विद्यालय जाना ही छोड़ देते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि बच्चों के छोटे-छोटे हाथों में किताब और खिलौने की जगह परिवार की जिम्मेदारी थमा दी जाती है जिससे उनकी आँखों में शिक्षा प्राप्त करने की चमक के स्थान पर रोटी कमाने और पाने की ललक अधिक दिखाई देने लगती है।

प्रभाव – जब बच्चों द्वारा बचपन में कार्य शुरू किया जाता है तब उन्हें कार्य के बदले थोड़ी सी मात्रा में ही सही पैसा अवश्य प्राप्त होता है। जब कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में पैसा आने लगता है तो छोटी उम्र में ही उनकी मानसिकता बड़ी हो जाती है जिसके कारण वे अनेक बुरी और गंदी आदतों के शिकार होने लगते हैं जैसे - बीड़ी-सिगरेट एवं शराब पीना, मादक पदार्थ का व्यसन करना और झूठ बोलना। घरों में काम करने वाले बच्चे जब अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को परिवार के लोगो के साथ खेलते-कूदते, खाते-पीते, पढ़ते-लिखते और मौज-मस्ती करते हुए देखते हैं तब वे चाह कर भी उन बच्चों के समान उन सभी क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनके मन में अपने माता-पिता के प्रति द्वेष और घृणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। बच्चों के साथ उनके मालिकों द्वारा भी अमानवीय व्यवहार तथा मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है जिसके कारण बच्चे अवसाद के शिकार हो जाते हैं और उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। कभी कभी ये बच्चे गंभीर और घिनोने अपराधो में भी संलग्न हो जाते हैं जैसे -चोरी, बलात्कार और हत्या आदि। अंत में कहा जा सकता है की आज का बचपन बाल मजदूरी से लेकर घरेलू हिंसा और यौन शोषण का शिकार हो रहा है।

अभ्यास प्रश्न - 2

सत्य/असत्य बताइए।

१. बच्चों के साथ उनके मालिकों द्वारा अमानवीय व्यवहारकिया जाता है।
२. जब बच्चे अवसाद के शिकार होते हैं तो उनमें अपराध की करने प्रवृत्ति कम हो जाती है।
३. प्रत्येक माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है।
४. बचपन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होता है।

10.5 कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे और उनको समझना

(Children In Difficult Circumstances And Understanding Of Them)

भारत में करीब 43 करोड़ बच्चे हैं जो देश की आबादी का एक तिहाई और पूरी दुनिया के बच्चों की संख्या का 20 प्रतिशत है। समाज में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नता व्याप्त होने के कारण विभिन्न समुदाय और परिवार के लोगों के रहन सहन के स्तर और दशाओं में भी विभिन्नता दिखाई देती है। इसलिए परिवारों के साथ रहने वाले बच्चों के साथ परिवार से अलग और विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के बारे में जानना और उनको समझना बहुत जरूरी है ताकि सभी बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की रक्षा की जा सके। वैसे तो सभी बच्चों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है परन्तु बहुत से बच्चों की स्थिति अधिक संवेदनशील होती है जिसके कारण उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है जैसे - बेघर बच्चे (सड़क किनारे रहने वाले, विस्थापित/घर से निकाले गए, शरणार्थी), दूसरी जगह से आये बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, अनाथ या परित्यक्त बच्चे, काम करें वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, भगाकर लाये हुए बच्चे, जेल में बंद बच्चे, कैदियों के बच्चे, संघर्ष से प्रभावित बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे, असाध्य रोगों से ग्रसित बच्चे,

विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे आदि। इसलिए इन बच्चों के बारे पूरी तरह से जानना और समझना अत्यन्त आवश्यक है।

कठिन और विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को अध्ययन की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है।

१. **झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे** - देश के प्रत्येक शहर में निचले इलाकों या गंदी बस्तियों में अनेकों झोपड़ियां दिखाई देती है जो प्लास्टिक की पन्नियों, कागज के गत्तो, लकड़ियों, पत्थर और ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों तथा मिट्टी के लेप से बनी होती है। इन झोपड़ियों में रहने वाले परिवार कमजोर आर्थिक स्थिति और काम के अभाव में गावों और कस्बों से पलायन कर शहरों की ओर आते हैं और जब इन लोगों को गुजर बसर करने के लिए स्थान नहीं मिलता है तो ये शहरों में निचले इलाको या गंदी बस्तियों, रेल की पटरियों के दोनों ओर झोपड़ियां बना कर रहने लगते हैं। इन परिवारों के बच्चे अपने माता पिता के साथ इन झुग्गी - झोपड़ियों या मलिन बस्तियों में ही रहते हैं और गंदगी, मच्छरों, कीटाणुओं और जानवरों के बीच खुले बदन और कम कपड़ों के खेलते और सोते हैं। इन झोपड़ियों में खाने के लिए बर्तन, पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर भी नहीं होते हैं। इन बस्तियों में हालत भी बहुत ही खराब होते हैं। जल और मल निकासी तथा कूड़े कचरे को हटाने की सही व्यवस्था नहीं होने से चारों ओर गंदगी एवं कचरा बिखरा होने से चारों ओर का पर्यावरण पूरा दूषित हो जाता है ऐसे वातावरण में रहना ही अपने आप में काफी पीड़ा दायक होता है। इन बच्चों को दो समय का खाना भी रोजाना नसीब नहीं होता है इसलिए आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इन बस्तियों में स्वच्छ पीने के पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने से छोटे बच्चे विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों में हमेशा अकेलापन और उदासीनता दिखाई देती है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चे भीषण गरीबी के कारण शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और मुलभूत आवश्यकता से हमेशा वंचित रहते हैं इसलिए इन बच्चों का सुविधा सम्पन्न लोगों द्वारा हमेशा तिरस्कार किया जाता है।

२. **गली,सड़कों और फुटपथों पर रहने वाले बच्चे** - जो माता-पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं उन अभिभावकों के बच्चे घर से भाग जाते हैं। फुटपथ पर रहने वाले अधिकतर बच्चे घर से भागे हुए ही होते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता है और अपने ऊपर किसी प्रकार का बंधन या दबाव पसंद नहीं करता है। लेकिन जब माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य, विद्यालय या समाज के लोगों द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो ऐसी दशा में बच्चे घर से भाग जाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा किये गए सर्वे के अनुसार हर छः मिनट में भारत में एक बच्चा गायब हो जाता है।

निम्न कारणों की वजह से बच्चे घर से भागते हैं।

1. जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए।
2. जब माता-पिता द्वारा बच्चे पर पढ़ाई करने के लिए दबाव बनाया जाता है।
3. शहरी चकाचौंध से आकर्षित होकर आधुनिक जीवन जीने के लिए।
4. जब बच्चों के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में खराब सम्बन्ध होने जाते हैं।

5. जब माता-पिता के द्वारा अपने बच्चों का परित्याग कर दिया जाता है।
6. माता-पिता या अध्यापक द्वारा जब उनकी लगातार पिटाई की जाती है।
7. जब उनके साथ सगे संबंधियों द्वारा यौन संबन्धी दुर्व्यवहार या शारीरिक शोषण किया जाता है।
8. समाज के व्यक्तियों द्वारा उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाने या लिंग संबंधी भेद भाव किया जाता है।
9. जब बच्चे अपंगता या एड्स रोग की वजह से अपने को हीन या अकेला सा अनुभव करते हैं।
10. जब परिवार के द्वारा अत्यधिक सताए या शोषित किया जाते हैं।

सामान्यतया फूटपाथ पर रहने वाले बच्चों के प्रति लोगों की अवधारणा यह है की लोग उन्हें अच्छा नहीं मानते हैं जबकि वास्तविकता तो यह है की जिन परिस्थितियों में ये रहते हैं वे परिस्थितियां ही खराब होती हैं। इन बच्चों को रात को सोने के लिए झोपड़ी भी नसीब नहीं होती है इसलिए ये बच्चे बस स्टाप, रेल्वे स्टेशन के बाहर, पार्क सार्वजनिक भवनों, दुकानों के बाहर फर्श पर, फुटपाथ पर सोकर रात बिताते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। इन बच्चों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है और अक्सर बुरे व्यवहार के शिकार हो जाते हैं। सामान्यतया ये अपने से बड़े बच्चों के संपर्क में आकर कचरा बीनने और दूसरे वे कार्य करने लगते हैं जो उन्हें बिना कष्ट के मिल जाता है अथवा गैर कानूनी कार्यों को करते हैं जैसे-जेब काटना, भीख मांगना तथा नशीले पदार्थों को बेचना, चोरी करना, लड़ाई-झगड़े करना, नशा खोरी करना और कभी-कभी ये बच्चे बलात्कार एवं आत्म हत्या करने जैसे कदम भी उठा लेते हैं। गरीब और मलिन बस्तियों के बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना सपना बन गया है क्योंकि इन बच्चों के माता- पिता का निरक्षर होते हैं इसलिए बच्चों की शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता काफी कम होती है। इसलिए ये बच्चे आज भी शिक्षा से काफी हद तक वंचित हैं।

अभ्यास प्रश्न :-3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

१. झुगी झोपड़ियों में रहने वाले आधे से अधिक बच्चेके शिकार हो जाते हैं।
२. आजकल बच्चे किसी प्रकार कापसंद नहीं करता है।
३. गरीब और मलिन बस्तियों के बच्चों काग्रहण करना सपना बन गया है।
४. फुटपाथ पर रहने वाले अधिकतर बच्चे घर से होते हैं।

10.6 बाल श्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

(Child Labour and Other Important issues)

वर्तमान समय में भारतीय समाज अनेक सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ है जिनके निराकरण के लिए सरकार और समाज द्वारा मिलकर प्रयास किये जा रहे हैं। ये प्रमुख समस्याएं हैं- जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, बालश्रम, बालविवाह, बाल अपराध, नशाखोरी और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए इनकी प्रकृति और स्वरूप को समझना जरूरी है। देश में गरीबी

और परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ने-लिखने और खेलने-कूदने की उम्र में लाखों बच्चे किसी न किसी रूप में किसी कार्य या व्यवसाय में लगे हुए हैं। आज शहर के व्यस्त चौराहों पर कई बच्चे सुबह से शाम तक घूमते फिरते नजर आ जाते हैं। जिनमें से कई तो होटल या रेस्टोरेंट, कारखानों या खदानों में काम करते हैं और कई बच्चे आते जाते लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए भीख मांगते दिखायी देते हैं। कई बच्चे कचरे के ढेर में कागज व पन्नी बिनते नजर आते हैं। बच्चों को इन कार्यों से दूर करने और शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कानूनों को लागू किया है, उसके बावजूद भी ये समस्याएँ ज्वलंत रूप में दिखाई दे रही हैं।

10.6.1 बाल श्रमिक से आशय :-

दुनिया भर में 17 करोड़ बाल श्रम कर रहे हैं जबकि भारत में 43.53 लाख बच्चे (2011 जनगणना अनुसार) बाल श्रमिक के रूप में मेहनत और मजदूरी करने को मजबूर हैं। जिन बच्चों के हाथों में खिलौने कागज कलम और कापी-किताब, तथा स्लेट और पेंसिल होना चाहिए आज उन हाथों में पालिश करने का ब्रश, दूमरों के पढ़ने के लिए स्लेट निर्माण की सामग्री या औजार हैं। माता-पिता का प्यार, दुलार और स्नेह पाने तथा अपने भाई-बहनों के साथ खेलना-कूदने की उम्र में बच्चे धुप, गर्मी और वर्षा को सहते हुए कारखानों, होटलों या बंद कोठियों में काम कर रहे होते हैं।

बाल मजदूरी (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार – “वह प्रत्येक बच्चा, जो कि 14 वर्ष कम उम्र का हो, बाल श्रमिक कहलायेगा।” दूसरे शब्दों में, किसी कारखाने, खदान या होटल आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के शारीरिक या मानसिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। बाल श्रमिकों में बालक और बालिकाओं, दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। जब इन बच्चों की उम्र खेलने, खाने और पढ़ने की होती है, तब ये कारखानों, होटलों और दुकानों पर कार्य कर रहे होते हैं।

उदाहरण - (1) एक सम्पन्न परिवार का बच्चा स्वयं कार्य या मजदूरी नहीं करता है बल्कि परिस्थितियाँ उसे कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं जैसे - घर में पिताजी बीमार हैं और माँ मजदूरी करने जाती है और बच्चा पढ़ना चाहता है परन्तु क्या करे। साधनों के अभाव में शिक्षा को जारी नहीं रख सकता है। गरीबी और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वह परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कम उम्र में ही मजदूरी करना प्रारम्भ कर देता है अथवा किसी बच्चे का अपने और अपने परिवार वालों की भूख मिटाने के लिए किसी होटल, कारखाने या घर में काम करना बाल मजदूरी कहलाता है।

10.6.2 बाल श्रम की उत्पत्ति एवं स्थिति:-

विश्व में बाल श्रम का प्रारम्भ औद्योगीकरण के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। सस्ते श्रम के लालच में बच्चों को उद्योगों में कार्य करने पर लगाया गया और बाल श्रम कानून के अभाव में लंबे समय तक इन बच्चों से कम मजदूरी दर पर ही काम लिया जाता रहा। आज के समय में बाल मजदूरी अविकसित एवं विकासशील देशों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ही परिणाम है। भारत में 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या अमेरिका की आबादी और बाल श्रमिकों की संख्या हालैण्ड व स्पेन जैसे देशों की पूरी जनसँख्या के बराबर है। देश की कूल श्रमशक्ति का 3.6 प्रतिशत हिस्सा 14 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों का है। इनमें से 85.7 प्रतिशत बच्चे तो कृषिगत कार्यों में और शेष 14.3 प्रतिशत गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हैं, इनमें से 9 प्रतिशत से भी कम बच्चे

उत्पादन, सेवा और मरम्मत जैसे कार्यों को करते हैं, जबकि सिर्फ 0.8 प्रतिशत बच्चे ही कारखानों में काम करते हैं। बाल श्रम कानून 1986 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक प्रक्रियाओं और विशेष उद्योगों में काम करने से रोकता है, परन्तु कृषि क्षेत्र के विषय में यह कानून पूरी तरह से मौन है जबकि इस क्षेत्र में देश के 85 प्रतिशत से अधिक बच्चे कार्य कर रहे हैं। बाल श्रम की दर अफ्रीका में अधिकतम है, किन्तु संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा 2010-11 में किये सर्वे के अनुसार यह संख्या 49.84 लाख है।

बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में समस्याएँ :-

- 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की पहचान करने की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि बाल मजदूरों की पहचान करने का कोई मापदंड नहीं जो की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य हो।
१. बच्चों की उम्र एवं आयु के निर्धारण सम्बन्धी कोई प्रामाणिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है।
२. सरकार द्वारा बाल मजदूरों की वास्तविक संख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।
३. बाल श्रमिकों जब शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हो जाता है तो उसे मिलने वाली सहायता की राशि उसे प्राप्त नहीं होती है।
४. अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता के कारण माता पिता के द्वारा बच्चों को पढ़ाई से दूर कर उनसे पुनः कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
५. विशेष विद्यालयों द्वारा इन बच्चों को प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अनेक खामिया और कमियाँ हैं।
६. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान जिन उत्पादनों का निर्माण किया जाता है उनका विपणन भी ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है।
७. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार ठीक प्रकार से नहीं होने और शिक्षा के अभाव में पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।
८. बाल श्रम रोकने सम्बन्धी कानून को जमीनी स्तर पर सही मायने में लागू नहीं किया जाता है।
९. बाल श्रम से मुक्त कराये गए मजदूरों का पुनर्वास का कार्य जल्द व सही प्रकार से नहीं होता है इसके साथ ही पुनर्वास के लिए उन्हें दी जाने वाली राशि बहुत कम है।

10.6.3 बाल श्रमिकों के उन्मूलन, शिक्षा और कल्याण हेतु प्रयास:-

सरकार ने देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और लाखों बच्चों को बाल मजदूरी करने से रोका। बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महानगरों सहित देश के 266 जिलों में 14 अगस्त 1987 को **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** प्रारम्भ की। सम्पूर्ण देश में बाल श्रमिक बच्चों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस परियोजना के तहत संचालित विशेष विद्यालयों में भर्ती कर उन्हें संपर्क शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषण भत्ता और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में देश में 7311 विशेष विद्यालय इस दिशा में

कार्य कर रहे हैं जिनका संचालन स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। दूसरी और बेसहारा बच्चों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण योजना के माध्यम से आश्रय एवं रखरखाव की व्यवस्था प्रदान करता है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विद्यालयों को मध्याह्न भोजन तथा सर्व शिक्षा अभियान के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं पुस्तकें आदि उपलब्ध कराता है। सरकार ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जिससे बाल श्रम को रोकने में काफी मदद मिल रही है। भारत सरकार बाल श्रम के खिलाफ अपने संघर्ष तेज करते हुए खतरनाक उद्योगों में बच्चों को कार्य करने से रोकने के लिए अंतर राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता करने की भी तैयारी कर रहा है

अभ्यास प्रश्न :- 4

सत्य /असत्य बताइये।

१. बाल श्रमिकों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पहला है।
२. 14 वर्ष से कम उम्र के शारीरिक या मानसिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।
३. सरकार द्वारा हमेशा बाल मजदूरों की वास्तविक संख्या के सही आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं।
४. बाल श्रम से मुक्त कराये मजदूरों के पुनर्वास के लिए दी जाने वाली राशि पर्याप्त होती है।

10.7. - अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे (कचरा बीनना, भीख मांगना, बाल शोषण, और बाल अपराध)

बाल श्रम के समान ही अन्य कई मुद्दे हैं जैसे - कचरा बीनना और भीख मांगने, बाल शोषण, मानव तस्करी के लिए, देह व्यापार एवं बाल अपराध आदिकार्य सीधे रूप में बच्चों से जुड़े हुए हैं। इन सभी कार्यों में बच्चों का खूब उपयोग किया जाता है। बच्चों सम्बन्धी इन मुद्दों का विवेचन इस प्रकार है -

10.7.1 - कचरा बीनना

अक्सर हम कई बच्चों को नालियों, नालों, गलियों एवं कचरे के ढेरों पर कुछ बीनते देखते हैं जैसे - प्लास्टिक के टूटे फूटे सामान एवं खाली बोतलें, कागज के गत्ते, पालीथीन, कांच के सामान एवं बोतलें आदि। ये बच्चे अक्सर नंगे पैर, हाथ और चहरे को बिना ढंके ही कचरे के ढेरों पर दिन भर भटकते और घूमते रहते हैं। ये बच्चे कम उम्र के होते हैं इनमें से ज्यादातर बच्चे या तो विद्यालय छोड़ चुके होते हैं या फिर उनके माता-पिता द्वारा उन्हें जबरन कचरा बीनने के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों द्वारा कचरे में से बीनी गयी वस्तुओं को बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है उससे परिवार के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

10.7.2- भीख मांगना

आज प्रत्येक शहर के चौराहों और सड़कों पर, ट्राफिक सिग्नल पर या गली मोहल्लो में, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों बच्चों को आते जाते लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए भीख मांगते दिखायी देते हैं। कुछ अपनी मर्जी से और कई से जबरन भीख मांगवाई जाती है। भीख मांगने के इस व्यवसाय में केवल बच्चे ही नहीं अनेक महिलाएं भी शामिल होती हैं जो बच्चों को गोद में उठाये भीख मांगती दिखाई देती हैं। अनेक व्यक्तियों द्वारा इस कार्य के लिए अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों का भी उपयोग किया जाता है जो प्रायः चुराए हुए या किसी शहर या गांव से उठाये हुए होते हैं। भीख मांगने वालों में कई बच्चे अपने घर से भागकर आये हुए हैं तो कई अपने घर की गरीबी या पिता की शराबखोरी की वजह से भीख मांगने को मजबूर होते हैं।

आज के समय में भीख मांगना मजबूरी नहीं बल्कि इन लोगों का व्यवसाय बन गया है। स्वतंत्रता पूर्व अनेक जातियों के लोग जैसे – पारदी, सील्लिकर, गाडिया लुहार आदि विभिन्न कार्यों में संलग्न थे और अस्त्र-शस्त्र बनाने, नाँचने, गाने और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परन्तु आधुनिकीकरण और विकास ने अनेक जातियों को उनके पुस्तनी कार्यों से अलग कर दिया। परिणाम स्वरूप इन जातियों के लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने दूसरे काम करना शुरू कर दिए परन्तु जो परिवार अन्य कार्य नहीं कर पाए या उन्हें काम नहीं मिला तब परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ जातियों के लोगों ने अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों से भीख मांगवाना शुरू कर दिया। इस प्रकार हर साल भीख मांगने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

उदाहरण के लिए - एक गरीब परिवार के बच्चे की तमन्ना थी कि वह भी खूब पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनेगा लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंबी बीमारी के चलते पिता की मृत्यु हो गयी और कुछ समय बाद ही माँ का भी देहांत हो गया। ऐसे में परिवार के छोटे भाई-बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गयी। जब काम की तलाश करना शुरू की और जब उसे कहीं भी काम नहीं मिला तो उसने मजबूर होकर चौराहे पर भीख मांगना शुरू कर दिया।

10.7.3 - बाल शोषण

बाल शोषण करना मानव अधिकारों का पूर्णतया उलंघन करना है। बाल शोषण का मतलब है कि बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना। जब बच्चे के माता पिता या अभिभावक द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता अथवा बच्चा मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है। वर्तमान समय में समय में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं अनेक लोगों द्वारा बच्चों का शोषण किया जा रहा है। परन्तु पीड़ित बच्चे भय और शर्म के कारण उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं और दोषी व्यक्तियों उन घटनाओं को लगातार दोहरा रहे हैं।

10.7.4 - बाल अपराध

जब बालक समाज के नियमों, परम्पराओं और मर्यादाओं आदि का उल्लंघन करता है अर्थात् समाज विरोधी कार्य करता है तो उसके व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। “बाल अपराधी उसे कहा जाता है जिसने अपना घर छोड़ दिया है या वह जो माता-पिता के नियंत्रण में नहीं रहता है और देश के उस कानून का उलंघन करता है जिसका पालन करना उसके लिए आवश्यक है।” अथवा जब

कोई बच्चा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है। सामान्यतया इन बच्चों की उम्र 7 से 16 वर्ष की होती है।

प्रत्येक बालक के व्यवहार में चंचलता, जिद और हठ के साथ कुछ शैतानी अवश्य होती है। एस. चन्द्र के अनुसार – “शैतानी जब एक ऐसी आदत के रूप में विकसित हो जाती है जो कि समाज द्वारा बनाए गए प्रतिमानों की सीमाओं को पार कर जाती है, उसके परिणाम से जो व्यवहार उभर कर आता है उसे बाल अपराध कहा जाता है।”

सामान्यतया बच्चों में बाल अपराध दो प्रकार का होता है – सामान्य और गंभीर। बच्चे जब लड़ाई-झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, शांति भंग करते हैं, विद्यालय से भागते हैं, अश्लील गाने गाते या हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं या तेजी से गाड़ी चलाकर टक्कर मारते हैं, तब उनके द्वारा किये गए कार्य सामान्य अपराध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब बच्चे समाज में चोरी, अपहरण, लूटपाट, संपत्ति को क्षति पहुंचाना, हिंसा करना एवं यौन अपराध, बलात्कार, हत्या जैसे कार्य करते हैं तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

बच्चों द्वारा अपराध चार रूपों में किया जाता है - 1. व्यक्तिगत रूप से, 2. संगठित रूप से 3. समूहसमर्थित रूप में, 4. स्थितिजन्य रूप में। किसी भी मनुष्य पर जब परिस्थितियाँ प्रभाव डालती हैं तो उसके दबाव और तनाव में वह अपराधी बन जाता है। देश में बाल अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बाल अपराध की दर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में अधिक है।

बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्न हैं।

१. पारिवारिक कारण – जब माता-पिता एवं भाई बहन बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहते हैं या माता पिता बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं।
२. भौतिक वन्शानुक्रमण - परिवार के सदस्य का लंबे समय तक बीमार होने, मृत्यु होने, जेल जाने अथवा तलाक आदि की दशा में परिवार टूट जाते हैं और बच्चे अपराधों में संलग्न हो जाते हैं।
३. अपराधी भाई बहन – यदि परिवार में बड़े भाई-बहन अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो उन परिवार के अन्य छोटे बच्चों के मन में भी अपराध करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।
४. माता-पिता द्वारा बच्चों का तिरस्कार – जिन बच्चों को माता-पिता का प्यार और स्नेह नहीं मिल पाता है या माता-पिता द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है तब उनमें अपराध करने की भावना पनपने लगती है।
५. शारीरिक कारण - जब बच्चे किसी शारीरिक अक्षमता का शिकार हो जाते हैं तो उनमें हीनता की भावना आ जाने से वे अपराध करने लगते हैं।
६. मानसिक अयोग्यता - कमजोर मस्तिष्क और भावनात्मक अस्थिरता के कारण जब बच्चे अपने आप को असुरक्षित पाते हैं और तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो अपराध करना प्रारम्भ कर देते हैं।
७. सामुदायिक कारण – बच्चा जिस समुदाय में रहता है यदि उस स्थान का वातावरण अनुकूल नहीं होने पर बच्चा अपराध करना आरम्भ कर देता है जैसे-पड़ोस के लोग,

अपराधी क्षेत्र में निवास का होना, चल चित्र और अश्लील साहित्य का अधिक उपयोग आदि।

अभ्यास प्रश्न :- 5

निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।

1. जब कोई बच्चा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे कहा जाता है।
2. बाल अपराध कितने प्रकार के होते हैं।
3. बाल अपराध की दर कौन से क्षेत्र में अधिक होती है।
4. बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना कहलाता है।

10.8 सारांश

स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में संविधान संशोधन कर अनेक कानून बनाये और उन्हें समयसमय पर लागू भी किया गया परन्तु आज छह दशक बीत जाने के बाद भी देश के करोड़ों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और जीवन की बुनियादी सुविधाएँ भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकी। यहाँ तक की लाखों बच्चों को दो समय का खाना भी रोज नहीं मिल पा रहा है इसलिए बच्चे घरेलू नौकर या श्रमिक के रूप में होटलों, कारखानों या खदानों में काम करके या सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाए भीख मांगते या कागज व पत्ती बीनते दिखाई देते हैं। काम करने वाले ये बच्चे भिन्न कठिन परिस्थितियों में मलिन या गंदी झुग्गी झोपड़ियों में अभाव ग्रस्त जीवन जीने को विवश हैं। जैसे कमाने की मजबूरी और लालसा ने बच्चों से उनका बचपन पूरी तरह से ही छीन लिया है। आधुनिकता की दौड़ में कम उम्र के बच्चों में नैतिकता और मानवीय मूल्यों का हास हुआ है और इन बच्चों ने समाज की समस्त मर्यादाओं एवं नियमों की सीमाओं को लांघ दिया है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कानून से देश के चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार मिल गया परन्तु सच तो यह है की दस लाख बच्चे आज भी इस हक से दूर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र को जारी किये सत्रह साल बीत जाने के बाद भी बच्चों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। अभी भी गरीब तबके और पिछड़े क्षेत्रों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएँ देने की जरूरत है इसके साथ ही समाज के व्यक्तियों का इन बच्चों के प्रति नजरिया बदलने की आवश्यकता है। केन्द्र और राज्य सरकारों, समाज और समाज सेवी संस्थाएँ जब तक बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशीलता नहीं दिखायेगी और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाती तब तक इस भटकते और बिगड़ते बचपन को रोकना संभव नहीं होगा और उनका भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय ही बना रहेगा।

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न :-1

1. रूढिवादिता 2. व्यक्तिगत 3. वस्तुनिष्ठ सत्य 4. रूढिवादी

अभ्यास प्रश्न :-2

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. सत्य

अभ्यास प्रश्न :-3

1. कुपोषण 2. बंधन या दबाव 3. शिक्षा 4. भागे हुए

अभ्यास प्रश्न :-4

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. असत्य

अभ्यास प्रश्न :-5

1. बाल अपराधी 2. दो 3. शहरी 4. बाल शोषण

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. बचपन और रुढ़िवादिता की धारणाओं से आप क्या समझते हैं।
2. काम का बचपन पर होने वाले प्रभाव को संक्षिप्त में बताइए।
2. किन-किन कारणों से बच्चे अपना घर छोड़ कर भाग जाते हैं।
3. बाल श्रम की उत्पत्ति एवं वर्तमान स्थिति को संक्षेप में समझाइए।
4. बच्चों में अपराध प्रवृत्ति बढ़ने के प्रमुख कारण बताइए।
5. बाल श्रम और अन्य सम्बंधित मुद्दों के प्रति मीडिया की भूमिका को संक्षेप में बताइये।

10.12 संदर्भ /ग्रन्थ

- www.Shodhganga.inflibnet.ac.in
- www.mediaforrights.org
- www.chauthiduniya.com
- Ministry of Labour and Employment, Government of India.
- children mainstramed under nclp-RN/5028a2e60f881
- child labour – reference note/no. 10/RN/Ref.2013
- श्रीवास्तव, मनीष कुमार : बालश्रमिक एक सामाजिक अभिशाप ,कुरुक्षेत्र ,नवम्बर (2007)
- दुबे, शारदा एवं वाजपेयी, दुर्गा : बाल श्रम एवं मानव अधिकार. शोध समीक्षा और मूल्यांकन, सितम्बर (2009)
- शर्मा, सतीश कुमार : बाल मजदूरी – उन्मूलन श्रम सचिवाई , योजना मई
- गौतम ,सुशील कुमार : बाल श्रम उन्मूलन हेतु हेतु सरकारी और गैर सरकारी प्रयास , कुरुक्षेत्र ,नवम्बर (2007)।
- श्रीवास्तव , उदय शंकर : बाल श्रम एवं मानव अधिकार. पृष्ठ- 382।
- श्रीवास्तव, डी. एन. और वर्मा, प्रीति. (1996) बाल मनोविज्ञान : बाल विकास, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर

इकाई - 11

बालक के वास्तविक जीवन के अध्ययन की विधियाँ

Methods of study of children's real-life

चरित्र लेखन विधि, कहानी, विभिन्न संस्कृति में विकसित बालकों का वर्णन, अभिभावकों व शिक्षक द्वारा निरीक्षण, बालकों की दैनन्दिनी, साक्ष्य एवं मीडिया

Biographies, stories, narrations of growing up in different cultures, observations about children by parents and teachers, children's diaries, testimonies and the media.

इकाई की रूपरेखा

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 बाल अध्ययन विधियाँ
 - 11.3.1 बाल चरित्र लेखन विधि (Child Biography method)
 - 11.3.2 कहानी विधि (Story method)
 - 11.3.3 सांस्कृतिक विधि (Cultural method)
 - 11.3.4 निरीक्षण विधि (Observation method)
 - 11.3.5 बालकों की दैनन्दिनी (Children's Dairies)
 - 11.3.6 साक्ष्य (Testemonies)
 - 11.3.7 माध्यम (Medium)
- 11.4 सारांश
- 11.5 शब्दावली
- 11.6 संदर्भित ग्रन्थ सूची

11.0 उद्देश्य

इस इकाई की समाप्ति पर आपको इस योग्य हो जाना चाहिए कि आप -

- बाल विकास की विभिन्न विधियों को समझ सके।
- बालको के व्यवहारों तथा क्रियाओं का अवलोकन कर सके।
- कहानी विधि द्वारा चरित्र का विकास कर सकेंगे।

- बाल विकास की विभिन्न विधियों द्वारा समस्या को सुलझा सके।
- सांस्कृतिक विधि द्वारा विभिन्न समाज की संस्कृति को जान सके।
- बालक दैनन्दिनी द्वारा अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सके।
- साक्ष्य के आधार पर स्व का मूल्यांकन कर सके।
- विभिन्न संचार के माध्यमों द्वारा ज्ञान का विकास कर सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो संसार के प्रत्येक जीव में पायी जाती है। यह जीव एक कोशिकीय से लेकर बहु कोशिकीय जीव तक कोई भी हो सकता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान Child Psychology कहा जाता था परन्तु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास Child Development कही जाती है। बाल विकास के अध्ययनों ने बालको के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव समाज के कल्याण पर भी पड़ा है।

क्रो और क्रो (1958) के अनुसार “बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है।”

"Child psychology is a scientific study of the individual from his prenatal beginnings through the early stage of his adolescent development."

L.C. Crow and A. Crow

(Child Psychology 1958)

बच्चे परिवार की शोभा होते हैं। बच्चे यदि चरित्रवान, गुणवान, आकर्षक तथा आज्ञापालक हैं तो निश्चय ही ऐसे बच्चे माता पिता और घर वालों की सुख, शान्ति तथा समृद्धि के लिए सहायक होते हैं। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बच्चों में वांछित व्यवहारों को उत्पन्न किया जा सकता है और सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना की जा सकती है।

11.3 बाल अध्ययन की विधियाँ (Methods Of Child Study)

बाल विकास के अध्ययनों में कुछ विधियों का उपयोग होता है। बाल विकास से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में एक समय में एक अध्ययन विधि का उपयोग किया जा सकता है और एक साथ दो विधियों या अधिक विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है।

11.3.1 बाल चरित्र लेखन विधि (Child Biography Method)

इस विधि से बालक बालिकाओं के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों तथा क्रियाओं को एक दैनिकी में अंकित कर लिया जाता है। प्रतिदिन ऐसा किया जाता है, इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात् बालक चरित्र तैयार हो जाता है। डेनिस, मेकहफ और हरलॉक ने इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।

इस विधि का उपयोग अनेक प्राचीन मनोवैज्ञानिक (Wilhelm Preyer 1882 ; K.C. Moore, 1896, D.R. Maier 1906, G.S. Gall 1909, G.V.N Dearbor 1910) ने किया। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में यह विधि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत अधिक लोकप्रिय रही। प्रेयर ने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया। यह चरित्र जन्म से तीन वर्ष तक ही अवस्था तक का था। प्रेयर ने चरित्र लेखन से यह जानने का प्रयास किया कि जन्म के समय कौन-कौन सी सहज क्रियाएँ पाई जाती हैं। ध्वनि व प्रकाश के प्रति बालक कब प्रथम बार अनुक्रिया करता है तथा उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ का विकास किस प्रकार हुआ, आदि। अतः इस विधि से बालक के जीवन और व्यवहार की अनेक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

इस विधि में अध्ययनकर्ता बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करता है और निरीक्षण के आधार पर व्यवहार की विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से नोट करके एक रेकार्ड तैयार करता है। यह रेकार्ड चरित्र लेखन (Biography) कहलाता है। इस रेकार्ड का विश्लेषण करके बालक के व्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है तथा बालक के व्यवहार को इस प्रकार सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इस विधि के द्वारा बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के परिवर्तनों का सही सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सही ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जबकि रेकार्ड वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया हो। इस विधि की एक विशेषता यह भी है कि बालक के व्यवहार निरीक्षण स्वतंत्र वातावरण में किया जाता है, अतः प्रयोगशालीय व्यवहार की तरह बालक के व्यवहार में कृत्रिमता नहीं होती है। हरलॉक (E.B. Hurlock, 1942) ने चरित्र लेखों के परिणामों का उपयोग प्रयोगशाला के परिणामों से तुलना करने में भी किया है।

चरित्र लेखन विधि के गुण -

- इस विधि द्वारा बालक के व्यवहारों की स्थिरता या अस्थिरता का ज्ञान हो जाता है।
- इस विधि में निरीक्षणकर्ता स्वाभाविक वातावरण में बालक के व्यवहारों का निरीक्षण और परीक्षण करता है।
- इस विधि में निरीक्षणकर्ता को अपनी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने का मौका मिल जाता है।
- चरित्र लेखन विधि की सीमाएँ -
- इस विधि में निरीक्षण पर पक्षपात का प्रभाव पड़ सकता है।
- इस विधि में बालक के चरित्र के आधार पर प्राप्त किये हुये नियमों को दूसरे बालकों पर लागू नहीं किया जा सकता।
- इस विधि का सफल प्रयोग व उपयोग केवल बुद्धिमान व योग्य निरीक्षण ही कर सकता है।

11.3.2 कहानी विधि: Story Method

मानव जीवन में कहानियों का अत्यधिक महत्व है। इनसे एक और तो हमारा मनोरंजन होता है तथा दूसरी ओर ये चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। कहानियाँ पढ़ने अथवा सुनने से बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनके संवेग स्थिर होते हैं। इसके द्वारा बालक सामाजिक आदर्शों को अंगीकार करते हैं।

वरन रूपरेखा कहानियों के अध्ययन से न केवल बालक का अनुभव बढ़ता है और मनोरंजन होता है इसके द्वारा बालको को अपनी बात कहने की नवीन व आकर्षक शैलियों का भी ज्ञान होता है।

कहानी के विकास की संक्षिप्त रूप रेखा बताते हुये श्री डी. आर. सूद ने "A Desk Book of Short Stories" की भूमिका मे कहा है:-

“कहानी इतनी पुरानी है जितना मनुष्य पुराना है क्योंकि कहानी कहना और सुनना मानव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। भारत में पंचतंत्र की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं।

जीवन के कथनात्मक अथवा विवरणात्मक अध्ययन के सिद्धान्त

The Narrative Study of Lives, Common Principles^{1/2}

फ्रायड (1900-1953) ने स्वप्न का विवरण दिया है वहीं,

जुंग (जुंग 1936-1969) ने सार्वभौमिक जीवन की मनगढन्त बातों को उजागर किया है।

ए. एडलर A Adler (1927) ने वर्तमान स्प्रति का विवरण दिया है। मर्रे Murray 1938 एवं मार्गन ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण Thematic Apperception or T.A.T. का निर्माण किया था। इस परीक्षण में कुछ चित्र होते हैं। जिनका प्रत्यक्षीकरण करते समय बालक अपनी भावनाओं व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का प्रक्षेपण करता है। कहानी लिखते समय व्यक्ति या बालक अनजाने ही अपनी भावनाओं, आंकाक्षाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों को उसमें आरोपित करता जाता है। सोच विचार कर लिखने का कोई समय नहीं होता, इसलिए कहानी एक प्रकार से बालक की स्वयं की कहानी होती है। जो कुछ व दुसरो से नहीं कह सकता, ऐसी गोपनीय इच्छाओं, अतृप्त अभिलाषाओं, कुण्ठाओं और मानसिक व तनाव की अभिव्यक्ति भी इसके माध्यम से की जा सकती है। मूल रूप से मर्रे ने कहानियों की विषय-वस्तु को नायक की आवश्यकताओं Need of the Hero और तनावों Stressess अथवा वातावरण संबंधी शक्तियों, जिनका की व्यक्ति शिकार होता है, के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है।

डॉ० लियोपोल्ड बेलक Dr. Leo Pold Bellak ने तीन से दस (3-10) साल के बच्चों के लिए बालकों के अंतर्बोध परीक्षण C.A.T. को प्रस्तुत किया है। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने हुये हैं। इन जानवरों को जीवन की विभिन्न परीस्थियों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों को देख कर बच्चों से कोई न कोई कहानी की रचना करने को कहा जाता है और बच्चे स्वभावानुसार अपने अनुभवों, भावनाओं तथा व्यक्ति संबंधी गुणों को इस कहानी के माध्यम से प्रकट करते हैं।

कहानी विधि के सिद्धान्त-

कहानी विधि छः सिद्धान्तों पर आधारित है।

सिद्धान्त 1. स्व की कहानी।

The Self centered stories

सिद्धान्त 2. कहानी जीवन से जुड़ी हुई होती है।

Life centered stories.

सिद्धांत 3. कहानी सामाजिक सम्बन्धों द्वारा बतायी जाती है
Social relation centered stories.

सिद्धांत 4. समय के अनुसार कहानी में परिवर्तन आता है
Time centered stories.

सिद्धांत 5. कहानी सांस्कृतिक विषय से होती है
Cultural centered stories.

सिद्धांत 6. कुछ कहानियाँ दूसरो से अच्छी होती है
Comparable centered stories.

बोध प्रश्न

निर्देश - रिक्त स्थान की पूर्ति करें।

1. डेनिस, मेकहफ और हरलाक ने..... विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।

2. टी.ए.टी. परीक्षण का एवं द्वारा निर्माण किया गया।

3. सी.ए.टी परीक्षण की देन है।

लघुत्तरात्मक प्रश्न

प्र.2: कहानी विधि छः सिद्धांतों पर आधारित है। उन छः सिद्धांतों का नाम लिखिए।

प्र.3: चरित्र लेखन विधि के दो गुण लिखिए।

11.3.3 सांस्कृतिक विधि Cultural Method

आजकल समाज वैज्ञानिकों social scientist की अभिरूचि इस बात में अधिक रही है। कि किस तरह के सिद्धान्त एवं नियम संसार के सभी समाजों में पाए जाये, किस तरह के नियम एवं सिद्धान्त संसार के कुछ ही समाजों में पाए जाये तथा किस तरह के नियम एवं सिद्धान्त किसी विशेष समाज में ही पाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांस्कृतिक विधि का उपयोग समाज शास्त्रीयों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी अधिक किया गया है।

इस विधि में दो या दो से अधिक समाजों से लिए गए आंकड़ों data का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है अतः यहाँ विश्लेषण की इकाई व्यक्ति न होकर समाज की संस्कृति cultures होता है। इस क्षेत्र में किये गये अध्ययनों की समीक्षा से यह पता चलता है कि अब तक एक ही अध्ययन में लगभग एक हजार संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

इस विधि से शोध करने में अधिकतर शोधकर्ता विभिन्न समाज या संस्कृतियों से एक उपयुक्त प्रतिदर्श (sample) तैयार करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। मार्श (Marsh, 1967) तथा ड्राइवर (Driver, 1973) के अनुसार इस विधि द्वारा अध्ययन किये जाने वाले सांस्कृतिक अन्तवस्तु (cultural content) किसी एक पहलू जैसे शौच प्रशिक्षण (Toilet Training) या तरुणावस्था का

कृत्य (puberty rites) से लेकर जटिल व्यवहारों तथा सामाजिक प्रथाओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया गया है।

सांस्कृतिक विधि के कई उदाहरण उपलब्ध हैं जिनमें से यहाँ उदाहरण के रूप में रेडक्लिफ-ब्राउन Radcliffe-Brown, 1970 जो एक मानवशास्त्री थे, द्वारा किया गया अध्ययन का उल्लेख किया जा रहा है। इस अध्ययन का प्राक्कल्पना यह था कि विशेष प्रशिक्षण एवं अनुशासन जैसे बिन्दुओं पर माता-पिता तथा बच्चों में तनाव उत्पन्न होने पर माता-पितामह grand father तथा पोते-पोतियों के बीच का संबंध मधुर हो जाता है अर्थात् ये दोनों में एकदूसरे के प्रति स्नेह एवं प्रेम बढ़ जाता है। इस प्राक्कल्पना की जाँच के लिये विभिन्न संस्कृतियों से आँकड़े इकट्ठा किये गए और उनका विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि माता-पिता एवं बच्चों में मतभेद होने पर सिर्फ उन संस्कृतियों में माता-पितामह grand father तथा उनके पोते-पोतियों में स्नेह बढ़ जाता है जिनमें पारिवारिक सत्ता Grand Authority माता-पितामह से संबंधित नहीं होते हैं और वे अनुशासन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। जिन संस्कृतियों में माता-पितामह का अनुशासकीय भूमिका Disciplinary Role होती है, वहाँ उन दोनों के बीच उस ढंग का स्नेहपूर्ण एवं दोस्ताना संबंध नहीं देखा गया।

सांस्कृतिक विधि के कुछ गुण एवं दोष हैं। इसके प्रमुख दो गुण हैं जिस पर हिंग्टिंग Whiting, 1973 ने सर्वाधिक बल डाला है। वे दो निम्नांकित हैं -

1. सांस्कृतिक विधि द्वारा किये गए अध्ययनों के परिणाम का सामान्यीकरण विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए आसानी से हो जाता है। फलतः ऐसे अध्ययनों की उपयोगिता अधिक होती है।
2. सांस्कृतिक विधि अध्ययन किये जाने वाले कई चरों में होने वाले परिमार्जनों Variations के प्रसार को निश्चित रूप से बढ़ा देता है।

इन गुणों के बावजूद इस विधि के कुछ परिसीमाएँ limitations या अवगुण हैं जो निम्नांकित हैं-

1. इस विधि में प्राप्त आँकड़ों की गुणवत्ता quality एक समान न होकर भिन्न होता है। यदि इस विधि का उपयोग कोई प्रशिक्षित शोधकर्ता द्वारा किया जाय तब तो आँकड़ों की गुणवत्ता अधिक होती है परंतु जब इसका उपयोग साधारण लोगों द्वारा किया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता विश्वसनीय नहीं होती है।
2. कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं कि उनके अध्ययन के लिए एक संस्कृति में तो आँकड़े उपलब्ध हो जाते हैं परंतु दूसरी संस्कृति में आँकड़े उपलब्ध होना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्रॉस-सांस्कृतिक विधि का उपयोग संभव नहीं हो पाता है।
3. इस विधि से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों में पाये जाने वाले विशेष व्यवहारों एवं अभ्यासों Practices का तो पता चलता है परंतु इनसे वैयक्तिक विभिन्नता Individual differences के बारे में कुछ नहीं पता चलता है।

इन परिसीमाओं के बावजूद सांस्कृतिक विधि की उपयोगिता आज भी काफी बनी हुई है। विशेषकर मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के बीच यह विधि आज भी काफी लोकप्रिय है।

11.2.4 प्रेक्षण विधि ¼ Observation Method

प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान की प्रमुख विधि है। सन 1913 में जब वाटसन Watson ने व्यवहारवाद Behaviourism की स्थापना की तो मनोविज्ञान को नये ढंग से परिभाषित करते हुये यह कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसकी अध्ययन विधि अन्तर्निरीक्षण Introspection न होकर प्रेक्षण विधि Observation Method हैं। तभी से प्रेक्षण विधि का जन्म हुआ और आज भी यह विधि मनोविज्ञानिक अध्ययनों की प्रमुख विधि हैं।

इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारो को निष्पक्ष भाव से अवलोकन करता है। अपने अवलोकनो के आधार पर वह एक विषेय रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुचता हैं। प्रेक्षण Observation को वस्तुनिष्ठ Objective बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारो का अवलोकन एक साथ करते है। शायद यही कारण है कि इस विधि के वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि जैसे दौड़ना, खेलना, रोना तथा आन्तरिक व्यवहार Internal Behaviour जैसे- रक्त चाप में परिवर्तन, धड़कन का तेज होना आदि का प्रेक्षण करते है।

प्रेक्षण का उदाहरण: मान लीजिए की अध्ययनकर्ता यह निश्चित करता है कि 6-7 साल का बच्चा खेल के समय किस-किस तरह के व्यवहार को करता है। इसका अध्ययन वह वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि से करना चाहता है। इसके लिए वह 6-7 साल के बच्चों का एक छोटा समूह लेगा और उन लोगों के सामने कुछ खिलौना भी दे देगा। अध्ययनकर्ता चाहे तो बच्चों के साथ स्वयं भी खेल सकता है और साथ-साथ उसके व्यवहार का प्रेक्षण भी कर सकता है। परंतु ऐसा करने में इस बात की अधिक उम्मीद बढ़ जायेगी कि बच्चे अपना स्वाभाविक व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कर दे। अतः छिपकर ही प्रेक्षण करना अच्छा रहता है। वह स्वयं ऐसी जगह छिप जायेगा जहाँ से वह बच्चों के व्यवहार को सरलता से देख सके व बच्चे उसे नहीं देख पाये। खिलौनों से खेलते समय बच्चे भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार दिखला सकते है। कुछ बच्चे हसेंगे, कुछ रोयेगें, कुछ चुपचाप बैठकर देखते रहेगें कुछ अपने खिलौनों को अपने साथी को देगें, कुछ दूसरों से खिलौने छिनने की कोशिश करेगें आदि, आदि अध्ययनकर्ता बच्चों के व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से अवलोकन करेगा और विश्लेषण के आधार पर वह खास निष्कर्ष पर पहुंचेगा। संभव है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमुक बच्चा अधिक दबबू Submissive है, अमुक बच्चा काफी प्रबल Dominant है, अमुक बच्चा चंचल है अमुक बच्चा शर्मिला है आदि आदि।

11.3.4.1 अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण विधि Meaning of Informal and Controlled Observation Method

1. **अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण विधि का अर्थ Meaning of Informal and Controlled Observation Method-** जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनौपचारिक तथा नियन्त्रित विधि एक विधि अर्थात निरीक्षण विधि के दो रूप हैं। निरीक्षण विधि में अध्ययनकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में किए गए बालक के व्यवहार का 'निरीक्षण' या 'अवलोकन' Observaiton करता है। यह निरीक्षण दो प्रकार की परिस्थितियों में होता है- एक जिनमें बालक पूर्ण रूप से व्यवहार करने में स्वतंत्र रहता है तथा दूसरी जिसमें बालक को व्यवहार करने में नियन्त्रित रहना पड़ता है। इन परिस्थितियों में किये गये व्यवहार

के निरीक्षण को क्रमशः अनौपचारिक या साधारण और नियन्त्रित निरीक्षण विधि कहते हैं। अब हम दोनों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे-

2. **अनौपचारिक या साधारण निरीक्षण (Informal Observation)-** इस विधि में बालकों द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में किए हुए स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। क्रो तथा क्रो Crow and Crowके शब्दों में “अनौपचारिक निरीक्षण का तात्पर्य माता-पिता तथा अन्य प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा बालक को दिन-प्रतिदिन की चेष्टाओं पर ध्यान देना है।” बालक स्वाभाविक परिस्थितियों में अर्थात् परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान आदि में उठता-बैठता, खेलता-कूदता, हाथ पैर हिलाता-डुलाता, दूसरों से बात करन आदि क्रियायें करता है। इन क्रियाओं में बालक की आयु वृद्धि के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। निरीक्षक को चाहिए कि वह बालक की किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप न करे और जैसा-जैसा बाल-व्यवहार को देखे वैसा-वैसा लिखता जाये।
3. **नियन्त्रित निरीक्षण Controlled Observation-** नियन्त्रित निरीक्षण विधि में बालक के व्यवहार का अध्ययन व्यवस्थित तथा नियन्त्रित परिस्थिति में किया जाता है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग जर्मनी में नवजात शिशुओं की ‘संवेदी/ज्ञानेन्द्रिय प्रतिक्रियाओं’ Sensory Responses के अध्ययन के लिए किया गया। गैसेल Gessell ने ‘चलचित्र कैमरा’ Moving Picture Camara के द्वारा बालकों की प्रतिक्रियाओं का चित्र लेकर उनके सामाजिक तथा संवेगात्मक व्यवहार तथा खेलकूद का अध्ययन किया। वाटसन ने भी इस विधि का बड़ी सफलतापूर्वक अध्ययन किया। अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के अध्ययन की सुन्दर व्यवस्था की गई है।

अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण विधि की कुछ विधियाँ

(Some Technique of Informal and Controlled observation Mehod)

अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण विधि की अनेक प्रविधियाँ हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है:-

1. **परिस्थिति विश्लेषण Situational Analysis** - इस प्रविधि में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों या वातावरण में बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण विद्यालय द्वारा प्राप्त तथ्यों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। परिवार के पड़ोस, शिक्षालय, खेल का मैदान, मित्र-मण्डली आदि विभिन्न परिस्थितियाँ हैं जिनमें प्रायः बालक अपना व्यवहार करता है।
2. **समय-न्यायदर्श (Time-Sampling)-** इस प्रविधि के अंतर्गत निश्चित तथा निर्धारित समय में बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कई बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करके फिर ‘सामान्यीकरण’ Generlization किया जाता है।
3. **समुदाय में सर्वेक्षण Community Survey** - इसमें किसी बालक के चरित्र या व्यक्तिगत का अध्ययन जिस समुदाय या मुहल्ले में वह रहता है उसमें रहने वाले अन्य

बालकों के चरित्र या व्यक्तित्व के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे 'तुलनात्मक प्रविधि' **Corparative Technique** कहते हैं। इस विधि के द्वारा यह भलिभाँति जाना जा सकता है कि किसी समुदाय या पड़ोस में रहने वाले बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास उस समुदाय या पड़ोस के अन्य बालकों में जैसा हुआ है अथवा नहीं।

4. **जाँच-सूची Check-List** - इस प्रविधि में बालक के व्यवहार संबंधी अनेक वाक्यांशों या शब्दों की एक सूची होती है। निरीक्षण करने पर जो-जो बातें बच्चे में होती हैं उन पर निशान लगा दिया जाता है।
5. **चलचित्र-विधि Moving Picture Camera Method** - बाल व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए चलचित्र द्वारा उनकी अभिव्यक्तियों एवं अन्तःक्रियाओं के चित्र लिए जाते हैं। गैसेल Gessell महोदय ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया।

(स) अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण-विधि के दोष

Demerits of Informal and Controlled Observation Method

अनौपचारिक तथा नियन्त्रित निरीक्षण विधि में क्रमशः निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं-

(अ) अनौपचारिक निरीक्षण विधि के दोष

- (1) इस विधि में निरीक्षक अपनी मनोवृत्ति के आधार पर बाल व्यवहार का निरीक्षण करता है जिससे उसका निरीक्षण निष्पक्ष नहीं हो पाता है। वैयक्तिकता Subjectivity के कारण कुछ घटनायें महत्वपूर्ण न होत हुए भी निरीक्षक का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती हैं और कुछ घटनायें महत्वपूर्ण न होने पर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। इस प्रकार अनौपचारिक निरीक्षण विश्वसनीय नहीं होता है।
- (2) कोई भी घटना जिस वातावरण में घटती है वह उस वातावरण से पृथक नहीं की जा सकती है। कई बार वातावरण का प्रभाव घटना पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और निरीक्षक को उसका पता नहीं चल पाता है।
- (3) यदि बालक के व्यवहार से सम्बन्धित किसी तथ्य का एक बालक से निरीक्षण न हो पावे तो पुनः उस तथ्य या घटना की पुनरावृत्ति करवाना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी इन घटनाओं की प्रतीक्षा में बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है।

इन दोषों के होते हुए भी बालकों के 'व्यवहार की संगनता' Consistency of Behaviour का अध्ययन करने के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है।

(ब) नियन्त्रित निरीक्षण विधि के दोष

- (1) चूँकि इस विधि में बालकों को नियन्त्रित परिस्थितियों में व्यवहार करना पड़ता है। अतः उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बालक के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं हो पाता है।
- (2) इस विधि द्वारा एक समय में बहुत बच्चों का अध्ययन सम्भव नहीं है।
- (3) इस विधि का प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है जिनका अभाव रहता है।

(4) वातावरण को नियन्त्रित करना अति कठिन है। ध्वनि, प्रकाश, तापमान आदि ऐसे तत्व हैं जिनको साधारणतया नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है।

(5) बिल्ली, चूहे, कुत्ते आदि जानवरों पर किए गये प्रयोगों के आधार पर ही प्रायः बालकों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जाता है।

उपर्युक्त दोषों को सामने रखते हुए प्रयोगशालाओं को घर के वातावरण में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए वहाँ पर खिलौने, मेज, कुर्सी, चारपाई, बिछोने, चित्र आदि की व्यवस्था की जाती है।

(3) सहभागी निरीक्षण विधि Participant Observation Method- इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में बस जाता है, वह उनमें घुल-मुल जाता है और फिर उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि द्वारा छोटे समूहों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है तथा साथ ही सूक्ष्म अध्ययन करना भी सरल होता है। निरीक्षणकर्ता जितना ही अधिक घुल मिल जाता है उतना ही अधिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा व्यवहार के सूक्ष्मतम पहलुओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है, क्योंकि निरीक्षणकर्ता अध्ययन समूह का एक सदस्य बनकर अध्ययन करता है अतः निरीक्षणकर्ता शुद्ध और स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है। इस निरीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं; जैसे- जब निरीक्षणकर्ता अध्ययन इकाइयों के साथ घूम-मिल जाता है तो वह अध्ययन इकाइयों के दुःख-दर्द को अपना दुःख-दर्द समझने लगता है, इस अवस्था में उसकी मनोवृत्ति निरीक्षणों को प्रभावित करती है इस सीमा को दूर करने के लिए आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता कुशल हो और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो। इस विधि की दूसरी सीमा यह है कि इस विधि के द्वारा केवल छोटे समूहों का ही अध्ययन किया जा सकता है।

11.2.4.2 शिक्षक द्वारा बालक का निरीक्षण

बालक के सम्बन्ध में उसके निरीक्षणों एवं अनुभवों के आधार पर सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। शिक्षक द्वारा निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं - वृत्तान्त अभिलेख Anecdotal Record, जाँच सूची Check List निर्धारण मापनी Rating Scale समाजनितीय विधि Sociometric Method तथा अनुमान कौन विधि Guess Who Method इस इकाई में निरीक्षण के उदाहरण दिये गये हैं।

Anecodotal Record वृतांत अभिलेख	
बालक का नाम - ललित	दिनांक -
बालक की उम्र -	
दृश्य - नाटक	समय -
निरीक्षणकर्ता का नाम -	
घटना	
अर्थ लगाना Interpretion	

Checklist (जाँच सूची) लिखित तथा मौखिक परीक्षार्थे छात्रों की ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती है और प्रयोगात्मक परीक्षा कौशल तथा क्रियात्मक पक्ष की जाँच करती है। जाँच सूची का प्रयोग अभिरूचियों अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिये किया जाता है। इसमें कुछ कथन दिये जाते हैं। उन कथनों के सम्बन्ध में छात्रों को हाँ अथवा नहीं में उत्तर अंकित करना होता है। इस प्रकार के कथनों की सूची की रचना करते समय उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक कथन को किसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करना चाहिए।

(Checklist) जाँच सूची		
नाम-		
कार्यक्रम -		
बालक की उम्र -		
निरीक्षण की तारीख (दिनांक)		
निरीक्षणकर्ता की नाम		
	क्रियात्मक कौशल	
	हाँ	ना
पेपर सही काटता है।		
पेपर को सही चिपकता है।		
छोटी-छोटी वस्तुओं को उठा सकता है।		
गिलास में पानी भर सकता है।		
सीधी रेखा खींच सकता है।		
गोलाकार आकृति बना सकता है।		

Participation Chart

सहयोग/सहभागिता चार्ट

कक्षा कक्ष में सहभागिता चार्ट का उपयोग होता है। सहभागिता चार्ट का विकास बालकों के व्यवहार के विशिष्ट पहलूओं की सूचनाओं को एकत्रित करने में किया जाता है। तालिक में स्वतः पसंद किये गये खेल की क्रियाओं को दर्शाया गया है।

- अ - कला से सम्बन्धित है।
 न - नाटक से सम्बन्धित है।
 क - कहानी सुनाने से सम्बन्धित है।
 वि. - विज्ञान से सम्बन्धित है।


समय (Time)	स्वतः चुनी गयी खेल की क्रियाएँ Activity of self selected play अनिल अर्पिता वर्षा सीमा सुरेशआदि				
10.00-10.10	अ	न	क	वि	अ
10.10-10.20	अ	न	क	वि	अ
10.20-10.30	अ	न	क	वि	अ
10.30-10.40	अ	न	क	वि	अ
10.40-10.50	अ	न	क	वि	अ
10.50-11.00	अ	न	क	वि	अ

11.2.4.3 समाजमिति विधि (Sociometric Method)

ब्रानफेनब्रेनर (U. Bronfenbrenner, 1943) के अनुसार "समूह में व्यक्तियों के मध्य सीमा और स्वीकृति एवं अस्वीकृति को माप कर सामाजिक स्थिति, ढाँचों और विकास को ज्ञात करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक विधि है।" इस विधि के द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति और अस्वीकृति, आर्कषण और विकर्षण को मापा जाता है। बहुधा इस विधि का उपयोग समाज मनोविज्ञान में और बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इस विधि की सहायता से मनोबल, सामाजिक स्थिति, समूह संगठन, सामाजिक अन्तः क्रियाओं आदि से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मोरेनो (J. L. Moreno, 1934) ने इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग सामेहिक मनोबल के मापन के क्षेत्र में किया। मोरेनो की इस विधि में जेनकिन्स (J. G. Jenkins, 1946) ने सुधार किया। जेनकिन्स ने इस विधि का नाम Nominating Technique


रखा। इसने इस विधि का उपयोग नेवी के व्यक्तियों के सामूहिक मनोबल के अध्ययन के लिए किया। इस विधि की सहायता से पारस्परिक अन्तः सम्बन्धों (Inter-relationship) तथा समूह के सदस्यों के सामाजिक उद्दीपक मूल्यों (Social Stimulus Value) का भी अध्ययन होता है तथा किसी भी समूह के किसी सदस्य की समूह में वास्तविक स्थिति का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है।

इस विधि में समूह के प्रत्येक सदस्य सामूहिक कार्यों से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे-आप किस व्यक्ति के साथ करना अधिक पसन्द करते हैं ? अथवा आप किन लोगों के साथ भोजन करना अथवा खेलना पसन्द करते हैं ? अथवा अपने समूह में आप किस व्यक्ति को सबसे अच्छा व्यक्ति समझते हैं या कौन-सा व्यक्ति समूह का नेता है या कौन-सा व्यक्ति स्वतन्त्र विचार वाला है? अथवा इस प्रकार का कोई और प्रश्न किया जाता है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त (Circle) के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।



Sociogram No. 1


इसमें पहला व्यक्ति नायक (Star) है। तीसरे, चौथे, और पाँचवें व्यक्तियों का अपना अलग दल



Sociogram No. 2


इसमें भी पहला व्यक्ति नायक या नेता है तथा दसवें और ग्यारहवें व्यक्ति का पारस्परिक युग्म (Mutual Pair or Mutual Admiration

एक व्यक्ति के वृत्त से एक तीर उस व्यक्ति के वृत्त खींचा जाता है, जिसे यह पहला व्यक्ति अच्छा या स्वतन्त्र विचार वाला कहता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न किये



Sociogram No. 3

इसमें पहला व्यक्ति नायक है इस समूह में पारस्परिक सहयोग बहुत अधिक है। इस समूह का मनोबल (Morale) भी अधिक है।



Sociogram No. 4

इसमें समूह में पहला और तीसरा व्यक्ति नायक Star है। तथा दसवाँ व्यक्ति Isolate है।

जाते हैं और प्रत्येक वृत्त से दूसरे वृत्त तक तीर के निशान अंकित किये जाते हैं। वृत्तों और तीरों के निशान बने चित्र को तकनीकी भाषा में Sociogram कहते हैं। इस सोशियोग्राम में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं जिस वृत्त पर तीर के सर्वाधिक निशान होते हैं, उसे समूह का नेता या Star कहते हैं। एक समूह में एक अथवा एक से अधिक भी Star हो सकते हैं। समूह में जिस व्यक्ति को नेता के बाद नेता से कुछ कम बहुमत प्राप्त होता है, उसे गौण नायक (Secondary Star) कहते हैं। समूह में जिस व्यक्ति को कोई नहीं चुनता है और न ही वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चुनता है तो ऐसे व्यक्ति को एकांकी Isolate कहते हैं। आइसोलेट व्यक्ति को यदि समूह से निकाल दिया जाये तो समूह की संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक समूह में दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को चुनते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पारस्परिक युग्म ;(Mutual Pair or Mutual Admiration Societies) कहते हैं। जब एक समूह के कुछ सदस्य आपस में एक-दूसरे का चुनाव करते हैं तो दलबन्दी का आभास होता है। ऐसे सम्बन्धों को दल अथवा जत्था (Cliques) कहते हैं। यहाँ कुछ Sociogram दिये हुए हैं। इन सभी Sociogram को देखने से स्पष्ट है कि तीसरे Sociogram अर्थात् तीसरे समूह का सामूहिक मनोबल सर्वाधिक है क्योंकि इस समूह में एक ही व्यक्ति नेता या नायक है और उसे सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है।

जब समूह में लड़के, लड़कियाँ या स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही होते हैं तब वृत्त द्वारा स्त्रियों को और वर्ग (Squares) द्वारा पुरुषों को प्रदर्शित करते हैं। समूह के सम्बन्धों को तीरों द्वारा तो प्रदर्शित करते ही हैं परन्तु जब सम्बन्ध अधिक गहरे होते हैं तो तीर मोटे और जब सम्बन्ध बहुत कम होते हैं तब तीर डोटेड लाइन द्वारा बनाते हैं। साधारण सम्बन्धों को साधारण रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। छोटे समूहों के सामूहिक मनोबल के मापन के लिए यह एक श्रेष्ठ विधि है। बहुत बड़े समूहों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि द्वारा सामूहिक मनोबल ही नहीं बल्कि सामूहिक सम्बन्धों का अध्ययन भी भली प्रकार से किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययनों में इस विधि का उपयोग अनेक मनोवैज्ञानिक (Murphy, 1947, Jennings, 1948, Proctor and Loomis, 1951, Clerk, 1952) ने किया है।

11.3.5 छात्र दैनन्दिनी(Children's Diary)

डायरी (Diary)-प्रायः व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में डायरी का प्रयोग करता है। जिससे उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है।

विद्यालय में बालकों के लिए दैनिकी बनायी जाती है जिससे उन्हें (गृहकार्य करने के लिए सूचनाएं लिखी जाती है। गृहकार्य किया जाता है। गृहकार्य में मौखिक व लिखित कार्य दिये जाते हैं। मुख्य उद्देश्य छात्रों को नियमित रूप से अध्ययन करने की प्रेरणा देने से है। गृह तथा विद्यालय के मध्य सम्पर्क स्थापित करना है। बालक में स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना है। इससे अभिभावकों में की बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।

कागज दैनिकी - Paper Diaries

6 से 9 वर्ष के बालकों के मनोरंजन के लिए कागज दैनिकी का उपयोग किया जाता है। यह कागज दैनिकी क्रियाओं पर आधारित होती है उदाहरण - क्रियाएँ पुस्तिका (Activity); कार्य पुस्तिका (Work Book)।

कागज दैनिकी का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। इनके द्वारा खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा बालकों को रचनात्मक कार्य में लगाया जाता है। इस कार्य द्वारा छात्रों का सौन्दर्यात्मक विकास किया जा सकता है। इनसे कतिपय मूलप्रवृत्तियों के विकास, शोधन तथा मार्गान्तरिकरण में सहायता मिलती है। उदाहरण पुराने सिक्के, डाक टिकट, अलग अलग देशों के झंडे एकत्रित कर उन्हें चिपकाया जाता है।

इस तरह के कार्य करने से बालक को मानसिक सुख तथा संतोष प्रदान होता है। इसके द्वारा बालकों में स्वस्थ प्रतियोगिता का कारण भी बनता है।

दैनन्दिनी विवरण(Diary description)

प्रत्येक बालक के व्यवहार को क्रमबद्ध कर दैनिक जीवन में होनेवाली घटनाओं की सूचना एकत्रित की जाती है। शिक्षक यह जानना चाहता है बालक को वह कितना जान पया है। उदाहरण; बालक चिड़चिड़ा है, ध्यान नहीं देता है उसकी कोई शिकायत तो नहीं है, वह चुपचाप तो नहीं बैठता है, क्या अपने साथियों से उसका व्यवहार अच्छा है आदि, कुछ खास अधिगम के वक्त शिक्षक बालक की क्रियाओं को डायरी में लिखता है। जिससे बालक के व्यवहार की उसे सारी जानकारी मिल सके।

11.3.6 साक्ष्य Testimonials/Evidence

साक्ष्य वह है जिसके आधार पर शिक्षक छात्रों को मूल्यांकन करता है।

साक्ष्य विभिन्न परीक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। उदाहरण; मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण एवं प्रयोगात्मक परीक्षण।

1. **मौखिक परीक्षण:-** छोटे बालकों के लिए मौखिक परीक्षण अधिक सफल होता है। इसके माध्यम से छात्र की सूझ (Insight) का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में कम समय में अधिक प्रश्न किये जा सकते हैं। परीक्षक अपने प्रश्नों को समय पर ही परिवर्तित व परिमार्जित कर सकता है और इस प्रकार केवल यान्त्रिक रूप से रटे गये ज्ञान के विषय में जान सकता है। छात्रों द्वारा न समझे जाने वाले प्रश्न व कथनों का स्पष्टीकरण भी उसी समय किये जा सकता है। सबसे अच्छी बात कि इस परीक्षण में अवांछित साधनों का प्रयोग संभव नहीं है।
2. **लिखित परीक्षण (Written Examination):-** बालकों के निष्पादन में लिखित परीक्षाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इन परीक्षाओं से ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन किया जाता है। इन परीक्षाओं को प्रामाणिक बनाया जाता है। यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। साधारणतः लिखित परीक्षाएँ तीन प्रकार की होती हैं।

1. वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective Type Examination)
2. सूक्ष्म उत्तर परीक्षा (Short Answer Questions) तथा
3. निबन्धात्मक परीक्षा (Essay Type Examination)

बालकों की उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठ तथा निबन्धात्मक परीक्षाओं का उपयोग अधिक किया जाता है। निबन्धात्मक परीक्षाएँ दोष-पूर्ण होते हुए छात्रों की उपलब्धि में इनका विशेष उपयोग तथा महत्व है। छात्रों की अभिव्यक्ति सुलेख, पाठ्यवस्तु की व्यवस्था की क्षमता, भाषा

की योग्यता आदि का भी आकलन निबन्धात्मक परीक्षाओं से ही सम्भव है। यह वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय नहीं होती है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का उपयोग निष्पादन तथा निदान दोनों में किया जाता है। यह वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय होती है उन्हें प्रामाणिक भी बनाया जाता है। अंकन में व्यक्तिनिष्ठ प्रभावित नहीं करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की निर्माण विधि कठिन तथा महंगी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के निर्माण विधि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

3. **प्रयोगात्मक परीक्षण (Practical Examination):-** प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। हरलाक 1978 ने लिखा है कि "शरीर की विभिन्न माँसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है।" उछलना, रस्सी कूदना, सीढ़ी पर चलना, ब्लॉक को व्यवस्थित जमाना, ब्लॉक द्वारा आकृति बनाना, चित्रकारी बनाना, नाचना, गाना, सिलाई करना, लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने बनाना, स्कैटिंग करना, तैरना आदि।

बोध प्रश्न

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. शिक्षक द्वारा बालक का निरीक्षण कौनसी सूचियों द्वारा किया जाता है?
2. समाजमिति विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है?
3. छात्र दैनन्दिनी का क्या उपयोग है?
4. लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है?

11.3.6.1 संचयी अभिलेख (Cumulative Record)

विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षा फल, उपस्थिति, योग्यता तथा अन्य विद्यालयों की क्रियाओं में भाग लेने आदि का अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है। छात्र की प्रगति व कमजोरियों को जानने के लिए अभिभावकों, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य के लिए यह अधिक उपयोगी अभिलेख होता है।

मुरे (Murray Thomas) के अनुसार "संकलित अभिलेख पत्र में किसी छात्र के बारे में लम्बी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है।"

जेन वार्टर्स के शब्दों में "संकलित अभिलेख पत्र छात्र के वर्तमान को समझने के लिए भूत की व्याख्या करके, व्यावहारिक कठिनाइयों तथा असफलताओं के कारणों से, उसकी क्षमताओं तथा कमियों को दर्शाकर, छात्र के अध्ययन में अध्यापक की सहायता करता है।"

इस अभिलेख द्वारा -

- शिक्षक छात्र के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- शिक्षक यह जान सकते हैं कि कौन सा छात्र धीमी गति से उन्नति कर रहा है।

अभिलेख में तथ्य

संचित अभिलेख में इस प्रकार के तथ्य होने चाहिए-

1. व्यक्तिगत परिचय विवरण
2. परिवार अथवा कुटुम्ब का विवरण
3. उपस्थिति विवरण
4. शारीरिक विवरण
5. मनोवैज्ञानिक विवरण
6. शैक्षिक उपलब्धि विवरण
7. सहपाठीय क्रियाओं सम्बन्धी विवरण
8. छात्रों का उत्तरदायी कार्यों में स्थान
9. व्यक्तित्व का विकास

छात्र परिचय विवरण

1. छात्र का नाम
2. पिता का नाम.....
3. पिता का व्यवसाय
4. संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित नहीं है)
5. पिता या संरक्षक का पता
6. जन्म तिथि

कुटुम्ब का विवरण

1. घर की आर्थिक दशा.....
2. कुटुम्ब कैसा है (मिश्रित या एकाकी)
3. छात्र का कुटुम्ब में स्थान (इकलौता/सबसे बड़ा/सबसे छोटा आदि)
4. संरक्षक अथवा पिता की शिक्षा
5. अन्य कोई विशेष तथ्य

किन-किन विद्यालयों में शिक्षा पाई ?

विद्यालय का नाम	मास तथा वर्ष जब प्रवेश लिया	श्रेणी का नाम जिसमें प्रवेश लिया	छोड़ने का मास तथा वर्ष	छोड़ने का कारण

उपस्थिति

वर्ष	कुल उपस्थित संख्या	छात्र की वास्तविक उपस्थिति	दीर्घ अनुपस्थिति के कारण

शारीरिक विवरण

वर्ष	ऊँचाई	वजन	विशेष बीमारी यदि है तो

मनोवैज्ञानिक विवरण

20.....
20.....
20.....

शैक्षिक योग्यता
वार्षिक तथा अन्य परीक्षाओं में प्राप्त अंक

विषय	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....
	अंक	अंक	अंक
1. मातृभाषा			
2. इतिहास/सामाजिक विज्ञान			
3. गणित			
4. विज्ञान/भौतिक शास्त्र			
5. रसायनशास्त्र			
6. ड्राइंग			
7. वाणिज्य			
8. अर्थशास्त्र			
9.			

सहपाठीय क्रियाओं में छात्र का विकास

क्रियाएँ	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....
1. खेल-कूद			
2. व्यक्तिगत सफाई			
3. साहित्यिक			
4. नाटक			
5. समाज-सेवा			
6. अन्य किसी कार्य में भाग			

छात्र का उत्तरदायी कार्यों में स्थान

वर्ष तथा कक्षा	छात्र सभा में	हाउस अथवा कक्षा में	स्काउटिंग के ग्रुप में	खेल-कूद में	सामाजिक सेवा में	अन्य किसी क्षेत्र में
20..... कक्षा.....						
20..... कक्षा.....						
20..... कक्षा.....						

व्यक्तित्व का विकास

क्रियाएँ	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....	कक्षा..... 20.....
ईमानदारी			
उत्तरदायित्व की भावना			
सहयोग की भावना			
सहानुभूति			
शिष्टता			
समय पर आना			
काम करने का ढंग			
नेतृत्व की भावना			
आत्मविश्वास			
पहल करने की शक्ति			

मुख्याध्यापक द्वारा जाँच - प्रत्येक अध्यापक ने समय-समय पर इसमें विभिन्न स्तम्भों की पूर्ति की है अथवा नहीं। इस कार्य का निरीक्षण प्रधानाध्यापक पत्रैमासिक रूप में करें।

अच्छे संचित अभिलेख की विशेषताएँ

1. यह पूर्ण होना चाहिए।
2. छात्र के बारे में नवीनतम सूचना होनी चाहिए।
3. यह विश्वसनीय होना चाहिए।
4. यह अध्यापकों के व्यक्तिगत दुराव से मुक्त होना चाहिए।
5. तथ्य ठीक होने चाहिए।
6. इसे सोच-विचार के पश्चात् भरना चाहिए।
7. इसे इस प्रकार रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपयोग किये जा सके।
8. यह छात्र को नहीं दिखाना चाहिए।
9. कक्षा-अध्यापक ही इसे भरें।
10. इसका आधार उचित होना चाहिए ताकि वह सुगमता से रखा जा सके।

संचित अभिलेख को रखने की विधि

जब छात्र विद्यालय में प्रवेश करे तभी से उसका अभिलेख तैयार करना चाहिए। यह अभिलेख छात्र की कक्षा में प्रगति के साथ-साथ चलना चाहिए। छात्र के एक स्कूल छोड़ने पर दूसरे स्कूल में दाखिल होते समय इस अभिलेख को भी नये स्कूल में भेज देना चाहिए।

कक्षा अध्यापक ही ठीक ढंग से रख सकता है। छात्रों के सम्पर्क में वही अधिक समय के लिए आता है। अतः वह उनके बारे में अधिक जानकारी रखता है। वह अपने पास एक डायरी और नोटबुक रखे, जिसमें समय-समय पर छात्रों के अनुभवों के बारे में अपने विचार लिखे। वर्ष के अन्त में वह अपने विचार इन विचारों के आधार पर संक्षिप्त रूप से संचित अभिलेख में लिखे। यह अत्यावश्यक है कि वह छात्र के बारे में अपने साथी शिक्षकों से उनके विचार पूछे। विचार सोच-समझकर लिखने चाहिए।

इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि अभिलेख को ठीक ढंग से रखने के लिए अनेक वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। प्रशासक, निर्देशक, अध्यापक, छात्र तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक एक-दूसरे को पूर्ण सहयोग दें।

इस पद्धति को कैसे प्रिय बनाया जाए? अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं में अभी इस प्रकार के संचित अभिलेख प्रायः नहीं है। इनको स्कूल में जबर्दस्ती चालू नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों में इसके प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। उन्हें इसका महत्व समझाने के लिए सेमिनार आदि का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है।

11.3.7 संचार (माध्यम)

आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। बालक के विकास के लिए विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट एवं सरल हानो चाहिए। बालकों की विभिन्न ज्ञानेन्द्रियां इस कार्य में सहायता प्रदान करती है।

बालक अपने ज्ञान के विकास के लिए मुद्रित (जैसे पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तक, अखबार आदि) एवं अमुद्रित माध्यम जैसे (रेडियो, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सी.डी. आदि) उपयोग कर अपने ज्ञान के विकास को बढ़ा सकता है।

बालक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से दूरदर्शन एवं इन्टरनेट द्वारा अच्छा सीख सकता है। दूरदर्शन द्वारा ज्ञान के प्रसार द्वारा अमीर एवं गरीब बालकों के मध्य समानता लायी जा सकती है।

रेडियो सबसे सस्ता तथा सरता से उपलब्ध होनेवाला माध्यम है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा रेडियो से एक बड़ी जनसंख्या के लिए प्रसारण किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इसका उपयोग शब्दावली, एकाग्रचित होना तथा सुनने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। बालकों के कार्यक्रम द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। रेडियो अपनी सेवाओं में युवा वाणी, सामचार सेवा, विविध भारती आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर ज्ञान का प्रसार करता है।

मनोवृत्ति पर आधारित कार्यक्रम भी रेडियो पर प्रसारित होते हैं जैसे

1. सीधी वार्ता (Straight Talk) - इस प्रकार की वार्ता बहुत ही साधारण प्रकार की है; यह रेडियो पर व्यक्तिगत रूप से विकसित स्वरूप में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके द्वारा अधिक से अधिक सूचना कम से कम समय में दी जा सकती है।
2. साक्षात्कार (Interview) - इस कार्यक्रम के द्वारा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों एवं अन्य प्रकार के विशेषज्ञों से वार्ता प्रस्तुत कराई जाती है।
3. सामूहिक वार्ता (Panel/round Table) - विभिन्न प्रकार के विरोधी दृष्टिकोण वाले विषयों पर वाद-विवाद के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। इस प्रकार की वार्ता को सुनने से बालक में चिन्तन शक्ति का विकास होता है।
4. प्रश्नोत्तरी (Quiz) - प्रश्नोत्तरी द्वारा देश विदेश की सामान्य जानकारी बालकों को प्राप्त होती है। यह विज्ञान तकनीकी एवं सामान्य ज्ञान से बालकों को अवगत कराती है।

मूल्यांकन

1. संचयी अभिलेख की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. रेडियो के माध्यम से आप बालकों के ज्ञान का विस्तार किस प्रकार करेंगे ?
3. लिखित परीक्षा के गुण व दोष लिखिए।
4. समाजमिति की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
5. चरित्र लेखन विधि का वर्णन कीजिए।

11.4 सारांश Summary

विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पायी जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप से अनेक मनोवैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है।

बाल विकास के अध्ययनों में कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग होता है। प्रस्तुत पाठ में चरित्र लेखन विधि, कहानी विधि, सांस्कृतिक विधि, निरीक्षण विधियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

चरित्र लेखन विधि द्वारा बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण होता है। और यह रेकार्ड चरित्र लेखन कहलाता है।

निरीक्षण विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्या के अध्ययन के लिए किया गया है। निरीक्षण जाँच सूची, गाथा रिकार्ड, सहभागी कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। छोटे बालक कहानी सुनने में रूचि रखते हैं। कहानियों द्वारा उनमें मूल्यों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में T.A.T. एवं C.A.T. द्वारा बालक के व्यक्तित्व को ज्ञात किया जाता है।

सांस्कृतिक विधि के द्वारा विभिन्न समाज की संस्कृति का ज्ञान होता है।

बालकों की दैनन्दिनी द्वारा उनके स्कूल का कार्य, व्यक्तिगत रूचि आदि पता चलता है।

बालकों का मूल्यांकन साक्ष्य पर आधारित होता है। इसके लिए शिक्षक बालकों से मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का निर्माण करता है। संचयी अभिलेख द्वारा भी बालक का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्तमान युग विज्ञान का युग है इसलिए ज्ञान का प्रसार अनेक माध्यम से होता है जैसे रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट आदि।

11.5 शब्दावली

- **निरीक्षण** - शब्द का उपयोग या प्रयोग हम विज्ञान विषयों में इन्द्रियों के द्वारा वस्तुओं की प्रकृति अथवा वातावरण संबंधी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सम्बन्धी आन्तरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
- **विकास** - विकास शब्द कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आनेवाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इन्हें अप्रत्यक्ष तरीके जैसे व्यवहार करते हुये बालक के निरीक्षण द्वारा मापा जा सकता है।
- **व्यक्तित्व** - व्यक्तित्व में आन्तरिक एवं बाह्य व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है।
- **संस्कृति** - संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। वस्तुतः पर्यावरण दो प्रकार का है (1) प्राकृतिक पर्यावरण (2) सामाजिक पर्यावरण, संस्कृति में सामाजिक पर्यावरण को लिया गया है।
- **मूल्य** - मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित करने के तरीके हैं। जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है।
- **बाल विकास** - मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है यह शाखा बाल विकास कहलाती है।

11.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Andrews, T.G. (Ed) Methods of Psychology, New York, John Wiley 1958
- Goode and Hatt, Methods of Social Research, New York, McGraw Hill, 1952
- Mischel, Walter, Personality and Assessment, New York, John Wiley, 1968
- Murray H.A., The Thematic Apperception Test, Cambridge (Mass) Harvard University Press, 1943
- Hurlock E.b. Child Development Tokyo McGraw Hill Book Company Ins. 1956 (Asian student 3rd edition)
- Mangal S.K. Advanced Education Psychology; New Delhi Prentice Hall of India, 2002
- सिंह अरूण कुमार उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान नरेन्द्रप्रकाशए मोतीलाल बनारसीदासए बंगलो रोडए दिल्ली
- योगेन्द्रजीत भाई बाल मनोविज्ञानए विनोद पुस्तक मंदिरए आगरा।
- श्रीवास्तव एवं रामजी व्यक्तित्व मनोविज्ञान मोतीलाल बनारसीदास।
- सिंहए उपाध्याय विकास एवं अधिगम के मनोसामाजिक आधार।
- भटनागर आर. पी.शिक्षा मनोविज्ञानए मीनाक्षी पब्लिकेशनए कानपुर।

इकाई - 12

बालकों के साथ अन्तःक्रिया

Interaction with children

प्राकृतिक वातावरण में अध्ययनरत बालकों के साथ अन्तःक्रिया विशेषतः खेल में या सामुदायिक परिस्थिति में, क्रियाकलापों के आधार पर सामंजस्य स्थापन हेतु

(Interaction with children studying in Natural environment, especially while playing or in a community setting. Interaction of children for establishing Adjustment with the help of activities.

इकाई की रूपरेखा

- 12.0 उद्देश्य (Objectives)
- 12.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 12.2 अध्ययन का अर्थ (Meaning of Study)
- 12.3 अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of Study)
- 12.4 अध्ययन के प्रकार (Kinds of Study)
- 12.5 अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक(Factors affecting Study)
- 12.6 खेल का अर्थ व परिभाषा(Meaning and Definition of Play)
- 12.7 खेल व कार्य में अंतर(Difference between Play and Work)
- 12.8 खेल के प्रकार(Kinds of Play)
- 12.9 खेल के सिद्धान्त(Theories of Play)
- 12.10 बालकों के खेलों की विशेषताएं(Characteristics of Children's Play)
- 12.11 बालकों के खेलों को प्रभावित करने वाले तत्त्व(Elements influencing the Play activities of the Children)
- 12.12 बालक की शिक्षा एवं जीवन में खेल का महत्त्व(Importance of Play in Education and Life of Children)
- 12.13 बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के सरल सिद्धान्त(Simple Principles to establish Rapport with Children)
- 12.14 शिक्षक-बालक के मध्य दीवार को तोड़ना (Breaking wall between Teacher and Student)
- 12.15 सारांश(Summary)

12.16 शब्दावली (Glossary)

12.17 सन्दर्भ पुस्तकें (Reference Books)

12.18 मूल्यांकन हेतु प्रश्न(Questions for Evaluation)

12.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर आपकी गहरी समझ विकसित हो सकेगी:-

- आप अध्ययन के अर्थ व उद्देश्य को समझ सकेंगे।
- आप विभिन्न प्रकार के अध्ययन को समझ सकेंगे।
- आप अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकेंगे।
- आप खेल द्वारा अध्ययन को समझ सकेंगे।
- आप खेल के विभिन्न सिद्धांतों के साथ-साथ उनकी विशेषताओं को समझ सकेंगे।
- आप खेलों को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझकर उनकी अध्ययन करने में उपयोगिता को समझ सकेंगे।
- आप बालक की शिक्षा एवं जीवन के खेल के महत्व को समझ सकेंगे।
- आप, शिक्षक किस-किसप्रकार बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करें, इस बात को समझ सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा का उद्देश्य अच्छी आदतों से युक्त चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना है। इस भूमिका का निर्वाह करने में अध्यापक का योगदान अत्यन्त महत्व का है। कोई भी अध्यापक यह नहीं चाहता कि उसके विद्यार्थी बुरी आदतों से पीड़ित हों और दुश्चरित्र हों। शिक्षा मनोविज्ञान आदत तथा चरित्र के सम्बन्ध में अलग मान्यताओं को लेकर उपस्थित हुआ है।

12.2 अध्ययन का अर्थ (Meaning of Study)

व्यक्ति जब दूसरों के अनुभवों, शब्दों का निरीक्षण, चिंतन मनन ग्रहण करता है तथा उनका लाभ लेता है तो यह प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है। व्यक्ति सदा अध्ययनरत रहता है यह आवश्यक नहीं कि वह केवल शब्दों का अध्ययन करता है वह व्यवहार का भी अध्ययन करता है ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम अध्ययन है।

अध्ययन का सर्वमान्य अर्थ है- उन तथ्यों, विचारों, विषयों, विधियों, समस्याओं आदि का ज्ञान प्राप्त करना, जिससे छात्र या व्यक्ति अनभिज्ञ हैं। अधिक विस्तृत रूप में, हम कह सकते हैं कि नवीन विषय सामग्री का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, छात्र या सीखने वाले के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, उसी को अध्ययन माना जाता है।

परिभाषाएं –

रिस्क – “अध्ययन-ज्ञान या ग्रहण शक्ति को सुरक्षित रखने, योग्यताओं को प्राप्त करने, या समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाने वाला नियोजित प्रयास है।”

“Risk – Study is planned effort in securing knowledge or understanding, acquiring abilities or solving problems.”

क्रो व क्रो – “अध्ययन का अभिप्राय है – उन तथ्यों, विचारों या विधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली खोज, जिनको व्यक्ति अभी तक नहीं जानता है या केवल आंशिक रूप से जानता है”

“Crow & Crow – Study implies investigation for the mastery of facts, ideas, or procedures that as yet are unknown or only partially known to the individual.”

12.3 अध्ययन के उद्देश्य (Purpose of Study)

क्रो एवं क्रो के अनुसार- “अध्ययन, अधिगम के लिए आवश्यक और विद्यालय जीवन के लिए अनिवार्य है।”

इस विचार के आधार पर क्रो एवं क्रो ने अध्ययन के तीन मुख्य उद्देश्य बताये हैं; यथा-

1. छात्र के विचारों का विकास करना।
2. छात्र की कुशलताओं में विकास करना।
3. छात्र को ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने और ऐसी आदतों का निर्माण करने में सहायता देना, जो उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करने, नवीन विचारों का निर्माण एवं उनकी व्याख्या करने, आवश्यक निर्णयों को करने और अपने जीवन को सामान्य रूप से सफल एवं सम्पन्न बनाने की क्षमता प्रदान करें।

अंत में क्रो एवं क्रो ने लिखा है अध्ययन के लिए किसी प्रयोजन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप जो कुछ सीखता है, वह अधिकांश रूप में इस बात पर निर्भर होता है कि व्यक्ति को उस उद्देश्य या प्रयोजन को उतनी मात्रा में प्राप्त करने में सफलता मिलती है।

“Crow & Crow- Study requires a purpose, and what one learns as a result of study depends largely upon the degree to which one succeeds in achieving that aim or purpose.”

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

1. अध्ययन के लिए किसी की आवश्यकता होती है।
2. अध्ययन की क्रिया दूसरों के अनुभवों को कहलाती है।

12.4 अध्ययन के प्रकार (Types of Study)

ली के अनुसार, अध्ययन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है-

1. विधिवत नियंत्रित अध्ययन (Formally supervised study)
2. स्वतंत्र अध्ययन (Independent study)

३. घर पर किया जाने वाला अध्ययन (Home based study)

१. विधिवत नियंत्रित अध्ययन(Formally supervised study)

इसमें शिक्षक से पांच बातों की आशा की जाती है; यथा-

१. शिक्षक, छात्रों को अध्ययन की प्रभावशाली विधियों का ज्ञान प्रदान करे।
२. शिक्षक, छात्रों की अध्ययन सम्बन्धी कमियों कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करके, उनका निवारण करे।
३. शिक्षक, छात्रों को उनकी अध्ययन सम्बन्धी विशिष्ट एवं सामान्य समस्याओं का समाधान करने में सहायता दे।
४. शिक्षक, समस्त छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उन्हें आवश्यक परामर्श दे और उनका पथ प्रदर्शन भी करे।
५. शिक्षक, छात्रों की विशेष योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके, उनकी अध्ययन सम्बन्धी योग्यताओं में उन्नति करने की चेष्टा करे।

२. स्वतंत्र अध्ययन(Independent study)-

यह अध्ययन, शिक्षक के निर्देशन में प्रत्येक छात्र के द्वारा विद्यालय के विभिन्न स्थानों में किया जाता है। बर्टन ने स्वतंत्र अध्ययन और विधिवत नियंत्रित अध्ययन की उपयोगिता को इस प्रकार व्यक्त किया है- “योग्य छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन से अधिक लाभ होता है, मंदबुद्धि छात्रों को विधिवत नियंत्रित अध्ययन से अधिक लाभ होता है और साधारण छात्र के लिए दोनों प्रकार के अध्ययन समान रूप से लाभप्रद होते हैं।”

३. घर पर किया जाने वाला अध्ययन (Home based Study)-

यह अध्ययन, छात्रों द्वारा साधारणतया अपने घरों पर किया जाता है। स्ट्रेंग (Strang) ने इस अध्ययन के चार मुख्य प्रयोजन एवं उद्देश्य (प्रथम चार) बताये हैं ली (Lee)ने पांचवें उद्देश्य का स्वयं प्रस्ताव किया है। ये उद्देश्य एवं प्रयोजन निम्नांकित हैं-

१. छात्र के वांछित प्रयास, पहलकदमी, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं सेवा-निर्देशन को प्रोत्साहित करना।
२. छात्र को विद्यालय की उचित क्रियाओं को स्थायी रुचियों में परिवर्तित करने के लिए उत्साहित करना।
३. छात्र के विद्यालय के अनुभवों को गृह-कार्यों से सम्बंधित करके, उन अनुभवों की वृद्धि करना।
४. छात्र द्वारा विद्यालय में सीखी जाने वाली बातों को पुनः बल प्रदान करना।
५. छात्र द्वारा विद्यालय में सीखी जाने वाली बातों का वास्तविक जीवन से सम्बंधित करना।

घर पर किया जाने वाली कार्य दो प्रकार का होता है- लिखित और अलिखित (जैसे- पढ़ना, भ्रमण करना आदि)। दुर्भाग्यवश, विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अलिखित कार्य की अपेक्षा लिखित कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कार्य को विधि पूर्ण करने से छात्र अपने संपूर्ण समय एवं शक्ति को नष्ट कर देते हैं।

इस सर्वविदित तथ्य से क्षुब्ध होकर ब्रेसलिच (Breslich) ने 1914 में बलपूर्वक कहा- अनेक छात्र ऐसी अनुचित परिस्थितियों में गृह-कार्य करते हैं, जिसे उनमें न केवल अवांछनीय मानसिक एवं नैतिक आदतों का निर्माण होता है, वरन वे अपने बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर देते हैं।

ब्रेसलिच (Breslich) का यह कथन अक्षरशः सत्य था और है। यही कारण था कि कुछ शिक्षाविदों ने अनिवार्य गृह-कार्य की समाप्ति का समर्थन किया। उनके विपरीत, कुछ शिक्षाशास्त्रियों का मत था कि घर पर किये जाने वाले अध्ययन को समाप्त करने की अपेक्षा उसके स्वरूप में संशोधन करना, शिक्षा की दृष्टि से अधिक विवेकपूर्ण कार्य है।

इस सम्बन्ध में ली का यह सुझाव असंगत प्रतीत नहीं होता है- “गृह पर किया जाने वाले अध्ययन में इतना अधिक समय नहीं लगाना चाहिए कि तरुणावस्था के बालकों एवं बालिकाओं को व्यायाम, खेल, मनोरंजन एवं विद्यालय से असंबंधित अपने व्यक्तिगत पहलुओं का विकास करने का अवसर प्राप्त न हो।”

“Home study should not be so time consuming that the growing youths have no opportunity to exercise, play, recreate and develop the non-school aspects of their personalities.”

-Lee (p.348)

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

1. अध्ययन मुख्यतः प्रकार का होता है।
2. विधिवत अध्ययन में मुख्यतः बातों की आशा की जाती है।
3. योग्य छात्रों को अध्ययन से अधिक लाभ होता है।

12.5 अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting study)

शिक्षा-सम्बन्धी कुछ लेखकों द्वारा उन कारकों का वर्णन किया गया है, जो छात्रों के अध्ययन पर उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त प्रभाव डालकर, उसको कम या अधिक मात्रा में प्रभावशाली या प्रभावहीन बनाने में प्रत्यक्ष योग देते हैं। हम रिस्क, बौसिंग, क्रो एवं क्रो (Risk, Bossing, Croiw & Crow) आदि के द्वारा इंगित किये जाने वाले कारकों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा-

1. ध्यान की एकाग्रता (Concentration of attention)- सरल एवं कठिन, दोनों प्रकार के विषयों के सफल अध्ययन के लिए ध्यान की एकाग्रता आवश्यक है। किन्तु यह तभी संभव है, जब छात्र अपने अध्ययन के उद्देश्य से पूर्णतया परिचित हों। हेडले ने बलपूर्वक कहा है- “उद्देश्य की जानकारी के बिना ध्यान की एकाग्रता संभव नहीं है। उद्देश्य की जानकारी, ध्यान की संपूर्ण एकाग्रता को संभव बनाती है।”

“Without purpose, no concentration is possible. With purpose, all concentration is possible.”

-Leal A Headley: *How To study in College* (p.50)

2. अध्ययन का उद्देश्य (Purpose of Study)- छात्र के अध्ययन को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए के निश्चित उद्देश्य की परम आवश्यकता है। यदि छात्र को अध्ययन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, तो वह उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर अध्ययन नहीं कर सकता है। वह अविराम गति से तभी अध्ययन कर सकता है, जब उस उद्देश्य की पूरी जानकारी हो। इस दृष्टि से क्रो व क्रो का यह कथन अक्षरशः सत्य है- **“किसी भी आयु का छात्र अध्ययन के लिए मानसिक प्रवृत्ति को तभी प्राप्त कर सकता है, जब वह अध्ययन के उद्देश्य को समझ लेता है।”**

“A learner of whatever age can achieve a mental set for study when he understands the purpose of study.”

-Crow & Crow (p.268)

3. अध्ययन में थकान (Fatigue in Studying)- अध्ययन करते समय, छात्र बहुधा थकान का अनुभव करता है। इसके लिए वे दशाएं उत्तरदायी हैं, जिनमें अध्ययन किया जाता है; जैसे-अपर्याप्त प्रकाश, बहुत अधिक गर्मी या सर्दी, मानसिक उत्तेजना, अनुचित भौतिक दशाएं, आदि। किन्तु यदि छात्र को अध्ययन के विषय में रूचि है और उसमें उसने सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो वह थकान का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बिना विश्राम किये अति दीर्घ काल तक निरंतर अध्ययन करता रहे। इस सम्बन्ध में क्रो व क्रो का परामर्श है- **“यदि छात्र, थकान या वास्तविक थकान की भावनाओं से अपनी रक्षा करना चाहता है, तो उसके लिए अपनी मानसिक या शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।”**

“A learner needs change of activity, either mental or physical, if he wishes to avoid feelings of fatigue or actual fatigue.”

-Crow & Crow (p.266)

4. अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण (Attitude towards Study)- विभिन्न छात्रों में विभिन्न विषयों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, यदि छात्रों के लिए अध्ययन का विषय रोचक होता है, तो उसके प्रति उनका दृष्टिकोण साधारणतया सकारात्मक (Positive) होता है और वे उसका अध्ययन करने के लिए स्वयं लालायित हो जाते हैं। इसके विपरीत, यदि अध्ययन का विषय अरोचक होता है, तो उसके प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक (Negative) होता है और उनमें उसके अध्ययन से बचने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने नकारात्मक दृष्टिकोण का निम्नलिखित में से कोई कारण बताते हैं-

1. “अध्ययन का विषय बहुत लम्बा है।”
2. “मैं इतने लम्बे विषय का अध्ययन करने में सफल नहीं हो सकता हूँ।”
3. “मैं इतने लम्बे विषय का अध्ययन कर भी लूँ तो मैं इसको स्मरण नहीं रख सकता हूँ।”

4. “मेरे लिए इस विषय के अध्ययन की कोई उपयोगिता नहीं है।”

5. “मुझमें इस विषय को समझने की योग्यता नहीं है।”

इस प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावशाली अध्ययन में प्रत्यक्ष अवरोध उपस्थित करते हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों के अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। वह किसी विधि का प्रयोग करके, ऐसा कर सकता है, उसको बताते हुए, क्रो व क्रो ने लिखा है-“कुशलतापूर्वक दी जाने वाली प्रेरणा छात्रों में उन दृष्टिकोणों का विकास करने के लिए, जो उनकी विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रभावित करेंगे, बहुत-कुछ कर सकती है।”

“Skillful motivation can do much toward developing attitudes in learners that will influence them toward study in specific area.”

-Crow & Crow (p.264-265)

5. अध्ययन में बाधाएं (Distraction in Study)- विघ्न या बाधाएँ, छात्र के अध्ययन को कम या अधिक मात्र में अवश्य प्रभावित करती हैं। उसे अपने अध्ययन में जितनी रूचि होती है, विपरीत अनुपात में वह विघ्नों अथवा बाधाओं से प्रभावित होता है। क्रो एवं क्रो का विचार है- “छात्र जो कुछ कर रहा है, उसमें उसकी रूचि जितनी अधिक होती है, उतनी ही कम व विघ्नों के प्रति ध्यान देता है।” उल्लिखित बाधाएं दो प्रकार की होती हैं- बाह्य एवं आन्तरिक। बाह्य बाधाओं के अंतर्गत छात्र के विद्यालय एवं गृह के आस-पास होने वाले शोरगुल, विभिन्न प्रकार के आवागमन के साधनों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आवाजों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ये आवाजें और कोलाहल छात्र को पाठ्य-विषय पर अपने ध्यान को केन्द्रित करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं किन्तु, जैसा कि ओर्कार्ड (N. E. Orchard) ने लिखा है- “यह संभव है कि इन बाधाओं का अभ्यस्त हो जाये और उसके पश्चात् उनकी उपस्थिति के बावजूद कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।”

आंतरिक बाधाएं अग्रलिखित प्रकार की हो सकती हैं (1) अध्ययन के समय छात्र का मनोभाव (2) उसको व्यथित करने वाली परेशानियाँ (3) अध्ययन के प्रति उसका दृष्टिकोण (4) उसके उस दिन के संवेगात्मक अनुभव और (5) उसमें भय, क्रोध, चिंता आदि की भावनाएं।

इन आंतरिक बाधाओं के निवारण कि उपचार बताते हुए क्रो व क्रो ने लिखा है- “इन आन्तरिक विघ्नकारी कारकों के प्रभाव को कम करने के लिए छात्र को सफल उपलब्धि के प्रति सबल उत्साह से प्रेरित किया जाना चाहिए।”

“In order to offset the effect of these internal distracting factors, the learner needs to be impelled by a strong urge toward successful achievement.”

-Crow & Crow (p.268)

6. छात्र की योग्यता (Students' ability)

छात्र की योग्यता उसके अध्ययन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। उसे अपनी योग्यता के अनुपात में ही अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। रिस्क (Risk, p.338) ने छात्र की योग्यता के अंतर्गत निम्नलिखित को विशेष स्थान प्रदान किया है-

१. समझ कर पढ़ने की योग्यता
२. शीघ्रता से पढ़ने की योग्यता
३. विभिन्न प्रकार के शब्द-कोशों को प्रयोग करने की योग्यता
४. निरर्थक विषय-सामग्री को छोड़ देने की योग्यता
५. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का प्रयोग करने की योग्यता
६. छातों, नक्शों, ग्राफों आदि को प्रयोग करने की योग्यता
७. संक्षेप में लिखी हुई बातों को समझाने की योग्यता
८. पढ़े हुए विषय से सम्बंधित पुस्तकों का प्रयोग करने की योग्यता
९. पढ़े विषय को सुनियोजित रूप से संक्षेप में लिखने की योग्यता
१०. पढ़े हुए विषय के मुख्य विचारों को चयन करने की योग्यता

छात्र कि योग्यता ही वह आधार है, जिस पर उसके प्रभावशाली अध्ययन के भवन का निर्माण किया जा सकता है। किन्तु, यहाँ यह लिख देना असंगत प्रतीत नहीं होता है कि यह योग्यता स्वाभाविक या जन्मजात होती है। इसीलिए, बॉसिंग ने लिखा है- “जब छात्र की स्वाभाविक योग्यता कम होती है, तब उसके अध्ययन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। शिक्षक उस छात्र से उच्च प्रकार की सफलता की आशा नहीं कर सकता है, जिसमें उच्च-कोटि की मानसिक योग्यता नहीं होती है।”

“The student is handicapped when natural endowment is low. The teacher cannot expect a high quality of achievement where mental ability of a high order is not present.”

-Bossing (p.177)

इन कारकों का स्मरण रखने के साथ-साथ छात्र को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अध्ययन के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। यह संभव है कि अध्ययन के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यों के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो। ऐसी दशा में, उसे अपने ध्यान को उनकी ओर से हटाकर, अध्ययन पर केन्द्रित करना चाहिए। इस सन्दर्भ में क्रो व क्रो द्वारा व्यक्त किये गए इस विचार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है- “ये अन्य कार्य चाहे जितने भी महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, छात्र को उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए।”

“No matter how important these other activities may be, a learner should dismiss them from his thinking and concentrate on his studying.”

-Crow & Crow (p.267)

बाल्यावस्था अनेक जटिलताओं से भरी हुई है। अध्ययन का दबाव हर समय बालक के ऊपर रहता है। किताबी शिक्षा के साथ-साथ बालक को यदि अनौपचारिक शिक्षा खेल या अन्य सामुदायिक स्रोतों के माध्यम से दी जायें तो अधिगम सरलता पूर्वक होगा तथा ज्ञान भी स्थायी रहेगा।

बालक के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित करने में जिन “सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों” (General Innate Tendencies) का प्रयोग होता है, उनमें से “खेल” (Play) का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के लिए खेल बहुत ही स्वाभाविक तथा महत्वपूर्ण होता है।

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

१. क्रो एवं क्रो के अनुसार अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
२. अध्ययन में आने वाली बाधाएँ अध्ययन को करती हैं।
३. अध्ययन को सर्वाधिक छात्र की प्रभावित करती हैं।

12.6 खेल का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Play)

खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति है, जिसमें बालक को अति आनंद प्राप्त होता है। खेल को खेलते हुए बालक यह अनुभव करता है कि खेल के अतिरिक्त मेरी रुचि किसी वस्तु में नहीं है। वह खेल को अपना उद्देश्य समझता है।

परिभाषाएं

वैलेंटाइन- “खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है।”

Valentine- “Play is a kind of amusement in the work.”

कश्यप एवं पुरी- “खेल एक क्रिया एवं रचनात्मक प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविकता, स्वतंत्रता और आनंद के लक्षणों द्वारा प्रतीत की जाती है।”

Kashyap & Puree- “Play is an activity and creative tendency, which is marked by spontaneity, freedom and pleasure as its characteristic feature.”

अतः खेल वह रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात स्वतंत्र, आत्मप्रेरक, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित एवं आनन्ददायक होती है।

12.7 खेल व कार्य में अंतर (Difference between Play and Work)

खेल व कार्य में निम्नलिखित अंतर हैं-

१. खेल का उद्देश्य स्वयं खेल क्रिया में निहित रहता है, परन्तु कार्य कोई विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है।
२. खेल स्वाभाविक होता है, परन्तु कार्य परिस्थितिजन्य और अर्जित होता है।

३. प्रायः खेल का सम्बन्ध काल्पनिक जगत से होता है, परन्तु कार्य का सम्बन्ध वास्तविक जगत से होता है।
४. खेल के नियम स्वयं खेल ही में बनते हैं, परन्तु कार्य के नियम अन्य लोगों के द्वारा बनाये जाते हैं।
५. खेल में खेल खेलने वाला किसी प्रकार का आन्तरिक अथवा बाह्य बंधन अनुभव नहीं करता है, परन्तु कार्य में ये दोनों प्रकार के बंधन संभव हो सकते हैं।
६. खेल में केवल खेल खेलने वाला ही लाभ उठाता है, परन्तु कार्य में दूसरे लोग भी लाभान्वित होते हैं।
७. खेल में आदर्श एवं नियमों का सर्वथा अभाव हो सकता है, परन्तु कार्य में आदर्शों एवं नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
८. यदि बालक के खेल में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाये, तो उसे आन्तरिक दुःख होने लगता है, परन्तु कार्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है।
९. खेल में मस्तिष्क नियंत्रणविहीन होता है, परन्तु कार्य में मस्तिष्क को सोच-विचार करना पड़ता है।
१०. ड्रेवर के अनुसार- “खेल में क्रिया की सार्थकता एवं उसका महत्त्व स्वयं क्रिया में ही पाया जाता है, परन्तु इनके विपरीत कार्य में क्रिया की सार्थकता तथा उसका महत्त्व क्रिया से अलग किसी उद्देश्य में पाया जाता है। ”

12.8 खेल के प्रकार (Kinds of Play)

कार्ल ग्रूस ने निम्नलिखित पाँच प्रकार के खेल बताये हैं-

१. प्रायोगिक खेल (**Experimental play**)- जिन खेलों में बालक वस्तुओं को उठाते, रखते एवं फेंकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ज्ञानेन्द्रियों को वस्तुओं के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इन खेलों को प्रायोगिक खेल कहते हैं।
२. दौड़-धूप के खेल (**Movement play**)- जो खेल बालक दौड़ एवं भागकर खेलते हैं, उन्हें दौड़-धूप के खेल कहते हैं।
३. रचनात्मक खेल (**Constructive play**)- जिन खेलों में बालक किसी वस्तु की रचना करते हैं, जैसे खिलौने बनाना, मिट्टी के छोटे-छोटे घर बनाना आदि, उन्हें रचनात्मक खेल कहते हैं।
४. लड़ने-झगड़ने वाले खेल (**Fighting play**)- जिन खेलों में बालकों को स्पर्धा करनी पड़ती है, उन्हें लड़ाई-झगड़े वाले खेल कहते हैं। उदाहरणतः कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि।
५. बौद्धिक खेल (**Intellectual play**)- जो बुद्धि का प्रयोग करते हुए खेले जाते हैं, उन्हें बौद्धिक खेल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं-
 - (अ) विचारात्मक (**Intellectual**)- जो खेल अच्छी तरह से सोच-विचार कर खेले जाते हैं, उन्हें विचारात्मक खेल कहते हैं। जैसे- शतरंज, ताश, चौपड़ आदि।
 - (आ) संवेगात्मक (**Emotional**)- जिन खेलों में खेलने वाला विभिन्न संवेगों की अनुभूति करता है, उन्हें संवेगात्मक खेल कहते हैं। जैसे- रामलीला, नाटक, नौटंकी आदि।

- (इ) क्रियात्मक (Volitional)- ये खेल वे खेल हैं, जिनमें शारीरिक शक्ति एवं बुद्धि, दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे- म्यूजिकल चेयर, रेस आदि।

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

१. बौद्धिक खेल के प्रकार हैं।
२. खेल एक प्रवृत्ति है।

12.9 खेल के सिद्धान्त (Theories of play)

बालक क्यों खेलते हैं या बालकों के खेल की उनके जीवन में क्या उपयोगिता है, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

१. पुनरावृत्ति सिद्धान्त (Recapitulation theory)
२. अतिरिक्त शक्ति सिद्धान्त (Surplus energy theory)
३. पूर्वाभिनय सिद्धान्त (Anticipatory theory)
४. पुनःप्राप्ति का सिद्धान्त (Recreati theory)
५. रेचक का सिद्धान्त (Cathartic theory)
६. जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धान्त (Life activity theory)
७. आनंद प्राप्ति का सिद्धान्त (Play for pleasure theory)
८. स्पर्धा या मूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त (Rivalry or instinct theory)
९. मनोविश्लेशानात्मक सिद्धान्त (Psycho-analytic theory)

१. पुनरावृत्ति सिद्धान्त (Recapitulation theory)- इसका प्रतिपादन स्टैनले हॉल ने किया है। उनका विचार है कि प्रत्येक बालक अपनी शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उस लम्बे मार्ग को पार करता है, जिसको कि उसके पूर्वजों ने आदिकाल से लेकर अब तक पार किया है। बालक जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलता है, उनमें उसके पूर्वजों के कार्यों की पुनरावृत्ति होती है। आँख-मिचोली, पीछा करना, मछली मारना, शिकार करना, पत्थर फेंकना, मकान बनाना, पेड़ों पर चढ़ना आदि।
२. अतिरिक्त शक्ति सिद्धान्त (Surplus energy theory)- जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान शिलर एवं स्पेन्सर का विचार है कि कार्य करने के उपरान्त बालक की जो शक्ति बचाती है, उसको वह खेल में खर्च करता है। चूंकि बच्चों को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, फलस्वरूप वे अपनी शक्ति का खेल में ही प्रयोग करते हैं।
३. पूर्वाभिनय सिद्धान्त (Anticipatory theory)- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए मेल्फ्रेस एवं कार्ल ग्रूस ने लिखा है कि बालक को युवावस्था में जो कार्य करना है, उनको करने की ही बालक खेल में तैयारी करता है।

४. पुनःप्राप्ति का सिद्धान्त (**Recreative theory**)- इस सिद्धान्त के प्रवर्तक लेजारस हैं। उनका विचार है कि कार्य करते-करते जो शक्ति का हास हो जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए खेल खेला जाता है।
५. रेचक का सिद्धान्त (**Cathartic theory**)- रेचक नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू नामक दार्शनिक ने किया, जिसका कि अर्थ होता है- 'शुद्ध करना'। इस दृष्टिकोण से खेल में बालक की पाशविक प्रवृत्तियां उसकी आत्मा से बाहर निकल जाती हैं।
६. जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धान्त (**Life activity theory**)- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रसिद्ध प्रयोगवादी शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी ने किया। उनके अनुसार बालक के जीवन की अनेक क्रियाओं में खेल भी एक क्रिया है। जैसे-जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे उसके लिए अन्य क्रियाएं प्रमुख होती जाती हैं।
७. आनंद प्राप्ति का सिद्धान्त (**Play for pleasure theory**)- इस सिद्धान्त के प्रतिपादक मिचेल तथा मेसन के अनुसार स्वस्थ बालक इसलिए खेल खेलते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें आनंद की प्राप्ति होती है।
८. स्पर्धा या मूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त (**Rivalry or instinct theory**)- इस सिद्धान्त के प्रतिपादक मेकडूगल का विचार है कि बालक अपने को दूसरे बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खेल खेलते हैं। यह वे अपनी स्वाभाविक स्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर करते हैं।
९. मनोविश्लेशानात्मक सिद्धान्त (**Psycho-analytic theory**)- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एना फ्रायड तथा मेलन क्लीन ने किया। इनके अनुसार बालक खेलों में अपनी 'अचेतन मन की दमित इच्छाओं' की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं के द्वारा बालक अपने क्रोध-द्वेष, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि संवेदों को अभिव्यक्त करते हैं।

इन सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष है कि किसी जटिल घटना का विस्तृत वर्णन करने के लिए एवं उनमें खेल के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करने के लिए समस्त सिद्धांतों की आवश्यकता है।

12.10 बालकों के खेलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं (Some important characteristics of children's play)

१. इच्छानुसार खेलना (**Play according to desire**)
२. आयु बढ़ने के साथ खेलने की क्रियाओं का कम हो जाना (**Decrease in play activities in number with age**)
३. आयु बढ़ने के साथ खेल में शारीरिक क्रियाओं में कमी (**Decrease in Physical activities as the Child Matures**)
४. खेलों में एक निश्चित विकास क्रम होना (**A definite development pattern in Play**)
५. उम्र बढ़ने के साथ खेल में व्यतीत समय की कमी (**Decrease in time spent with age**)
६. खेल में अनियमितता एवं अनौपचारिकता (**Irregularity and informality in Play**)

७. जीवन के प्रारंभिक महीने में ही किसी न किसी प्रकार के खेल का प्रारंभ **(Some form of Play activity starts in the very beginning)**
८. प्रत्येक खेल में जोखिम की संभावना **(Possibility of risk in every play)**
९. खेलों में पुनरावृत्ति **(Repetition in Play)**
१०. खेलों के द्वारा समस्या का समाधान **(Problem solving by Play)**
११. खेल के साधनों में शीघ्र परिवर्तन की इच्छा करना **(Desire of immediate changes in the means of Play)**

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

१. खेल मुख्यतः कुछ शिक्षण पर आधारित है
२. वर्तमान में मुख्यतः शिक्षण पद्धतियाँ हैं।
३. हयूरिस्टिक पद्धति का अविष्कार ने किया।

12.11 बालकों के खेलों को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors influencing the play activities of the children)

सभी बालक एक समान या एक प्रकार के खेलों में रुचि नहीं लेते हैं। कुछ कम खेलते हैं तो कुछ अधिक, कुछ सामूहिक खेलों में आनंद केते हैं, तो कुछ व्यक्तिगत खेलों में खेलों को निम्न तत्त्व प्रभावित करते हैं-

१. वातावरण की विभिन्नता **(Environmental differences)**- बालक के खेलों पर घर, पड़ोस, शिक्षालय, ग्रामीण, नगर आदि के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में बालक घर में ही खेलता है। आयु में वृद्धि होने पर पड़ोस, मैदान, शिक्षालय आदि में खेलता है। नगरों के जिन क्षेत्रों में पार्कों, मैदानों, खेलने-कूदने के साधनों आदि की पर्याप्त व्यवस्था होती है, वहाँ के बालकों के खेल उन क्षेत्रों के बालकों के खेलों से भिन्न होते हैं, जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
२. ऋतु **(Seasons)**- भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बालक ऐसे खेल खेलते हैं, जिसमें शारीरिक श्रम कम होता है। जबकि शीत ऋतु में ऐसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है।
३. शारीरिक स्वास्थ्य **(Physical Health)**- सामान्यतया जिन बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे खेलने में अधिक रुचि तथा सक्रियता दिखलाते हैं। स्वस्थ बालकों में अस्वस्थ बालकों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है।
४. गामक विकास **(Motor development)**- जब बालक का पूर्ण क्रियात्मक विकास हो जाता है, तब वह गेंद, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि सभी प्रकार के खेल खेलने लगता है।

५. आयु भेद (**Age difference**)- सामान्यतया बालकों की चार अवस्थाएं होती हैं। यथा- शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बालक इन सभी अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं।
६. लिंग भेद (**Gender difference**)- बालक तथा बालिकाओं के खेलों में अंतर होता है। इस अंतर का कारण स्पष्ट करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यह अंतर कोई स्वाभाविक नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों में बालक तथा बालिकाओं को खेलने के लिए भिन्न-भिन्न वातावरण, खिलौने तथा अन्य साधन प्राप्त होते हैं। अतः दोनों के खेलों में अंतर आ जाता है।
७. बौद्धिक योग्यता (**Intellectual ability**)- एक वर्ष की आयु के बाद बालक की बौद्धिक योग्यता का खेल पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। तीव्र बुद्धि बालक मानसिक योग्यता वाले खेल खेलना अधिक पसंद करते हैं।
८. खेल सम्बन्धी उपकरण (**Play materials**)- बालकों के खेलों पर खेलों के लिए उपलब्ध सामग्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि उन्हें काष्ठ के टुकड़ों, हथौड़ी, कील, पेचकस आदि खेल की सामग्रियां प्राप्त होती हैं, तो वे रचनात्मक खेलों में अधिक रूचि लेते हैं। किन्तु यदि उन्हें गुड़िया या घरेलू सामग्रियां मिलती हैं तो उनके खेलों में कल्पना की प्रधानता रहती है।
९. परिवार का सामाजिक-आर्थिक स्तर (**Socio-economic status of the family**)- उच्च वर्ग के बालक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि अधिक व्यय वाले खेल खेलते हैं, जबकि मध्यम तथा निम्न वर्ग के बालक कम खर्च वाले खेल खेलते हैं।
१०. अवकाश के समय की मात्रा (**Amount of the leisure time**)- यदि अवकाश के समय की मात्रा कम होती है, तो वे ऐसे खेलों को खेलते हैं, जो थोड़े समय में ही पूरे खेले जा सकें।
११. खेल के साथी (**Playmates**)- बालकों के खेलों पर उनके साथियों की योग्यता, उनकी अभिरुचियों और उनकी संख्या का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि साथी अधिक हैं तो अधिक लोगों द्वारा एक साथ खेलने वाला खेल खेला जाता है।

12.12 बालक की शिक्षा एवं जीवन में खेल का महत्व (Importance of Play in the Education and Life of the Children)

(अ) खेल पर आधारित वर्तमान शिक्षण-पद्धतियाँ (Modern Teaching Methods based on Play)

१. किन्डरगार्टन शिक्षा-पद्धति (Kindergarten System)- प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री फ्रोबेल (Froebel) ने किन्डरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया जोकि पूर्णरूप से खेल पर ही आधारित है। फोर्बेलमहोदय ने गाना, रचना एवं गीत के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने की योजना बनाई जो कि खेल के ही स्वरूप हैं।
२. मान्तेसरी शिक्षा-पद्धति (Montesory Method)- इस पद्धति की प्रवर्तिका मैडम मान्तेसरी (Madam Montesory) हैं। उन्होंने बालकों को नाना प्रकार के खिलौने के बीच खेलते हुए ज्ञानार्जन करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसका विचार है कि जिस

प्रकार बालक खेल में आनंदित होते हैं, उसी प्रकार शिक्षालय का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए, जहाँ बालक आनंद का अनुभव करें

३. **प्रोजेक्ट पद्धति (Project Method)**- इस पद्धति का प्रतिपादन **डब्ल्यू. एच. क्लिपैट्रिक (W. H. Klipatrick)** ने किया। इस पद्धति में बालकों की शिक्षा में प्रयोजनता (Purposiveness) निहित कर दी जाती है। बालकों को नाना प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं से सम्बंधित कार्य करते हुए शिक्षा दी जाती है।
४. **डाल्टन प्रणाली (Dalton Plan)**- इस प्रणाली का प्रतिपादन महान शिक्षिका **श्रीमती पार्कहर्स्ट (Parkhurst)** ने अमेरिका के डाल्टन नगर के डाल्टन स्कूल में किया। इस पद्धति में न तो समय विभाजन चक्र की आवश्यकता पड़ती है, न घंटी की पाबन्दी सामाजिकता, स्वतंत्रता एवं वैयक्तिकता इस प्रणाली के मुख्य नियम हैं इस प्रणाली में बालक प्रयोगशालाओं (Laboratories) में आकर स्वेच्छा से कार्य करते हुए ज्ञानार्जन करते हैं। शिक्षक महोदय का कार्य केवल बालकों को ज्ञानार्जन करने में सहायता देना होता है।
५. **ह्यू रिस्टिक पद्धति (Heuristic Method)**- इस पद्धति का अविष्कार **आर्मस्ट्रांग (Armstrong)** नामक शिक्षाशास्त्री ने किया। इस पद्धति के समस्त नियम एवं कार्य उसी प्रकार से होते हैं, जैसे कि खेल में होते हैं। इस पद्धति में बालक को स्वतंत्रतापूर्वक अन्वेषण कार्य कराते हुए तथा ज्ञानार्जन कराते हुए शिक्षा दी जाती है।
६. **बालचर पद्धति (Scouting System)**- बालचर पद्धति के प्रवर्तक **बेडेन पावेल** महोदय हैं। आज कोई भी ऐसा देश न होगा, जहाँ इस पद्धति का प्रचालन न हो। इस पद्धति के अनुसार अवकाश के समय समस्त बालक एक मंडली बनाकर सरस्वती यात्राएं करते हैं, नाना प्रकार के अच्छे-अच्छे खेल खेलते हैं, नाटक आदि का आयोजन करते हैं, जिनसे कि उनके व्यक्तित्व का सुचारु रूप से विकास होता है।

(ब) खेल का सामान्य महत्व (General Importance of Play)

1. **शारीरिक महत्व (Physical Value Importance)**
2. **मानसिक महत्व (Mental Value Importance)**
3. **संवेगात्मक महत्व (Emotional Value Importance)**
4. **सामाजिक महत्व (Social Value Importance)**
5. **व्यक्तिगत विकास में महत्व (Personality Development Value Importance)**

(स) खेल का शैक्षणिक महत्व (Educational Importance of Play)

१. **पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्व (Importance in Curriculum construction)**- खेल ऐसी प्रवृत्ति है, जो स्वतंत्रता, आनंदामकता, स्वाभाविकता, स्फूर्तिदायकता आदि गुणों से अतिरंजित रहती है। फलस्वरूप जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि खेल के समस्त गुणों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय।

२. **करके सीखने का महत्व (Importance of Learning by Doing)**- यह खेल का ही महत्व है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में 'करके सीखने का सिद्धांत' (Principle of Learning by Doing) अपनाया जा रहा है। परिणामस्वरूप बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह व्यावहारिक होता है, जिसे प्राप्त करके भविष्य में वे कुशल नागरिक बन कर अपने 'कर्तव्यों एवं अधिकारों' (Duties and Rights) का सदुपयोग करते हैं।
३. **अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में महत्व (Importance in solving the problems of discipline)**- शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि वह बालकों में अनुशासन अथवा विनय की भावना का विकास करें। वास्तव में बालक खेल के द्वारा अपनी पाशविक मूलप्रवृत्तियों का 'शोधन' (Sublimation) करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, 'मार्ग-प्रदर्शक' (Guide) की आज्ञा-पालन करने का अभ्यास करते हैं। परिणाम-स्वरूप उनमें अनुशासन अथवा विनय की भावना का विकास होता है।
४. **शिक्षा में खेल प्रणाली का महत्व (Importance of Education of Play-way)**- शिक्षा में खेल का इतना महत्व हो गया है कि **काल्ड वेल कुक (Called Well Cook)** नामक शिक्षाशास्त्री ने 'शिक्षा में खेल प्रणाली' (Play way in Education) का अविष्कार किया। इस प्रणाली के द्वारा शिक्षा में स्वतंत्रता, आनंदमयता, स्वाभाविकता आदि गुणों का समावेश किया जाता है, जिससे कि बालक ज्ञानार्जन में सुख व आनंद का अनुभव करते हैं। सर्वश्री के. भाटिया एवं बी. डी. भाटिया के शब्दों में "यह खेल की पद्धति है जिससे स्वतंत्र शासन में अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को जानने से शिक्षालय में सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा मिलती है।"

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

१. मुख्यतः खेल प्रकार का होता है।
२. विधिवत अध्ययन में मुख्यतः बातों की आशा की जाती है।
३. योग्य छात्रों को अध्ययन से अधिक लाभ होता है।

12.13 बालकों के साथ सामंजस्य स्थापन करने के सरल सिद्धांत(Easy principals to establish rapport with children)

कक्षा प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना एक प्रभावी कदम हो सकता है। सामंजस्य स्थापन शिक्षक की अपने बालकों की सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ाव है, किन्तु यह किसी भी बालक पर थोपा नहीं जा सकता। जो शिक्षक बालक से सीधे तौर पर व्यक्तिगत प्रश्नों के माध्यम से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनका वार्तालाप संक्षिप्त होता है तथा सामान्यतया इसका निष्कर्ष सही नहीं होता है।

वास्तविक सामंजस्य स्थापना के लिये शिक्षक को बालक को उनकी ओर आकर्षित करना होता है शिक्षक के व्यक्तित्व, उनकी विनोद वृत्ति तथा प्रतिभा से बालक उनके प्रति आकृष्ट होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में रुचि लेते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व की यही प्राकृतिक वृत्ति बालकों के साथ उनके

साथ अनायास व्यक्तिगत जुड़ाव को जन्म देती है तथा बिना निर्देशित किये बालकों के व्यवहार विकल्प को प्रभावित करती है।

सामान्यतया सभी शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से उनके व उनके बालकों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, किन्तु अधिकांश मामलों में वे स्वयं इसे कार्यरूप में परिणीत करने में असफल रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है तथा सभी अलग-अलग प्रतिभा, विशेषता, विनोदी प्रवृत्ति, जीवन के विपुल आनंद से सज्जित रहते हैं। सामंजस्य स्थापन का मूल मंत्र केवल व्यक्तित्व का आकर्षक होना और इससे यह स्वतः ही हो जाता है। यद्यपि यह केवल सैद्धांतिक व्याख्या है, जिसे समझाने के लिए निम्न उदाहरण अवलोकनीय हैं-

१. **मुस्कराएं जब तक वे मुस्कराएं**(Smile till they smile)- यह नीति उन बालकों पर भी प्रभावी होती है, जिनसे शिक्षक पूर्व में कभी मिला भी नहीं हो। इसका उपयोग किसी भी समय, कक्षा में शिक्षण के दौरान, गृहकार्य जाँचने के दौरान, उपस्थिति लेते समय अथवा किसी भी ऐसे समय, जब शिक्षक का बालकों से आँखों का संपर्क होता हो।

उदाहरण के लिए बालकों की उपस्थिति लेते समय, उनका नाम पुकारते समय शिक्षक एक बार सिर उठाकर बालक की तरफ आँखों में देखें तथा मुस्कराएं तथा तब तक मुस्कराते रहे जब तक बालक मुस्करा रहा हो। यही इस सामंजस्य की शुरुआत है।

इससे शिक्षक को प्रत्येक बालक के साथ तात्कालिक धनात्मक एवं व्यक्तिगत जुड़ाव का अवसर मिलता है। यह एक प्रकार से कुछ ही क्षणों में हजारों शब्द कहने जैसा अनुभव है तथा इसके पश्चात प्रत्येक बालक शिक्षक को एक नए रूप में अनुभव करता है।

कभी-कभी ऐसा करने से कुछ बालक दबी हँसी से भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, किन्तु यह एक प्रक्रिया है, जिससे शिक्षक-बालक संबंधों में सौहार्द विकसित होता है।

२. **बचपन की कहानियाँ**(Childhood Stories)- इस विधा के तहत कथा वाचन की महत्ता स्थापित होती है। कथा वाचन से प्रभावी और कोई विधा नहीं है। भली प्रकार सुनाई हुई कहानियाँ बालकों को शिक्षकों के वश में करने हेतु अत्यंत प्रभावी हैं, हालांकि इसमें काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है।

अपने बचपन से जुड़ी हुई कोई कहानी सुनाना सबसे प्रभावशाली होता है। इससे शिक्षक स्वयं को वहाँ स्थापित करने में सफल होता है, जहाँ बालक उसके होने की कल्पना भी नहीं करते, किन्तु उस वातावरण से स्वयं को जुड़ा हुआ मानते हैं। इस कारण शिक्षक भी बालक रूप हो जाता है और आपसी सम्बन्ध बनाना बहुत आसान हो जाता है। यदि शिक्षक कहानी सुनाने की कला में पारंगत है, तो उसका शिक्षण अत्यंत प्रभावी हो जाता है तथा इस विधा के कारण बालकों पर उसके प्रभाव में अपूर्व वृद्धि हो जाती है।

12.14 शिक्षक-बालक के मध्य दीवार को तोड़ना (Breaking wall between the Teacher and Student)

सामंजस्य स्थापन में सबसे अधिक महत्त्व इस बात का है कि शिक्षक क्या नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी परिस्थिति में शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह तथ्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उदहारण के तौर पर बालकों की दुष्ट वृत्ति अथवा शैतानी पर शिक्षक की भावप्रवणता के कारण कुंठित व निराशा की प्रतिक्रिया के कारण शिक्षक की डांट-डपट तथा उपदेशपूर्ण व्याख्यान के कारण शिक्षक और बालक के मध्य एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है, जिसे पाटना अत्यंत दुष्कर होता है।

इस प्रकार शिक्षक और बालक के मध्य उनके मिलने से पूर्व ही एक दीवार खड़ी होती है, जिसे शिक्षक को अपने वाक्चातुर्य, व्यक्तित्व तथा विनोद वृत्ति से तोड़ना होता है तथा इससे शिक्षक-बालक में सामंजस्य स्थापना में सहायता मिलती है तथा उनका सम्बन्ध अटूट हो जाता है।

बोध प्रश्न (Knowledge based Questions)

१. बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रमुख सिद्धान्त हैं
२. शिक्षक-बालक के मध्य होना अति-आवश्यक है।

12.15 सारांश (Summary)

बालक एक सामाजिक प्राणी है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। बालक का मनोवैज्ञानिक विकास हेतु उसे रोचक कहानियाँ, नैतिक सन्देश युक्त किस्से, महान व्यक्तियों के जीवन-चरित्र के वृत्तान्त आदि के माध्यम से बालकों में नैतिक व मानवीय मूल्य प्रतिपादित किये जा सकते हैं। शैशवावस्था विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छी आदतों से युक्त चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना है। इस भूमिका का निर्वाह करने में अध्यापक का योगदान अत्यंत महत्त्व का है।

व्यक्ति जब दूसरों के अनुभवों को शब्दों, निरीक्षण, चिंतन, मनन ग्रहण करता है तथा उनका लाभ उठता है तो यह प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है। व्यक्ति सदा अध्ययनरत रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल शब्दों का अध्ययन करता है, वह व्यवहार का भी अध्ययन करता है। ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम अध्ययन है।

बाल्यावस्था अनेक जटिलताओं से भरी हुई है। अध्ययन का दबाव हर समय बालक के ऊपर रहता है, किताबी शिक्षा के साथ-साथ बालक को यदि अनौपचारिक शिक्षा खेल या अन्य सामुदायिक स्रोतों के माध्यम से दी जाये, तो अधिगम सरलतापूर्वक होगा तथा ज्ञान भी स्थायी रहेगा।

कक्षा प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना एक प्रभावी कदम हो सकता है। सामंजस्य स्थापन शिक्षक की अपने बालकों की सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ाव है, किन्तु यह किसी भी बालक पर थोपा नहीं जा सकता।

इस प्रकार शिक्षक और बालक के मध्य उनके मिलने से पूर्व एक दीवार खड़ी होती है, जिसे शिक्षक को अपने वाक् चातुर्य, व्यक्तित्व तथा विनोद सामंजस्य स्थापना में सहायता मिलती है

12.16 शब्दावली (Glossary)

• चरित्रवान	-	अच्छे चरित्र वाला
• निरीक्षण	-	किसी भी कार्य को ध्यान से देखना
• नियंत्रित	-	कुछ नियमों के तहत
• मंदबुद्धि	-	जिसका मानसिक स्तर कम हो
• बहुमूल्य	-	कीमती
• अवांछनीय	-	न करने योग्य
• अविराम	-	लगातार
• अभिप्राय	-	अर्थ
• आकृष्ट	-	आकर्षित
• पुनरावृत्ति	-	पुनः पुनः वही कार्य होना
• समाधान	-	हल
• मूल प्रवृत्ति	-	सामान्य आचरण

12.17 मूल्यांकन हेतु प्रश्न(Questions for evaluation)

1. अध्ययन के उद्देश्य व प्रकार की व्याख्या कीजिये।
Expalin kinds and objectives of Study.
2. बालक के विकास में अध्ययन की क्या भूमिका है?
What is the role of study in child development?
3. खेल द्वारा अध्ययनरत बालकों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?
How can studying children do progress through play?
4. खेल से आप क्या समझते हैं? खेल व कार्य में क्या अंतर है?
What do you understand by play? What is the difference between play and work?
5. बालकों के खेलों को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिये।
Explain the factors influencing the play activities.
6. खेल का बालकों की शिक्षा और जीवन में क्या महत्त्व है?
What is the role of play in children's education and life?
7. बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के सरल सिद्धान्त कौनसे हैं?

What are simple theories to establish rapport with children?

८. वर्तमान में शिक्षक व बालकों के मध्य संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है?

How will you improve teacher-pupil relationship in present scenario?

12.18 सन्दर्भ पुस्तकें (Reference Books)

- | | |
|---|---|
| 1. पाण्डेय, राम शकल (1998) | - शिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठा। |
| 2. शर्मा, आर. ए. (2000) | - अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार, आर. लाल बुक डिपो, मेरठा। |
| 3. शर्मा, रामपाल, सिंह, एस. डी. एवं शर्मा, देवदत्त (1999) | - व्यवहार मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा। |
| 4. मंगल, ए. के. एवं मंगल, शुभ्रा (2005) | - विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लॉयल बुक डिपो, मेरठा। |
| 5. पाण्डेय, कल्पलता एवं श्रीवास्तव, एस. एस. (2007) | - टाटा मैकग्रा हिल्स पब्लिकेशन, नयी दिल्ली। |
| 6. Woodfolk, Anita (2006) | - Educational Psychology, Ninth Edition, Pearson Education, Delhi. |
| 7. Pandey, K. P. | - Advance Educational Psychology, 2 nd Revised Edition, Konark Publishers Pvt. Ltd., NewDelhi. |

इकाई - 13

बच्चों का वास्तविक परिस्थितियों में विकास और बाल्यवस्था व किशोरावस्था के सार्वजनिक मानक लक्षण

Development of Children in Realistic situation, Universal Standard notion of Childhood and Adolescence

इकाई की रूपरेखा

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 वृद्धि/विकास (Growth/Development)
- 13.4 वृद्धि/बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक (Factor influencing the child Development)
- 13.5 विकास की विभिन्न अवस्थाएँ (Different stages of Development)
- 13.6 बाल्यावस्था (Childhood)
- 13.8 किशोरावस्था (Adolescence)
- 13.9 किशोरों की समस्याएँ Problems of Adolescence
- 13.10 बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मानक अभिप्राय Standards Characteristics of Childhood & Adolescents
- 13.11 सारांश (Summary)
- 13.12 शब्दावली (Glossary)
- 13.13 स्वमूल्यांकन प्रश्न (Unit and Question)
- 13.14 संदर्भ ग्रंथ (Bibliography)

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

‘विकास, अभिवृद्धि परिपक्वता और अधिगम - ये सब शब्द उन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं, जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है।’

-
कोलेसनिक

“The terms growth, development, maturation and learning refer to the physical, mental, social, emotional, and moral changes which a person experiences as he advances through the life.”
– Kolesnik.

यह सर्वविदित है कि बालक जन्म से ही सीखना प्रारम्भ कर देता है तथा मृत्युपर्यन्त तक उसके सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जाने अनजाने में अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति सीखता रहता है तथा उसके आधार पर उसमें अपने परिवर्तन आते रहते हैं। अर्थात् सीखना एक बहुत ही सामाजिक व सहज प्रचलित प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम (*Learning*) कहते हैं। क्रो व क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही एक अधिगमयक सीखने वाला (*Learner*) होता है और यह अधिगम किसी भी बालक या व्यक्ति के विकास की अतिमहत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह विकास समान्यतः तीन रूपों में चलती है -

1 अभिवृद्धि (*Growth*) 2 विकास (*Development*)

3 परिपक्वता (*Maturation*)

हालांकि तीनों ही प्रत्यय एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं। परन्तु इनमें अनेक सूक्ष्म अन्तर भी हैं। अभिवृद्धि एक परिमाणात्मक (*Quantitative*) विकास का द्योतक है जैसे आयु की वृद्धि, लम्बाई उंचाई आदि में वृद्धि। अभिवृद्धि सदैव नहीं चलती वरन् निश्चित आयु की प्राप्ति उपरान्त अभिवृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। विकास बहुपक्षीय है। यह मात्र परिमाणात्मक वृद्धि का ही लाभ नहीं है। यह दोनों परिमाणात्मक व गुणात्मक (*Qualitative*) परिवर्तनों को व्यक्त करता है। इसमें अन्य परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जैसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, जिसे मापा नहीं जा सकता है। अतः विकास अभिवृद्धि से अधिक व्यापक प्रत्यय है। तथापि यह एक निरन्तर व सतत् क्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरन्तर जारी रहती है। परिपक्वता (*Maturation*) वह अवस्था है जब अभिवृद्धि रुक जाती है। ड्रेवर इसे अभिवृद्धि की पूर्णता (*Completion of Growth*) के नाम से भी पुकारते हैं।

इस इकाई में मानव जीवन की प्रारंभिक तीन अवस्थाओं यथा शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में विकास व अधिगम के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि 19 वर्ष की आयु तक, जब तक कि बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में, विकास की विभिन्न आयामों की क्या स्थिति रहती है और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय के लिये इन जानकारियों का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस ज्ञान से वे बालक के सर्वांगीय विकास में अपनी वांछित भूमिका निभा सकेंगे।

13.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का पढ़ने के बाद मूल्य: निम्न बिन्दुओं पर आपकी गहरी समझ विकसित हो सकेगी।

- आप विकास की विभिन्न अवस्थाओं के शैक्षिक महत्व को समझ सकेंगे।
- आप विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकासों के स्वभाव को समझ सकेंगे।
- विकासात्मक अवस्थाओं में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे।

- आप उनकी सामाजिक बुराईयों का मार्गदर्शन कर सकेंगे।
- आप प्रत्येक अवस्था की विशेषताको समझते हुए उनके गुणों का सही विश्लेषण कर सकेंगे।
- आप विकास की विभिन्न आयामों की विशेषताओं का शिक्षा में महत्व समझ सकेंगे।
- आप अपनी शिक्षण शैली को विद्यार्थियों की अवस्था एवं विकास के अनुसार अधिक प्रभावी बनाकर उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

13.3 विकास का अर्थ और परिभाषा (*Meaning and definition of Developments*)

(अ) विकास का अर्थ (*Meaning of Developments*)

हम देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन की दिशा कभी अवरुद्ध नहीं होती है। किन्तु किसी अवस्था में ये परिवर्तन द्रुत गति से होते हैं तो किसी अवस्था में मन्द गति से। जब बालक गर्भावस्था में होता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण द्रुत गति से होता है, जन्म लेने के बाद उसके शारीरिक व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन चलती हैं। यह प्रक्रिया गतिशील दिशा में होती है। प्रौढ़ होने पर परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ स्थायित्व हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद इस परिवर्तन की प्रक्रिया में गिरावट आ जाती है किन्तु यह है तो परिवर्तन है। विकास का तात्पर्य बढ़ने या 'अभिवृद्धि' (*Growth*) से नहीं है, विकास का तात्पर्य वातावरण के कारण होने वाले परिवर्तन से है जबकि बढ़ना परिपक्वता की ओर संकेत करता है। विकास का तात्पर्य शरीर के समस्त अंग-प्रत्यंगों का सभी दिशाओं में होने वाला परिवर्तन है जबकि 'बढ़ना' किसी विशेष दिशा की ओर संकेत करता है। विकास किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। विकास की प्रक्रिया सदैव व्यवस्थित तथा समानुगत होती है अर्थात् विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे एक क्रम से होते हैं जिसमें प्रत्येक नवीन परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर निर्भर होता है और इस प्रकार परिवर्तनों में एक सम्बन्ध या सामंजस्य बना रहता है। इस प्रकार से परिवर्तनों की प्रक्रिया होने के कारण विकास का मूल्यांकन निरीक्षण तथा मापन किया जाता है। उपर्युक्त शब्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित लक्ष्य की ओर होने वाले निरन्तर परिवर्तनों (*Continuous Changes*) से है जो 'व्यवस्थित' तथा 'समानुगत' रूप से होते हैं।

(ब) विकास की परिभाषा (*Definition of Developments*)

(1) हरलाक- "विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं।"

"Developments is not limited to growing larger. Instead it consists of a progressive series of change of an orderly, coherently type towards the goal of maturity,"
-Hurlock.

1. *“Development is more than a concept. It can be observed, appraised, and to some extent even ‘measured’ in three major manifestations – (a) anatomic, (b) physiologic, (c) behavioral.... behavior signs, however, constitute a most comprehensive index of developments status and development potentials.*

(2) डूवर - ’विकास प्राणी में गतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है।’

“Development: Progressive change in an organism; continuously directed towards a certain and condition (e.g. progressive) change from the embryo to the adult in a species.”

(3) इंगलिश और इंगलिश - ’विकास प्राणी की शरीर अवस्था में एक लम्बे अर्से तक होने वाले लगातार परिवर्तन का एक क्रम है। यह विशेषतः ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण जन्म से लेकर परिपक्वता और मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन होते हैं।

“Development: A Sequence of continuous change in a system extending over a considerable time, specifically, such change of related and enduring particular changes, as follow one another, in an organism from its origin to maturity or to death.”

English &

English

13.4 बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक(Factors influencing the child development)

1. बुद्धि या मानसिक योग्यता Intelligence or Mental Ability
2. योनि या लिंग भेद Sexual Difference
3. अन्तःस्रावी ग्रन्थिया Endocrine Glands
4. प्रजाति या वर्ण Race or Colour
5. शुद्ध वायु और प्रकाश Fresh Air and Light
6. पोषण Nutrition
7. रोग और चोट Diseases and Injuries
8. पारिवारिक वातावरण First Environment
9. समाज और विद्यालय का वातावरण Social and School Environment
10. सांस्कृति वातावरण Cultural Environment

13.5 विकास की विभिन्न अवस्थाएँ(Different stages of development)

वास्तव में मानव विकास में नियंत्रण पाई जाती है किन्तु उसका विकास भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है यद्यपि मनोवैज्ञानिकों में विकास के विभिन्न सोपानों के विषय में मतभेद है। यहां कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सोपानों पर विचार करना उपर्युक्त होगा।

1 रास (Ross) के अनुसार विकास की अवस्थाएँ-

- i शैशव(Infancy)-जन्म से तीन वर्ष तक।
- ii आरम्भिक बाल्यकाल(Early Childhood)3 से 6 वर्ष तक।
- iii उत्तर बाल्यकाल Late childhood 6 से 12 वर्ष तक।
- iiiv किशोरावस्था Adolescence 12 से 18 वर्ष तक।

2 कालेसनिक Kolesnik के अनुसार की विकास की अवस्थाएँ-

- i पूर्व जन्मकाल Prenatal Period।
- ii शैशव Neonatal जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक।
- iii आरम्भिक शैशव (Early infancy) 1 माह से 15 माह तक।
- iv उत्तर शैशव काल (Late Infancy) 15 माह से 30 माह तक।
- v पूर्व बाल्यकाल (Early childhood) 30 माह से 5 वर्ष तक।
- vi मध्य काल्यकाल (Middle Childhood) से 9 वर्ष तक।
- vii उत्तर बाल्यकाल(Late Childhood) 9 से 12 वर्ष तक।
- viii किशोरावस्था (Adolescence) 12 से 21 वर्ष तक।

विद्वानों में सामान्य रूप से मानव विकास की अवस्थाओं को पाँच अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है-

- (1) पूर्व जन्मकाल (Prenatal period)
- (2) शैशवावस्था (Infancy) जन्म से 5 या 6 वर्ष तक।
- (3) बाल्यवस्था(Childhood) 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक।
- (4) किशोरावस्था (Adolescence) 12 वर्ष से 18 वर्ष तक।
- (5) प्रौढ़ावस्था (Adulthood) 18 वर्ष के बाद।

13.6 बाल्यावस्था Childhood

शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। 6 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरम्भ होने तक का समय बाल्यावस्था कहलाता है। मानव विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था का विशेष महत्व है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का मत है कि "व्यक्ति के दृष्टिकोण मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है।" 6 वर्ष की आयु तक बालक का मानसिक

विकास भी इतना हो जाता है कि इस आयु पर बालक की औपचारिक शिक्षा को प्रारम्भ किया जा सकता है। बाल्यावस्था को प्रारम्भिक शिक्षा का काल भी कहा जा सकता है।

13.6.1 बाल्यावस्था की विशिष्ट विशेषताएँ (Specific Characteristics of Childhood)

- 1 प्रौढ़ता का जन्म *Birth of Maturity*
- 2 संचय की प्रवृत्ति *Tendency of Economy*
- 3 जिज्ञासा प्रवृत्ति *Tendency to Curiosity*
- 4 रचनात्मक कार्य में रुचि *Interest in constructive Works*
- 5 वास्तविक का अभाव *Lack of Reality*
- 6 जाग्रत अनुकरण *Awareness for Imitation*
- 7 साथी समूह में आनन्द *Pleasure in Peergroup*
- 8 रुचियों का विकास *Development of Different Interests*
- 9 सामाजिक गुणों का विकास *Development of Social Traits*
- 10 मानसिक विकास *Mental Development*
- 11 नैतिकता का विकास *Development of Morality*
- 12 यौन-प्रवृत्ति *Tendency of Sex*
- 13 बहिर्मुखी Extrovert

13.6.2 बाल्यावस्था में शारीरिक विकास: Physical development in childhood

बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य का काल होता है। इस अवस्था की शारीरिक विकास की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

- 1 **भार-** बाल्यावस्था में बालक का भार तेज गति से बढ़ता है। 6-8 वर्ष की आयु में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक रहता है किन्तु 11 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं के भार में बालकों के भार से अधिक से अधिक वृद्धि होने लगती है।
- 2 **लम्बाई-** बाल्यावस्था में लम्बाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। इस अवस्था में उसके शरीर की लम्बाई 10 से 12 इंच तक की वृद्धि होती है। बालक-बालिकाओं की लम्बाई में अंतर 8 वर्ष की आयु से आरम्भ हो जाता है। 8 वर्ष की आयु से बालिका के शरीर की लम्बाई बालक से अधिक हो जाती है। यह अन्तर लगभग एक इंच का रहता है।
- 3 **मस्तिष्क-** बाल्यावस्था में मस्तिष्क के भार में भी वृद्धि होती है। 8 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 90 प्रतिशत तक आकार पूरा हो जाता है।
- 4 **हड्डियाँ-** बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में वृद्धि होती है। 6 वर्ष से 1 वर्ष की आयु के मध्य हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। इसके बाद दो वर्ष तक हड्डियों का अस्थिकरण होता है। बालिकाओं में अस्थिकरण की क्रिया बालकों से अधिक कुछ पूर्व ही आरम्भ हो जाती है।

- 5 **मासपेशियां**-मासपेशियां का विकास धीमी गति से होता है। 9 वर्ष की आयु का बालक होने पर उसकी मासपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27 प्रतिशत होता है।
- 6 **पैर एवं भुजाएँ** इस अवस्था में पैरों का विकास हाथों की अपेक्षा कुछ मन्द गति से होता है।
- 7 **दांत** - क्लीन और पामर के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालकों के स्थायी दांत निकलने आरम्भ हो जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में 7दांत 10 वर्ष की आयु में लगभग 15दांत और 12 वर्ष की आयु में 25दांत निकल आते हैं।
- 8 **आन्तरिक अनुभव**- आयु में वृद्धि के साथ आन्तरिक अवयवों में भी विकास होता है। 6 से 9 वर्ष की आयु तक फेफड़ों का आकार अधिक नहीं बढ़ता है। पाचन-क्रिया के अवश्य 12 वर्ष की आयु में परिपक्व हो पाते हैं।
- 9 **यौनेन्द्रिया**- बाल्यावस्था में यौनेन्द्रियों में वृद्धि अवश्य होती है किन्तु यह वृद्धि अत्यन्त ही मन्द होती है।
- 10 **सिर का आकार**- बाल्यावस्था में सिर का आकार क्रमशः छोटा होता जाता है।

13.6.3 बाल्यावस्था में मानसिक विकास(Mental development in childhood)

- 1 **संख्याओं का ज्ञान**-6 वर्ष का बालक 100 तक संख्याओं की गिनती गिन सकता है। 9 वर्ष की अवस्था तक वह 1000 संख्याओं की गणना कर सकता है। 7 वर्ष की आयु के बाद कम संख्याओं के जोड़ और बाकी करना प्रारम्भ कर देता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में संख्या प्रत्यय शीघ्र विकसित होते हैं।
- 2 **स्मृति Memory** - इस अवस्था में स्मृति अधिकतर यांत्रिक होती है वह अनेक तथ्यों को बिना समझे बूझे रट लेता है। स्ट्राड्ड और मोर्ल ने परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 7 वर्ष के बालक 4 शब्द, 10 के 7 और 11 वर्ष के 7-8 निरर्थक शब्द याद रख सकते हैं। बिल के अनुसार, 10 वर्ष के लड़के 20 शब्द और 12 वर्ष के लड़के 22 शब्द याद रख सकते हैं।
- 3 **भाषा का विकास**-6 वर्ष की आयु में बालक साधारण और सरल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। 9 वर्ष का बालक 5-6 तुकान्त शब्दों को बताने लगता है। 10 वर्ष की आयु में वह तीन मिनट में 60-70 शब्द बोल सकता है। 7 वर्ष की अवस्था में बालक संयुक्त और जटिल वाक्यों की रचना करने लगता है।
- 4 **अवधान का विकास**- आयु के साथ-साथ अवधान विस्तार में वृद्धि होती है। बालक का ध्यान उन बातों की ओर अधिक आकर्षित होता है। जिनमें उनकी रुचि अधिक होती है। बाल्यावस्था में रंग-बिरंगी वस्तुएँ अथवा तेज आवाज बालकों के ध्यान को अधिक आकर्षित करती हैं।
- 5 **मानसिक योग्यताओं का विकास**- प्याजे के अनुसार, 7 वर्ष की आयु तक बालक में आत्म-केन्द्रित चिन्तन की प्रकृति रहती है। इस अवस्था में उनका चिन्तन सरल और साधारण होता है। 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में बालक ठोस वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगता है। वह वस्तुओं में कार्य-कारण स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में वह ठोस तथा तर्कसंगत निर्णय लेने में असमर्थ होता है।

6 **रुचियों का विकास-** आयु में वृद्धि के साथ-साथ बालक में विविध रुचियों का विकास होता है। 9 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने वस्त्रों में रुचि दिखाने लगता है। 6-7 वर्ष के बालक सामूहिक खेलों में, 9-10 वर्ष के प्रतियोगिता संबंधी खेलों में रुचि दर्शाने लगते हैं। 11-12 वर्ष की आयु में कला के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। लाजर के अनुसार 9 वर्ष की आयु के बाद बालकों में पारियों की जैसी काल्पनिक कहानियां में रुचि का हास होने लगता है और वे मारपीट या आविष्कार से सम्बन्धित कहानियों में रुचि लेने लगते हैं।

13.6.4 बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास *Emotional development*

- (1) बालक में मानसिक विकास के कारण समझ बढ़ जाती है। साथ ही वह उत्तेजना पैदा करने वाली परिस्थितियों के प्रति ध्यान देने लगता है।
- (2) बाल्यावस्था में अनेक संवेग बालक को हासस्पद बना देते हैं। बालक अपने संवेगों को छिपाने लगता है, परन्तु संवेगों को छिपाना हानिकारक होता है।
- (3) बालक में भाषा का विकास होने से अब क्रिया की अपेक्षा अपने भावों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है।
- (4) परिवार या विद्यालय में कठोर अनुशासन बालकों को स्वतंत्रतापूर्वक संवेगों को अभिव्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा होने से बालक में अनेक मानसिक कुंठा पैदा हो जाती है। जो उसका विकास के लिए बाधक होती है।
- (5) विद्यालय में बालक के संवेगात्मक विकास पर अध्यापक के व्यवहार तथा विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों को बालकों के साथ स्नेहयुक्त व्यवहार करना चाहिये।

बाल्यावस्था में कुछ संवेगों का निम्नलिखित प्रकार का रहता है-

क्रोध Anger- पूर्व बाल्यावस्था में क्रोध उत्पन्न करने के लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। अपनी प्रिय वस्तु के छिनने, आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पैदा होने, परिवार का वातावरण, अन्य बालक द्वारा गाली देने आदि परिस्थितियों के कारण बालकों में क्रोध की अनुभूति होती है। बालक क्रोध को रुठकर, गाली देकर, रोकर, झुल्लाइट केम्प में प्रकट करता है। 10-12 वर्ष की आयु में बालक दूसरों की मजाक बनाकर या टीका-टिप्पणी के द्वारा क्रोध को प्रकट करता है। हारलाक के अनुसार, 10-12 वर्ष की आयु में बालक की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने पर वह क्रोधित होने लगता है।

ईर्ष्या-द्वेष Jealousy - 6 वर्ष की अवस्था के बाद ईर्ष्या-द्वेष का संवेग तीव्र रूप से प्रकट होने लगता है। ईर्ष्या-द्वेष का भाव परिवार से ही पैदा होता है। परिवार में से ही बालक अपने भाई-बहिनों से ईर्ष्या करने लगता है। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने पर बालक अध्यापकों से ईर्ष्या करने लगते हैं। इस अवस्था में ईर्ष्या की अच्छी आर्थिक स्थिति, उत्तम वेशभूषा, अधिक योग्यता या बुद्धि, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के कारण होती है।

भय & Fear - बाल्यावस्था में बालक उपहास से बचने के लिए भय के संवेग छिपाने लगता है। जब भय पैदा करने वाले उद्देमक असुरक्षा, असफलता, अपहास आदि बन जाते हैं।

प्रेम Affection - बाल्यावस्था में प्रेम समलिंगीय के प्रति होता है। बालक अपने मित्रों के प्रति अधिक स्नेहशील होते हैं। उनकी सहायता करने को तत्पर करता है।

आनन्द Delight & 6-8 वर्ष की आयु में बालक को सफल कार्यों, भ्रमण, खेलकूद, मित्र-मण्डली में मिलने आदि परिस्थितियों में हर्ष का अनुभव होता है। ट.टी. जोन्स के अनुसार 9 वर्ष की आयु के बाद बालक साहस के कार्य करने में आनन्द की अनुभूति करता है। हर्ष प्रकट करने की अभिव्यक्तियों में भी शिष्टता आ जाती है।

13.6.5 बाल्यावस्था में सामाजिक विकास *Social Development in Childhood*

(1) बाल्यावस्था का 6 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की अवस्था के मध्य का समय माना जाता है। (2) बालक अपने परिवार के सदस्यों के सम्पर्क से दूर अपने समवयस्क साथियों के साथ घूमने में अधिक आनन्द अनुभव करता है। (3) इस आयु में शैशवावस्था की तुलना में बालक का सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। (4) बालक नवीन वातावरण साथ अनुकूलन करना तथा नए बालकों के साथ मित्रता सत्यापित करना सीखता है। (5) 6 वर्ष की आयु में अधिकांश बालक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। जहाँ उनको नवीन वातावरण तथा नए साथी मिलते हैं। (6) बालकों में टोली या दल का निर्माण होता है। बालक टोली के मानकों के अनुसार काम करते हैं तथा परिवार की अपेक्षा टोली को प्रधानता देता है। टोलियों में रहकर बालक समूह मनोविज्ञान के आधार पर वांछित या अवांछित कार्य करने में झिझकता नहीं है। (7) बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना उग्र रूप में पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा के कारण बालकों में कभी-कभी परस्पर मारपीट हो जाती है। (8) हारलाक के मतानुसार "टोली साहस, न्याय, आत्मनियन्त्रण, सद्भाव एवं बालक-बालिकाएँ साथ-साथ खेलते हैं, किन्तु आठवें वर्ष के अन्त से वे समलिंगियों के साथ खेलना आरम्भ कर देते हैं। इस प्रकार की पृथकता किशोरावस्था में पूर्व तक ही रहती है। (10) बाल्यावस्था में खिलाडीपन की उत्कृष्ट भावना हाती है। बालक अपने दल की जीत के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। इससे उनमें अनुशासन की भावना तथा सहकारिता की भावना का विकास होता है।

13.6.6 बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास *Character Development In Childhood*

बाल्यावस्था में बालक के चरित्र का विकास निम्नांकित क्रम में होता है-

- 1) किसी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों से सम्पर्क स्थापित होता है। फलस्वरूप, उसके आचरण में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है।
- 2) बालक विभिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित में अन्तर करना जाना जाता है।
- 3) बालक, न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल सम्भावनाये व्यक्त करने लगता है।
- 4) बालक, परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा अथक तत्परता से पालन करता है।
- 5) बालक, घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचितपर विद्यालय में निःस्वार्थ और उचित व्यवहार करता है।
- 6) बालक कम-से-कम मौलिक रूप से चोरी करने, झूठ बोलने, धोखा देना, छोटे बच्चों या छोटे पशुओं को कष्ट पहुँचाने और शेखी मारने की निन्दा करने लगता है।

- 7 बालक झूठ बोलना कम कर देता है, माता-पिता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उनके कार्य करता है और अपने से संबंधित महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सत्य बोलने का प्रयास करता है।
- 8 कोलेसनिक *Kolesnik* के मतानुसार बालक कुछ सिद्धान्तों को समझने, स्वीकार करने और प्रयोग करने लगता है। वह इन सिद्धान्तों को समझने, स्वीकार करने और प्रयोग करने लगता है। वह इन सिद्धान्तों पर आधारित अपने व्यवहार के प्रभाव पर विचार करने लगता है।
- 9 स्ट्रैंग कोलेसनिक *Strang* के अनुसार 6,7, और 8 वर्ष के बालकों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है।

संक्षेप में, हम क्रो एवं क्रो *Crow and Crow* ने कहा है कि "बाल्यावस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धान्तों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है।"

बाल्यावस्था पर स्व: मूल्यांकन प्रश्न -

- 1 बाल्यावस्था की उम्र मानी जाती है।
- 2 बाल्यावस्था में शरीर की लम्बाई इंच तक होती है।
- 3 बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था कहलाती है।
- 4 बाल्यावस्था जीवन का स्वर्णिम काल कैसे है।

13.7 किशोरावस्था *Adolescence*

13.7.1 किशोरावस्था की विशेषताएँ *Characteristics of Adolescence*

- 1 रचनात्मक कार्यों पर बल *Emphasis on Constructive Works*
- 2 जिज्ञासा को विकसित करना *Develop Curiosity*
- 3 सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन
- 4 पर्यटन की व्यवस्था
- 5 नैतिकता का विकास *Development of Morality*
- 6 विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास *Development of Various Social Traits*
- 7 संग्रह की भावना *Feeling of Collection &*

13.7.2 किशोरावस्था में शारीरिक विकास *Physical Development in Adolescence*

बालक से प्रौढ़ के बीच संक्रमण का आरम्भ तरुणावस्था से हो जाता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के हाईपोथैलमैस क्षेत्र से संकेत पाकर तरुणावस्था व किशोरावस्था में तेजी आती है। पिट्यूटरी ग्लैंडस *Pituitary Glands* किशोरों के शरीर में अधिक हार्मोन का संचरण करती है। जबकि लड़कियों की लड़की से वृद्धि दर दुगुनी हो जाती है। लड़के 14 वर्ष की अवस्था में 3 से 5 इंच तक की उंचाई/लम्बाई में वृद्धि कर पाते हैं। लड़कियाँ 11 से 12 वर्ष की अवस्था में 2 से 4 इंच की लम्बाई में वृद्धि कर पाते हैं। लड़के एवं लड़कियों की वृद्धि में समय का अन्तर उंचाईभार एवं परिपक्वता में रुचिकर परिवर्तन दिखाई देते हैं।

इस अवस्था में प्राथमिक लैंगिक विशेषतायें देखने को मिलती हैं। जननेन्द्रियों के आकार में मुख्य रूप से वृद्धि देखने को मिलती है। किशोरों की जननेन्द्रियों की लम्बाई और मोटाई बढ़ने लगती है। शरीर के विभिन्न भागों पर बाल दिखाई देने लगते हैं। किशोरों में स्वप्न दोष स्वाभाविक हो जाता है। किशोरियों में मासिक धर्म होने लगता है। किशोरियों की छातियों का विकास होने लगता है जबकि किशोरों के कन्धें चैड़े व भौहें विकसित होने लगते हैं। पुष्टे मोटे हो जाते हैं। पसीना अधिक आने लगता है। किशोरों की आवाज में कर्कशता व भारीपन आने लगता है। जबकि किशोरियों की आवाज में सुरीलापन आने लगता है। किशोर किशोरियों की चाल में भी अन्तर आ जाता है। हड्डियों का लचीलापन हो जाता है।

13.7.3 किशोरावस्था में मानसिक विकास. *Mental Development of Adolescence*

कार्ल सी. गैरीसन के मतानुसार, किशोरों की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविता, कहानी, चित्र, संगीत आदि में देखी जा सकती है।

1 रुचियों का विकास *Development of Various Interests*- आयु में वृद्धि के साथ रुचियों में विविधता प्रकट होने लगती है। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से हाता है। किशोर और किशोरियों की रुचियों में अन्तर स्पष्ट होने लगता है। किशोरावस्था की प्रमुख रुचिया निम्नलिखित हैं-

i वाचन *Reading* - सम्बन्धी रुचिया-टरमैन और लिमा के मतानुसार किशोरावस्था में काम-प्रवृत्ति बढ़ने के कारण लड़के-लड़किया यौन-साहित्य के अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं।

ii बातचीत *Conversation* सम्बन्धी रुचिया- फ्रीज के मतानुसार किशोरावस्था में बातचीत के विषय प्रेम, लड़कियाफैशन, चलचित्रयात्रा खेल आदि से सम्बन्धित होते हैं। लड़को की परस्पर वार्ता के विषय लड़कियों से संबंधित होते हैं। जबकि लड़किया अपनी सहेलियों के मध्य लड़कों एवं सामाजिक क्रियाओं के सम्बन्ध में बातचीत करती हैं।

(iii) चलचित्र *Cinema* और रेडिया *Radio* - किशोरावस्था में चलचित्र देखने और रेडियों के कार्यक्रम सुनने का शौक अधिक बढ़ जाता है। किशोर प्रेम-प्रधान और साहसिक चलचित्र अधिक पसन्द करते हैं और किशोरियों को प्रेम-प्रधान और साहसिक चलचित्र अधिक पसन्द आते हैं। रेडिया पर चलचित्रों के गाने, नाटक तथा खेलकूट के कार्यक्रम सुनना किशोर अधिक पसन्द करते हैं।

(iv) खेल *Game* सम्बन्धी रुचिया - किशोरावस्था में बालकों को साहसपूर्ण और दौड़ धूप वाले खेल अधिक पसन्द आते हैं जैसे-दौड़ना, तैरना आदि। किशोर और किशोरियों की खेल संबंधी रुचि में भिन्नता भी होती है। लड़के सामूहिक खेलों में हाकी, फुटबाल, आदि खेलना अधिक पसन्द करते हैं। जबकि लड़किया ड्रामा, नृत्य, एवं संगीत में अधिक रुचि लेती हैं।

2 चिन्तन-शक्ति का विकास *Development of Thinking Power*- किशोरावस्था में मस्तिष्क में मस्तिष्क के स्नायुतन्त्र के परिपक्व हो जाने से किशोर में चिन्तन-शक्ति का विकास होता है। वह निगमन विधि से समस्याओं के बारे में चिन्तन करने लगता है। वह समस्या समाधान के लिए प्रयत्न करने लगता है।

- 3 **बुद्धि का विकास *Development of Intelligence***- किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है। आयु के अनुसार बुद्धि के अधिकतम विकास के सम्बन्ध में मतभेद प्रायः मनोवैज्ञानिकों में पाए जाते हैं जैसे-हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष की आयु और जान्स और कोनराड के अनुसार 16 वर्ष की आयु में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है।
- 4 **अवधान-** किशोरावस्था में किसी वस्तु या विषय के प्रति ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता में और अधिक विकास होता है। क्रो और क्रो के मतानुसार सफल एकाग्रता किशोर की रुचियों से जुड़ी हुई हैं।

13.7.4 किशोरावस्था में सामाजिक विकास *Social Development in Adolescent*

किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर बालक मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में किशोर अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं। किशोर के सामाजिक विकास में उसके शारीरिक विकास का अधिक योग होता है। सामाजिक विकास प्रकृति इस प्रकार होती है-

- 1 सामाजिक पहचान *Social Recognition* & किशोरों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनकी सामाजिक मान्यता किस स्थान पर है और किस पर नहीं।
- 2 समूह विकास *Group Development* & किशोरों में सामाजिकता का विकास इस सीमा तक होता है कि वे अपने दल या साथियों की प्रतिष्ठा के लिए त्याग करने को उद्यत हो जाता है।
- 3 समान उद्देश्य *Common Objects* किशोरावस्था में समान उद्देश्य होने के कारण स्थायी मित्रता का अभ्युदय हो जाता है। मित्रता में रुचि अभिवृत्ति सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है।
- 4 सामाजिक चेतना *Social Consciousness* & किशोरों में सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है। माता-पिता तथा व्यक्तियों से वह अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। व्यवहार में स्वार्थपरता अधिक पाई जाती है।
- 5 परिपक्वता & लड़कियों का सामाजिक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता लिये होता है।
- 6 यौन सम्बन्ध *Sex Relations* - किशोरावस्था में यौन विकास के कारण लड़के-लड़कियाँ आपस में मिलना-बातें करना सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं।

13.7.5 किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास *Emotional Development of Adolescent*

किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तनों को समझने के लिये उसे पूर्व किशोरावस्था व उत्तर किशोरावस्था के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये:

हरलाक के अनुसार किशोरावस्था के संवेग बहुत कुछ वही है जो बाल्यावस्था के है। लेकिन इनका बालकों के संवेगों में अन्तर उद्दिपिनो के प्रकार और अभिव्यक्ति के रूप में होता है।

मैकडूगल *Mc Dougall* ने कहा है - संवेगात्मक अनुभव एक प्रकार से कार्य को एक प्रणाली और क्रिया की एक विधि है। स्थायीभाव संरचना एक विधि है। स्थायी भाव संरचना एकतथ्य स्नायु विन्यासों का एक संगठित अवस्था है। जो कि कार्य करने के अवसरों के बीच में न्यूनाधिक शान्त दशा

में रहती है। किशोरावस्था में संवेगों पर नियन्त्रण करना कठिन हो जाता है। शरीर के विकास से संवेगों का विकास प्रभावित होता है। स्पष्ट है कि किशोरावस्था में बालक न तो बालक होता है और न प्रौढ़। उसे प्रौढ़ नहीं मानते, बालक उसे बालक नहीं मानते। फलतः उसमें समायोजन की समस्या बनी रहती है। वह अपने संवेगों को उचित अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करता है। अनुकूल परिस्थितियों में उत्साहित होता है, अन्तर आने लगता है। स्नायु तथा एन्ड्रोसीन ग्रन्थियों के विकास के कारण संवेगात्मक परिपक्वता विकसित होने लगती है। संवेगात्मक विकास में अन्य तथ्य भी शामिल रहते हैं। इनसे बालकों के संवेगात्मक व्यवहार निर्धारण के तथ्य इस प्रकार हैं:-

- 1 **भय Fear** गैसव *Gessel* के अनुसार इस अवस्था में किशोर यह दावा करते हैं कि उन्हें किसी भी चीज से भय नहीं लगता। प्रैसी एवं जोनस के अनुसार किशोरों के भय कई बातों पर निर्भर करते हैं यथा उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पारिवारिक दशा, भूतकाल में प्राप्त सफलताएँ व असफलताएँ तथा जिन-जिन लोगों से उसका सबसे अधिक घनिष्ठ और सबसे अधिक सहचर्य रहता है।
- 2 **क्रोध Anger** - किशोरावस्था में क्रोध सामाजिक परिस्थितियों के कारण आता है। जब किशोरों को चिड़ाने, उपहास व आलोचना का पात्र बनाया जाता है। क्रोध प्रकटीकरण के तरीके आयु और सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होते हैं।
- 3 **ईर्ष्या Jealousy** - ईर्ष्या की अभिव्यक्ति बालक शब्दों के माध्यम से करता है। जरसिल्ड के अनुसार उत्तर किशोरावस्था में लड़के व लड़कियों दोनों को अपने विश्वलिंगीय सम्बन्धी में ईर्ष्या का अनुभव होता है।
- 4 **प्रसन्नता Happiness** - ब्राउन *Brown* के अनुसार किशोरों को तब प्रसन्नता होती है जब उसका अपने काम से और उन सामाजिक परिस्थितियों से जिनके साथ उसका अच्छा समायोजन हो जाता है तथा परिस्थिति के हास्योत्पादक पहलू को प्रतीत करते हैं।
- 5 **जिज्ञासा Curiosity** - किशोरों में होने वाले शारीरिक पहलू को प्रतीत करते हैं। जो जाग्रत करते हैं। विषय लिंगीय व्यक्तियों का अनुभव एवं स्त्री पुरुष सम्बन्ध उसकी जिज्ञासा को दृष्टिगोचर करता है।
- 6 **स्पर्धा Competition** - किशोर इस अवस्था में वस्तुओं चाहते हैं जो उसके समव्यस्क समूह के पास होती हैं। कार, मकान, कपड़े, परिवार का सामाजिक, आर्थिक, स्तर, रेस्टोरेंट, घूमना, मनोरंजन के साधन, पार्टी आदि वस्तुओं के अर्थ किशोरों के लिये बहुत स्पर्धा सम्बन्धी बातें हैं।

13.7.6. किशोरावस्था में चरित्रिक विकास *Character Development In Adolescence*

किशोरावस्था में किशोर के चरित्र का विकास अधोलिखित प्रकार से होता है:-

- 1 किशोर एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का प्रयास करता है।
- 2 किशोर अपने समूह, परिवार और पड़ोस के व्यक्तियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है।
- 3 किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करता है।

- 4 किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों, धारणाओं और दृष्टिकोणों की तुलना करता है।
- 5 मैडिनिस् *Medinnus and Johnson* के अनुसार- किशोर, धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानवधर्म का समर्थन करता है।
- 6 मैडिनिस् *Medinnus and Johnson* के अनुसार - किशोर अपनी संस्कृति के व्यवहार के प्रतिमानों का तो अनुसरण करता है पर उसके आधारभूत मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है।
- 7 किशोर के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं - चिन्ता, उच्च आदर्श, शक्तिशाली कल्पना, आत्मभिमान, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम धार्मिक रीति-रिवाजों में अविश्वास, प्रतिद्वन्द्विता की भावना, अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, विचारों की चंचलता, भावनाओं की प्रबलता और मनोभावों में अकारण एवं आकस्मिक परिवर्तन।

संक्षेप में हम पैक एवं हैविगहस्ट *Pack and Havinghurst* के शब्दों में कह सकते हैं - प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायी नैतिक सिद्धान्तों का निर्माण कर लेता है, जिनके आधार पर वह अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन और निर्देशन करता है।

13.8 किशोरों की समस्याएँ *Problems of Adolescence*

- 1 **शारीरिक परिवर्तनों की समस्या *Problem of Physical changes*** - किशोरावस्था में जब परिवर्तन का काल है तो इस परिवर्तन के साथ व्यवस्थापन की समस्या किशोर के सामने आती है। जितनी तीव्र गति से परिवर्तन होता है उतना ही कठिन उनके साथ समायोजन हो जाता है। शारीरिक अवयवों में वृद्धि के साथ-साथ बालक की रुचियों में भी परिवर्तन होता है। अब उसकी रुचि विशमलिंग के सदस्य, सामाजिक क्रियाओं आदि में बढ़ जाती है। माता-पिता इस तथ्य को भुलाकर उससे बाल्यावस्था जैसे व्यवहार की आशा करते हैं।
- 2 **जीवन के लिए तैयारी की समस्या है *Problem of Preparation for life*** & समस्या का मुख्य कारण यह है कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है। इसको परिवर्तन का काल भी कहते हैं, उसकी स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के अयोग्य समझते हैं और कभी-कभी उसके प्रौढ़ व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। उसमें अनेक संवेगात्मक समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- 3 **बाल अपराध की समस्या *Problem of child delinquency*** & इस किशोरावस्था में बाल अपराध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। अनेक अपराध किशोर कुसमायोजन के फलस्वरूप करता है। किशोरों में विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसी द्वन्द्वता के कारण किशोरों के समूहों में परस्पर मारपीट भी हो जाती है। अनुशासनहीनता तोड़-फोड़ आदि कार्यों में किशोर संलग्न रहते हैं।
- 4 **मानसिक द्वन्द्व की समस्या *Problem of Mental conflict*** - किशोरावस्था में अस्थिरता के कारण किशोर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें मानसिक द्वन्द्व की स्थिति पैदा हो जाती है। सामान्यतया किशोर सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन की समस्या अनुभव करता है। गैरीसन और कनिघम के मतानुसार किशोरियों की आयु में वृद्धि के

साथ समस्याओं में भी वृद्धि होती है जबकि किशोरों की समस्याओं में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है।

- 5 **समायोजन की समस्या *Adjustment Problem* &** किशोर की एक समस्या समायोजन की भी है। समायोजन घर तथा स्कूल में होना चाहिये। घर में माता-पिता बालक को डांटते-फटकारते हैं और किशोर की भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते। फलतः किशोर विद्रोही हो उठता है। इसी प्रकार स्कूल में अध्यापक भी किशोर को नहीं समझ पाते इसके परिणाम स्वरूप वह शिक्षक के प्रति विद्रोही हो जाता है।
- 6 **यौन समस्या *Sex Problems* &** किशोरों की दूसरी समस्या है यौन विकास की। किशोरों में काम प्रवृत्ति का विकास के कारण होने लगता है। आजकल छोटे-छोटे बालक भी यौन अंगों की जानकारी किसी ने किसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अश्लील साहित्य, चित्र इत्यादि को पढ़ तथा देखकर वे अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही शारीरिक विकास के कारण वे स्वयं भी यौन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे प्रेम *Romance*, हस्तमैथुन *Masturbation*, सहजातिगत मैथुन *Hetro Sexuality*, विपरित मैथुन *Hetro Sexuality* आदि समस्याओं के कुचक्र में फंस जाते हैं।
- 7 **सामाजिक विकास की समस्या *Problem of Social Development* &** किशोरावस्था में समूह की प्रवृत्तियों में किशोर अधिक भाग लेता है। नेतृत्व की भावना से वह भर जाता है। मित्र बनाने में रुचि लेता है। दलबन्दी की ओर भी बढ़ता है और अपने समूह के लिये वह अनैतिक कार्य भी कर बैठता है। उत्तरदायित्व की भावना उसमें समूह के प्रति चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इस काल में यौन परिवर्तन के कारण लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं। लड़कियों में लोक व्यवहारशर्म आदि के गुणों का विकास हो जात है।
- 8 **व्यवसाय एवं अर्थ समस्या $\frac{1}{4}$ *Vocational and Economic Problem* $\frac{1}{2}$ &** किशोर अपने जीवन में अपने भावी जीवन की कल्पना कर लेता है। वह बड़े से बड़े व्यवसाय को ग्रहण करने की कल्पना तथा तैयारी करना चाहता है पर किस व्यवसाय को अपनाना चाहिये यह समस्या उसके सामने रहती है। साथ ही आर्थिक समस्या भी उसके द्रन्द्धों का एक बड़ा कारण होती है।
- 9 **व्यावसायिक चुनाव सम्बन्धी समस्या *Problem with regard to Vocational Choice* &** प्रायः किशोरावस्था के दौरान ही प्रत्येक किशोर के सामने व्यावसायिक चुनाव की समस्या आती है। इसे अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का चुनाव करना होता है जो आगे जाकर उसके भविष्य के व्यवसाय में सहायता कर सकें। कई किशोर तो हाई स्कूल अथवा हायर सैकण्डरी के पश्चात् निश्चित रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग अथवा किसी अन्य व्यवसाय खेती-बाड़ी दुकान या अन्य धंधों में लग जाते हैं। उचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यवसाय के चुनाव में उन्हें काफी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है।
- 10 **अपरिपक्वता की समस्या *Problem of Immaturity* &** वास्तव में अनुभव की कमी और अपरिपक्वता सम्बन्ध यथार्थ से काट कर उसे काल्पनिक उड़ाने भरने के लिये छोड़ देती है। वह असम्भव को सम्भव बनाना चाहता है और जब वह यह नहीं कर पाता तो बहुत अधिक परेषान और बेचैन हो उठता है। इसके परिणामस्वरूप वह संवेगात्मक और मानसिक सन्तुलन खो बैठता

है। अब या तो तोड़-फोड़ और जब वह यक नहीं कर पाता तो बहुत अधिक परेशान और बेचैन हो उठता है। अब या तो तोड़-फोड़ और विध्वंसात्मक कार्या द्वारा अपना रोश प्रकट करता है साथ ही निष्क्रिय और अकर्मण्य बन जाता है।

किशोरावस्था पर स्व: मूल्यांकन प्रश्न

- 1 किशोरवस्था का कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है।
- 2 किशोरवस्था की उम्र मानी जाती है।
- 3 किशोरावस्था से पूर्व की अवस्थाएँ होती हैं।
- 4 किशोर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहता है..... (सत्य/असत्य)
- 5 पूर्व किशोरावस्था का काल तेरह से सौलह वर्ष है (सत्य/असत्य)

13.9 बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मानक अभिप्राय Standars Characterstics of Childhood & Adolescents

1 बाल्यावस्था के लक्षण Standars Characterstics of Childhood)-बाल्यावस्था में विकास के अर्थ तथा परिभाषा से स्पष्ट है कि विकास एक लगातार परिवर्तन का क्रम है ये परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं और वे अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः विकास के इन परिवर्तनों की निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

- (1) आकार में परिवर्तन *Changes in Size*
- (2) अनुपात में परिवर्तन *Changes in Proportion*
- (3) पुराने लक्षणों का लोप *Disapperance old Features*
- (4) नवीन लक्षणों का ग्रहण करना *Appearance of New Fatures*

आगे इन परिवर्तनों पर हम संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं -

- 1 आकार में परिवर्तन *Changes in Size &*** जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसका अंग प्रत्यंग बढ़ता जाता है। उसके कदवजन तथा शरीर के अन्य आवश्यकता अंगों का विकास होता जाता है। इसी प्रकार उसके शरीर के आन्तरिक अंगों जैसे - हृदय, फेफड़े, नाडिया, आतें इत्यादि का आवश्यकता के अनुरूप बढ़ता जाता है। उसकी वृद्धि में विकास होने के साथ-साथ विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे- प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, निर्णय आदि का विकास होता जाता है। साथ ही साथ उसकी शब्दावली भी बढ़ती जाती है।
- 2 अनुपात में परिवर्तन *Changes in Proportion &*** बालक के बाह्य एवं आंतरिक अंगों, वृद्धि तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विकास एक निश्चित अनुपात में होता है। जन्म से लेकर परिपक्वता तथा बालक के सिर में दुगुनीमस्तिष्क एवं शरीर के बाह्य अंगों में चौगुनी, दिल तथा फेफड़े के वजन में क्रमशः तरह गुनी से 90 गुनी वृद्धि होती है। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी अनुपात का नियम लागू होता है। छोटी अवस्था में बालक की कल्पना लक्ष्यहीन होती है। किन्तु जैसे-जैसे बड़ा होता है वैसे-वैसे कल्पना में वास्तविकता का अंग आने लगता है।

आयु के बढ़ने के साथ-साथ रुचियों में भी परिवर्तन होता है। पहिले बालक स्वयं अपने में तथा खिलौनों में रुचि लेता है किन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसकी अन्य पड़ोसी बालकों के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। किशोरावस्था में यह भिन्न लिंगी व्यक्तियों में रुचि केन्द्रित करने लगता है।

- 3 **पुराने लक्षणों का लोप *Disapperance of old feature &*** बालक में प्रारम्भिक अवस्था में पाये जाने वाले बहुत से गुणों का बाद से लोप हो जाता है। बहुत सी प्रतिक्रियायें बाद में इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। साथ पैर हिलाना डुलाना हाथ पैर के सहारे सरकना आदि शारीरिक क्रियाओं का बाद में लोप हो जाता है। शैशव में शरीर में ग्रीवा गन्धि *Thymus gland* तथा शीर्ष गन्धि *Pinal Gland* होती है। किन्तु बाद में इनका लोप हो जाता है। शैशव के दूध के दाँत भी बाद में खत्म हो जाते हैं। शैशव अवस्था के बालक तोतली बोली बोलता है। किन्तु बाद से समाप्त हो जाती है।
- 4 जहाँ आयु बढ़ने के साथ बालक के पुराने लक्षणों का लोप हो जाता है यहाँ कुछ उसमें नवीन लक्षण आ जाते हैं। ये नवीन लक्षण शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ नवीन लक्षण परिपक्वता के साथ स्वतः आ जाते हैं और कुछ बालक सीखकर ग्रहण करता है। बालक के नवीन दाँत निकलते हैं और किशोरावस्था में बहुत सी लैंगिक विशेषतायें प्रकट होती हैं जैसे पुरुषों में दाढ़ी-मूँछ आना, आवाज भारी होना, लड़कियों के स्तनों उभरना इत्यादि। किशोरावस्था के आने पर अनेक मानसिक विशेषताओं का भी विकास हो जाता है। जैसे लैंगिक विज्ञान, धार्मिकता, स्वतन्त्रता की इच्छा, वीर भावना, नैतिकता, स्वाभाविकता आदि।

किशोरावस्था के मानक लक्षण *Normaeiom Notions of Adolescence* -

व्यव-सन्धि अवस्था की समाप्ति पर शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो जाता है। कुछ अध्ययनों *P.C. Martin, E.L. Vincent, 1960 & A.Scheinfeld, 1965* में यह सिद्ध किया गया है कि लड़कियाँ किशोरावस्था के प्रारम्भ होने तक अपनी लम्बाई की अधिकतम सीमा तक पहुँच जाती हैं, परन्तु जिन लड़कियों में विकास की गति मन्द होती है वे किशोरावस्था में यह देखा गया है कि किशोरावस्था के प्रारम्भ तक लड़कों की लम्बाई लड़कियों से कुछ अधिक ही हो जाती है। भार में वृद्धि का यही प्रतिमान रहता है। इनकी गौण-यौन विशेषताएँ *Secondary sex Characteristics* भी लगभग परिपक्व हो जाती हैं। फलस्वरूप लड़के और लड़कियों में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि लड़के और लड़कियों में वीर्यपतन *Noctural emission* तथा लड़कियों में मासिक धर्म *Mensturation* प्रारम्भ हो जाता है।

- 1 **आन्तरिक लक्षण *Internal characterstics &*** किशोरों में आन्तरिक शारीरिक विकास को यदि देखा जाय जो कहा जा सकता है कि उनकी लम्बाई और चैड़ाई के अनुपात में ही आन्तरिक अंगों का विकास होता रहता है। बालकों के पाचन-तन्त्र *Digestive System* में पूर्व किशोरावस्था में तीव्र गति से विकास होता है परन्तु उत्तर-किशोरावस्था के अन्त तक इस यन्त्र के विकास की गति मन्द हो जाती है। आतों की लम्बाई और गोलाई बढ़ जाती है। आमाशय की दीवारें लम्बाई में ही नहीं बढ़ती हैं बल्कि वह मोटी भी अधिक होने लगती है। कुछ अध्ययनों *H.Bruch 1958; P.F. Heald, et. At., 1963* में यह देखा गया है कि लड़कियाँ दुबली बनी रहने के लिए कम खाना खाती हैं। फलस्वरूप उनके आमाशय के बड़ा होने के बावजूद भी उनको

भूख कम लगती है। वयःसंध अवस्था के बाद फेफड़े *Lungs* में वृद्धि बहुत कम होती है। लगभग सत्रह वर्ष की अवस्था तक लड़कियों के फेफड़ा का विकास पूर्ण हो जात है। यह विकास लड़कों में कुछ देर से होता है। इस विकास में अंतर का मुख्य कारण है कि लड़कियों के सीने की हड्डियां जल्दी और लड़कों के सीने की हड्डियों का विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। *P.C. Eichorn & N. Bayley, 1960*

बालकों के रक्त-संचार तन्त्र *Circulatory System* को यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि हृदय और रक्तवाहिनियों के आकार में अधिक वृद्धि होती है। एक अध्ययन *D.H. Eichorn & N. Bayley, 1962* में यह देखा गया कि वयःसन्धि अवस्था के बाद लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रक्तचार *Blood Pressure* अधिक रहता है। कुछ अध्ययनों $\frac{1}{4}$ *A. Montagu, 1962; C.T. Morgan, E. Parker, 1960 में यह देखा गया कि वयःसन्धि अवस्था में गोनेड ग्रन्थियों में अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशीलता रहती है। इन अध्ययनों में यह भी देखा गया कि सम्पूर्ण पूर्ण किशोरावस्था में *Endocrine Imbalance* रहता है। वयःन्धि और किशोरावस्था में सेक्स ग्रन्थियों में यद्यपि तीव्र गति से विकास होता है फिर भी यह अपने विकास की चरमसीमा पर किशोरावस्था के अन्त तक या प्रौढ़ावस्था के प्रारम्भ होने पर ही पहुच पाती हैं।*

- 2 **गत्यात्मक लक्षण *Motor characteristics* & मासपेशियों में शक्ति का विकास** मासपेशियों के आकार के आकार से सम्बन्धित है। इस दिशा में हुए अध्ययनों *T.K. Curetion, 1964; M.C. Jones; 1960* से यह स्पष्ट हुआ है कि लड़कों की मासपेशियों की शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि चौदह वर्ष की अवस्था से होती है। परन्तु लड़कियों में चौदह वर्ष तक यह विकास अपनी चरमसीमा पर पहुच जाता है। लड़कों में बारह से सोलह वर्ष के बीच उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। वयःसन्धि अवस्था के बाद से लड़के-लड़कियों की उल्लेख्य शक्ति में अधिक होती है तथा आगे आने वाले आयु स्तरों पर भी लड़के लड़कियों की अपेक्षा मासपेशीय शक्ति में हमेशा अधिक रहते हैं। इसका मुख्य कारण लड़कियों की मासपेशियों का कोमल रहना है। अध्ययनों *A. Schcinfeld, 1965; C.T. Morgan, 1964* में यह देखा गया है कि लड़कियों में सत्रह वर्ष की अवस्था तक मासपेशीय शक्ति का विकास अधिकतम हो जाता है परन्तु लड़कों में यह विकास बीस या इक्कीस वर्ष की अवस्था तक प्राप्त हो पाता है।
- 3 **स्वास्थ्य अवस्थाएँ *Health Conditions*** - अध्ययनों में यह देखा गया है कि वयःसन्धि अवस्था की समाप्ति तक किशोरों के स्वास्थ्य में उन्नति होने लग जाती है। कम आयु के किशोरों का ध्यान उनके स्वास्थ्य की ओर नहीं होता है। किशोरावस्था के अन्त तक स्वास्थ्य की अवस्थाएँ इतनी अच्छी हो जाती हैं कि इस अवस्था में भी शारीरिक बीमारी से होने वाली मृत्यु दर कम हो जाती है। अधिकांश मृत्यु दुर्घटनाओं के कारण होती है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जो बच्चे बाल्यावस्था में स्वस्थ रहते हैं वे किशोरावस्था में भी स्वस्थ रहते हैं। काल्पनिक बीमारी *Imaginary Illnes* शिकायत लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक होती है।
- 4 **बाह्य लक्षण *External Characteristics*** एक किशोर कितना लम्बा-चौड़ा होगा, यह मुख्यतः उससे वंशानुक्रम-खाने-पीने, स्वास्थ्य, पर्यावरण अवस्थाएँ तथा खेलने की सुविधाएँ आदि कारकों पर निर्भर करता है। लगभग तेरह वर्ष की अवस्था में लड़के और लड़कियों की लम्बाई में

वृद्धि तीव्र गति से होने लग जाती है। लगभग अठारह वर्ष की अवस्था तक लड़के और लड़कियों की लम्बाई अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच जाती है। इस दिशा में वैयक्तिक भिन्नताएँ अधिक होती हैं, अतः लड़के और लड़कियों के लिए एक निश्चित आयु बताना कठिन है जिस पर उनकी लम्बाई अधिकतम सीमा पहुँचती है। किशोरों में लम्बाई में वृद्धि पिट्यूटरी ग्रन्थि की कार्य-विधि से सर्वाधिक प्रभावित होती है। किशोरावस्था में किशोरों की लम्बाई में वृद्धि पहले होती है। फिर उनके भार *Weight* में वृद्धि होती है। लगभग पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक भारी होती हैं परन्तु इस आयु स्तर से लड़कियों की अपेक्षा लड़के भार में अधिक होने लग जाते हैं। लड़कियों के बाह्य परिवर्तनों का वर्णन करते हुए हरलाक (1971) ने लिखा है कि जैसे-जैसे वक्षस्थल चौड़ा होता है और धड़ चौड़ाई में बढ़ता है किशोर के शरीर के धड़ का पतलापन समाप्त होने लगता है। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में बालिकाओं के स्तन और नितम्ब पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इससे उसका शरीर परिपक्व स्त्री की भाँति सुखद रूप ले लेता है** *As the chest broadens and the trunk elongates, the disappers. By late adolescence, the breasts and hips of a girl are fully developed so that her body now has the pleasing curves of the mature women*

कुछ अध्ययनों *C.F. Huseman & M. M. Maresh, 1962; F.P. Feald, et. Al.; 1963* से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य कंकाल Skeleton या हड्डियों का विकास अठारह वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। इस आयु के बाद तो केवल मासपेशियों का विकास होता रहता है। बाल्यावस्था में धड़ पैरों की अपेक्षा अनुपात में अधिक बड़ा होता है परन्तु यह अनुपात किशोरावस्था तक सामान्य हो जाता है। हाथपैर और धड़ सभी सामान्य अनुपात में किशोरावस्था तक पहुँच जाते हैं। इन सब अनुपातों को प्राप्त कर किशोर प्रौढ़ व्यक्तियों के समान दिखाई देने लग जाता है। किशोरावस्था में मुखमण्डल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उनके चेहरे पर कुछ भौड़ापन दिखाई देने लगता है। क्योंकि उनके दाढ़ी और मूँछें निकलने लगती हैं। परन्तु कुछ देन लगता है। परन्तु कुछ ही दिनों में उनके चेहरे का भौड़ापन कम होने लगता है। चेहरे में चमक या निखार दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में उनकी आवाज में भी महत्वपूर्ण हेत हैं। लड़कों की आवाज बदलकर कोमल से कठोर हो जाती है। या उमें पुरुषों की आवाज जैसा भारीपन आ जाता है। इसी प्रकार लड़कियों की आवाज में कुछ इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। कि वह आवाज स्त्रियों की आवाज की भाँति प्रतीत होने लग जाती है।

13.10 सारांश

मनुष्य एक ऐसा शरीरधारी प्राणी है जिसमें निरन्तर विकास होता रहता है। मनुष्य के निरन्तर आंतरिक व बाहरी परिवर्तन होते रहते हैं। जहाँ बाहरी परिवर्तन मुख्यतः उसके शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। वहीं आंतरिक शक्ति के मानसिकसर्वेगात्मक एवं चारित्रिक विकास के रूप में होता है। विभिन्न व्यवस्था में इन परिवर्तनों के आधार पर इनमें आपस में दूगामी परिवर्तन भी होते हैं जोकि परिवर्तन की गति व दिशा निर्धारित करते हैं। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में ये परिवर्तन विशेष प्रकृति लिये हुए होते हैं जिनका सूक्ष्मता से ज्ञान होना, इन परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक है। शैशवावस्था विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आधारशिला होती है। इस अवस्था

में तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास होता है। सामाजिकसंवेगात्मक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने लगती है। परन्तु बाल्यावस्था में बालक अपने साथी,समूह,विद्यालय से अधिक प्रभावित होते हैं। सामाजिक,मानसिक व शारीरिक के साथ ही उनके संवेगात्मक व चारित्रिक विकास में भी तीव्रता आती है। स्थायीभाव का निर्माण प्रारम्भ होने लगता है। बालकों में परस्पर विरोधी विचार प्रबल होते हैं। स्वभाव में उग्रता व उत्तजना ज्यादा होती है। किषारावस्था में कदम रखने के साथ ही जहाँ शारीरिक विकास आने चमन पर पहुच जाता है। वहीं मानसिक विकास भी अपनी उच्चतर सीमा पर होता है। मानसिक सम्पर्क का दायरा व दृष्टिकोण व्यापक हो जाते हैं। बालक में आत्मनिर्णय व तर्क की प्रबलता होती है। साथ ही उत्तरदायित्व का बोध तथा सामाजिक सहयोग आदि भावनाओं का भी विकास हो जाता है। विशेष तौर पर आत्मसम्मान जैसे स्वामी स्थायीभाव का स्थापित होना इस अवस्था का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इस अवस्था में तनाव प्रस्पर्धा स्वयं को समाज में सफल जताने की इच्छा विचित्र संवेग उत्पन्न करती है। जिस हेतु अच्छे पथप्रदर्षक व मार्गदर्षकों का होना नितान्त आवश्यक हो जाता है। और इस सम्पूर्ण विकासतमक प्रक्रिया में विद्यालय व शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा अहम् होती है। शिक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य भी बालक के शारीरिक,आध्यात्मिक,संवेगात्मक व चारित्रिक उन्नति करके उसकेसम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः विद्यालय में अध्यापक को वे सब दशाएं उत्पन्न करनी चाहिये जोकि छात्रों के नैसर्गिक विकास और अभिवृद्धि को उत्तेजित करे। उसका सवास्थ्य सुन्दर रहे।उसके ज्ञान और विचारों में निरन्तर बुद्धि होती रहे। इन सब पहलुओं की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व अध्यापक का ही है। अतः अध्यापक को बालक के स्वभावगत परिवर्तनों से भली-भाति परिचित होना चाहिये। इनको समझे बिना यह बालक में शैक्षिक विकास लाने में सफल नहीं हो सकता है।

13.11 शब्दावली Glossary

● अधिगमयक	-	सीखने वाला
● परिमाणात्मक	-	परिवर्तनों को व्यक्त करने वाला
● परिपक्वता	-	वह अवस्था जहां अभिवृद्धि रुक जाती है
● आत्मगौरव	-	अपने को दिखलाने की प्रवृत्ति
● टोली आयु	-	हमउम्र के साथी
● अधिनायक तन्त्र	-	एकाधिपत्य शासन
● परिष्कृत	-	शुद्ध,साथ
● साथी स्थायीभाव	-	सर्वोच्च स्थान वाला स्थायीभाव
● स्थिरता	-	स्वयं पर काबू रखना
● विश्वसनीयता	-	भरोसे के काबिल
● कार्य दृष्टता	-	कार्य के प्रति लगन
● मूल प्रवृत्ति	-	व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात प्रवृत्ति
● समलैंगिक	-	स्वयं के लिंग से संबंधित
● विशमलैंगिक	-	स्वयं के लिंग से विरोध लिंग से संबंधित

13.12 स्वमूल्यांकनप्रश्न

- 1 विकास और अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है? विकास और अभिवृद्धि में अंतर बताइये।
What is meant by Growth and development? Differentiate between Growth and Development-
- 2 विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिये?
Describe the various stages of development.
- 3 शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक विकास का वर्णन कीजिये।
Describe the child's physical development from infancy to adolescence.
- 4 शैशवावस्था में सामाजिक विकास को समझाईये।
Explains social development in infancy period.
- 5 शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में सवैगिक विकास को समझाईये।
Explains emotional development in infancy and childhood period.
- 6 शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के मानसिक विकास का क्रमवार वर्णन कीजिये।
Describe the process of child's Mental development from infancy to adolescence.
- 7 सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिये।
What is meant by social development? Describe the factors influencing the social development of a individual.
- 8 किशोरों की कुछ संवेगात्मक समस्याओं का वर्णन कीजिये। इनका सामना करने में आपछात्र की किस प्रकार सहायता कर सकते है?
Describe some emotional problems of adolescents. Who would you health your pupil in in facing these problems.
- 9 किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिये।
Explain main problems of adolescents period.
- 10 अच्छे चरित्र के लक्षण क्या है? विस्तार से बताईये।
What are the features of a good character? Explain in detail.
- 11 विद्यालय शिक्षक और शिक्षा बालकों के चारित्रिक विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है? विस्तार से उदाहरण सहित बताईये।
Who do school, teachers and education play an important role in the character development of children .Describe in details with sufficient examples.

13.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Baker, H.J. : *Introduction to Exceptional Children*, 1959
- Crow Lester D and Crow : “*Educational Psychology*” Urasia
- Allice : *PublishingHouse (Pvt.) LtdNewDelhi* 1969.
- Charles E. Skinne: *EducationalPsychology, (Hindi)Dishi*, 1964.
- Hurlock, E.B.: *Child Development, New yourMacmillanCo.*, 1972
- Hulock E.B.: “*Child Development*” *Mc Grow Hill Book Company Inc.* 1956.
- Kuppaswami B.: “*Advanced Educational Psychology*” *University Publishers Delhi* 1964
- Munn, N.L.: *The Evolution and Growth of HumanBehaviour, Boston*, 1965.
- Skinner and Harriman : *Child Psychology, New York*, 1970
- अधिगमकता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान, डा. पी.एस. शर्मा प्रकाशक: इन्टरनेशनल पब्लिकेशन हाउस, मेरठ
- अधिगम शिक्षण और विकास के मनोसामाजिक आधार, गणपत राम शर्मा, हरिश चन्द्र व्यास, प्रकाशक: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- बाल-विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान डा. शशी चित्रोड़ा, हरिश चन्द्र नरसावत प्रकाशक : कल्पना पब्लिकेशन, जयपुर।
- शिक्षण अधिकम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक आधार डा. गिरीशा पचैरी प्रकाशक: इन्टरनेशनल पब्लिकेशिंग हाउस, मेरठ।
- शिक्षा मनोविज्ञान पी.डी. पाठक, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2

इकाई - 14

बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभव पर जाति व वर्ग का प्रभाव

(Impact of Caste and Social Class on Lived Experiences of Children)

इकाई की रूपरेखा

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 भारतीय वर्ण और जाति व्यवस्था
- 14.3 शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव
- 14.4 जाति वर्ग आधारित व्यवहार का परिणाम
 - 14.4.1 शारीरिक प्रभाव
 - 14.4.2 मानसिक प्रभाव
 - 14.4.3 व्यवहारिक प्रभाव
- 14.5 सारांश
- 14.6 शब्दावली
- 14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.8 निबंधात्मक प्रश्न
- 14.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

14.1 प्रस्तावना

समाजशास्त्रियों के लिये विश्लेषण, राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानवविज्ञानियों और सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिये वर्ग और जाति एक आवश्यक वस्तु है। आधुनिक पश्चिमी संदर्भ में, स्तरीकरण आमतौर पर तीन परतों : उच्चवर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग से बना है। प्रत्येक वर्ग और आगे छोटे वर्गों (जैसे वृत्तिक) में उपविभाजित हो सकता है। प्राचीन काल से ही भारत में समाजिक व्यवस्था चार वर्गों में विभाजित थी जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य और अंत में शूद्र आते थे। आरंभ में यह विभाजन कर्म आधारित था लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गया। वर्तमान में हिंदू समाज में इसी का विकसित रूप जाति-व्यवस्थाके रूप में देखा

जा सकता है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। 2011 की जाति आधारित जनगणना के अनुसार भारत में 3500 हजार से अधिक जातियां निवास करती हैं।

भारत में निम्न और पिछड़ी जाति और वर्ग के बच्चों को सामान्य वर्ग में लाने के लिए भारत सरकार और भारत का संविधान कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार उन लोगों लिए बहुत सारी योजनाएँ, आरक्षण योजनाएँ निकलती है और उनका प्रसार प्रचार करती है जिससे भारतके विभिन्न बड़े स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल जाता है और पिछड़ी जाति के छात्रों को एक बेहतर जिन्दगी शुरू करने का अवसर मिल जाता है। पर वहाँ पढ़ाई करना अक्सर सुखद अनुभव नहीं होता उन्हें अपनी जाति और वर्ण के आधार पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार, शोषण, भेदभावपूर्ण व्यवहार सहन करना पड़ता है जिसकी परिणति आत्महत्या हो जाती है।

प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत आप जाति और वर्ग के स्वरूप तथा उनका बच्चों पर पड़ने वाले हानिकारक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक प्रभाव का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- प्राचीन भारतीय जाति और धर्म और वर्ण व्यवस्था समझ सकेंगे।
- जाति और वर्ण का अर्थ समझ पाएँगे।
- जाति और वर्ण के प्रभाव का बच्चों पर असर जान सकेंगे।
- जाति और वर्ण के प्रभाव के परिणाम समझ सकेंगे।

14.3 भारतीय वर्ण और जाति व्यवस्था

भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ण का शब्दिक अर्थ है - वरण करना, रंग, एवं वृत्ति के अनुरूप। वरण का अर्थ है - चुनना अथवा व्यवसाय का निर्धारण। इस अर्थ के अनुसार विद्वान 'वर्ण' को व्यक्तियों का समूह मानते हैं। ऋग्वेद में 'आर्य' तथा 'दस्यु' में अन्तर स्पष्ट करने के लिए 'वर्ण' शब्द का प्रयोग हुआ है। जो विद्वान वर्ण का अर्थ 'वृत्ति' मानते हैं, उनके अनुसार जिन व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है उनसे ही एक 'वर्ण' का निर्माण हुआ। किन्तु इन सब धारणाओं से वर्ण के 'वर्ण व्यवस्था' वाले अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता।

'गीता' में श्रीकृष्ण ने एक स्थल पर कहा है कि 'मैंने गुण और कर्म के आधार पर चार वर्णों का निर्माण किया है। पुराणों में भी अनेक स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को क्रमशः शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण कहा है। 'वर्ण' शब्द का अर्थ इस प्रकार विवादस्पद है। किन्तु यह निश्चित है कि प्राचीन सामाजिक विभाजन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में था जिसका अन्तर्निहित उद्देश्य सामाजिक संगठन, समृद्धि, सुव्यवस्था को बनाये रखना था। ऐसा माना जाता था की ईश्वर ने स्वयं चार वर्णों की सृष्टि की। इन वर्णों का जन्म उसके शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ, मुख से ब्राह्मण की, बाहु से क्षत्रिय की, ऊरु से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मुख शरीरों में सर्वोच्च है तथा उसका काम बोलना मनन, चिन्तन है, तद्देतु ब्राह्मण वर्ण का कार्य भी पठन-पाठन, कथा-वाचन

व प्रवचन नियत किया गया। बाहु भौतिक बल की प्रतीक है। इनके द्वारा ही रक्षण, भरण-पोषण, आदि कार्य होता है। अतएव क्षत्रिय का प्रथम धर्म प्रजा रक्षण माना गया है। आक्रमण, विपत्ति आदि से रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इन्द्रिय संयम, यज्ञानुष्ठान, सत्य भाषण, न्याय का रक्षण, सेवकों का भरण-पोषण, अपराधी को दण्ड देना, धार्मिक कार्यों का सम्पादन आदि कर्म क्षत्रिय का धर्म माने गए। इसी हेतु वे समाज रक्षक बने और उन्हें प्रजा पालन का काम सौंपा गया। ऊरु उत्पादन की प्रतिक है इसलिए वाणिज्य, व्यापार द्वारा उत्पादन वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य माना गया। व्यापार, ब्याज लेना, पशुपालन, खेती, ये सब वैश्यों के सनातन धर्म माने गए। पैर का स्थान सबसे नीचे है और वह सेवा का प्रतीक है, इसलिए ही शूद्रों का समाज में निम्न स्थान माना गया और उच्चकुल के लोगों की सेवा-पूजा उनका कर्तव्य।

भारतीय परम्परा में वर्ण शब्द का प्राचीनतम उल्लेख यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मिलता है, लेकिन जातिशब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत नया है। आज वर्ण और जातिको एक ही व्यवस्था समझ लिया जाता है, लेकिन जाति अपेक्षाकृत नया विचार है।

जाति का अर्थ और परिभाषा-जहाँ वर्ण का संबंध जन्म के साथसाथ कर्म और गुणों से होता है, वहाँ जाति का संबंध केवल जन्म से ही होता है। वर्ण व्यवस्था यदि एक आदर्श विचार है, तो जाति व्यवस्था एक संकीर्ण एवं निकृष्ट विचार है। वर्ण व्यवस्था यदि एक बृहत् नैतिक व्यवस्था है जो समाज को सन्तुलित और संगठित करती है, तो वहाँ जाति व्यवस्था समाज को टुकड़ों में बाँट देने वाली व्यवस्था है, जिसमें जन्म से ही व्यक्ति ऊँचा या नीचा मान लिया जाता है। अतएव वर्ण व्यवस्था संगठन को जन्म देने वाली है तथा जाति व्यवस्था विघटन को। जाति की विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं -

‘स्मिथ’ के अनुसार - “जाति परिवारों के उस समूह को कहते हैं, जो विवाह, खान-पान सम्बन्धी कुछ संस्कारों की पवित्रता का पालन करने के लिए बनाए गए नियमों से बँधा हो।”

‘ब्लण्ट’के अनुसार - “जाति एक अन्तर्विवाही समूह या अन्तर्विवाही समूहों का संकलन है जो एक सामान्य नाम धारण किए होता है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत होती है। वह सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। उसके सदस्य एक सामान्य परम्परागत व्यवसाय करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करता हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य समझा जाता है।”

‘हट्टन’के अनुसार - “जाति वह व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज अनेक आत्मकेन्द्रित तथा एक दूसरे से पृथक-पृथक इकाईयों में विभाजित होता है। इन इकाईयों के आपसी संबंध ऊँच-नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निश्चित होते हैं।”

‘सरसिजले’के अनुसार - “जाति उन परिवारों अथवा परिवार समूहों का एक संकलन है जो एक सामान्य नाम धारण किए हुए है, जो किसी काल्पनिक पूर्वज, मनुष्य या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, जो एक ही परम्परागत व्यवसाय अपनाये जाने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में मान्य होते हैं तथा जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने योग्य है।”

इस प्रकार जाति प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएँ लक्षित होती हैं -

1. स्थिति, पद, कार्य के आधार पर जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन कर देती है। प्रत्येक जातिगत खण्ड अपनी जाति के नियमों व रीतिरिवाजों का पालन करने के लिए बाध्य होता है।
2. यह एक ऐसी संकीर्ण व्यवस्था है, जो व्यक्तियों के, समाज में ऊँचे-नीचे स्तरों की सृष्टि कर उनमें भेदभाव को जन्म देती है। यथा समाज में इसी जातिगत भावना के कारण ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता है तथा शूद्र को सबसे निम्न व तिरस्कृत जाति वाला समझा जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य इस प्रकार का भेदभाव उनमें प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है।
3. जातियाँ अपने-अपने खण्डों पर कुछ विशेष नियमों, बन्धनों को आरोपित करती हैं, जो खान-पान, रहन-सहन से सम्बन्धित होते हैं।
4. छुआछूत के कारण तथा समाज के उच्च-निम्न, खण्डात्मक विभाजन के कारण ब्राह्मण जाति क्योंकि सबसे पवित्र और पूजनीय है, अतएव उसे समस्त सार्वजनिक स्थलों में जाने का अधिकार है। लेकिन शूद्र क्योंकि अपवित्र निम्न जाति है, अतएव वह प्रत्येक सामाजिक स्थलों में प्रवेश पाने की अधिकारी नहीं है।
5. जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति का जातिगत व्यवसाय होता है, जिसे अपनाए रखना नैतिक और धार्मिक रूप से अनिवार्य माना जाता है। वही व्यवसाय जीविकोपार्जन का आधार होता है।
6. जाति व्यवस्था ने विवाह जैसे भावनात्मक और पवित्र संबंध को भी नियमों में बाँधने से नहीं छोड़ा। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। जाति से बाहर किए गए विवाह अस्थिर और शीघ्र ही समाप्त होते देखे गए हैं। इसलिए विवाह सम्बन्ध की नियमितता व स्थिरता के लिए जाति प्रथा के अनुसार जाति से बाहर विवाह निषिद्ध होता है।

प्राचीन काल में यह सब संतुलित था तथा सामाजिक संगठन की दक्षता बढ़ानेके काम आता था। पर कालान्तर में जाति और वर्ण सम्बन्धी मान्यताओं में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। ऊँच-नीचे के भेदभाव तथा आर्थिक स्थिति बदलनेके कारण इससे विभिन्न वर्णों के बीच दूरिया बढ़ी हैं। दलितों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त होने के कारण टकरार भी बढ़ा है और राजनीति में भी एकनया दृष्टिकोण आया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में दलित पैथर, बामसेफ जैसे संगठनों और ओमप्रकाशवाल्मीकि की रचना "जूठन" के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। इससे समाज में व्याप्त जातिवाद एवं दलितों-पिछड़ों के संघर्ष से परिचय होता है।

14.4 जाति व वर्ग आधारित व्यवहार का परिणाम

जाति व वर्ग पर आधारित व्यवहार का बच्चों और उनके आस पास के वातावरण पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण बच्चों का शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक, व्यक्तिगत व्यवहार व वातावरण तो प्रभावित होता ही है उसके साथ समाज की संरचना भी विचलित होती है। जाति व वर्ग के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं।

14.4.1 शारीरिक प्रभाव: जाति, धर्म और वर्ग के कारण बच्चे तनाव में चले जाते हैं जिसके कारण उनके तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के भेदभाव से होने वाले शारीरिक प्रभावों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

- धड़कन : हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है,
- सांस बढ़ जाती है, और इसकी लंबाई छोटी हो जाती है,
- थरथराहट,
- जुकाम, अत्यधिक चिपचिपाहट /पसीना छूटना,
- गीली भौंह,
- मांसपेशियों का कड़ापन, उदरीय मांसपेशियों का कड़ापन दिखना, तने हुए हाथ तथा पैर, दबे हुए जबड़े जहां दांत एकदूसरे के साथ गुंथे हों,
- डिस्पेप्सिया /आंत में व्यवधान,
- बार-बार पेशाब के लिए जाना,
- बाल झड़ना,
- दुर्बलता,
- तनाव से होने वाला सिरदर्द,
- हाइपरटेंशन,
- स्मृतिलोप आदि ।

भेदभाव के कारण पैदा होने वाली भावनाएं, अवसाद व हताशासे जीवाणुओं व विषाणु के आक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता कम होजाती है और जुकाम, हर्पीस से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होजाती हैं । मानसिक असंतुलन के कारण हॉर्मोनों, मस्तिष्कन्युरो-ट्रांसमिटर्स, अन्य हिस्सों में थोड़े अतिरिक्त रसायनिक संदेशों, प्रोस्टेग्लैंडिंस और साथ ही अहम एंजाइम सिस्टम व पाचन क्रियाओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है जिसके कारण निम्नलिखित रोग हो जाते हैं _

- ऐसिड पेप्टिक रोग,
- शराब की लत,
- दमा,
- आंत में गड़बड़ी पैदा होना,
- उच्च रक्तचाप,
- मधुमेह,
- इस्केमिक हृदय रोग,
- यौन दुर्बलता आदि ।

14.4.2 मानसिक प्रभाव:जाति और वर्ण के आधार पर बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरुप अनेक हानिकारक प्रभाव देखने पड़ते हैं। जाति और वर्ण के आधार पर बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के निम्नलिखित मानसिक प्रभाव हैं:

- एकाग्र करने में अक्षम होना।
- निर्णय न ले पाना।
- आत्मविश्वास की कमी।
- चिड़चिड़ापन या बार-बार गुस्सा आना।
- अत्यधिक लोभ वाली लालसा।
- बेवजह चिंता करना, असहजता तथा चिंता।
- बेवजह भय सताना।
- घबड़ाहट का दौरा।
- गहरे भावनात्मक तथा चित विचलन।
- बुद्धि क्षीण होना।
- एकाग्रता में कमी आना।
- क्रोध एवं आक्रामकता का बढ़ना।
- भावशून्यता का शिकार होना।
- आक्रामक हो जाना आदि।

उपरोक्त लिखित प्रभाव के चलते कभी कभी बच्चे इतने विचलित हो जाते हैं कि वे आरोपी की हत्या व स्वयं आत्महत्या तक कर देते हैं।

14.4.3 व्यवहारिक प्रभाव: विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाति और वर्ण के आधार पर यदि बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव और बुरे व्यवहार की वजह से उनमें अनेक व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यवहार में ये स्वाभाविक रूप से परिवर्तन अत्यंत हानिकारक होता है। बच्चों के व्यवहार में आये इन परिवर्तनों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं:-

- अत्यधिक धूम्रपान।
- नर्वस होने के लक्षण।
- शराब या ड्रग्स का अत्यधिक सेवन।
- नाखून चबाने तथा बाल खींचने जैसी आदत।
- अत्यधिक तथा काफी कम खाना।
- मन का कहीं और खोना।
- जब-तब दुर्घटना का शिकार होना।
- जरा-जरा सी बात पर आक्रामक होना।

अभ्यास प्रश्न:-1

सही गलत का चयन कीजिये ।

1. भारत में समाजिक व्यवस्था चार वर्गों में विभाजित थी ।
2. 2011की जाति आधारित जनगणना के अनुसार भारत में 7000 हजार से अधिक जातियां निवास करती है ।
3. वर्ण विभाजन प्रारंभ में कर्म आधारित था लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गया ।
4. वर्ण का अर्थ है - चुनना अथवा व्यवसाय का निर्धारण ।
5. भारतीय परम्परा में वर्णशब्द का प्राचीनतम उल्लेख यजुर्वेद के 21 वें अध्याय में मिलता है ।
6. जाति परिवारों के उस समूह को कहते हैं, जो विवाह, खान-पान सम्बन्धी कुछ संस्कारों की पवित्रता का पालन करने के लिए बनाए गए नियमों से बँधा हो ।

14.5 सारांश

उपरोक्त अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बालक की विकास की अवस्था जो सीखने की अवस्था है उसमें उसे किसी जाति या वर्ण व्यवस्थाओं में नहीं उलझाना चाहिए । बचपन में हुआ कोई भी भेदभाव उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालता है ।

14.6 शब्दावली

- RTE : Right to Education (शिक्षा का अधिकार)
- ब्राह्मण : पूजा पाठ करने वाला
- क्षत्रिय : रक्षा करने वाला
- वैश्य : व्यापार करने वाला
- शूद्र : सेवा, सफाई का काम करने वाला ।

14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

- | | | | |
|----------|----------|---------|---------|
| 1. सत्य | 2. असत्य | 3. सत्य | 4. सत्य |
| 5. असत्य | 6. सत्य | 7. सत्य | 8. सत्य |
| 9. असत्य | | | |

14.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. जाति के अर्थ को स्पष्ट कीजिये ।
2. भारतीय वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
3. वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है ? लेख लिखिए ।

4. वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? विस्तार से बताइए।
5. “वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था व्यवस्था बच्चों के विकास में बाधक है।” स्पष्ट कीजिये।

14.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- सिंह, जे0पी0 (2013), “समाजशास्त्र अवधारणायें एवं सिद्धांत” नई दिल्ली: पी0एच0 आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- बाबूराम, (2002), “हिन्दी निबंध साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन” नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
- सिंह, जे0पी0, (2013), “समाजविज्ञान विश्वकोश” नई दिल्ली: पी0एच0 आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- गिददेंस, एंथोनी, (2004), “सोशियोलॉजी”, चौथा संस्करण, ऑक्सफोर्ड: पोलिटी प्रेस।
- गुप्ता, एस0पी0, (2008), “उच्चतर समाज मनोविज्ञान” इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- भार्गव, ए0 के0, (2009), “उच्चतर समाज मनोविज्ञान” आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- सुलेमान, मो0, (2009), “समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा” आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- मंगल, एस0के0, (2012), “शिक्षा मनोविज्ञान” नई दिल्ली: पी. एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- चौहान, एस0 एस0, (1991), “एडवांस एजुकेशन साइकोलोजी” नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
- त्रिपाठी, ए0बी0, (2003), “आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान” आगरा : एच0पी0 भार्गव बुक हाउस।
- राय, आर0, (2001), “ह्यूमन राइट्स: यू. एन. इनिशिएटिविस” नई दिल्ली: ऑथर्स प्रेस।
- नगर, ए0 एल0 एवं गुप्ता, डी0 (2012) “समाज और संस्कृति के चित्तरे: वर्ण एवं जात”. नई दिल्ली: साहित्य कुंज।

इकाई - 15

लोकप्रिय व्यक्तियों के बचपन से सीख

Lessons from the childhood of Renowned Persons

रविन्द्र नाथ टैगोरे , जे.जे. रूसो, मार्टीन लूथर (जूनियर), ए. पी. जे. अब्दु लकलाम, हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, स्टीफन हॉकिंग्स तथा मलाला युसूफजई

(Rabindra Nath Tagore, J.J. Rousseau, Martin Luthar King (Junior), A P J Abdul Kalam, Hellen Keller, Louis Braille, Stephen Hawkins and Malala Yusafzai)

इकाई की रूपरेखा

- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 उद्देश्य
- 15.3 रविन्द्र नाथ टैगोरे
 - 15.3.1 सृजनात्मकता:
 - 15.3.2 प्रकृति प्रेम
 - 15.3.3 दृढ़ संकल्पित शिक्षा सुधारक
- 15.4 जे.जे. रूसो
 - 15.4.1 लोकतान्त्रिकता की भावना
 - 15.4.2 राजनीति में रूचि
 - 15.4.3 देशभक्ति
 - 15.4.4 पितृभक्त
 - 15.4.5 पढ़ना और लिखना
 - 15.4.6 धार्मिक
- 15.5 मार्टीन लूथर (जूनियर)
 - 15.5.1 भेदभाव का विरोध
 - 15.5.2 सतर्क रहना
 - 15.5.3 तार्किक सोच
- 15.6 ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

- 15.6.1 शिक्षा के लिए समर्पण
- 15.6.2 अभिभावकों के प्रति निष्ठा
- 15.7 हेलेन केलर
 - 15.7.1 स्वालंबी
 - 15.7.2 अपने आपको व्यक्त करने का हुनर
 - 15.7.3 ज्ञान की ललक
 - 15.7.4 दृढ़ संकल्प शक्ति
 - 15.7.5 आत्मविश्वासी
 - 15.7.6 स्वाभिमान
 - 15.7.7 समाजसेविका
- 15.8 लुइस ब्रेल
 - 15.8.1 अभिभावक की सहायता
 - 15.8.2 आत्मविश्वास
 - 15.8.3 प्रबल इच्छाशक्ति
 - 15.8.4 परिश्रमी
- 15.9 स्टीफन हॉकिंग्स
 - 15.9.1 मेहनती
 - 15.9.2 दृढ़विश्वासी
 - 15.9.3 बुद्धिमत्ता
 - 15.9.4 जिज्ञासा
 - 15.9.5 सादा सरल जीवन
- 15.10 मलाला युसूफजई
 - 15.10.1 हक/ अधिकार के लिए संघर्ष करना
 - 15.10.2 खुले विचारों की पहरेदार
 - 15.10.3 निडर
- 15.11 सारांश
- 15.12 शब्दावली
- 15.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 15.14 निबंधात्मक प्रश्न
- 15.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

15.1 प्रस्तावना

शिक्षा, समाज, संस्कृति, देश, काल – परिस्थिति में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों के माध्यम से एक नये इतिहास की रचना करते हैं तथा समाज और मानवीयता के क्षेत्र में अपनी अमिटछाप छोड़ते हैं उन महान व्यक्तित्वों में रविन्द्र नाथ टैगोरे, जे.जे. रूसो, मार्टीन लूथर (जूनियर), ए. पी. जे. अब्दुलकलाम, हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, स्टीफन हॉकिंग्स तथा मलाला युसूफजई आदि ऐसे प्रमुख लोगों में से हैं जिन्होंने अपने कार्यों, साहस, उत्साह, लगन और परिश्रम से दुनिया के मानचित्र पर अपना नाम अंकित किया है। इन लोगों का जीवन बच्चों, बड़ों, युवाओं आदि सभी के लिए कुछ सिखने के लिए एक उदाहरण होता है।

इस अध्यायमें सम्मिलित सभी विभूतियों के जीवन चरित्र से बच्चों को अलग-अलग प्रकार के महान कार्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे जहां एक ओर बच्चों को इन विभूतियों के प्रारंभिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी मिलेगी वहीं उनके बचपन में घटित अनेक ऐसी घटनाओं के बारे में भी जानने का अवसर मिलेगा, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इन विभूतियों के बचपन की ये घटनाएं इस बात को भी प्रमाणित करती हैं कि जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। सभी के जीवन में अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय और कुछ करने की इच्छाशक्ति के द्वारा ही वे महानता को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम इन व्यक्तित्वों का समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

15.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- रविन्द्र नाथ टैगोरे के जीवन से सम्बंधित घटनाओं को जान सकेंगे।
- जे.जे. रूसो के जीवन से मिलने वाली सीख का अध्ययन कर सकेंगे।
- मार्टीन लूथर (जूनियर) के जीवन पर प्रकाश डाल सकेंगे।
- ए. पी. जे. अब्दुलकलाम के जीवन की व्याख्या कर सकेंगे।
- हेलेन केलर के जीवन की व्याख्या कर सकेंगे।
- लुइस ब्रेल के जीवन से मिलने वाली सीख का अध्ययन कर सकेंगे।
- स्टीफन हॉकिंग्स के जीवन से मिलने वाली सीख की व्याख्या कर सकेंगे।
- मलाला युसूफजई के बचपन से मिलने वाली सीख की व्याख्या कर सकेंगे।
- विभिन्न इतिहास निर्माताओं के जीवन में अंतर कर सकेंगे।
- विभिन्न इतिहास निर्माताओं के जीवन की तुलना कर सकेंगे।
- विभिन्न व्यक्तियों के बचपन के जीवन घटनाक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।


15.3 रविन्द्र नाथ टैगोरे

रवीन्द्रनाथ टैगोरकोगुरुदेवके नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यातकवि, साहित्यकार, दार्शनिकऔरभारतीय साहित्यके एकमात्रनोबल पुरस्कारविजेता हैं। बांग्ला साहित्यके माध्यम से

भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नयी जान फूँकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशियाके प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएँ दो देशों का राष्ट्रगान बनीं - भारतकाराष्ट्र-गानजन गण मन और बाँग्लादेशकाराष्ट्रीय गानआमार सोनार बाँग्लागुरुदेव की ही रचनाएँ हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेन्द्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के सन्तान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाताके जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ। वे अपने पिता की तेहरवीं संतानथे। उनकी

स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। सन् 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका अविवाह हुआ। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूँकने वाले युगदृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूरबी प्रवाहिनी, शिशुभोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका शेषलेखा, चोखेरबाली, कणिका, नैवेद्य मायेर खेला और क्षणिका आदि शामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने अन्दर समेट लिए थे। पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिये उन्हें सन् 1913 में साहित्य कानोबेल पुरस्कार मिला। 1919 में हुए जलियाँवाला काँडके विरोध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना 'सर' का खिताब लौटा दिया।



चित्र सं: 1 रवीन्द्रनाथ ठाकुर

रवीन्द्रनाथ टैगोर के बचपन से निम्नलिखित शिक्षाएँ मिलती हैं-

15.3.1 सृजनात्मकता: रवीन्द्रनाथ ठाकुर बचपन से ही सृजनशील प्रकृति के थे। उनकी कविता, छन्द और भाषामें अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता आठ साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल सोलह साल की उम्र में उनकी लघुकथा प्रकाशित हुई थी।


15.3.2 प्रकृतिप्रेम : टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सान्निध्य बहुत भाता था। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सान्निध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्तरूप देने के लिए वह 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शान्तिनिकेतन आ गए। प्रकृति के सान्निध्य में पेड़ों और बगीचों के बीच एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन की स्थापना की।

15.3.3 दृढ़संकल्पित शिक्षा सुधारक: रवीन्द्रनाथ के भाई और उम्र में बड़े भानजे को स्कूल में जाते देखकर जाने की जिद की तो निरुत्साहित करने के लिए “हम लोगों के जो शिक्षकथे उन्होंने मेरा मोह भंग करने के लिए एक जोरदार तमाचे की तरह यह बात कही थी, तुम अभी स्कूल जाने के लिए जिस तरह रो रहे हो, न जाने के लिए इससे कहीं ज्यादा तुम्हें रोना पड़ेगा।” असल में शिक्षा प्रणाली का यह सचही था। विद्यालय के उदासीनता, डरावना, कठोर वातावरण के कारण वे बचपन

में स्कूल से भाग आये थे। फिर इस शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए 1901 में बंगाल में पेड़ों और बगीचों के बीच एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शान्तिनिकेतन की स्थापना की ताकि बच्चे स्वच्छंद वातावरण में स्वेच्छा से स्वाभाविक रूप से अध्ययन करें।

15.4 जे.जे. रूसो

जे.जे. रूसो का जन्म 28 जून, 1712 को फ्रांस में हुआ था। रूसो के पिता इशाक रूसो घड़ियाँ बनाते थे तथा माता सुजेन बर्नार्ड एक उच्च कुल की महिला थी। वे 18 वीं सदी के महान दार्शनिक, लेखक, और संगीतकार थे। उनकी राजनीतिक सोच ने फ्रांसीसी क्रांति को अत्यधिक प्रभावित किया साथ ही उनके आधुनिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक विचारधारा ने व्यक्ति के समग्र विकास और द्रष्टिकोणको प्रभावित किया। एक सभ्य-संपूर्ण नागरिकता के लिए शिक्षा पर रूसो के द्वारा लिखा गया उपन्यास एमिल अत्यंत ही प्रभावित ग्रन्थ है। 2 जुलाई, 1778को उनकी मृत्यु हो गई थी। रूसो को उनकी मृत्यु के 16 साल बाद, 1794 में पेरिस में विश्व देवालय में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में दफनाया गया।



चित्र सं:2 जे. जे. रूसो

जे.जे. रूसो के बचपन के जीवन से निम्नलिखित शिक्षाएँ मिलती है -

15.4.1 लोकतान्त्रिकता की भावना:हर बच्चे में लोकतंत्र के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। रूसो को अपने मध्यम वर्गीय परिवार पर गर्व था क्योंकि उनके घर के सदस्यों को शहर के चुनाव में मतदान करने का अधिकार था। वे पियरे फतियो नामक एक लोकतांत्रिक सुधारक से प्रभावित थे। उनके दादा को लोकतान्त्रिक प्रदर्शक पियरे फतियो की सहायता करने के जुर्म में दण्डित किया गया था।

15.4.2 राजनीति में रूचि: अपने आस घटित हो रही घटनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति रूसो बहुत ही जागरूक थे जो बच्चों में होनी भी चाहिए। उस समय की राजनैतिक स्थिति उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। उनको इस बात का बहुत गर्व था उनके घर के सदस्यों को शहर के चुनाव में मतदान करने का अधिकार था। 15 साल की उम्र में वह शहर से दूर जेनेवा से भाग गया था और जब लौटे तो कर्फ्यू की वजह से बंद कर शहर के सरे दरवाजे बंद थे।

15.4.3 देशभक्ति: अपने पूरे जीवन में, रूसो ने अपनी किताबों पर आम तौर पर जो हस्ताक्षर उनमें "जीन जैक रूसो, जिनेवा के नागरिक" लिखा जिससे स्पष्ट होता है की मैं अपनी मातृभूमि और देश से बहुत प्रेम करते थे और हर बच्चे को अपने देश और मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए।

15.4.4 पितृभक्त: रूसो अपने पिता के प्रति समर्पित था उसने एक बार उनके लिए लिखा की "जिनेवा का एक ऐसा घड़ीसाज जो पेरिस की घड़ियों के बारे में बात करने के लिए ही फिट है।"

उन्हें अपने बचपन की केवल वाही अध्ययन याद है जिसमे उनके पिता उन्हें रोमांटिक किताबे पढ़ने को प्रेरित करते थे।


15.4.5 पढ़ना और लिखना: रूसो को पढ़ने और लिखने की आदत थी वे कारीगरों के बीच बड़े हुए और उनके द्वारा बनाई गई कलात्मक कृतियों के प्रशंसा के लिए लिखा। रूसो ने कलाकार की अपेक्षा कारीगर को महत्त्वपूर्ण माना। उन्होंने अपने पिता के लिए भी लिखा की "जिनेवा का एक ऐसा घड़ीसाज है जो पेरिस की घड़ियों के बारे में बात करने के लिए ही फिट है।"

15.4.6 धार्मिक: रूसो बचपन से ही धार्मिक सोच वाला था धार्मिक सेवाओं का उन पर इतना अधिक प्रभाव था की उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट मंत्री बनने का सपना देखा था। उनके समान बच्चों को भी अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए।

15.5 मार्टिन लूथर (जूनियर)

अमेरिका के गांधी डॉ.मार्टिन लूथर किंग, जूनियर का जन्म सन् 15 जनवरी, 1929 में अटलांटा, अमेरिका में हुआ था। उन्हें अमेरिका के गाँधी के नाम से भी जाना जाता है। डॉ. किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले-गोरे यात्रियों के लिए अलग-अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। सन् 1964 को उन्हें विश्व शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

'टाइम' पत्रिका ने उन्हें 1963 का 'मैन ऑफ द इयर' चुना। वे गांधीजी के अहिंसक आंदोलन से बेहद प्रभावित थे। गांधीजी के आदर्शों पर चलकर ही डॉ.किंग ने अमेरिका में इतना सफल आंदोलन चलाया, जिसे अधिकांश गोरों का भी समर्थन मिला। सन् 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की। डॉ. किंग ने अखबारों में कई आलेख लिखे। 'स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम' (1958) तथा 'व्हाय वी कैन नॉट वेट' (1964) उनकी लिखी दो पुस्तकें हैं। सन् 1957 में उन्होंने साउथ क्रिश्चियनलीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। डॉ. किंग की प्रिय उक्ति थी- 'हम वह नहीं हैं, जो हमें होना चाहिए और हम वह नहीं हैं, जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वह भी नहीं हैं, जो हम थे।' 4 अप्रैल, 1968 को गोलीमारकर उनकी हत्या कर दी गई।



चित्र सं: 3 डॉ.मार्टिन लूथर किंग

बच्चे निम्नलिखित शिक्षाएँ लूथर किंग के जीवन से सीख सकते हैं -

15.5.1 भेदभाव का विरोध: रंग, धर्म, जाति आदि के आधार भेदभाव करना अन्याय है। बच्चों को भी ऐसा कही भी नहीं करना चाहिए। किंग ने भी इस भेदभाव का कठोर विरोध बचपन से ही किया। उन्होंने सदैव रंगों के आधार पर चलने वाले भेदभावों को नापसंद किया है और अपने बुजुर्गों से इस संबंध में बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं। बचपन में उनके दो अभिन्न गोरे साथियों के

अभिभावकों ने जब उनसे कहा की : 'ये बच्चे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे।' तब अपनी मां से सारी बात पूछी।

15.5.2 सतर्क रहना: विधार्थी जीवन में सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है और मार्टिन लूथर किंग, जूनियर सदैव अपने आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति सतर्क और चौकन्ने रहते थे। जब उनके दोस्तों के अभिभावकों ने उन्हें उनके बच्चों के साथ खेलने से माना किया तो उन्होंने तुरंत इसके बारे में अपनी माँ से पूछा।

15.5.3 तार्किक सोच: तर्क के बिना हम कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकते और मार्टिन लूथर किंग, जूनियर हर परिस्थिति को तर्क की कसौटी पर परखते थे। जो की जब उनकी मां ने उन्हें गोद में लेकर यह समझाना शुरू किया कि किस तरह हमारे देश में युगों पहले दास परंपरा चलती थी और फिर गृह युद्ध (सिविल वार) के साथ किस तरह उसका अंत हुआ उन्होंने सारी पूर्व स्थिति का विश्लेषण कर लिया था एक के बाद एक प्रश्न अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते गए।

अभ्यास प्रश्न:-1

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये।


1. 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिएआ गए।
2. 1877 में केवलकी उम्र में उनकी लघुकथा प्रकाशित हुई थी।
3. रवीन्द्रनाथ टैगोरको.....के नाम से भी जाना जाता है।
4. रवीन्द्रनाथ टैगोरका जन्मकोलकाताके जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ।
5. जे.जे. रूसो का जन्म 28 जून, 1712 को..... में हुआ था।
6. रूसो को उनकी मृत्यु केबाद, 1794 में पेरिस में विश्व देवालय में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में दफनाया गया।
7.अमेरिका के गाँधी के नाम से भी जाना जाता है।
8. सन् को उन्हें विश्व शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

15.6 ए पी जे अब्दुल कलाम

अवुल पकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। जिन्हें डॉ. ए पी जे अब्दुल कलामके नाम से भी जाना जाता है। डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गाँव (रामेश्वरम्, तमिलनाडु) में एक मध्यमवर्ग मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, जाने मने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में प्रसिद्ध है। 1962 में 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (Indian Space Research Organisation-ISRO) से जुड़े। डॉ० कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षामंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिकसलाहकार डॉ० वी.एस. अरूणाचलम के मार्गदर्शन में 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइलडेवलपमेंट प्रोग्राम' (Integrated Guided Missile Development Programme -IGMDP) की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 'त्रिशूल', 'पृथ्वी', 'आकाश', 'नाग', 'अग्नि' एवं 'ब्रह्मोस' मिसाइलें विकसित हुईं। अपनी पुस्तक 'इण्डिया 2020' में उनका देश के विकास का समग्र दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वे अपनी इस संकल्पना को उद्घाटित

करतेहुए कहते हैं कि इसके लिए भारत को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षाप्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान देना होगा।

अरूण तिवारी लिखित उनकी जीवनी 'विंग्स ऑफ़ फायर' (Wings of Fire) भारतीय युवाओं और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनकी लिखी पुस्तकों में 'गाइडिंग सोल्स: डायलॉग्स ऑन द पर्पज ऑफ़ लाइफ' (Guiding Souls Dialogues on the Purpose of life) एक गम्भीर कृति है, जिसके सहलेखक अरूण के. तिवारी हैं। 'इग्नाइटेड माइंड्स: अनलीशिंग द पावर विदीन इंडिया' (Ignited Minds: Unleashing The Power Within India), 'एनविजनिंग अन एम्पावर्ड नेशन: टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफारमेशन' (Envisioning an Empowered Nation: Technology for Societal Transformation), 'डेवलपमेंट्स इन फ्ल्यूइड मैकेनिक्स एण्ड स्पेस टेक्नालॉजी' (Developments in Fluid Mechanics and Space Technology),



चित्र सं: 4 डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम

सह लेखक- आर. नरासेम्हा, '2020: ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम' (2020- A Vision for the New Millennium) सह लेखक- वाई.एस. राजन, 'इनविजनिंग एन इम्पावर्डनेशन:टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफॉरमेशन' (Envisioning an Empowered Nation: Technology for Societal Transformation) सह लेखक- ए. सिवाथनुपिल्ललाई। उनकी कविताओं का एक संग्रह 'दा लाइफ ट्री' (The Life Tree) के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ है।

उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिएइन्दिरा गाँधी पुरस्कार (1997), पद्म भूषण (1981), पद्म विभूषण (1990) एवं 'भारत रत्न' सम्मान (1997) से विभूषित किया गया है। डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम का बचपन अत्यंत प्रेरणास्पद और संघर्षशील है। उनके जीवन से निम्नलिखित प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

15.6.1 शिक्षा के लिए समर्पण: सफलता के लिए समर्पण बहुत जरूरी है और कलाम अपने अध्ययन के प्रति पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ समर्पित थे। वे प्रतिदिन सुबह चार बजे उठ कर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। वहाँ से 5 बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण फिर घर से तीन किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोड़ी

रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम-घूम करबेचते। 8 बजे तक वे अखबार बेच कर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर वे स्कूलचले जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते।


15.6.2 अभिभावकों के प्रति निष्ठा: हर बच्चों को माँ-बाप का आदर और सम्मान कर चाहिए और डॉ. कलाम ने इसमें कहीं कोई कमी छोड़ी। कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँखाने-पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। लेकिन इसकेबावजूद कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था। एक बार उनके घर में खाने में गिनी-चुनी रोटियाँ ही थी। यह देखकर माँ ने अपने हिस्सेकी रोटि कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़ कर माँ से लिपट गये। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े-लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए।

15.7 हेलेन केलर

हेलेन एडम्स केलर 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कंबिया, अलबामा में हुआ। वह एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थीं। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करनेवाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी।

ऐनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था से शुरू हुए 49 वर्षों के साथ में हेलेन सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँची। ऐनी और हेलेन की चमत्कार लगने वाले कहानी ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। हिंदी में 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए ब्लैक फिल्म बनाई। बेहतरीन लेखिका केलर अपनी रचनाओं में युद्ध विरोधी के रूप में नजर आती हैं। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने अमेरिकी और दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकारों, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया।

उनके माता पिता वहाँ आइवी ग्रीन स्टेट पर अपने पिता द्वारा दशकों पहले बनाए गए घर में रहते थे। हेलेन के पिता आर्थर एच. केलर ने टस्कंबिया, उत्तर अलबामियन का कई वर्षों तक संपादन किया था। वे अमेरिकी संघसेना के कप्तान भी रहे थे। हेलेन की माँ, केट एडम्स, चार्ल्स एडम्स की बेटा थी। हेलेन केलर जन्म से ही दृष्टिबाधित और बधिर पैदा नहीं हुई थी।



चित्र सं: 5 हेलेन केलर

एक दर्जन से अधिक पुस्तके लिखी एवं सारी दुनिया में प्रेरक गुरु के रूपमें जानी जाती रही । जिसे 3 वर्ष एक शब्द सीखने में लगते हैं। वह 2 बार हवाईजहाज उडाती है एवं पूरे विश्व में मानवता पर वार्ता के लिए बुलाई जातीहैं। उनका जीवन बच्चों को जीवन के लिए एक अद्वितीय उदहारण है। हेलेन केलर के जीवन से निम्नलिखित प्रेरणा ले सकते है –

15.7.1 स्वालंबी: स्वालंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, वस्त्र पहनना, तथा साफ-सफाई के सभी कार्य वे स्वयं करती थीं।

15.7.2 अपने आपको व्यक्त करने का हुनर- 19माह की अवस्था में पेट और मस्तिष्क की एक बीमारी ने कम समय के लिए आकर भीउसकी दृष्टि तथा श्रवण शक्ति छीन ली। उस समय वह इशारों के सहारे कुछबातें कहने में सक्षम थी। परिवार के रसोइए की 6 वर्षीया बेटी उसके इशारेसमझती थी। 7 साल की उम्र तक घर की चीजों और आम व्यवहार से संबंधित उसके पास60 संकेत थे। दूसरों के साथ पारंपरिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध हेलेन ने नेबातचीत करना सीखा और बाद में उनके जीवन का अधिकांश समय भाषण और व्याख्यानोंमें बीता। होठों को स्पर्श कर लोगों की बात समझने का हुनर सीखना उनकीअद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। केलर ने ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श सेसांकेतिक भाषा समझने में भी महारथ हासिल कर ली थी। ‘एक बार एक व्यक्ति ने उनसेपूछा आप मात्र 19 महिने की थीं जब दिखाई देना बंद हो गया था, तो आप दिन रातकैसे बता पाती हैं। हेलेन केलर का उत्तर विज्ञान सम्मत था, उन्होने कहा कि – दिन में हलचल अधिक होती है। हवा का प्रवाह मंद रहता है। वातावरण मेंकंपन बढ जाती है और शाम को वातावरण शांत तथा कंपन मंदहो जाती है।’

15.7.3 ज्ञान की ललक- हेलेन केलर में शिक्षा के प्रति अद्वितीय जिज्ञासा और ललक थी। मई, 1888 में वह पर्किन्स दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (पर्किंसइंस्टिट्यूट फॉर द ब्लाइंड) में दाखिल हुई। 1894 में, वह अपनी सहयोगी ऐनीसुलिवान के साथ राइट-ह्यूमेसन मूक-बधितार्थ विद्यालय में दाखिल होने के लिएऔर होरेस मैन बधितार्थ विद्यालय की सारा फुलर से सीखने के लिए न्युयार्कचली आई। उनकी सहायता से ही हेलेन केलर ने टालस्टाय, कार्लमार्क्स, नीत्शे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधीऔरअरस्तूजैसे विचारकों के साहित्य को पढा।

1896 में, वे मैसाचुसेट्स लौट गईं। वहाँ केलर ने केंब्रिज स्कूलफॉर यंग लेडी में और फिर 1900 में रैडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वेब्रिग्स हॉल, दक्षिण हाउस में रहती थीं। 24 वर्ष की अवस्था में 1904 मेंकला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली वह पहली दृष्टिबाधित-बधिर बनीं। ऑस्ट्रिया के दार्शनिक और शिक्षाविशारद विल्हेम यरूशलेम के साथ उनकापत्राचार चलता रहा जिन्होंने पहले-पहल हेलेन की साहित्यिक प्रतिभा कोपहचाना।

15.7.4 दृढ़ संकल्प शक्ति: कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैंतो भगवान एक खिड़की खोल देता है, लेकिन अक्सर हम बंद हुए दरवाजेकी ओरइतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की ओर हमारी दृष्टि भीनही जाती। ऐसी परिस्थिति में जो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से असंभव को संभव बनादेते हैं वो अमर हो जाते हैं। ऐसी ही दृढ़ संकल्प शक्ति हेलेन में थी उनके मजबूत इरादों ने दृष्टिदोष, मूक तथा बधिरता को भी परास्त कर नई प्रेरणा शक्ति को जन्म दिया था। हेलेन केलरशरीर से अपंग पर मन से समर्थ महिला थीं। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कईपुस्तकों का

अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनके द्वारा लिखित आत्मकथा 'मेरी जीवन कहानी' संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है।

15.7.5 आत्मविश्वासी: हेलेन केलर का कथन था कि:- विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रौशनी से आबाद हो सकता है। अपनी अयोग्यताओं के होते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की और दुनिया में बेझिझक भाषण दिए। 1943 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेलेन देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम-घूमकर अंधे, गूंगे तथा बहरेसैनिकों से मिलती रहीं। 1946 में 'अमेरिकन ब्रेल प्रेस' को 'द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड' नाम दिया गया। जो आज 'हेलेन केलर इंटरनेशनल' के नाम से जाना जाता है। हेलेन केलर से एक बार पूछा गया अन्धी होने से भी बड़ा बुरा क्या हो सकता है? तब उसने कहा कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा है। यदि आपको आपके लक्ष्य का पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें दशा वदिशा का ज्ञान होना चाहिए। इसीमें से की राह निकल सकती है, रोशनी मिलेगी। हेलेन के पास लक्ष्य था इसलिए वह सफल हुई।

15.7.6 स्वाभिमान: हेलेन केलर एक स्वाभिमानि बालिका थी। अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रसिद्ध विचारक मार्कट्वेनने कहा कि, केलर मेरी इच्छा है कि तुम्हारी पढाई के लिए अपने मित्रों से कुछ धन एकत्रित करूँ पर इससे केलर के स्वाभिमान को धक्का लगा। सहज होते हुए मृदुलस्वर में उन्होंने मार्कट्वेन से कहा कि यदि आप चन्दा करना चाहते हैं तो मुझ जैसे विकलांग बच्चों के लिए किजीए, मेरे लिए नहीं। हेलेन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमिं और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने करोड़ों रुपये की धन राशि एकत्र करके विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण करवाया। दान की राशि का एक रुपया भी वे अपने लिए खर्च नहीं करती थीं।


15.7.7 समाजसेविका: हेलेन केलर दूसरों का दुःख समझती थी था उनकी सहायता करना चाहती थी। पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रसिद्ध विचारक मार्कट्वेनने कहा कि, केलर मेरी इच्छा है कि तुम्हारी पढाई के लिए अपने मित्रों से कुछ धन एकत्रित करूँ तो उन्होंने सहज होते हुए मृदुलस्वर में उन्होंने मार्कट्वेन से कहा कि यदि आप चन्दा करना चाहते हैं तो मुझ जैसे विकलांग बच्चों के लिए किजीए। एक बार हेलेन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन रखा, वहाँ उपस्थित लोगों को उन्होंने विकलांग लोगों की मदद की बात समझाई। चन्द मिनटों में हजारों डॉलर सेवा के लिए एकत्र हो गया। हेलेन केलर इस धन को लेकर साहित्यकार विचारक मार्कट्वेन के पास गईं और कहा कि इस धन को भी आप सहायता कोष में जमा कर लिजीए। इतना सुनते ही मार्कट्वेन के मुख से निकला, संसार का अद्भुत आश्चर्य।

हिम्मत, हौसले, स्वालंबन, आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति, सेवा की मिसाल हेलेन केलर का सम्पूर्ण जीवन ही हम सभी के लिए एक उदाहरण है।

15.8 लुइस ब्रेल

लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 मेफ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था।

उन्होंने अपने अंधेपन के कारण और शिक्षा में रूचि के कारण अंधों के लिये ब्रेल लिपिका निर्माण किया जिसके बाद वें लुई ब्रेलके नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो गए और अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आखें एक दुर्घटना में गवां दी। उनका देहान्त 6 जनवरी 1952 को हुआ। लुईस ब्रेल द्वारा अविष्कृत छह बिन्दुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरान्त दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गयी। भारत सरकार ने भी सन 2009 में लुईस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकिट जारी किया है। उनके जीवन से बच्चों को निम्नलिखित शिक्षा मिलती है -



चित्र सं: 6 लुईस ब्रेल

15.8.1 अभिभावक की सहायता: हर बच्चे का ये नैतिक धर्म है कि वह अपने माँ-बाप कि उनके कार्यों में सहायता करे लुईस ब्रेल भी ऐसे ही थे। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिये काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे इसीलिये जब बालक लुईस मात्र पांच वर्ष के हुयेतो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिये काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया।

15.8.2 आत्मविश्वास: आत्मविश्वास से कोई भी जंग जीती जा सकती है और लुईस ने भी जीती। जब बालक लुईस बारह वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत कैप्टेन चार्लस बार्बर नेसेना के लिये ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोलकर अंधेरे में भी संदेशों के पढ सकते थे। कैप्टेन चार्लस बार्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईसका मष्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोलकर पढी जा सकने वाली कूटलिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिये पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी बैलेन्टाइन से यह इच्छा प्रगट की कि वह कैप्टेन चार्लस बार्बर से मुलाकात करना चाहता है। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टेन के द्वारा सुझायी गयी कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये। कैप्टेन चार्लस बार्बर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गये। अंततः पादरी बैलेन्टाइनके इस शिष्य के द्वारा बताये गये संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया।

15.8.3 प्रबल इच्छाशक्ति: यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उनके मन में संसार और अपने अंधेपन से लड़ने की प्रबल इच्छाशक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फ्रांस के मशहूर पादरी बैलेन्टाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी बैलेन्टाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस दसवर्षीय बालक को 'रायल इन्स्टीट्यूट फॉर ब्लाइन्ड्स' में दाखिला मिल गया।

15.8.4 परिश्रमी:लुइस ब्रेल ने आठ वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपिमें अनेक संशोधन किये और अंततः 1829 में छह बिन्दुओ पर आधारित ऐसी लिपिबनाने में सफल हुये ।

क्योंकि लुइस द्वारा किये गये कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिये न होकरसम्पूर्ण विश्व की दृष्टिहीन मानव जाति के लिये उपयोगी था ।

अभ्यास प्रश्न:-2

सही और गलत का चयन कीजिये ।

1. लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 मेइटली के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था ।
2. 1948में 'अमेरीकन ब्रेल प्रेस' को 'द अमेरीकनफाउन्डेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड ' नाम दिया गया ।
3. हेलेन केलर 19माह की अवस्था में पेट और मस्तिष्क की एक बीमारी ने कम समय के लिए आकर भीउसकी दृष्टि तथा श्रवण शक्ति छीन ली ।
4. हेलेन एडम्स केलरका जन्म 27 जून, 1880 को अमेरिका के टस्कंबिया, अलबामा में हुआ ।
5. अब्दुल कलामप्रतिदिन सुबह चार बजे उठ कर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे ।
6. अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय एकता के लिएइन्दिरा गाँधी पुरस्कार (1997)।
7. अवुल पकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम, अमेरिका के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है ।
8. लुइसने 1829 में छह बिन्दु ओ पर आधारित ब्रेल लिपिबनाने में सफल हुये।
9. लुइस ब्रेल को 1812में 'रायल इन्स्टीट्यूट फॉर ब्लाइन्डस् ' में दाखिला मिल गया ।
10. माता के साथ रसोई में काम करने के कारण लुइस ब्रेल की आखें खराब हो गई थी ।

15.9 स्टीफन हॉकिंग्स

प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स आधुनिक विज्ञान की दुनिया में अपने ज्ञान और शोध के कारण एक अलग पहचान रखते हैं । उनका जन्म 8 जनवरी 1942 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था । वे अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद आज विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक है ।



चित्र संख्या: 7 स्टीफन हॉकिंग व्हील-चेयर पर ।

उन्हें एमयोट्रोफिक लैटरल सेलेरोसिस नाम की बीमारी है । इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे-धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने और कम्यूनिकेशन पावर समाप्त हो जाता है । हॉकिंग्स के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता है । हॉकिंग का IQ 160 है जो किसी जीनियस से भी कहीं ज्यादा है । 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की । जिसमें वो शारीरिक तौर पे “फिट “ पाए गए । आज उन्हें भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है । लेकिन आज भी वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दमपे अपनी जिन्दगी जिए जा रहे है और हमारी यही दुआ है की वो ऐसे ही जीते रहे और हमे नित नयी खोजों से अवगत कराते रहें ।

15.9.1 मेहनती: विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण है मेहनती होना जो की हॉकिंग्स बहुत थे उन्होंने एक बार बताया था कि उनकी बीमारी ने उन्हें वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है । बीमारी से पहले वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे लेकिन बीमारी के दौरान उन्हें लगने लगा कि वे अब जिंदा नहीं रहने जा रहे हैं, तो उनकी बीमारी ने ही उन्हें अपना सारा ध्याना रिसर्च में लगाने को प्रेरित किया ।

15.9.2 दृढ़ विश्वासी: बच्चों को सदैव अपने निर्णयों पर अटल रहना चाहिए । हॉकिंग भी बिलकुल ऐसे ही थे । डॉक्टरों ने जब उनसे कहा कि वे केवल बस 2 साल के मेहमान है, तो उनकी इच्छा शक्ति ने उन पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा की मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे 50 सालो तक जियूंगा । उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है की हॉकिंग ने जो कहा वो कर के दिखाया । अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पी.एच.डी. पूरी की ।

15.9.3 बुद्धिमत्ता: स्टीफन हॉकिंग एक मेधावी छात्र थे, इसलिए स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल आते रहे। तीन सालों में ही उन्हें प्रकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणीकी ऑनर्स की डिग्री मिली। गणित को प्रिय विषय मानने वाले स्टीफन हॉकिंग में बड़े होकर अंतरिक्ष-विज्ञान में एक खास रुचि जगी। यही वजह थी कि जब वे महज 20 वर्षके थे, कैंब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय में रिसर्च के लिए चुन लिए गए। ऑक्सफोर्डमें कोई भी ब्रह्मांड विज्ञान में काम नहीं कर रहा था उन्होंने इसमें शोध करने की ठानी और सीधे पहुंच गए कैम्ब्रिज। वहां उन्होंने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में शोध किया इसी विषय में उन्होंने पी.एच.डी. भी की। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें “आइंस्टीन” कह के पुकारते थे।

15.9.4 जिज्ञासा: बच्चे को सदैव जिज्ञासु होना चाहिए और स्टीफन के अंदर एक ग्रेट जिज्ञासु साइंटिस्ट की क्वालिटी बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। दरअसल, किसी भी चीज के निर्माण और उसकी कार्य-प्रणाली को लेकर उनके अंदर तीव्र जिज्ञासा रहती थी। यही वजह थी कि जब वे स्कूल में थे, तो उनके सभी सहपाठी और टीचर उन्हें प्यार से 'आइंस्टाइन' कहकर बुलाते थे।

15.9.5 सादा सरल जीवन: बच्चों को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और हॉकिंग बहुत ही सादा जीवन जीते थे। हॉकिंग की सरलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ओर वे सुदूर अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाते हैं तो दूसरी ओर टीवी पर भी नजर आते हैं। ब्रिटेन के कई चैनलों ने उन्हें लेकर कई प्रोग्राम बनाए हैं। सैद्धांतिक भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कार्टूनों और बच्चों की काल्पनिक और कोमल दुनिया में भी वे बड़ी आसानी से घूम आते हैं।

15.10 मलाला युसूफजई

मलाला युसूफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 हुआ। उनको बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता होने के लिए जाना जाता है। वह पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रान्त के स्वात जिले में स्थित मिंगोरा शहर की एक छात्रा है। वर्ष 2009 में न्यूयार्क टाइम्स ने मलाला पर एक फिल्म बनाई थी। 13 साल की उम्र में ही वह तहरीक-ए-तालिबान शासन के अत्याचारों के बारे में एक छद्म नाम "गुल मकई" के तहत बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग द्वारा लोगों में नायिका बन गयी जिसमें उसने स्वात में तालिबान के कुकृत्यों का वर्णन किया था और अपने दर्द को डायरी में बयां किया था। अक्टूबर 2012 में, स्कूल से लौटते वक्त उस पर आतंकियों ने हमला किया जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गईं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गईं, बाद में इलाज के लिए उन्हें ब्रिटेन ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद उन्हें बचा लिया गया। मलाला को विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, मैक्सिको का समानता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का 2013 मानवाधिकार सम्मान (ह्यूमन राइट अवॉर्ड) तथा शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

15.10.1 हक़/ अधिकार के लिए संघर्ष करना: शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार होता है और उसे प्राप्त करने के लिए हर बच्चे को संघर्ष करना चाहिए और मलाला ने भी किया। मलाला उन पीड़ित लड़कियों में से हैं जो तालिबान के फरमान के कारण लंबे समय तक स्कूल जाने से वंचित रही। फरमान के बावजूद लड़कियों को शिक्षित करने का अभियान चला रखा

है। अपनी डायरी के माध्यम से मलालाने क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि तालिबान के खिलाफ खड़ा भी किया। 2009 में तालिबानियों ने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए थे।

15.10.2 खुले विचारों की पहरेदार: इंसान को सदैव खुले विचारों का होना चाहिए मलाला ने भी परंपरागत, कट्टर तालिबानी विचारों का विरोध करते हुए नवीन स्वतंत्र विचारों की पैरवी की और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी, जो हर इंसान को करनी चाहिए। 21वीं सदी में रहते हुए 10 वीं सदी के नियमों के साथ नहीं चल सकते हैं समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है।

15.10.3 निडर: गलत का शांतिपूर्ण तरीके से पुरजोर विरोध

करना हर नागरिक का अधिकार होता है। हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए। मलाला ने भी ऐसा ही किया अपने शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए उसने पूरे तालिबानी संगठन से दुश्मनी ले ली। मलाला ने ब्लॉग और मीडिया में तालिबान की ज्यादतियों के बारे में जब सेलिखना शुरू किया तब से उसे कई बार धमकियां मिली। मलाला ने तालिबान के कट्टर फरमानों से जुड़ी दर्दनाक दास्तानों को महज 11 साल की उम्र में अपनी कलम के जरिए लोगों के सामने लाने का काम किया था। वर्ष 2009 में तालिबान ने साफ कहा था कि 15 जनवरी के बाद एक भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। यदि कोई इस फतवे को मानने से इंकार करता है तो अपनी मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी।



चित्र सं : 8 मलाला युसुफ़ज़ई

अभ्यास प्रश्न:-3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

1. हॉकिंग का IQ है जो किसी जीनियस से भी कहीं ज्यादा है।
2. में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की।
3. स्टीफन हॉकिंग्स को भौतिकी के छोटे बड़े कुल पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
4. स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है की बचपन में लोग उन्हें कह के पुकारते थे।
5. मलाला युसुफ़ज़ई का जन्म हुआ।
6. मलाला युसुफ़ज़ई संयुक्त राष्ट्र का 2013 दिया गया।
7. में तालिबानियों ने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए थे।

15.11 सारांश

जीवन में आगे बढ़ने, सत्य का मार्ग चुनने, आत्मोत्थान करने, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहने, अपने देश वसमाज के प्रति दायित्व निभाने जैसे अनेक ऐसे कार्य हैं जो किसी भी व्यक्तिको महानता की श्रेणी में ले आते हैं। अध्याय में आये हुए महान व्यक्तित्वों के विवरण से यह स्पष्ट भी होता है। बच्चों में नैतिकता, सामाजिकता, देशभक्ति, पितृभक्ति, ईमानदारी, त्याग, समर्पण, प्रेम, अधिकारों के लिए संघर्ष, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करने के लिए ऐसे ही दिव्य महान पुरुषों कि जीवनियाँ सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि बचपन में ही नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है।

15.12 शब्दावली

1. इन्स्टीट्यूट	संस्थान
2. ब्लाइन्डस्	अंधे
3. पितृभक्ति	पिता के प्रति श्रद्धा
4. संघर्ष	कठिनाइयाँ
5. मानवाधिकार	मनुष्य के मौलिक जन्मजात अधिकार
6. पैरवी	वकालत
7. कम्यूनिकेशन	संचार
8. मूवमेंट	हलचल
9. सेवानिवृत्त	नौकरी से मुक्त
10. कूटलिपि	संकेतों की भाषा
11. इंटरनेशनल	अंतर्राष्ट्रीय
12. बधिर	बेहरा (जिसे सुनाई ना दे)
13. युगदृष्टा	युग की देखने, उसकी कल्पना करने वाला

15.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| 1. शान्तिनिकेतन | 2. सोलह साल | 3. गुरुदेव | 4. 7 मई 1861 | 5. फ्रांस |
| 6. 16 साल | 7. डॉ.मार्टिन लूथर किंग | 8. 1964 | | |

अभ्यास प्रश्न -2

- | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|-----------|
| 1. असत्य | 2. असत्य | 3. सत्य | 4. सत्य | 5. सत्य |
| 6. सत्य | 7. असत्य | 8. सत्य | 9. असत्य | 10. असत्य |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | | | | |
|--------|---------|-------|---------------|------------------|
| 1. 160 | 2. 2007 | 3. 12 | 4. "आइंस्टीन" | 5. 12 जुलाई 1997 |
|--------|---------|-------|---------------|------------------|

15.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बचपन से क्या सिखने को मिलता है ?
2. “हेलेना केलर आत्मविश्वास, समाज सेवा और स्वालंबन की मिसाल थी।” उक्त कथन की व्याख्या कीजिए।
3. “स्टीफन हॉकिन्स के जीवन से बच्चों के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सकते हैं।” कैसे स्पष्ट कीजिए।
4. “शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की भावना रविन्द्र नाथ टैगोर में बचपन में ही उत्पन्न हो गई थी।” रविन्द्र नाथ टैगोर के बचपन की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत कथन की विवेचना कीजिये।
5. मलाला युसूफजई के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा बच्चों को निर्भीक बनाती है।

15.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, आर0 एवं चौरड़िया , डी0 एस0, (2010) “महान व्यक्तियों के विचार” आगरा: उपकार प्रकाशन।
- <http://hi.wikipedia.org/s/xnh>
- Pamela Lorimer (1996), *Historical analysis and critical evaluation of braille*
- <http://www.brailerman.com/louis.htm>
- http://braillebug.afb.org/louis_braille_bio.asp
- Wokler, Robert. (1995). *Rousseau*. Oxford: Oxford University Press.
- Wokler, Robert. (2012) *Rousseau, the Age of Enlightenment, and Their Legacies* ed. by Bryan Garsten; introduction by Christopher Brooke
- Wraight, Christopher D. (2008), *Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide*. London: Continuum Books.
- Simpson, Matthew (2006). *Rousseau's Theory of Freedom*. London: Continuum Books.
- Babbitt, Irving ([1919] 1991). *Rousseau and Romanticism*. Edison, New Jersey: Transaction Publishers (Library of Conservative Thought)
- Damrosch, Leo (2005). *Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius*. New York: Houghton Mifflin.
- ठाकुर, एस0 , (2008), “बड़ों का बचपन” भोपाल : एकलव्य प्रकाशन।

- वेबर, थॉमस, (2007), गाँधी: एज डिसिप्लिन एंड मेटर्”, नई दिल्ली : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ।
- फिशर, एल0, “दा लाइफ ऑफ़ महात्मा गाँधी”, नई दिल्ली: द हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स ।
- <http://www.biography.com/people/malala-yousafzai-21362253>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
- <http://www.malala.org/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
- http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1913/tagore-bio.html
- <http://tagoreweb.in/pages/rtagore.aspx>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
- <http://www.biography.com/people/helen-keller-9361967>
- http://en.wikipedia.org/wiki/A._P._J._Abdul_Kalam
- <http://www.biography.com/people/apj-abdul-kalam-39325>

इकाई - 16

बचपन के संरक्षण में समुदाय, परिवार, क्रेच तथा बाल सुधार गृह की भूमिका (Role of community, family, crèche, and child correction home in protecting Childhood in India)

इकाई की रूपरेखा

- 16.1 प्रस्तावना
- 16.2 उद्देश्य
- 16.3 बचपन संरक्षण
- 16.4 बचपन संरक्षण में समुदाय की भूमिका
- 16.5 बचपन संरक्षण में परिवार की भूमिका
- 16.6 बचपन संरक्षण में क्रेच की भूमिका
- 16.7 बचपन संरक्षण में बाल सुधार गृह की भूमिका
- 16.8 सारांश
- 16.9 शब्दावली
- 16.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 16.11 निबंधात्मक प्रश्न
- 16.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

बचपन संरक्षण के अन्तर्गत बच्चा जहां रह रहा है वहां पर उसके सभीतरह के विकास समुचित रूप से हो पा रहे हैं या नहीं, का अध्ययन किया जाता है।

प्रस्तुत इकाई में आप बच्चों (बचपन) के संरक्षण में समुदाय परिवार, क्रेच तथा बाल सुधार गृह की भूमिका का एवं ये सभी कहां तक अपने कार्य में सफल हुये हैं इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।

16.2 उद्देश्य (Object)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- बचपन संरक्षण के बारे में जान सकेंगे।
- बचपन संरक्षण में समुदाय की भूमिका बता सकेंगे।
- बचपन संरक्षण में परिवार की भूमिका बता सकेंगे।
- बचपन संरक्षण में क्रेच की भूमिका बता सकेंगे।
- बचपन संरक्षण में बाल सुधार गृह की भूमिका बता सकेंगे।
- बचपन के संरक्षण में समुदाय, परिवार, क्रेच तथा बाल सुधार गृह की भूमिकाओं की समीक्षा कर सकेंगे।

16.3 बचपन संरक्षण (Protecting Childhood):

किसी बच्चे के लिये बचपन वह समय है जब वह विद्यालय में रहता है एवं खेलता है जिसमें उसे अपने परिवार का प्यार एवं प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रूप से एवं आत्मविश्वासी बन सके। अर्थात् जन्म से लेकर युवावस्था प्राप्त करने के बीच के समय को बचपन कहा जाता है।

बचपन संरक्षण से तात्पर्य है कि इस समय बच्चे को भय से मुक्त होना चाहिए एवं हिंसा से पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए ताकि वह उसका समुचित विकास हो सके। बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए एवं उन्हें प्राप्त अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे की उपेक्षा की जाती है तो वह मानसिक रूप से हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, जिस कारण उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चे के बचपन के संरक्षण में परिवार, समाज, विद्यालय आदि पूर्ण योगदान करते हैं यदि इनके द्वारा बच्चे के विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं अथवा बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है जो कि आज के भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उभरी है। एक कविता के माध्यम से नरेश कुमार 'उदास' जी ने बच्चों के सन्दर्भ में लिखा है कि-

हम हैं बच्चे

हम हैं बच्चे

सीधे सरल और सच्चे

कर्मठता, लग्न, स्नेह के बल पर

बढ़ते जाएँगे आगे पथ पर।

हमें मिटाना है अन्धकार

ज्ञान बाँटना है घर-द्वार

मन में छिपी घृणा का

करना है मिलकर नाश।

हम हैं, भारत के सपूत

हम हैं शक्ति के अग्रदूत

देश के कोने-कोने में
सद्भावना सन्देश पहुँचाएँ।
निर्बल-निर्धन, दुखियों को
सब को गले लगाएँगे
भारत की इस फुलवारी को
विभिन्न फूलों से महकाएँगे।
हम हैं बच्चे
सीधे सरल और सच्चे
अपनी धुन के पूरे पक्के
भारत को महाशक्ति बनाएँगे

अन्य देश, यह देख, हक्के-बक्के रह जाएँगे।

16.4 बचपन संरक्षण में समुदाय की भूमिका (Role of Community in Childhood Protecting)

समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संगठन से है जहाँ पर व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं उनमें पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक रूप से होना चाहिए। डब्ल्यू. ग्रीन के अनुसार - “समाज एक बहुत बड़ा समूह है और व्यक्ति उसके सदस्य हैं। समाज के अन्तर्गत जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और विभिन्न हेतु होते हैं। जनसंख्या में सभी आयु और लिंग के व्यक्ति होते हैं। पुरुष, स्त्री, बच्चे और बूढ़े सभी समाज के सदस्य हैं। इन सदस्यों के विभिन्न संगठन- परिवार, वर्ग, जाति आदि होते हैं। समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सदस्यों के कुछ सामाजिक स्वार्थ और उद्देश्य होते हैं। ये सब समाज के लक्षण हैं।”

बालक के बचपन को प्रभावित करने में समाज का वातावरण अपनी अहम् भूमिका अदा करता है। समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में विभिन्न परिवारों से बालक आते हैं और अपने साथ अलग-अलग वातावरणीय सोच लेकर आते हैं। परन्तु विद्यालय का वातावरण एक सुनिश्चित, अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। कहीं-कहीं तो बाहर का वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतः विरोधी होता है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जैसे- भाषा की विविधता, सम्प्रदाय तथा जाति की विविधता, साधनहीन तथा सम्पन्नता की विविधता हमारे बाहरी वातावरण की मुख्य समस्याएँ हैं। इन सभी वातावरणीय समस्याओं से निकलकर जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है तब समस्त कठिनाइयाँ विद्यालय को झेलनी पड़ती हैं एवं उनका समाधान खोजना पड़ता है। वैसे वातावरण का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। समाज के अन्तर्गत पड़ोस भी शामिल रहता है जिसमें बालक अनेक प्रकार के जीवन कौशल सीखता है।

समाज के अनेक कारक बच्चे के बचपन के संरक्षण में अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिकाएँ अदा करता है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

पड़ोस- व्यक्ति के बचपन के संरक्षण में परिवार के बाद पड़ोस सबसे बड़ी इकाई है आस पड़ोस में रहकर ही बालक अनेक नये क्रियाकलाप सीखता है। प्रत्येक बालक के बचपन के समुचित संरक्षण के लिये एक अच्छा पड़ोस होना अत्यन्त आवश्यक है। सामान्यतः बालक 2 वर्ष की आयु बाद से बच्चा घर से बाहर जाना प्रारम्भ कर देता है एवं वह परिवार के साथ-साथ पड़ोस के सम्पर्क में आ जाता है। पड़ोस में उसके कई नये दोस्त बनते हैं। दोस्तों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलता और अपनी बारी का इन्तजार करता जिस कारण जहां पहले बालक हर काम पहले करना चाहता था अब पड़ोस के मित्रों के सम्पर्क में आने के बाद उसके अन्दर धैर्य की भावना का भी विकास होता है। पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है इस बात का भी बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोस के लोगों के द्वारा बालक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है उसका दिमाग सकारात्मकता की ओर अग्रसर होगा और यदि पड़ोस के व्यक्तियों के द्वारा उसे उपेक्षित किया जाता है तो उसके दिमाग में नकारात्मक विचार स्थापित हो जायेंगे। यदि पड़ोस को कुछ व्यक्तियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है तो बच्चे उनसे प्रभावित होंगे एवं उनके अन्दर जीवन के मूल्यों का समुचित विकास होगा। इसके विपरीत यदि पड़ोस में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं तो बचपन से ही उसके अन्दर आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होने लगेगा एवं वह आपराधिक मूल्यों को गृहण कर लेगा। जैसे - गुटखा, मद्यपान आदि प्रकार व्यसन उसके दैनिक क्रियाओं में सम्मिलित हो जायेंगे फलस्वरूप बालक भी आपराधिक प्रवृत्ति का हो जायेगा।

पड़ोस का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। यदि आस पड़ोस में बालक के खेलने की व्यवस्था है तो उसका शारीरिक विकास समुचित रूप से हो पायेगा इसके लिये आसपास के सभी व्यक्तियों को मिलकर अपने बच्चों के अच्छे शारीरिक विकास के लिये समुचित खेल के साधनों का प्रबन्ध करना चाहिए। यदि बालक के पड़ोस में खेलने के समुचित व्यवस्था नहीं है तो वह अन्य गलत कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। पड़ोस में बालक के अन्दर सामाजीकरण की भावना का भी विकास होता है उसके अन्दर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना एवं सहयोग की भावना का भी विकास होता है। पड़ोस बालक के अन्दर शब्दकोश विकसित करने में भी एक अहम भूमिका अदा करता है। पड़ोस के सम्पर्क में रहने पर बालक के अन्दर समायोजन करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक अच्छा पड़ोस बचपन के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

विद्यालय- विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है। विद्यालय में बालक औपचारिक शिक्षा गृहण करने के लिये प्रवेश लेता है। शिक्षा मानव जीवन को सही ढंग से जीना सीखने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जॉन डीवी ने तो यहां तक कहा है कि, “शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन यापन की प्रक्रिया है।”

बालक के बचपन के संरक्षण के कार्य में परिवार एवं पड़ोस के बाद विद्यालय एक अहम भूमिका अदा करता है। यदि पड़ोस बालक में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है तो विद्यालय उन्हें स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है। विद्यालय में बालक का सामाजीकरण होता है जिस कारण वह समाज में अनुकूलन कर सकता है। विद्यालय बच्चे के सन्तुलित व्यक्तित्व विकास में भी अत्यन्त आवश्यक है। व्यक्तित्व के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक आदि का समावेश रहता है। किसी भी बच्चे का चरित्र निर्माण विद्यालय से ही प्रारम्भ होता है।

विद्यालय में अध्यापक बच्चे का आदर्श होता और बच्चा बड़ा होकर अपने अध्यापक जैसा बनना चाहता है इसलिये प्रत्येक विद्यालय के अध्यापक को भी आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। विद्यालय में अनेक समुदाय के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं फलस्वरूप बच्चे के अन्दर सामाजिकता की भावना का भी विकास होता है। विद्यालय में पर्याप्त खेलने के साधन उपलब्ध होने के कारण बच्चे के शारीरिक विकास में विद्यालय एक महत्वपूर्ण इकाई है। बच्चे जब तर्क करते हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने पर वे खुश होते हैं एवं उनके अन्दर तार्किक शक्ति विकसित होती है। परन्तु ऐसे समय में अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का दमन न करे वरन् उन्हें हल करने का हर सम्भव प्रयत्न करे। श्रेष्ठ नागरिकता की भावना विकसित करने की नींव भी विद्यालय में रखी जाती है। जिसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय से बच्चों के अन्दर सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, निःस्वार्थता तथा देश भक्ति आदि गुणों का भी विकास होता है। विद्यालय घर व विश्व को जोड़ने वाली एक कड़ी है। अर्थात् जब बालक विभिन्न वर्गों एवं सम्प्रदायों के बालकों के सम्पर्क में आता है तो उसका दृष्टिकोण भी व्यापक हो जाता है। रेमाण्ट का कथन है कि- “विद्यालय बाह्य जीवन के बीच की अर्द्ध-पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करता है, जब वह अपने माता पिता की छत्रछाया को छोड़ता है।”

विद्यालय एक सबसे प्रमुख सामाजिक संस्था है। चूंकि शिक्षा की प्रक्रिया भी सामाजिक होती है इसी कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का प्रतीक है जिसमें समाज को विकसित करने के लिए एवं उसमें निरन्तरता लाने के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केन्द्रित होते हैं। विद्यालय का एक बच्चे के बचपन में एवं समाज में यह स्थान होने के कारण टी. पी. नन ने लिखा है कि- “विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन् समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए।”

परन्तु यदि विद्यालय में जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर किसी बच्चे से भेदभाव किया जाता है तो इसका विकास अवरूद्ध हो जाता है एवं उसकी रुचि शिक्षा से समाप्त हो जाती है। जिस कारण वह आपराधिक प्रवृत्ति भी धारण कर सकता है। धर्म के आधार पर यदि किसी बच्चे को उपेक्षित किया जाता है तो बच्चे के अन्दर अपने धर्म के हीन भावना व दूसरे धर्मों के प्रति आक्रोश तथा विरोध की भावना का विकास होगा।

अतः शिक्षकों का व्यवहार बालकों के प्रति अति सरल, सौम्य एवं स्नेहमयी होना चाहिए जिससे बालक को घर की याद न आयें। विद्यालय का भवन, साफ, स्वच्छ तथा सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। एक शिक्षक पर बीस या पच्चीस तक बालकों की संख्या होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यालय में पठन-पाठन की सामग्री, बालकों के खेलने के सुन्दर खिलौने, बाग-बगीचे आदि भौतिक संसाधन होने चाहिए जिससे बालक विद्यालय के प्रति आकर्षित हो सकें। विद्यालय में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाये एवं समुचित व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाये तो बचपन के संरक्षण में और भविष्य के श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण में समाज के अन्तर्गत विद्यालय सबसे बड़ा भागीदार होगा।

अभ्यास प्रश्न:- 1

1. समाज के अन्तर्गत आने वाला घटक है?
(क) विद्यालय (ख) पड़ोस (ग) उपर्युक्त दोनों (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
2. बालक का समाज में विकास होता है।

(क) सामाजिकता का (ख) धैर्य का (ग) बन्धुत्व का (घ) उपर्युक्त सभी।

16.5 बचपन संरक्षण में परिवार की भूमिका (Role of Family in Childhood Protecting)

सामान्यतः परिवार को परिभाषित कर पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में परिवार का केवल एक ही अर्थ ही लिया जाता हो ऐसा सम्भव नहीं है। कुछ समाज में बहुपत्नि प्रथा प्रचलित है तो कुछ समाजों में बहुपति प्रथा प्रचलन में है। परन्तु संरचना की दृष्टि से देखा जाये तो कुछ परिवार एकल परिवार एवं कुछ परिवार संयुक्त परिवार के अन्तर्गत आते हैं। जार्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार - “परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम से कम दो के बीच समाज द्वारा वैध यौन सम्बन्ध होते हैं, और एक या अधिक बच्चे स्वयं को या दत्तक सम्मिलित करते हैं। इस तरह परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने स्वोंतो का उपभोग करते हैं, कामकाज करते हैं और बच्चों का प्रजनन करते हैं।” तथा क्लेयर के अनुसार - “परिवार से हम सम्बन्धों की वह व्यवस्था समझते हैं, जो माता-पिता और उनकी सन्तानों के बीच में पाई जाती है।”

परम्परागत परिवारों का स्थान आज के समय में आधुनिक परिवारों ने ले लिया है। पहले जहां संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलन में थी वहां अब एकल परिवार की प्रथा प्रचलन में आ गई जिसका सबसे बड़ा प्रभाव किसी भी बच्चे के बचपन पर पड़ता है। संयुक्त परिवार में बच्चे के अन्दर सामाजिकता की भावना का विकास तीव्र गति से होता था। उसके विकास पर उचित ध्यान देने के लिये परिवार में पर्याप्त संख्या में लोग रहते थे जिस कारण बालक बचपन से ही बहुमुखी व्यक्तिवाला होता था। परन्तु आज एकल परिवारों में बच्चों के ऊपर उचित ध्यान न दे पाने के कारण बच्चों का बचपन गर्त की ओर जा रहा है एवं बच्चे अन्तर्मुखी होते जा रहे हैं। उनके अन्दर अनुकूलन की भावना का भी समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।

बालक का सामाजिक विकास माता के प्रथम स्पर्श के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी बालक के बचपन के संरक्षण में सहयोग प्रदान करने वाली प्रथम और सबसे बड़ी इकाई केवल परिवार है। बालक के विकास पर उसके लालन-पालन तथा माता-पिता की आर्थिक स्थितियाँ प्रभाव डालती हैं। परिवार की परिस्थितियों तथा दशाओं का बालक के विकास पर सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के लालन-पालन में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है। बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आज्ञापालन एवं सदाचार आदि का पाठ परिवार से ही मिलता है। परिवार मानव के लिये एक अमूल्य संस्था है। नवीनतम शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि बचपन में बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव परिवार ही डालता है। परिवार द्वारा दी जाने वाली प्रारम्भिक शिक्षा का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

रूसो के अनुसार-“बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है, जो मूलरूप से प्राकृतिक है।”

फ्रॉवेल के अनुसार-“फ्रॉवेल ने घर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका यह कथन-माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।”

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बालक के विकास में परिवार एक अहम संस्था की भूमिका अदा करता है। बालक के लालन-पालन में एवं उसके बचपन के संरक्षण में और उसके भविष्य के निर्माण में परिवार की भूमिका निम्नांकित क्षेत्रों में है -

- **मानसिक एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का निर्माण-** परिवार बालक की मानसिक एवं भावात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक या साहित्यिक है तो बालक का झुकाव वैसा ही होगा। जैसे किसी का पालन पोषण ऐसे परिवार में हो जहाँ सभी संगीतकार हों वहाँ बच्चे के अन्दर संगीत के प्रति रुचि जाग्रत होना स्वाभाविक है।
- **सहयोग की भावना का विकास-** जैसे-जैसे बच्चा परिवार में बड़ा होता है वह अपने से बड़ों को एक-दूसरे का सहयोग करते हुए देखता है जैसे- माता सभी के लिए भोजन पकाती है, पिता सभी के लिए पैसे अर्जित करते हैं, बड़े भाई बहन माता-पिता का कार्य में सहयोग करते हैं। बालक के अन्दर ये सब देखकर सहयोग की भावना का विकास होता है।
- **प्रेम की भावना का विकास-** किसी भी परिवार में माता केवल बच्चे से प्रेम नहीं करती वरन उसे प्रेम करना भी सिखाती है। परिवार के अन्दर बच्चा माता के अतिरिक्त अन्य लोगों से भी प्रेम की शिक्षा ग्रहण करता है। जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के अन्दर परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति प्रेम की भावना विकास होता है।
- **मूल्यों एवं आदतों का विकास-** परिवार बालक में स्वस्थ आदतों के निर्माण में सहायक होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बालक कुछ न कुछ आदतें परिवार में रहकर अन्य सदस्यों से सीखता है। परिवार में रहकर बालक माता से प्रेम भाव, पिता से न्याय एवं बड़े भाई बहनों से भ्रातृत्व की भावना सीखता है एवं सीखे गये इन मूल्यों में से कुछ को अपने भावी जीवन में अपनाता है।
- **वैयक्तिकता का विकास-** प्रत्येक बच्चे की मां अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है अर्थात् माता का दृष्टिकोण अपने बच्चे के प्रति वैयक्तिक होता है। परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे की वैयक्तिकता के विकास में समुचित सहयोग प्रदान करते हैं।
- **दूसरों से अनुकूलन-** अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से ही सीखता है क्योंकि परिवार के सदस्य एक-दूसरे से समायोजन कर अपनी समस्याएँ हल करते हैं।
- **सामाजिक व्यवहार का आधार-** परिवार बालक के सामाजिकरण का आधार है। बालक स्वयं सामाजिक जीवन की क्रियाओं तथा सामाजिक गुणों को यही से सीखता है।
- **मूल प्रवृत्तियों का शोधन-** मॉण्टेसरी के अनुसार सीखने का प्रथम स्थान माँ की गोद है। बालक की सभी मूल-प्रवृत्तियों का शोधन धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता रहता है।

- **आज्ञापालन एवं अनुशासन की शिक्षा-** परिवार में रहकर बालक अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव तथा आज्ञापालन की भावना को ग्रहण करता है। परिवार के सभी सदस्यों से वह कर्तव्यपरायणता, आत्मसंयम तथा अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है।
- **कर्तव्य पालन की भावना का विकास-** परिवारों में वयस्क अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसे पिता पैसे कमाना, माता घर का पालन पोषण देख रेख, बड़े भाई बहन अपने से छोटों के प्रति अपने कर्तव्य समझते हैं। इन सब को देखकर ही बच्चे के अन्दर कर्तव्य पालन की भावना विकसित होती है।
- **व्यवहारिकता का विकास-** बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी परिवार से ही मिलती है। जैसे- अतिथियों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है, किस प्रकार उठना एवं बैठना चाहिए, किसी अन्य जगह जाने पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए आदि व्यवहारिकता विकसित करने का श्रेय परिवार को ही जाता है।

अभ्यास प्रश्न:- 2

1. बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है, जो मूलरूप से प्राकृतिक है। किसने कहा है?
(क) रूसो (ख) फ्रॉबेल (ग) मान्टेसरी (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
2. बच्चे के अन्दर प्रेम की भावना का विकास.....में होता है।

16.6 बचपन संरक्षण में क्रेच की भूमिका (Role of Creche in Childhood Protecting)

क्रेच एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है- डे केयर अर्थात् दिन भर देखभाल करना। क्रेच एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी बच्चे की देखभाल की जाती है। माता-पिता क्रेच में बच्चे को सामान्यतः प्रवेश तब कराते हैं जब माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं एवं घर पर अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। क्रेच जैसी संस्थाओं का प्रचलन एकल परिवार प्रणाली के प्रचलन के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। क्रेच जैसी संस्थाएँ विकसित राष्ट्रों में बहुत अधिक प्रचलित हैं जबकि विकासशील राष्ट्रों जैसे भारत में इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है।

मैकमिलन डिक्शनरी के अनुसार - एक ऐसा स्थान जहां पर शिशुओं और छोटे बच्चों तक की देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता व्यस्त हों, क्रेच कहलाता है।

क्रेच के अन्दर बच्चों की सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान की जाती हैं जैसे विस्तर, खेलने के लिये पर्याप्त खिलौने प्रदान किये जाते हैं। गर्मियों के मौसम बच्चों के लिए कूलर आदि की व्यवस्था होती है। वहीं सर्दियों के मौसम रूम हीटर की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक क्रेच के साथ एक अंग्रेजी माध्यम की नर्सरी भी सम्बद्ध होती है एवं इस नर्सरी के अन्दर 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। क्रेच के अन्दर 3 माह से 10 वर्ष तक के लडकों को प्रवेश दिया जाता है एवं 3 माह से 12 वर्ष तक की लडकियों को प्रवेश दिया जाता है। यदि कोई भी क्रेच एक दिन में 2 घंटे से अधिक समय के लिये खुलता है तो उसे रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है।

क्रेच किसी भी बच्चे के बचपन के संरक्षण के कई पक्षों में भूमिका अदा करता है। जिनका विवरण निम्नानुसार है -

- **समायोजन की भावना का विकास-** क्रेच में बच्चा अपने माता-पिता से अलग अपने उम्र के बच्चों के साथ रहता है। क्रेच के अन्दर रहने वाले बच्चे विभिन्न स्वभाव के होते हैं परन्तु साथ रहने के कारण एवं विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण बच्चों के अन्दर विभिन्न स्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता विकसित होती है। क्रेच का माहौल एक परिवार के माहौल से अलग होता है वहां बच्चे की देखरेख करने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं जो कि एक पारिवारिक माहौल से अलग हो सकती हैं, ऐसे अलग माहौल में रहने के कारण बच्चा विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन करना सीख लेता है।
- **आत्मविश्वास की भावना का विकास-** माता-पिता से अलग रहने पर क्रेच में बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ अन्तःक्रिया करता जिस कारण उसके अन्दर आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। क्रेच के अन्दर बच्चों के खेलने की व्यवस्था होती है जहां पर बच्चे खेलते हैं जो आत्मविश्वास पैदा करने में सबसे अधिक भूमिका अदा करता है। क्रेच में बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिये अनेक कार्य किये जाते हैं जैसे- बच्चों से उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य कराया जाता है एवं पुरस्कृत भी किया जाता है जिससे बच्चों में स्वयं के प्रति विश्वास जागृत होता है।
- **सामाजीकरण की भावना का विकास-** क्रेच में बच्चा अनेक बच्चों के साथ रहता एवं उनके साथ खेलता है जिस कारण बच्चे में सामाजीकरण की भावना विकसित होती है। क्रेच में अनेक जाति, धर्म के बच्चे साथ साथ रहते हैं जिससे बच्चों के अन्दर अन्य धर्मों एवं जाति के बच्चों के प्रति भी लगाव बढ़ता है जो धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिये एक अच्छा प्रयास है। अनेक बच्चों के साथ रहने पर आपसी सहानुभूति की भावना का भी विकास बच्चे के अन्दर होता है। क्रेच में बच्चों के रहने के परिणाम स्वरूप बच्चे का व्यक्तित्व भी बहुमुखी हो जाता है एवं भविष्य में वह एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन सकता है।
- **परस्पर सहयोग-** क्रेच जैसी संस्थाओं में बच्चों के समुचित विकास के लिये अनेक कार्य दिये जाते हैं इन कार्य को करने के लिये बच्चे एक-दूसरे की सहायता भी करते हैं। यदि किसी छात्र को कोई अन्य कार्य करने में असुविधा हो रही है या उसे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके साथ वाले सभी छात्र उसी सहायता करने के लिये तत्पर होते हैं। इस प्रकार का माहौल निर्मित होने के कारण अन्य नये छात्रों में भी इसी प्रकार की आपसी सहयोग की भावना एवं आपसी मैत्री की भावना का विकास होता है।
- **शारीरिक विकास-** एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। अर्थात् बच्चों के अच्छे मानसिक विकास के लिये अच्छा शारीरिक विकास अत्यन्त आवश्यक है। क्रेच जैसी संस्थाओं में बच्चों के शारीरिक विकास प्रति सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। क्रेच के अन्दर बच्चों के खेलने की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है एवं क्रेच में बच्चे अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलते हैं जोकि उनके शारीरिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका अदा

करता है। बच्चों के समुचित शारीरिक विकास के लिये उन्हें पोषण आहार भी दिया जाता है एवं पूर्णतः प्राकृतिक माहौल भी देने का प्रयास किया जाता है ताकि वे किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से कमजोर न हो सकें।

अर्थात् क्रेच बच्चों के बचपन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है परन्तु अभिभावकों को भी अपने बच्चों को क्रेच में प्रवेश दिलाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

1. क्रेच रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
2. बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था है या नहीं एवं सभी साथ खेलते हैं या नहीं।
3. बच्चों की देखभाल करने के लिये संस्था में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था है या नहीं।
4. संस्था के कर्मचारी बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं या नहीं।
5. क्रेच में बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं या नहीं।
6. बच्चों की सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था है या नहीं।
7. बच्चों के लिये बाथरूम एवं टायलेट की समुचित व्यवस्था है या नहीं।
8. क्रेच में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये डॉक्टर की व्यवस्था है या नहीं।
9. क्रेच में बच्चों को अच्छा भोजन दिया जा रहा है या नहीं।
10. क्रेच में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है या नहीं आदि।

अभ्यास प्रश्न:- 3

1. यदि क्रेच 2 घंटे से अधिक खुलता है तो उसे.....कराना आवश्यक है।
2. क्रेच में.....तक के बालकों को रखा जाता है।

16.7 बचपन संरक्षण में बाल सुधार गृह की भूमिका(Role of Child CorrectionHome in Childhood Protecting):

बाल सुधार गृह एक ऐसी संस्था जिसमें बाल अपराधियों का सुधार शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसके अन्दर उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जिनने पहले कोई अपराध किया है एवं उसकी सजा काट चुके होते हैं साथ ही वर्तमान में अनाथ हैं। बाल सुधार गृहों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिये पृथक्करण, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रभावी निरीक्षण, मनोरंजन की सुविधा एवं आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बाल सुधार गृह में बच्चों को इसलिये रखा जाता है ताकि उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में पता चल सके एवं उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सके। अर्थात् बाल सुधार गृहों को एक प्रेक्षक गृह के रूप में भी देखा जाता है।

उत्तर संरक्षण कार्यक्रम सलाहकार समिति के अनुसार- “सुधारालय वह संस्था है जिसमें साधारणतया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (अर्थात् नवयुवक अपराधी) भर्ती किये जाते हैं जो पहले सजा काट चुके हैं और जिन पर माता-पिता या किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है।”

बाल सुधार गृह में बच्चों के बचपन के संरक्षण एवं उनके भविष्य के निर्माण में निम्न सहयोग प्रदान किये जाते हैं -

- **वैयक्तिक अध्ययन-** बाल सुधार गृह में जैसे ही किसी बच्चे का प्रवेश होता है सर्वप्रथम उसका अध्ययन किया जाता है एवं इसका पता लगाया जाता है कि उसने किस कारण से अपराध किया था एवं उसके संदर्भ में अन्य बातें पता की जाती हैं। तत्पश्चात उन्हीं के आधार पर बच्चे की मानसिकता को सुधारने का काम किया जाता है।
- **शिक्षा-** बाल सुधार गृहों में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को शिक्षा उनकी रुचि के अनुरूप दी जाती है। उसे इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि बच्चे की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो जाये एवं निकट भविष्य में बाल सुधार गृह से जाने के उपरान्त बच्चा अपनी शिक्षा को जारी रख सके एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।
- **व्यवसायिक प्रशिक्षण-** बाल सुधार गृहों में बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ताकि बच्चे बाल सुधार गृह से निकलने के उपरान्त कोई स्वरोजगार को अपना ले या किसी कम्पनी में काम करना शुरू कर सकें। व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का एक और मुख्य उद्देश्य यह भी यह है कि बच्चा कोई न कोई कार्य करे अन्यथा वह पुनः कोई आपराधिक कार्य कर सकता है।
- **सामाजिकता का विकास-** बाल सुधार गृहों में बच्चों के अन्दर सामाजिकता का विकास करने के लिये भी प्रयास किये जाते हैं। ताकि वह बाल सुधार गृह से मुक्त होने के बाद अपने आस-पास के समाज के सामंजस्य स्थापित कर सके। क्योंकि यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो स्वयं को उपेक्षित महसूस करेगा और पुनः कोई अपराध कर सकता है।
- **चिकित्सा एवं मनोरंजन सुविधा-** बाल सुधार गृहों के अन्दर बच्चों के लिये निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था भी की जाती है एवं मनोरंजन की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन के लिये अनेक प्रकार खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

16.8 सारांश (Conclusion)

बचपन संरक्षण से अर्थ है कि बच्चा पूर्ण रूप से हिंसा से दूर हो एवं सभी मूलभूत सुविधायें बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए। बचपन के संरक्षण में सर्वाधिक भूमिका बच्चे का परिवार अदा करता है। घर से बच्चे के अन्दर सहयोग, प्रेम, मूल्य, आदतों, वैयक्तिकता एवं अनुकूलन आदि सामान्य गुणों का विकास होता है। परन्तु आज परिवारों का स्वरूप बदल गया है। संयुक्त परिवारों ने एकल परिवारों का रूप ले लिया है फलस्वरूप माता-पिता को बच्चों के लिये समय नहीं है जिस कारण कहीं न कहीं आज के बच्चे घर में रहकर ही अपने बचपन को खो रहे हैं।

बचपन के संवर्धन में दूसरा मुख्य पक्ष समाज होता है। समाज में रहकर ही बच्चा अनेक नई क्रियाकलाप सीखता है। सामाजिकता, बंधुता, धैर्य की भावना का विकास करने का श्रेय समाज को ही जाता है। समाज के अन्दर बच्चे के बचपन के संवर्धन में पड़ोस एवं विद्यालय दो मुख्य घटक होते हैं। परन्तु आज के इस युग में जहां विद्या प्रदान करना एक व्यवसाय बन कर रह गया है वहीं विद्यालयों में बच्चों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य बन गया है। शिक्षा के भार के कारण बच्चों का बचपन सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया है।

क्रेच में बच्चे का प्रवेश तब कराया जाता है तब बच्चे के अभिभावक कोई व्यवसाय करते हैं एवं एकल परिवार में निवास करते हैं। क्रेच किसी भी बच्चे के अन्दर सामाजिकता एवं बन्धुता की भावना को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। परन्तु मातृत्व प्रेम के अभाव में एवं अपने माता-पिता से दूर रहने के कारण बच्चे के अन्दर माता-पिता के प्रति लगाव नहीं होता है बच्चा अपने माता-पिता के द्वारा दिये गये आदेश की अवज्ञा करने लगता है एवं उनका आदर नहीं करता है। इस स्थिति में अभिभावकों को यह चाहिए कि यथा सम्भव अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय प्रदान करें एवं उनकी भावनाओं को समझें।

बाल सुधार गृहों में बाल अपराधियों की मानसिकता को शिक्षा के माध्यम से सुधारा जाता है। बाल सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अन्दर सामाजिकता का भावना का विकास करना होता है। बाल सुधार गृह से मुक्त होने के उपरान्त 2 वर्ष तक संस्था बच्चों से सम्पर्क बनाये रखती है। एवं इस सम्पर्क का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि बच्चे का समाज से पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित हो गया है या नहीं। परन्तु कुछ गृहों में कर्मचारियों द्वारा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है जिस कारण उनकी मानसिक प्रवृत्ति और आपराधिक हो जाती है। अतः सरकार को इनकी निगरानी रखने के लिये अलग से समितियों का गठन करना चाहिए।

16.9 शब्दावली (Vocabulary):

- धैर्य- इन्तजार की क्षमता
- अवज्ञा- आदेश की अवहेलना
- संवर्धन- बढ़ाना

16.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Questions):

अभ्यास प्रश्न - 1

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. उपर्युक्त दोनों | 2. उपर्युक्त सभी |
|--------------------|------------------|

अभ्यास प्रश्न - 2

- | | |
|---------|-----------|
| 1. रूसो | 2. परिवार |
|---------|-----------|

अभ्यास प्रश्न - 3

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. रजिस्टर्ड | 2. 3 माह से 10 वर्ष |
|--------------|---------------------|

16.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type questions):

1. बचपन संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
2. बचपन संरक्षण में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
3. बचपन संरक्षण में पडोस एवं विद्यालय की भूमिकाओं की तुलना कीजिये।
4. क्रेच बचपन संरक्षण में किस हद तक कारगर है? व्याख्या कीजिये।
5. बाल सुधार गृहों में बचपन संरक्षण को सही बनाने के लिये सुझाव दीजिये।

16.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference book list):

- शर्मा, ऋचा (2011), 'भारत में सामाजिक समस्याएँ' जयपुर: सागर पब्लिशर्स.
- उदास, नरेश कुमार (2011), 'बच्चे होते हैं अच्छे' नई दिल्ली: प्रगतिशील प्रकाशन.
- माथुर, एस0 एस0 (2011), 'शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार' आगरा: श्री विनोद पुस्तक मन्दिर.
- दोषी, एस. एल. एवं जैन, पी. सी. (2009), 'समाजशास्त्र नई दिशाएँ' जयपुर: नेशनल पब्लिशिंग हाउस.
- पाठक एवं त्यागी (2008), 'शिक्षा के सिद्धान्त' आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.
- महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश (2007), 'भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ' दिल्ली: विवेक प्रकाशन.
- लवानिया, एम. एम. एवं राठौड़, अजय सिंह (2007) 'भारतीय समाज' जयपुर: रिसर्च पब्लिकेशन्स.
- बघेल डी. एस. (2003), 'अपराधशास्त्र' दिल्ली: विवेक प्रकाशन.
- आहूजा, राम (2000), 'सामाजिक समस्याएँ' नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स.

इकाई 17

परिवार का बदलता स्वरूप और बचपन changing trends in family structure and Childhood

माता-पिता की रोजगार की स्थिति एवं तकनीकी अनुप्रयोग (कार्टून, वीडियो गेम, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और खिलौने) Employment status of parents, and technological exposures (cartoons, video games, mobile phone, internet, social networking sites and toys)

इकाई रूपरेखा

- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 उद्देश्य
- 17.3 परिवार
 - 17.3.1 परिवार की उत्पत्ति
 - 17.3.2 परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ
 - 17.3.3 परिवार के रूप
 - 17.3.4 परिवार की आवश्यकता
 - 17.3.5 परिवार के विघटन के प्रमुख कारण
 - 17.3.6 परिवार का बदलता स्वरूप
- 17.4 माता-पिता की रोजगार की स्थिति
- 17.5 बच्चों द्वारा आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग
- 17.6 सारांश
- 17.7 स्वमूल्यांकन प्रश्न
- 17.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

17.1 प्रस्तावना

भारतीयसमाज सदियों से अपनी प्राचीन परम्पराओं और विरासत को संजो कर रखे हुए है। परन्तु आधुनिकता एवं नवाचार की प्रवृत्ति के कारण आज भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह परिवर्तन राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आधुनिकता हमारी संस्कृति के मूल्यों को कमजोर कर रही है और समय के साथ साथ संस्कृति भी समाप्त होती जा रही है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर भारतीय समाज बहुत तेजी से

परिवर्तित हो रहा है। संयुक्त परिवार जो कभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की नींव थे आज पूरी तरह लुप्त होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है आज लोगों की प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। आज मनुष्य का ध्येय सामूहिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना मात्र रह गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह में भारतीय समाज एवं परिवारों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकल परिवार प्रथा के चलन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रस्तुत अध्याय में

17.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप:-

- परिवार का अर्थ, सम्प्रत्यय समझ पाएंगे।
- परिवार कि उत्पत्ति कैसे होती है यह जान पायेंगे।
- परिवार के रूप, आवश्यकताओं को जान पाएंगे।
- परिवार विघटन के प्रमुख कारणों की जानकारी हो सकेगी।
- परिवार के बदलते स्वरूप को समझ सकेंगे।
- परिवार में माता-पिता के रोजगार कि स्थिति का बच्चों पर प्रभाव को समझ सकेंगे।
- बच्चों द्वारा आधुनिक तकनीक के प्रयोग के कर्ण परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को जान पायेंगे।

17.3 परिवार

17.3.1 परिवार की उत्पत्ति

यौन व्यवहारोंको नियंत्रित करने और बच्चों की सुरक्षा एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की मानवीय आवश्यकताओं के लिए परिवार का सृजन हुआ। परिवार सभी सामाजिक समूहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समूह है। इसके बिना मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बड़े या छोटे, आदिम या सभ्य, प्राचीन या आधुनिक सभी समाजों में प्रजनन और पालन पोषण के लिए परिवार रूपी समूह की आवश्यकता रही है। यह एक स्थायी और सार्वभौम व्यवस्था है जो समाज में अनेक स्वरूपों में दिखाई देता है। परिवार को समाज की बुनियादी और आधारभूत इकाई माना जाता है।

17.3.2 परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएँ-

परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। परिवार का मुख्य आधार विवाहित स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध होता है। इस प्रकार एक परिवार में पति-पत्नी और उनकी संतान मुख्यतः होती है। दूसरे शब्दों में परिवार स्त्री-पुरुष का ऐसा समूह है, जो विवाह संबंधो, रक्त संबंधो या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। यह समूह आयु, लिंग एवं अन्य संबंधो के आधार पर भूमिकाओं का निर्वाह करता है और एक घर या उपघर के रूप में पहचाना जाता है।

१. **क्लेयर** के अनुसार –“परिवार से हम संबंधो की वह व्याख्या समझते है जो माता- पिता और उनकी संतानों के बीच पायी जाती है।”
२. **मेकाइवर और पेज** के अनुसार –“परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री-पुरुष के यौन संबंधो पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है।”

इस प्रकार से परिवार एक ऐसी संस्था है, जिसमें विभिन्न रिश्तों वाले विभिन्न सदस्य होते है तथा जिनकी संस्कृति और सभ्यता समान होती है, जो लंबे समय तक एक सामाजिक इकाई के रूप में स्थाई रहती है। परिवार व्यक्तियों के मध्य निकटतम और प्रभावशाली संबंधो को जन्म देता है। चाहे संबंधो में समरसता य विरसता हो। पारिवारिक संस्था समाज के ढांचे का मूल होती है।

17.3.3 परिवार के रूप–

भारत में परिवार मुख्य रूप से दो रूपों में दिखायी देता है। एक रूप वह जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते है। जबकि दूसरे रूप में एक परिवार के व्यक्ति किन्ही विशेष कारणों से परिवार के अन्य सदस्यों से अलग दूसरे घर में रहने लगते है।

- (१) **संयुक्त परिवार**—संयुक्त परिवारवह कहलाता है जिसके सदस्य संख्या में अधिक होते है। जिसमें पति पत्नी, संतान, परिवार की वधुएँ, दादा-दादी, चाचा-चाची और अनेक बच्चे सम्मिलित रूप से रहते है। सुख-दुःख में एक दूसरे का सहयोग करते है। परिवार का सबसे बड़ा व योग्य व्यक्ति परिवार का सर्वोच्च कर्ता होता है। **रॉस**के अनुसार –“संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, जो सामान्य तया: एक ही भवन में निवास करते है, एक ही रसोई में पका भोजन करते है, सामान्य संपत्ति के स्वामी होते है औए सामान्य पूजा में भाग लेते है तथा किसी न किसी रूप में रक्त संबंधी होते है।”
- (२) **एकल परिवार** - एकल परिवार का स्वरूप बहुत छोटा होता है। एकल परिवार से तात्पर्य ऐसी पारिवारिक संरचना से है जिसमें केवल पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते है। साथ ही परिवार का मुखिया भी केवल इन्ही लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे परिवारों में पति पत्नी दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते है और खुद से सम्बंधित किसी भी प्रकार के विषय में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म हुआ।

17.३.4 परिवार की आवश्यकता –

मानव जीवन का प्रारम्भ परिवार से ही होता है। उसकी प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति केवल परिवार में ही होती है। परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। इलियट और मैरिस ने परिवार को “विविध कार्यों वाली संस्था” कहा है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही समाज के अनुरूप बनता है और उसकी सभी आर्थिक क्रियाओ क संचालन परिवार के माध्यम से ही होता है। परिवार समाज का लघुरूप और बालक की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसे सभी प्रकार के प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार में ही उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की रूपरेखा तैयार होती है।

17.3.5 परिवार के विघटन के प्रमुख कारण :-

१. परिवार के सदस्यों में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती जा रही है।
२. परिवार के सदस्यों में सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता के कारण आपसी सहयोग और समानता में कमी आई है एवं दो पीढ़ियों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित होने लगी है।
३. आधुनिक समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन से सदस्यों के बीच तनाव में वृद्धि हुयी है।
४. परिवार के सदस्यों में पारिवारिक उद्देश्यों की एकता का सर्वथा अभाव होना है।
५. यौन संबंधो की असंतुष्टि से परिवार में पत्निपत्नी के संबंधो में अविश्वास और संदेह उत्पन्न हो रहा है।
६. उद्योगीकरण और शहरीकरण ने संयुक्त परिवार का विघटन कर एकाकी परिवार को बढ़ावा दिया है।

17.3.6 परिवार का बदलता स्वरूप

जिस प्रकार संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं होता है उसी प्रकार समाज में कुछ भी स्थाई नहीं होता है। समय समय पर परिस्थितियों में बदलाव आने पर समाज के विभिन्न अंगों व इसके प्रकार्यों में भी परिवर्तन होते रहे है। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आया है, चाहे परिवार विकसित समाज का हो या विकासशील समाज का। आज भारतीय परिवार का वह स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है जो सौ वर्ष पूर्व था। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का चलन रहा है, जिसमें विभिन्न स्वभाव और प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते है और उनमें एकता एवं सामंजस्य, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने में परिवार के मुखिया द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। प्राचीन संयुक्त परिवार का आदर्श रूप अब बदलने लगा है। आधुनिक समय में भारतीय समाज और परिवार के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखायी दे रहे है। आज परिवार के समक्ष कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गयी है जिनके कारण परिवार के अस्तित्व में अपरिवर्तन आ रहा है। परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण, मूल्यों, विचारों आदि में परिवर्तन आने से संयुक्त परिवार रूपी संस्था का विघटन हो रहा है।

सुख सुविधाओं की उपलब्धता, औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण भारतीय परिवार पर पश्चिमी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नए भूमि कानून, बढ़ती जनसंख्या, गाँवों में यंत्रिकरण एवं मशीनों का प्रवेश, भौतिकवादी जीवन का दबाव, उद्योगीकरण एवं आधुनिक शिक्षा आदि सभी कारणों से भारतीय संयुक्त परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। आज के समय में दो पीढ़ियों का साथ रहना भी मुश्किल हो गया है। परिवार के मुखिया का नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है। संयुक्त परिवार अब बहुत ही संशोधित और सीमित होता जा रहा है। उनका स्थान अब एकल परिवार ने ले लिया है। परिवार के सदस्यों में अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करने में लगा है। आधुनिक परिवारों के सदस्यों के बीच तनाव, इर्ष्या, अश्रद्धा, अमर्यादित व्यवहार और घृणा दिखाई दे रही है। आज नवयुवक व युवतियाँ स्वतंत्र और नियंत्रण मुक्त जीवन की कल्पना करने लगे है। उन्हें किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं है। संबंधो के मायने बदल रहे है और परिवार की मर्यादा टूटती जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के आपसी संबंधो में एक प्रकार की उदासीनता और अलगाव की भावना पायी जाने लगी है।

परिस्थितियों में बदलाव के साथ व्यक्तियों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। आज हमारे समाज में अनेकों नई रीतियाँ, परम्पराएँ और मान्यताएँ जन्म ले रही हैं। विकास की गति के साथ समाज और परिवार का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। परिवारों के रिश्ते केवल औपचारिक के लिए ही रह गए हैं और परिवार छोटे आकार में सिमटते जा रहे हैं। धीरे-धीरे संयुक्त परिवार पश्चिमी प्रकार के एकाकी परिवार का आधुनिक रूप लेते जा रहे हैं।

आधुनिक परिवार का मुख्य उद्देश्य यह है की पति-पत्नी अपने ढंग से रहे और अपने बच्चों को इस प्रतिस्पर्धा वाले समाज में सफलता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए तैयार करे। नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवार में समायोजन नहीं हो पाने के कारण प्राचीन आदर्शों मूल्यों और प्रतिमानों में परिवर्तन हो रहा है। परिवार के सदस्य अपेक्षित व्यवहार से भिन्न व्यवहार करने लगे हैं। आज परिवारों में पति-पत्नी के बीच विभिन्न बातों के लिए तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार का तनाव बच्चों और माता-पिता के बीच में भी दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों और पारस्परिक भावना के प्रति अरुचि दिखलाने लगे हैं। वे परिवार के मान्य नियमों के विपरीत कार्य करने लगे हैं।

एकाकी परिवारों के बच्चों की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। क्योंकि माता पिता के पास इन बच्चों की देखभाल के लिए समय नहीं है। संयुक्त परिवार में जितना समय माता-पिता अपने बच्चों को दे पाते थे उसका आधा समय भी आज नहीं दे पा रहे हैं। माता-पिता और बच्चों में से हर कोई अपने कामों और शौकों में खोया रहता है। इन परिवारों के सभी सदस्य एक साथ बहुत ही कम रह पाते हैं। और जब सभी घर में होते भी हैं तो कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फोन, म्यूजिक सिस्टम या टीवी से जुड़े होते हैं, परन्तु एक-दूसरे से नहीं। ऐसा भी नहीं है की सभी सदस्य किसी एक कार्यक्रम को एक साथ देख या सून रहे हों। इन लोगों में रुचि का अंतर इतना अधिक होता है की परिवार में बच्चों के लिए इस तरह के उपकरण भी प्रायः अलग-अलग होते हैं। कई परिवारों में माता-पिता के पास बच्चों को पालने एवं देखरेख करने का ही समय नहीं है और बच्चों के दादा-दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं ऐसी स्थिति में बच्चों को टी.वी. पाल रहा है, उनमें प्रसारित कार्यक्रम उन बच्चों में केवल हिंसा भर रहे हैं अथवा बच्चे द्वारा कम्प्यूटर पर खेल खेलने से उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में बाल अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों के मार्गदर्शन का कार्य भी विद्यालय या आसपास के बड़े बच्चे कर रहे हैं जो स्वयं बिगड़े हुए होते हैं।

उपसंहार

प्राचीन समय के संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत और सामाजिक सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता था। परन्तु उनके स्थान पर आज अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जैसे – परिवार परामर्श केन्द्र, वृद्धाश्रम, होम, क्लेश और आफ्टर केयर होम। परन्तु ये संस्थाएँ भी भारतीय समाज की मानसिकता और परम्पराओं के पूर्णतया अनुकूल नहीं हैं। उपभोक्तावाद और बाजारवाद के साथ मीडिया ने भी इसमें भूमिका निभाई है। पश्चिमी सभ्यता और कु-प्रभावित मीडिया ने भारतीय परिवार के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन किया है साथ ही घर-घर पहुँच दूरदर्शन ने ग्रामीण संयुक्त परिवार को भी नहीं छोड़ा है।

अभ्यास प्रश्न

1. परिवार को विविध कार्यों वाली संख्या कहा है।
(अ) रास ने (ब) क्लेयर ने (स) ईलीयर और मेरिसन ने
2. परिवार से हम सम्बन्धों की वह व्याख्या समझते हैं जो माता-पिता सन्तान के बीच पाई जाती है ,
किसने कहा-
(अ) क्लेयर ने (ब) मैडाईवर ने (स) पेज ने (ड) उपरोक्त में से कोई नहीं

17.4 माता-पिता की रोजगार की स्थिति -

आधुनिक समय में भारतीय समाज और परिवार के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखायी दे रहे हैं। सुख सुविधाओं की उपलब्धता, औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण भारतीय परिवार पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का चलन रहा है जिसमें माता-पिता अपने बच्चों पूर्ण रूप से देखभाल करते थे। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उद्योगीकरण ने गाँवों में यंत्रों एवं मशीनों का प्रवेश हुआ। आधुनिक शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के परिवर्तन ने भौतिकवादी जीवन पर दबाव बढ़ा दिया। जिसके फलस्वरूप भारतीय संयुक्त परिवार का आकार छोटा होता गया और संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवारों ने ले लिया।

पुराने समय में परिवार में पुरुष वर्ग ही कार्य या व्यवसाय करते थे और महिलाएं घर परिवार का काम काज संभालती थी। परन्तु आज की परिस्थितियां बदल गयी है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। एकाकी परिवार में सदस्य संख्या कम होने से माता-पिता पर अपने बच्चों के पालन पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी समान रूप से आ गयी है। जिन परिवारों में पिता व्यवसाय या नौकरी करता है उन परिवारों में मुख्य रूप से माता अपने बच्चों का पालन पोषण और देखभाल का कार्य करती है। परन्तु कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें बच्चों के माता और पिता दोनों ही किसी व्यवसाय में संलग्न हैं ऐसी दशा में वे अपने-अपने कार्य में ही पुरे समय व्यस्त रहते हैं। बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी परिवार में तो माता और पिता अलग-अलग शहरों में रहकर नौकरी करते हैं। ऐसी स्थिति में इन एकाकी परिवारों के बच्चों की देखरेख अभिभावक ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों को बौर्डिंग स्कूलों में रखा जाता है। इन परिवारों के बच्चे अपने माता पिता को फोन, फैक्स या ई-मेल से ही जानते हैं और उन्हीं माध्यमों के द्वारा उनसे बातचीत करते हैं।

17.5 बच्चों द्वारा आधुनिक तकनीकी उपकरणोंका उपयोग-

आज कल बच्चों में आधुनिक तकनीकी उपकरणों जैसे- टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, वीडियोगेम, सोशल नेटवर्किंग साइटएवं खिलौने आदि के प्रयोग की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। वे सामान्यतया विभिन्न उपकरणों के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। बच्चों को लगता है की ये नवीन उपकरण उनके जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। इन उपकरणों पर उनकी निर्भरता इतनी अधिक बढ़ गयी है की इनके अभाव में बच्चों के व्यवहार में चिड-चिड़ापन आने लगता है। वे अपने आप को अकेला और अधूरा सा महसूस करते हैं। इसके कारण अभिभावकों और बच्चों के बीच सम्बन्ध

तनावपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने सामान्य कार्यों को भी पूरी कुशलता के साथ नहीं कर पाते हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी उपस्थिति प्रायः नगण्य होती है। उनका विद्यालयीन शिक्षा का स्तर एवं शैक्षिक प्रदर्शन भी ठीक नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे बच्चों के माता पिता भी स्वयं लेपटॉप और कम्प्यूटर पर अधिक समय बिताते हैं। इस प्रकार से उनके बच्चे भी धीरे-धीरे इन उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। प्रारम्भ में इनके उपयोग का समय कम रहता है परन्तु बाद में इसकी समयावधि बढ़ती जाती है धीरे धीरे वे इनके आदि हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वीडियोगेम पर अधिक ध्यान देते हैं और जैसे ही किशोर अवस्था में जाते हैं इनका ध्यान सोशल नेटवर्किंग और इन्टरनेट पर केंद्रित हो जाता है। इन साधनों के उपयोग का उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है।

टेलीविजन के विभिन्न चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्टून आधारित कार्यक्रम आजकल बच्चों में अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। हर परिवार में कम उम्र के बच्चों में कार्टून कार्यक्रमों के प्रति एक खास तरह का आकर्षण दिखाई देता है। बच्चों में कार्टून देखने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। माता-पिता चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते हैं। अधिकांश कार्टून कार्यक्रम शैतानी और तिलस्मी दुनिया, काल्पनिक कहानियों एवं पश्चिमी देशों के परिवेश पर आधारित होते हैं। जब बच्चा कार्टून की कहानियों, चित्रों और पात्रों को देखता है उसके मन में अंध विश्वास की भावना उत्पन्न होने लगती है और हिंसा के प्रति घृणा की भावना समाप्त हो जाती है। कार्टून में तेजी के साथ बदलते दृश्य, चरित्र, स्थान आवाजें और घटनाएं उन्हें अपनी और आकर्षित करती हैं वे हिंसा को बड़े गौर से देखते हैं। जब बच्चे आक्रामक और हिंसा के कार्यक्रम देख रहे होते हैं तब उनके चेहरे पर खुशी नजर आती है। वे जिस चरित्र को पसंद करते हैं उसका प्रभाव उन पर अधिक होता है। उन बच्चों की भाषा और बोल-चाल में कार्टून के पात्रों की छबि दिखाई देने लगती है। बच्चों को प्रभावशाली चरित्र और हिंसा के कार्यक्रम ज्यादा प्रभावित करते हैं।

कार्टून कार्यक्रमों से बच्चों के मन में भय, घबराहट, असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इन बच्चों में संवेदनशील कम होती है परन्तु आक्रामक होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में मानसिक उत्तेजना, गुस्सा और कुंठा पैदा हो जाती है जिनका असर उन बच्चों के दिमाग पर भी दिखाई देने लगता है। तेजी से स्क्रीन पर बदलते चित्रों का उनकी आँखों के साथ कोशिकाओं पर पड़ने से उनका मानसिक विकास रुक जाता है। उनकी शैक्षिक उपलब्धी एवं प्रदर्शन निम्न स्तर का हो जाता है। प्रायः ऐसे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं और अन्य बच्चों के साथ खेलना-कूदना, मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मासूम बच्चे सांस्कृतिक संक्रमण के शिकार हो जाते हैं।

इंटरनेट और कम्प्यूटर— माता-पिता अपने बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इसलिए देते हैं कि वे इसका उपयोग शिक्षा के नवीन अवसर एवं नवीन तकनीकों के प्राप्त करने के लिए करेंगे। परन्तु आज उनके बच्चे पढ़ने-लिखने के बजाय कम्प्यूटर पर गेम खेलते हैं या आनलाइन सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या इंटरनेट पर बिना किसी उपयोग वाली वस्तुएँ खरीदते हैं। कम्प्यूटर पर शैक्षिक अनुसंधान करने के बजाय घंटों अपने दोस्तों के साथ मेसेजिंग करने और अपरिचित लोगों से बात करने में अपना कीमती समय गँवा रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं वे सोशल नेटवर्किंग पर समुदाय में अपनी पहचान बनाने के लिए अवसर की खोज करते रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों का पुरे समय आन लाइन रहना माता-पिता के लिए चिंता और चुनौती का विषय बन गया है। अधिक समय तक कम्प्यूटर से जुड़ा रहने या गेम

खेलने से बच्चा अपने मित्रों और साथियों से अलग होता जा रहा है। वह परिवार के सदस्यों और अपने मित्रों से झूठ बोलने लगता है और विद्यालय के कार्य या पढ़ाई से जी चुराने लगता है। अधिक समय तक कम्प्यूटर का उपयोग करने या देखने से उनकी आँखों एवं पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ रहा है जिसके कारण बच्चे कब्ज, अल्सर और मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है।

मोबाइल फोन - मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पूर्व मोबाइल फोन का उपयोग केवल बातचीत करने या शब्द सन्देश भेजने के लिए किया जाता था परन्तु आजकल के समय में मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्ट फोन का चलन हो गया है। **मोबाइल फोन आज के समय में शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है।** आजकल बच्चों के हाथों में सुबह से लेकर रात तक हर समय, घर हो या बाहर, पैदल चल रहे हो या बाइक पर मोबाइल ही नजर आता है। पैसा और समय की चिंता किये बिना ही ये लोग मोबाइल का उपयोग गेम खेलने, इन्टरनेट चलाने, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने, संगीत सुनने और फिल्म देखने के लिए करते हैं। आज मोबाइल बच्चों का स्टाइल और स्टेट्स सिम्बल बन गया है।

मोबाइल फोन का ज्यादा उपयोग करने से बच्चों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे अनिद्रा, थकान और चिडचिडेपन का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही वस्तुओं को याद न रख पाते हैं, बोलते समय शब्दों को भूल जाते हैं। सामान्यतया किसी बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे ग्रहण कर पाते हैं। बच्चों में गणितीय क्षमता का लगातार हास हो रहा है। अपनी प्राथमिकताये तय करने के लिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बच्चों में संवेदनशीलता की कमी आने लगी है। सामान्यतया ये बच्चे अन्य बच्चों और लोगों से मिलना और बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। उनके नैतिक मूल्यों में बिखराव आने लगा है। उनके दिमाग पर अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं का असर बढ़ता जा रहा है।

सोशल नेटवर्किंग साइट - सामाजिक नेटवर्किंग सेवा एक आनलाइन सेवा या साईट है जो लोगों के बीच सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। इसे व्यक्ति जिनकी रुचियाँ और कार्य या गतिविधिया एक समान होती है वे एक दूसरे से संपर्क करने, सन्देश भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

वीडियोगेम और खिलौने - कुछ वर्षों पहले वीडियो गेम और खिलौने का उपयोग मनोरंजन करने के एक साधन के रूप में किया जाता रहा है। आधुनिकता की भाग दौड़ में माता-पिता के पास समय का अभाव होने से वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं जिसके कारण कुछ वर्षों से बच्चों में इन प्रयोग का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया है। बच्चों की घर से बाहर जाने और साथियों के साथ खेलने-कूदने की सभी प्रकार की गतिविधियां लगभग समाप्त सी हो गई हैं। आज बच्चे अपना अधिकतम समय वीडियोगेम या खिलौने के साथ खेलने में ही बिताते हैं। जिसका उनके मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वे प्रत्येक बात पर माता-पिता, शिक्षकों और साथियों से बहस करने लगते हैं। पढ़ाई में उनका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। वीडियोगेमसे उनकी आँखों की रोशनी कम होती जा रही है। पुस्तकों से पढ़ने और लिखने की बजाय उनका आकर्षण वीडियो गेम

और खिलौने की तरफ ज्यादा रहता है। जिसके फलस्वरूप उन बच्चों में परिवार और समाज के लोगों के प्रति उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

17.6 सारांश

परिवार का अर्थ उत्पत्ति वैवाहिक सम्बन्धों की मान्यता के आधार पर हुई है। परिवार मुख्य रूप से दो भागों में समाज में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार जिसमें दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-ताऊ और उनकी संताने एक ही छत के नीचे निवास करते हैं एवं एक ही चूल्हे पर भोजन पकता है। एकल परिवार केवल माता-पिता और उनकी संतानों तक ही सिमित है।

वर्तमान व्यवस्था में स्वार्थ परामनता और अलग रहने की विचारधारा ने एकल परिवारों को जन्म दिया है। वर्तमान व्यवस्था में प्रायः यह देखने में आता है कि पति और पत्नी दोनों ही कार्य करते हैं तथा बच्चों को डे-केयर जैसे व्यवस्था में रखते हैं।

आधुनिक उपकरणों के प्रयोग ने बालकों को अभी से ही कृत्रिम रिश्तों के ताने-बाने में उलझा दिया है। वे परिवार तथा सामाजीकरण की प्रक्रिया सी दू होते जा रहे हैं, स्वार्थ अधिक बढ़ता जा रहा है।

मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग ने बालकों में कई तरह की मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न कर दी है। उनकी याददाश्त क्षमता में असर दिखाई देने लगा है।

सोशल नेटवर्किंग साईट ने बालकों में नए सम्बन्ध बनाने की दिशा में अहम योगदान दिया है। बालक इन प्रवृत्तियों में उलझ कर रह गए हैं। उनमें नकारात्मकता भी बढ़ रही है, जो परिवार व समाज पर विपरीत प्रभाव डाल रही है।

17.7 लघुरात्मक प्रश्न

1. परिवार का अर्थ व परिभाषा बताइए ?
2. भारतीय समाज में परिवार के कितने प्रकार हैं, इनकी विशेषता बताइए ?
3. परिवार की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिपण्णी लिखिए।
4. परिवार के विघटन के कारण बताइए।

निबंधात्मक प्रश्न

1. आधुनिकता ने पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित व परिवर्तित किया है? क्या आप सहमत हैं : विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिये।
2. बालकों के व्यक्तित्व पर आधुनिक तकनीक के प्रयोग के प्रभाव को विस्तार से समझाइये।
3. माता-पिता के रोजगार की स्थिति बालकों के विकास को कैसे प्रभावित करती है? विस्तारपूर्वक समझाइये।

17.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा, ऋचा (2011), 'भारत में सामाजिक समस्याएँ' जयपुर: सागर पब्लिशर्स.
- उदास, नरेश कुमार (2011), 'बच्चे होते हैं अच्छे' नई दिल्ली : प्रगतिशील प्रकाशन.

- माथुर, एस0 एस0 (2011), 'शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार' आगरा: श्री विनोद पुस्तक मन्दिर.
- दोषी, एस. एल. एवं जैन, पी. सी. (2009), 'समाजशास्त्र नई दिशाएँ' जयपुर: नेशनल पब्लिशिंग हाउस.
- पाठक एवं त्यागी (2008), 'शिक्षा के सिद्धान्त' आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.
- महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश (2007), 'भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएँ' दिल्ली: विवेक प्रकाशन.
- लवानिया, एम. एम. एवं राठौड़, अजय सिंह (2007) 'भारतीय समाज' जयपुर: रिसर्च पब्लिकेशन्स.
- बघेल डी. एस. (2003), 'अपराधशास्त्र' दिल्ली: विवेक प्रकाशन.
- आहूजा, राम (2000), 'सामाजिक समस्याएँ' नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स.

इकाई - 18

भारत में बच्चों के लिए कानूनी प्रावधान, नीतियाँ एवं योजनायें

Legal provisions, policies and schemes for children in India

इकाई की रूपरेखा

- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 उद्देश्य
- 18.3 बाल अधिकारों की संकल्पना
 - 18.3.1 उत्तरजीविता का अधिकार
 - 18.3.2 विकास का अधिकार
 - 18.3.3 संरक्षण का अधिकार
 - 18.3.4 जन्म लेने का अधिकार
 - 18.3.5 जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार
 - 18.3.6 शिक्षा का अधिकार
 - 18.3.7 अन्य महत्वपूर्ण अधिकार
- 18.4 भारतीय संविधान में प्रावधान
- 18.5 बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE)
 - 18.5.1 शिक्षा के अधिकार के प्रावधान
 - 18.5.2 शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता
 - 18.5.3 शिक्षा के अधिकार का महत्त्व
- 18.6 बालश्रम की रोकथाम हेतु कानून व प्रावधान
- 18.7 बालहितकारी योजनायें
 - 18.7.1 समेकित बाल संरक्षण योजना
 - 18.7.1.1 स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
 - 18.7.1.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी
 - 18.7.1.3 जिला बाल संरक्षण इकाई

- 18.7.1. 4 ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति
- 18.7.1.5 चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम परियोजना
- 18.7.1. 6 केयरिंग वेबसाइट
- 18.7.1. 7 चाइल्ड हेल्प लाईन -1098
- 18.7.1.8 संस्थागत सेवाएँ
- 18.7.1.9 वैधानिक समर्थन योजनायें
- 18.7.1.10 कारा (Central Adoption Resource Agency)
- 18.7.1.11 स्ट्रीट बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम
- 18.7.1.12 बालिका-कल्याण
- 18. 8 सारांश
- 18.9 शब्दावली
- 18.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 18 .11 निबंधात्मक प्रश्न
- 18 .12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

18.1 प्रस्तावना

बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं इसलिए आजादी के पहले से लेकर आज तक उनके लिए नित नए नियम कानून सांविधानिक प्रावधानों का निर्माण होता रहता है ताकि राष्ट्र को योग्य और जिम्मेदार नागरिक प्राप्त हो सकें। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार ने समय समय पर कई कानून और नियम बनाये ताकि बच्चों की स्थिति में सुधार आ सके।

प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत आप भारत में बच्चों के लिए तैयार किये गए कानूनी नियमों, प्रावधानों और योजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे जिनमें बालश्रम निषेध कानून और शिक्षा का अधिकार प्रमुख हैं साथ ही प्रस्तुत पाठ बच्चों के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी प्रकाश डालेगी।

18.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- बाल अधिकारों को समझ सकेंगे।
- भारतीय संविधान में बच्चों के हित के लिए बनाये गए कानूनों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- बालश्रम की रोकथाम हेतु बनाये गए कानूनों व प्रावधानों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- भारत में बालश्रम की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।
- शिक्षा के अधिकार का महत्त्व जान सकेंगे।

- बच्चों के विकास के लिए बनाये गए अन्य कानूनों का अध्ययन कर सकेंगे।
- संविधान में वर्णित बाल अधिकारों का अध्ययन कर सकेंगे।
- बालोत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

18.3 बाल अधिकारों की संकल्पना

जब भी हम किसी के अधिकारों की बात करते हैं तो इसका यह अर्थ होता है की जब भी आवश्यक हो उन अधिकारों को न्यायालय या अन्य संस्था के हस्तक्षेप से प्राप्त कास लिया जाये। आमतौर पर यह देखा गया है की बच्चों को अपने अधिकारों का आभास व ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण वे अनन्या और अत्याचार के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता की उन्हें कहा जाना है। इसलिए जब भी बच्चों के अधिकारों की बात सोची जाती है तो उसका सम्बन्ध माता-पिता, अध्यापक समाज व सरकार के दायित्वों से होता है। इस दायित्वों से ही बच्चों के अधिकारों की पूर्ति होती है।

बच्चों के अधिकार के सम्बन्ध में भारत ने 20 नवम्बर, 1989 को हुए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया है जिसके अंतर्गत 54 अनुच्छेद हैं जिनमें से प्रमुख अधिकार निम्न हैं -।

18.3.1 उत्तरजीविता का अधिकार:जन्म केबाद बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है जीना का। इसमें भोजन, आश्रय एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं।

18.3.2 विकास का अधिकार:शिक्षा, खेलकूद व कौशल वे सभी बातें जो बच्चों के लिए पूर्ण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हैं जो कि उन्हें प्राप्त होनी चाहिए।

18.3.3 संरक्षण का अधिकार:इसके अंतर्गत यह अपेक्षित है कि बच्चों को दुरुपयोग, उपेक्षा व शोषण के सभी रूप से बचाया जाये।

18.3.4 जन्म लेने का अधिकार:बच्चे को माँ के गर्भ में आते ही जन्म लेने का अधिकार मिल जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा समय पर जन्म ले।

18.3.5 जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार:जन्म के पश्चात बच्चे को जीवित रहने और वृद्धि व विकास के लिए संरक्षण पाने का पूर्ण अधिकार होता है।

18.3.6 शिक्षा का अधिकार:प्रत्येक बच्चे को अपने सर्वगीण विकास व भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिसके व्यवस्था माता-पिता और सरकार को करनी है।

18.3.7 अन्य महत्वपूर्ण अधिकार व प्रावधान :

- i. माता-पिता से संरक्षण पाने का अधिकार।
- ii. 1960 का बाल अधिनियम उपेक्षित अथवा दोषी और पुनर्वास की बात कहता है।
- iii. 1986 बालश्रम अधिनियम बालश्रम को रोकने के सम्बन्ध में।
- iv. 1992 में भारत में एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें बच्चों के विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

18.4 भारतीय संविधान में प्रावधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिसमें विभिन्न धाराएँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से संविधान बच्चों के हित में निम्नलिखित प्रावधान व कानून की व्याख्या करता है-

- अनुच्छेद 32 के द्वारा बच्चों को आर्थिक शोषण से रोकने की बात की गई है।
- अनुच्छेद 34 के द्वारा बच्चों को यौन शोषण और यौन दुरुपयोग से बचाने का दायित्व राज्य को दिया गया है।
- अनुच्छेद 36 व 37 बच्चे का उत्पीड़न न हो, यह सुनिश्चित करते हैं।
- अनुच्छेद 39 (च) के द्वारा यह तय किया गया कि बच्चों और युवाओं का नैतिक और भौतिक परित्याग न किया जाये, यह दायित्व राज्य का है।
- 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा (धारा 24)।
- राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें (धारा 39-ई)।
- बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएं और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा (धारा 39-एफ)।
- संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राय 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)।
- सभी बच्चों के लिए बेहतर और जरूरी मेडिकल सुविधा (टीके आदि भी), अपंगता है तो विशेष सुविधा, साफ पानी, पौष्टिक आहार, स्वस्थ रहने के लिए साफ वातावरण आवश्यक है। सरकार को ये सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्कूलों में बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास करने के साथ-साथ ऐसा कुछ न किया जाए जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे।
- बच्चों को अपने परिवार की भाषा और तौर-तरीके सीखने का पूरा अधिकार है। जो परिवार अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों, उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। बच्चों को शारीरिक शोषण व खतरनाक ड्रग्स से दूर रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना माता-पिता के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है।

अभ्यास प्रश्न:-1

सही और गलत का चयन कीजिये ।

1. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
2. अनुच्छेद 36 व 37 बच्चे का उत्पीड़न न हो, यह सुनिश्चित करते है ।
3. बच्चे को जन्म लेने का अधिकार जन्म लेने के बाद प्राप्त होता है ।
4. 1965 का बाल अधिनियम उपेक्षित अथवा दोषी और पुनर्वास की बात कहता है।
5. 1996 बालश्रम अधिनियम बालश्रम को रोकने के सम्बन्ध में।
6. 1992 में भारत में एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें बच्चों के विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया ।

18.4 शिक्षा का अधिकार

शिक्षा जगत के इतिहास में 1 अप्रैल 2010 सदैव रेखांकित होतारहेगा। यह वह दिन है जिस दिन संसद द्वारा पारित निःशुल्क और अनिवार्यशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू कर दिया गया। शिक्षा के अधिकारकी पहली मांग का लिखित इतिहास 18 मार्च 1910 है। इस दिन ब्रिटिश विधानपरिषद के सामने गोपाल कृष्ण गोखले भारत में निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान का प्रस्ताव लाये थे।

एक सदी बीत जाने के बाद आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि यह अधिनियम भारत के बच्चों के सुखद भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।



चित्र स.- 18.1 “शिक्षा का अधिकार”

18.4.1 शिक्षा के अधिकार के प्रावधान

इस आभिलेख में लागू अधिनियम की दो धाराओं को केन्द्र में रखकर बाल केन्द्रित संभावनाओं पर विमर्श करने की कोशिश भर की गई है।

धारा 17. (1) किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपखण्ड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह उसव्यक्ति पर लागू होने वाले सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 30 (जी) बच्चे को भय, सदमा और चिन्ता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुल कर कहने में सक्षम बनाना।

इसके साथ ही इस ऐतिहासिक कानून से बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होगी।

1. देशके हर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को मुफ्त शिक्षा हासिल होगी यानी हरबच्चा पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पढ़ेगा।
2. सभी बच्चों को घर के आसपास स्कूल में दाखिला हासिल करने का हक होगा।
3. सभी तरह के स्कूल चाहे वे सरकारी हों, अर्द्धसरकारी हों, सरकारी सहायताप्राप्त हों, गैर सरकारी हों, केंद्रीय विद्यालय हों, नवोदय विद्यालय हों, सैनिक स्कूल हों, सभी तरह के स्कूल इस कानून के दायरे में आएँगे।
4. एडमिशन का चक्र पूरा हो जाने के नाम पर बच्चे के एडमिशन को मना नहीं किया जा सकता।
5. गैरसरकारी स्कूलों को भी 25 प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्तमुहैया करानी होंगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
6. आवश्यक दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) के अभाव में किसी बच्चे को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता है।
7. सभी स्कूल शिक्षित-प्रशिक्षित अध्यापकों को ही भर्ती करेंगे और अध्यापक-छात्र अनुपात 1:40 रहेगा।
8. सभीस्कूलों में मूलभूत सुविधाएँ होनी अनिवार्य है। इसमें क्लास रूम, टॉयलेट, खेल का मैदान, पीने का पानी, दोपहर का भोजन, पुस्तकालय आदि शामिल हैं।
9. स्कूल प्रवेश के लिए किसी तरह का डोनेशन नहीं ले सकता। अगर इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया तो स्कूल पर 25,000 से 50,000 रु. तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
10. निजी ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक होगी और किसी बच्चे को शारीरिक सजा नहीं दी जा सकेगी।

18.4.2 शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता

अधिनियम में इन धाराओं से बच्चों के कौन से अधिकार सुरक्षित होजाते हैं? बच्चे क्या कुछ प्रगति कर पाएँगे? इससे पहले यह जरूरी होगा कि हमयह विमर्श करें कि आखिर इन धाराओं को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

यह कहना गलत न होगा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था बच्चे में अत्यधिकदबाव डालती है। स्कूल जाने का पहला ही दिन मासूम बच्चे को दूसरी दुनिया में ले जाता है। अमूमन हर बच्चे के ख्यालों में स्कूल की वह अवधारणा होती हीनहीं। जिसे मन में संजोकर वह खुशी-खुशी स्कूल जाता है। इससे इतर तो कईबच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन स्कूल जाने से इंकार कर देते हैं। इसका अर्थसीधा सा है। अधिकतर स्कूलों का कार्य-व्यवहार ऐसा है, जो बच्चों में अपनत्वपैदा नहीं करता। यह तो संकेत भर है। हर साल परीक्षा से पहले और परीक्षापरिणाम के बाद बच्चों पर क्या गुजरती है। यह किसी से छिपा नहीं है। यहीनहीं हर रोज न जाने कितने बच्चों की पवित्र भावनाओं का, विचारों का औरआदतों का कक्षा-कक्ष में गला घोंटा जाता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के प्रकाश में यह महसूस किया जा सकता है कि बहुत सेकारणों में से नीचे दिये गए कुछ हैं, जिनकी वजह से अधिनियम में बच्चे कोभयमुक्त शिक्षा दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

- स्कूल में दाखिला देने से पहले प्रबंधन-शिक्षक बच्चे सेपरीक्षा-साक्षात्कार-असहज बातचीत की जाती रही है। एक तरह से छंटनी-जैसा कामकिया जाता रहा है। कुल मिलाकर निष्पक्ष और पारदर्शिता का भाव न्यून रहतारहा है।
- वंचित बच्चे और कमजोर वर्ग के बच्चे परिवेशगत और रूढ़िगत कुपरंपराओके चलते स्वयं ही असहज पाते रहे हैं। हलके से दबाव और कठोर अनुशासनात्मककार्यवाही के संकेत मात्र से स्वयं ही असहज होते रहे हैं।
- लैंगिक रूप से और सामाजिक स्तर पर भी विविध वर्ग-जाति के बच्चों कोस्कूल की चाहरदीवारी के भीतर असहजता-तनाव का सामना करना पड़ता रहा है।
- कई बार स्कूल में पिटाई के मामलों से तंग आकर कई बच्चे स्वयं ही स्कूलछोड़ते रहे हैं। वहीं कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते रहे हैंअथवा स्कूल भेजना बंद करते रहे हैं।
- विकलांग और मानसिक तौर पर आसामान्य बच्चों के साथ कक्षा-कक्ष मेंजाने-अनजाने में ऐसा व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण थक-हार कर ऐसेबच्चे शाला त्यागते रहे हैं।
- परिस्थितियों के चलते कई बच्चे एक सत्र में कई बार अनुपस्थित रहते आएहैं। कठोर नियम के चलते उनका नाम काट दिया जाता रहा है। अनवरत् उपस्थिति कीविवशता की मानसिक स्थिति का सामना करते-करते कई बच्चों को स्कूल से हटादिया जाता रहा है। इस तरह के स्थाई विच्छेदन के लिए प्रचलित संज्ञाएं भीबेहद निराशाजनक रही हैं। ‘तेरा नाम काट दिया गया है’, ‘तूझे स्कूल से निकालदिया है’, ‘टी.सी.काट कर हाथ में दे दी जाएगी’, ‘अब स्कूल मत आना’, जैसेजुमले आए दिन बच्चे सुनते रहते रहे हैं।
- स्कूल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते कई बच्चे आजीवन के लिएअपना आत्मविश्वास खो देते हैं। इस प्रताड़ना से कक्षा-कक्षों में ही ऐसीप्रतिस्पर्धा जन्म ले लेती है, जिसमें बच्चे असहयोग और व्यक्तिवादी प्रगतिकी ओर उन्मुख हो जाते हैं।

- अभी तक बच्चों की शिकायतों को कमोबेश सुना ही नहीं जाता था। यदि हाँभी तो स्कूल प्रबंधन स्तर पर ही उसका अस्थाई निवारण कर दिया जाता था। शिकायतों के मूल में जाने की प्रायः कोशिश ही नहीं की जाती थी। भेदभाव, प्रवेश न देने के मामले और पिटाई के हजारों प्रकरण स्कूल से बाहर जाते हीनहीं थे।
- राज्यों में बाल अधिकारों की सुरक्षा के राज्य आयोग कछुआ चाल से चलतेआए हैं। बहुत कम मामले ही इन आयोग तक पहुंचते हैं। स्कूल प्रबंधन ऐसा माहौलबनाने में अब तक सफल रहा है कि अब तक पीड़ीत बच्चे या उनके अभिभावक आयोगतक शिकायतें प्रायः ले जाते ही नहीं है।
- विद्यालयी बच्चों के मामलों में अब तक गैर-सरकारी संगठन एवं जागरूकनागरिक प्रायः कम ही रुचि लेते रहे हैं। स्कूल में बच्चों के हितों को लेकरअंगुलियों में गिनने योग्य ही संगठन हैं जो छिटपुट अघसरो पर शिक्षा केक्षेत्र में बच्चों के अधिकारों के प्रचार-प्रसार की बात करते रहे हैं। ऐसेबहुत कम मामले हैं, जिनमें इन गैर सरकारी संगठनों ने बच्चों के अधिकारोंके हनन के मामलों में पैरवी की हो।
- अब तक स्कूल केवल पढ़ने-पढ़ाने का केन्द्र रहे हैं। अब यह अधिनियमस्कूल को बाध्य करता है कि वह बाल केन्द्रित भावना के अनुरूप कार्य करे। कुल मिलाकर स्कूल अब तक बच्चों की बेहतर देखभाल करने के केन्द्र तो नहीं बनसके हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कईझोल हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा के अधिकार में इनखामियों-कमियों-असफलताओ-कमजोर पक्षों को दूर करने के लिए कुछ बाध्यताएं रखीगई हैं। आशा की जाती है कि यह अधिनियम बहुत हद तक बाल मनःस्थिति को समझते हुए ही तैयार किया गया है। यदि समाज,शिक्षक और अभिभावक अधिनियम की मूलभावना का सम्मान करते हुए बच्चे के साथ सुगमकर्ता के रूप में,दोस्त के रूपमें और एक सहयोगी के रूप पेश आएंगे तो निश्चित रूप से बाल जीवन सुखद होगाऔर यही बच्चे राष्ट्र की प्रगति में आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे।

18.4.3 शिक्षा के अधिकार का महत्त्व

इस अधिनियम में सम्मिलित की गई धाराओं के बाद हम ऐसी आशा रखते के शिक्षा और शिक्षण के बहुत सारे पक्षों में आशातीत सफलता हासिल होगी। यही नहींबच्चे, बाल जीवन और स्कूल से जुड़ी कई समस्याएं धीरे-धीरे हाशिए पर चलीजाएंगी। विशेष रूप से निम्नांकित परिवर्तन हैं, जो इस अधिनियम का पालन करने परहमें समाज में-स्कूल में और घर-परिवार में धीरे-धीरे दिखाई देंगे।

- i. समाज में फैला जातिगत और सामुदायिक भेदभाव आखिरकार दूर होगा।
- ii. शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्य व्यवहार में बदलावलाएंगे।
- iii. सभी के लिए स्कूल के द्वार खुलेंगे और स्कूल विविधताओं से भरे बच्चों की एक पौधशाला के रूप में दिखाई देंगे।

- iv. स्कूल न पढ़ने-पढ़ाने के औपचारिक केन्द्र रहेंगे बल्कि उचित देखभाल और सुरक्षित संस्थान के रूप में स्थापित होंगे। यही नहीं डर के अभाव में स्वतः ही बच्चों की नियमित उपस्थिति रहेगी।
- v. स्कूल शिक्षा प्राप्त करने का ऐसा आनन्दालय होगा जहां निष्पक्षता, पारदर्शिता और भेदभाव रहित नियम के साथ बच्चे सहभागिता करते हैं।
- vi. किसी एक भी बच्चे के मन में कभी यह बात घर नहीं करेगी कि स्कूल में समान अवसर नहीं दिये जाते। पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में अब हर किसी बच्चे को भरपूर अवसर मिलेंगे कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करे।
- vii. बच्चे स्कूल में मिल रही शिक्षा पर खुद भी टिप्पणी कर सकेंगे। स्कूल से जुड़े कई मसलों पर बच्चे अब खुल कर बेबाक राय दे सकेंगे। यह सब इसलिए होसकेगा कि अब बच्चों के मन से मारपीट-पिट्टाई और दण्ड का भय नहीं रहेगा।
- viii. परिवार के बाद स्कूल ही दूसरा ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। यदि स्कूल भयरहित, दण्डरहित होगा तो निश्चित ही विद्यालय आनन्दालय बन सकेंगे।
- ix. यह ऐतिहासिक पहल है कि बच्चे स्कूल में अब ऐसी शिक्षा के हकदार हैं, जो शिक्षक के माध्यम से उनके व्यक्तित्व में पूर्ण निखार लाने में संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाएगा।
- x. शारीरिक रूप से दंडित करने और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के स्कूली मामले खत्म हो जाएंगे। इससे स्कूल में बच्चे में सीखने की गति बढ़ेगी। बच्चों में स्वतः सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
- xi. अब विद्यार्थियों में शिक्षक की सहायता से समग्रता से सोचने, कारण जानने, सीखने की क्षमता बढ़ाने, दूसरों का सम्मान करने, और समानता का भाव मन में संजोने में आशातीत वृद्धि होगी।
- xii. इसमें कोई दो राय नहीं कि निकट भविष्य में शिक्षण संस्थान बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और संरक्षित केन्द्र माने जाएंगे। जहां बच्चे सुकून से अपनी समझ विकसित करेंगे। बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा और खुद करके सीखने के साथ-साथ उनकी अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी समग्र विकास होगा।
- xiii. वर्तमान समय में कई शिक्षण संस्थाएं छात्र उत्पीड़न-दण्ड-भय के कारण विवादों में आती रही हैं। अब जब अधिनियम उपरोक्त धाराओं के क्रम में बच्चों के साथ नम्रता से पेश आने की सिफारिश ही नहीं करता बल्कि शिक्षकों पर बाध्यकारी है। इसके भी दूगामी परिणाम सामने आएंगे। शिक्षण संस्थाएं और शिक्षक अब प्रायः जांचपड़ताल, समन, न्यायालय आदि के प्रकरणों से मुक्त होकर स्वाध्याय और अध्यापन में अधिक समय दे सकेंगे।
- xiv. बच्चों को सजा न देने, उन्हें भयभीत न करने को लेकर शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों में वर्तमान में जो संशय है, वह भी कमोबेश धीरे-धीरे दूर होता चला जाएगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। शिक्षक को भी आ रहे इस बदलाव के चलते अपनी शिक्षण पद्धति भी बदलनी होगी। यकीनन इस बदलाव से शिक्षकों की लोकप्रियता ही बढ़ेगी।

- xv. बच्चों को भयमुक्त रखने, उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की कवायदमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- xvi. शिक्षक के आचरण में सख्ती की जगहमैत्रीपूर्ण व्यवहार, कड़े अनुशासन की जगह लचीली व्यवस्था, पिटाई की जगहअपनत्व, बच्चों को चिन्ता से उनमुक्त रखने से परिणाम यह होगा कि समाज मेंशिक्षक की आज की भूमिका भी बदल जाएगी।
- xvii. भविष्य में समुदाय और समाज शिक्षक कोबच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और निगरानी का महत्वपूर्ण हिस्सा माननेलगेगा। यह हर शिक्षक के लिए गौरव की बात होगी।
- xviii. यह कहना गलत होगा कि भय के बिना बच्चे सीखते नहीं है। शोध बताते हैंकि भयमुक्त वातावरण में बच्चा सहजता से और तीव्रता से सीखता है। यही नहींभय और दबाव के मुक्त कक्षा-कक्ष में शिक्षक की शिक्षण शैली ज्यादाप्रभावशाली और गुणवत्तापरक होती है।
- xix. भय और दण्ड के अभाव में बच्चों में सीखने की एक समान सामर्थ्य को बलमिलेगा। शिक्षाविद् मानते भी है कि बच्चों में सीखने के लिए एक समानसामर्थ्य होती है। लेकिन बेहतर परिणाम से यदि बच्चे पिछड़ रहे हैं तो यहसमस्या बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि भिन्न परिवेश, अनियमित व्यवहार औरशिक्षण का बहुआयामी तरीका न होने से उत्पन्न हुई है। इसके पीछे कहीं न कहींमनोवैज्ञानिक, मानसिक दबाव और भय भी कारक होते हैं। भयमुक्त वातावरण मेंबच्चों की सीखने की सामर्थ्य बढ़ेगी।

यह परिणाम जो उपरोक्त इस अधिनियम के पक्ष में दिये गए हैं उदाहरण मात्रहैं। सटीक और वृहद कारण तो धीरे-धीरे अब कक्षा-कक्ष से सामने आएंगे। सकारात्मक शिक्षकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वह भयमुक्त वातावरण सेबच्चों में जो भी बदलाव देख रहे हैं, उसका प्रचार-प्रसार करें। आशा की जानीचाहिए कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही इस आशय से नहींहोगी कि उस शिक्षक ने अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बच्चों को दण्ड दियाअथवा मानसिक पीड़ा या क्षति पहुंचाई। यही इस अधिनियम की सफलता भी होगी।

अभ्यास प्रश्न:-2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

1. शिक्षा के अधिकारकी पहली मांग का लिखित इतिहासहै।
2. शिक्षा जगत के इतिहास में 1 अप्रैल,2010लागू हुआ था।
3. सभी स्कूल शिक्षित-प्रशिक्षित अध्यापकों को ही भर्ती करेंगे और अध्यापक-छात्र अनुपातरहेगा।
4. गैरसरकारी स्कूलों को भी प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्तमुहैया करानी होंगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
5. देशके हरकी उम्र के बच्चे को मुफ्त शिक्षा हासिल होगी यानी हरबच्चा पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पढ़ेगा।

18.6 बालश्रम की रोकथाम हेतु कानून व प्रावधान

बाल श्रम एक अभिशाप है। बालमजदूरों को एक दिन का अवकाश भी नसीब नहीं हो पाता, बच्चों को इस कदर मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है। हर साल दर्जनों की संख्या में बाल मजदूरी करने वाले बच्चे-बच्चियों को अन्य राज्यों से छुड़ा कर लाया जाता है। इन बाल मजदूरों की घर वापसी के बाद उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं अथवा उन्हें यहां रोके रखने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं, यह कोई नहीं जानता। कुछ ही दिनों के बाद फिर बाल श्रमिक रोजी-रोटी की तलाश में जुट जाते हैं। राज्य के होटलों, गराजों तथा अन्य छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में ऐसे बाल श्रमिकों को कामकरते देखा जा सकता है। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष के आयुवर्ग में कुल 25.96 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ श्रम कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश (21.76 लाख), बिहार (10.88 लाख), राजस्थान (8.48 लाख), महाराष्ट्र (7.28 लाख) और मध्यप्रदेश (7 लाख) समेत पांच प्रमुख राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए हैं। यह भारत में श्रम करने वाले बच्चों का 55 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में 8.82 लाख बच्चे श्रम के लिए उपलब्ध थे या काम खोज रहे थे। यह संख्या 2011 में बढ़कर 15.82 लाख हो गयी।



भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किए गए प्रावधान

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों स्तरों पर कई कानून बनाए भी गए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय कानून में शामिल हैं –

- बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986- यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर

माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इनपेशाओं और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

- फैक्ट्री कानून 1948 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेसप्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिनसाढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राय सरकारोंको खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करनेवाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- न्यायालय ने यह आदेश भी दिया था कि एक बाल श्रमपुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करनेवाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो।

भारत निम्नलिखित संधियों पर हस्ताक्षर कर चुका है-

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन (संख्या 29)
2. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन का उन्मूलन (संख्या 105)
3. बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीआरसी)

18.7 बालहितकारी योजनायें

बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनायें बनाई गई हैं जिन्हें संक्षेप में इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

18.7.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है। यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना, किशोर न्यायका प्रशासन, आदि जैसी, मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत के अंतर्गत लाती है, बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमोंके लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है।

भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाल संरक्षण हेतु व्यापक ढांचा तैयार कर बच्चों हेतु सुदृढ़ संरक्षित परिवेश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना आई.सी.पी.एस.लागू की गई है। इस योजना के प्रभावी-क्रियान्वयन से निम्न की उद्देश्यों पूर्ति होसकेगी:-

- i. संकटग्रस्त बच्चों हेतु उपलब्ध सेवाओं एवं आवश्यकताओं का आंकलन कर व्यवस्था निर्माण करना ।
- ii. राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
- iii. बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूती प्रदान करना तथा इनकी पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार करना ।
- iv. बच्चों को संस्थागत देखभाल के अतिरिक्त गैर संस्थागत परिवार आधारित देखरेख विकल्पों को मजबूत करना और प्रोत्साहन देना ।
- v. सेवा प्रदाताओं की क्षमतावर्धन, ज्ञान, जागरूकता करना ।
- vi. साक्ष्य आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन एवं सेवा नियोजन निर्णय लेने हेतु वेब आधारित डाटाबेस तैयार करना ।
- vii. निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
- viii. सभी स्तर पर बाल संरक्षण हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ix. अन्य निकायों/सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना।
- x. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- xi. आईईसी गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देना ।
- xii. अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण हेतु राज्यों को सहायता देना ।
- xiii. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु राज्यों को सहायता देना।
- xiv. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चोंको सहायता देना ।
- xv. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोरोंको संरक्षण प्रदान करना ।
- xvi. सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बच्चों हेतु सहायता देना ।
- xvii. विपदा ग्रस्त बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल करना ।
- xviii. अनाथ अपरिपक्व तथा निराश्रित शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण करना ।
- xix. बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत कामकाजी बच्चों का संरक्षण करना ।

राज्य में योजना का -क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार व राज्यों सरकारके मध्य दिनांक 06.01.2010 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें विभिन्न घटकों को समयबद्ध क्रियान्वित करने के लिए योजना का प्रारूप तैयार किया जा कर -क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त एम.ओ.यू. में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के प्रभावी – क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमितपदों का सृजन किया जा चुका है जिनके तहत कुछ पदों को भरा गया है। योजनान्तर्गत निम्न संस्थाएं/कार्य किये गये हैं:-

18.7.1.1 स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी :समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधानानुसार योजना के – क्रियान्वयनहेतु राज्य स्तर पर सभी राज्यों में स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की स्थापनाकर दी गई है। यह सोसायटी राज्य में विभिन्न बाल

संरक्षणकार्यक्रमों/कानूनों/नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। सोसायटी एवं विभागकी गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं बाल संरक्षण विषयों पर यूनीसेफ राजस्थान द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

18.7.1.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी :राज्य में स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने व अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के विनियमन, राज्य स्तर पर प्रवर्तकता, पालन पोषण देखरेख सहितपरिवार आधारित गैर संस्थागत कार्यक्रम केप्रोत्साहन -कार्यान्वयन-पर्यवेक्षण-निगरानी हेतु राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर “राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी “सारा” की स्थापना की गई है।

18.7.1.3 जिला बाल संरक्षण इकाई :योजनान्तर्गत राज्यों के सभीजिलों में “जिला बाल संरक्षण इकाई” कीस्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इकाई का कार्य जिला स्तर परबाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना, जोखिम-देखभाल-संरक्षण वाले बच्चों के लिए वैयक्तिक देखरेख कार्यक्रम बनाना, आईसीपीएस के कार्यक्रम/घटकों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित संगठनों कोचिन्हित कर समर्थन देना, प्रवर्तकता-पालन पोषण देखरेख-दत्तकग्रहण-अनुवर्ती देखरेख सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाओं केक्रियान्वयन में सहयोग करना आदि है। इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण जिलाकलक्टर का है।

18.7.1.4 ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षणसमिति :विभाग के आदेश क्रमांक 349 एवं 348 के आधार पर राज्यों मेंब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितिका गठन किया गया है, जिसके माध्यम से बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों कोसामुदायिक स्तर पर -क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत बाल गृहों के सुदृढीकरण हेतु संबंधितघटकों हेतु बाल संरक्षण मुद्दों पर आमुखीकरण तथा प्रचार-प्रसार इत्यादिकार्य किये गये हैं।

18.7.1.5 चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम परियोजना:महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा निर्मित वेबसाइट चाइल्ड ट्रैक सिस्टम परियोजना www.trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.phpका संचालन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित बाल संरक्षणयोजनान्तर्गत कार्यरत घटकों बाल कल्याण समितिकिशोर न्याय बोर्ड/बाल गृहों /जिला बाल संरक्षण इकाई/संबंधित विभागों द्वारा डाटा संधारण व निगरानीकरना है। किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और मॉडल रूल्स 2007 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के विभिन्न प्रावधानों मेंदिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए 'ट्रेकचाइल्ड' पोर्टल विकसित किया गया है। ट्रेकचाइल्ड पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- सुनिश्चित करना कि "लापता बच्चों" पर समय अनुरूप नज़र रखी जाए।
- सुनिश्चित करना कि लापता बच्चों की स्वदेश वापसी और पुनर्वास हो सके।
- सुनिश्चित करना कि बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआईएस) में बच्चों की उचित देखभाल और विकास हो।
- इस प्रक्रिया में शामिल संगठनों की भागीदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।

18.7.1.6 केयरिंग वेबसाइट: सभी राज्यों की राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियों एंवगैर राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी को विभाग द्वारा यूजरआई एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है व वर्तमान में दत्तक ग्रहण के इच्छुकमाता-पिता हेतु कारा नई दिल्ली की केयरिंग वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन किये जाते है।

18.7.1.7 चाईल्ड हेल्प लाईन -1098: देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपात कालीन पहुँच सेवा है, जो कठिनाईयों से घिरे/ पीडित/उपेक्षित/लावारिस/प्रताडित बच्चों तक पहुँचकर उसे आपातकालीनराहत देकर आगामी पुनर्वास के लिए सम्बंधित सेवाओं से जोड़ती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह कार्यक्रम मुम्बई आधारित चाईल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

18.7.1.8 संस्थागत सेवाएँ (Institutional Services): किशोर न्याय अधिनियम, 2000 व संशोधित अधिनियम, 2008 की धारा 8, 9, 34, 37 व 48 में क्रमशः सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह व गंभीर रोग/ विमंदित बच्चों/HIV Positive बच्चों के लिए गृह स्थापना का प्रावधान है।

18.7.1.9 वैधानिक समर्थन योजनाये

- i. बाल कल्याण समितियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- ii. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- iii. विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना।
- iv. जुवेनाइल पुलिस युनिट अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था रहेगी।

18.7.1.10 कारा (Central Adoption Resource Agency): केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) ब्यूरो के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह बच्चे को गोद देने से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। निम्नलिखित योजनाओं को वर्तमान में कारा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है –

i. देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम्स के लिए सहायता: इस योजना के तहत उन गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो देश में बच्चे गोद देने की दृष्टि से बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखरेख करती है। यह प्रत्येक शिशु गृह को प्रति वर्ष 6 लाख रुपए देती है जिसमें कर्मचारियों का वेतन, दवाओं और अन्य आवश्यकताओं के रूप में बच्चों को बनाए रखने के लिए लागत को शामिल किया गया है।

ii. स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी के लिए कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनरल अनुदान सहायता कार्यक्रम में से उन स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को सोशल डिफेंस (VCAs) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो देश में गोद देने और निकासी के सक्रिय पदोन्नति के लिए कार्य करते हैं।

18.7.1.11 स्ट्रीट बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अभाव को रोकने और सड़कों पर जीवन से उनकी वापसी की सुविधा के लिए है। कार्यक्रम आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़क के बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा के लिए प्रदान करता है, और दुरुपयोग और शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा करने का प्रयास है।

राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त के लिए पात्र हैं। इस परियोजना की लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई और शेष है तक का संबंध संगठन / संस्था द्वारा वहन किया जाना है। कार्यक्रम के तहत अनुदान के दो बराबर छमाही किश्तों में चयनित संगठनों के लिए जारी की है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाते हैं –

- i. शहरी स्तर का सर्वेक्षण कराना।
- ii. मौजूदा सुविधाओं और कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना।
- iii. निर्देशन, परामर्श और रेफरल सेवाओं के लिए कार्यक्रम करना।
- iv. 24 घंटे सेवा देने वाले शेल्टरों की स्थापना।
- v. अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम करना।
- vi. केयर होम्स / छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले बेसहारा बच्चों के परिवार के साथ पुनः एकीकृत करने के लिए कार्यक्रम करना।
- vii. स्कूलों में नामांकन के लिए कार्यक्रम।
- viii. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम।
- ix. व्यावसायिक नियुक्ति के लिए कार्यक्रम।
- x. स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए कार्यक्रम।
- xi. कार्यक्रम नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन, एचआईवी / एड्स आदि की घटनाओं को कम करने के लिए कार्यक्रम।
- xii. छह वर्षों से उपर बच्चों के लिए आंगनवाडी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- xiii. कौशल निर्माण के लिए और बच्चों के अधिकारों की वकालत करना और जागरूकता के लिए कार्यक्रम करना।

18.7.1.12 बालिका-कल्याण: महिला तथा बालिका विकास मंत्रालय ने बालिकाओं के कल्याण तथा विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। पायलट रूप में 7 राज्यों में वर्ष 2008-09 से 'धनलक्ष्मी'- नामक एक योजना का क्रियाव्ययन किया जा रहा है, जो बालिका को खास स्थिति में नकद स्थानान्तरण की सुविधा देता है। इसकी जानकारी महिला तथा बालिका विकास राज्य मंत्री श्रीमति कृष्णा तीरथ ने राज्य सभा में पूछे एक प्रश्न के लिखित जवाब में दिया था।

यह योजना बालिका के परिवार को कुछ शर्तों को पूरा करने, जैसे जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षा, स्कूल में दाखिला तथा कक्षा आठ तक कक्षा में उपस्थिति आदि के आधार पर नकद राशि का हस्तांतरण करता है तथा यदि बालिका 18 साल तक अविवाहित है तो एक बीमा कवर भी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न- 3

रिक्त स्थानों की पूर्ति करिये।

1. जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष के आयुवर्ग में कुल 25.96 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से करोड़ श्रम कर रहे हैं।
2. वर्ष 2001 में 8.82 लाख बच्चे श्रम के लिए उपलब्ध थे या काम खोज रहे थे, यह संख्या 2011 में बढ़कर लाख हो गयी।
3. बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून में पारित हुआ।
4. फैक्ट्री कानून में लागू हुआ था।
5. महिला एवं बाल कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक के आधार पर राज्यों में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितिका गठन किया गया है।

18. 8 सारांश

उपरोक्त दिए गए विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य निधि/सम्पदा है। देश के भविष्य को बनाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कई कानूनी प्रावधान, योजनाएँ और नियम बनाये हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके, वे एक सम्मानपूर्वक और आदर योग्य जीवन जी सकें व उन्हें जीवनयापन हेतु मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। बच्चों के जीवन को सुचारू रूप से चलने व आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए सरकार ने जो योजनाएँ लागू की हैं उनके फलस्वरूप बच्चों के जीवन स्तर में सुधार आया है। बच्चों के हक की रक्षा के लिए चाइल्ड लाइन एक ऐसी मिल का पत्थर साबित हो रही है जिसके माध्यम से लाखों बच्चों का जीवन बिगड़ से सुधर गया। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों को बड़े स्कूलों में फ्री में पढ़ने का अवसर मिला है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचार में भारी कमी आई है। बालश्रम निरोधक कानून व चाइल्ड लाइन की सामूहिक गतिविधियों से वर्तमान में बालश्रम के मामलों में थोड़ी कमी आई है। सारा व कारा के माध्यम से बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया अत्यंत सहज और सुलभ हो गई है जिससे हर अनाथ बच्चे को घर मिलने की आशा हो गई।

18.9 शब्दावली

- उत्तरजीविता - जीवन जीना।
- कन्वेंशन - सम्मेलन।
- विकास - बढ़ते अपना पूरा रूप धारण करना।

- आईसीपीएस - समेकित बाल संरक्षण योजना (Inclusive Child Protection Scheme) बढ़ते
- निःशुल्क - बिना किसी मूल्य या कीमत के।
- बेघर - जिनके पास रहने के लिए घर ना हो।
- दत्तक - गोद लेना।
- विमंदिता - मानसिक रूप से अस्वस्थ / क्षीण बुद्धि वाला।

18.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. सत्य
2. सत्य
3. असत्य
4. असत्य
5. असत्य
6. सत्य

अभ्यास प्रश्न -2

1. 18 मार्च 1910
2. शिक्षा का अधिकार
3. 1:40
4. 25
5. 6 से 14 साल

अभ्यास प्रश्न -3

1. 1.01
2. 15.82
3. 1986
4. 1948
5. 349 एवं 348

18.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान में बच्चों के हितार्थ क्या प्रावधान रखे गए है ?

2. कारा (CARA) से आप क्या समझते हैं इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए।
3. “शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए एक वरदान है।” सिद्ध कीजिये।
4. “शिक्षा के अधिकार से शिक्षा जगत में नई स्फूर्ति व क्रांति आई है।” कैसे ?
5. बाल अधिकारों से आप क्या समझते हैं ? बच्चों को प्राप्त अधिकारों पर प्रकाश डालिए।
6. “बालश्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसर है।” कैसे ? समझाइए। बालश्रम की रोकथाम के लिए बने कानून व प्रावधानों का वर्णन कीजिये।
7. बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए संचालित योजनाओं की व्याख्या कीजिये।

18.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- गुप्ता, एस0पी0, (2008) “उच्चतर समाज मनोविज्ञान” इलाहबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- भार्गव, ए0 के0, (2009) “उच्चतर समाज मनोविज्ञान” आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- सुलेमान, मो0, (2009) “समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा” आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- यादव, एस0 के0 व शर्मा, पी,0(2010) “ बचपन और बच्चे” जयपुर : अरिहंत शिक्षा प्रकाशन।
- त्रिपाठी, ए0बी0, (2003) “ आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान” आगरा : एच0पी0भार्गव बुक हाउस।

इकाई 19

बच्चों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

National And International Agencies Working For Children

(महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय(MWC) , लोक सहभागिता एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (NIPCCD)इत्यादि एवं अंतर्राष्ट्रीययूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ., रेडक्रॉस (UNICEF, WHO, RED CROSS) संस्थान(National (MWC, NIPCCD etc.) And International Agencies (UNICEF, WHO, RedCross etc.)

इकाई की रूपरेखा

- 19.1 प्रस्तावना
- 19.2 उद्देश्य
- 19.3 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय(MWC)
 - 19.3.1 नीति की पहल
 - 19.3.2 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के उद्देश्य
 - 19.3.3 संगठन
 - 19.3.4 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय
 - 19.3.5 नीतियों कानूनों का क्रियान्वयन
 - 19.3.6 समेकित बाल संरक्षण योजना
- 19.4 लोक सहभागिता एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान(NIPCCD)
 - 19.4.1 उद्देश्य
 - 19.4.2 आरंभिक अधिकार क्षेत्र
 - 19.4.3 संवैधानिक निकाय व समितियाँ
 - 19.4.4 कार्यकारी स्वरूप
- 19.5 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष (UNICEF)
- 19.6 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
 - 19.6.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन सिद्धांत
 - 19.6.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य

- 19.7 रेड क्रॉस (RED CROSS)
 - 19.7.1 रेड क्रॉस का इतिहास
 - 19.7.2 रेड क्रॉस मौलिक सिद्धांत
 - 19.7.2.1 मानवता
 - 19.7.2.2 निष्पक्षता
 - 19.7.2.3 तटस्थता
 - 19.7.2.4 स्वतंत्रता
 - 19.7.2.5 स्वैच्छिक सेवा
 - 19.7.2.6 एकता
 - 19.7.2.7 सार्वभौमिकता
 - 19.7.3 रेडक्रॉस के उद्देश्य
 - 19.7.4 अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक स्थिति
 - 19.7.5 अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के विश्वस्तरीय कार्य
 - 19.7.6 युद्धकाल में कार्य
 - 19.7.7 रेड क्रॉस के युद्ध के पश्चात के कार्य
 - 19.7.8 विश्व रेडक्रॉस दिवस
 - 19.7.9 भारतीय रेडक्रॉस
- 19.8 सारांश
- 19.9 शब्दावली
- 19.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 19.11 निबंधात्मक प्रश्न
- 19.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

19.1 प्रस्तावना

बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य निधि होते हैं, वे देश के संभावित संसाधन होते हैं अतः उनका विकास ही देश व मानव जाति का विकास है। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना हर देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। बच्चों की संभावनाओं को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाओं और संगठनों ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास पूर्णरूप से हो सके।

प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत आप भारत में बच्चों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय संगठनों महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MWC), राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का

अध्ययन कर सकेंगे साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनयूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ. और रेड क्रॉस का कार्य और बच्चों के विकास में इनके योगदान का अध्ययन कर सकेंगे। पाठ में राष्ट्रीय संगठनों महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MWC), राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ. और रेड क्रॉस के कार्यों, संगठन, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, सिद्धांतों का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे।

19.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप बच्चों के लिए कार्यरत महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालयके कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

- आप राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) के स्वरूप को जान सकेंगे।
- आप राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD)के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
- यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के लिए किये जा रहेकार्यों का अध्ययन कर सकेंगे।
- डब्लू.एच.ओ. के कार्यों को समझ सकेंगे।
- रेड क्रॉस की कार्य प्रणाली समझ सकेंगे।

19.3 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MWC)

महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकासमंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चोंके समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालयका दर्जा दे दिया गया है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथाबच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।

इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिलातथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। महिला तथा बच्चों की उन्नतिके लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथाकार्यक्रम का निर्माण करता है; कानून को लागू करता है, उसमें सुधार लाता हैऔर महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनों को दिशा-निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करताहै। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक सुग्राहता को बढ़ावा देतेहैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्यक्षेत्रों में भी एक पूरक व संपूरक भूमिका निभाते हैं। ये सभी प्रयास यहसुनिश्चित किए जा रहे हैं कि महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्तबनाया जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुष के साथ राष्ट्र विकास में बराबर कीभागीदार बनाया जाए।

19.3.1 नीति की पहल

बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालयदुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) का क्रियांवयन करता रहा है, जिसके तहत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्कूल जाने से पहले के अनौपचारिक शिक्षाका एक पैकेज प्रदान किया जाता रहा है। कई क्षेत्रों के कार्यक्रमों का एक प्रभावी समंवयन तथा निगरानी की जा रही है। मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अधिकतर कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन द्वाराचलाए जा रहे हैं।

19.3.2 उद्देश्य

1. बाल विकास और प्रशिक्षण देना।
2. सरकारी और गैर-सरकारी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण करके सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
3. अनुसंधान के माध्यम से बच्चे के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखना और विकसित उपकरण / सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रारूप तैयार करना।
4. उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों और नीतियों के तहत हितधारकों के साथ MWCD की समन्वय बैठकें और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

19.3.3 संगठन

इस मंत्रालय के क्रियाकलाप निम्नलिखित कार्यालयों के जरिए संपन्न किए जाते हैं।

- राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (NIPCCD)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR)
- केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (CSWB)
- राष्ट्रीय महिला कोष (RMK)

19.3.4 मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय: महिला और बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये गए है -

1. परिवार कल्याणकार्यक्रम करना।
2. महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय के संबंधमें अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के कार्यकलापों से समन्वयन स्थापित करना।
3. महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापारके संबंध में संयुक्तराष्ट्र संघ के संगठनों से संदर्भ स्थापित करना और कार्य करना।
4. प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेखकरना।
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशनको संचालित करना।
6. धर्मार्थ तथा धार्मिक अक्षय निधियांव्यवस्था करना।

7. स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन तथा विकासकरना।
8. प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना।
9. बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना।
10. महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षासे संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम एवं जागरूक बनाना।
11. प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना।
12. महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय।
13. जेंडर अतिसंवेदनशील डाटा के आधारपर महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा विकाससे संबंधित आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, मोनिटरिंग, परियोजना-निर्माणसांख्यिकी तथा प्रशिक्षण देना।



चित्र संख्या: 1 महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के तहत कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन।



चित्र संख्या: 2- महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किये जा ज्ञान को प्राप्त करते हुए विद्यार्थी।

19.3.5 नीतियों कानूनों का क्रियान्वयन

मंत्रालय के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जाता है -

- दहेज निषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28)।
- सती (रोकथाम) अधिनियम का आयोग 1987 (1988 का 3); इन अधिनियमों के तहत आनेवाले अपराध के संबंध में आपराधिक न्याय का संचालन शामिल नहीं है।
- खाद्य तथापोषणबोर्ड (FNB)।
- महिला एवं बालिका अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 (1986 तक यथा संशोधित)
- शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 41)।

19.3.6 समेकित बाल संरक्षण योजना

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है। यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना, किशोर न्यायका प्रशासन, आदि जैसी, मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत के अंतर्गत लाती है, बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमोंके लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है।

भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाल संरक्षण हेतु व्यापक ढांचा तैयार कर बच्चों हेतु सुदृढ़ संरक्षित परिवेश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना

आई.सी.पी.एस.लागू की गई है। इस योजना के प्रभावी -क्रियान्वयन से निम्न की उद्देश्यों पूर्ति होसकेगी:-

- xx. संकटग्रस्त बच्चों हेतु उपलब्ध सेवाओं एवं आवश्यकताओं का आंकलन कर व्यवस्था निर्माण करना।
- xxi. राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
- xxii. बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूती प्रदान करना तथा इनकी पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार करना।
- xxiii. बच्चों को संस्थागत देखभाल के अतिरिक्त गैर संस्थागत परिवार आधारित देख-रेख विकल्पों को मजबूत करना और प्रोत्साहन देना।
- xxiv. सेवा प्रदाताओं की क्षमतावर्धन, ज्ञान, जागरूकता करना।
- xxv. साक्ष्य आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन एवं सेवा नियोजन निर्णय लेने हेतु वेब आधारित डाटाबेस तैयार करना।
- xxvi. निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
- xxvii. सभी स्तर पर बाल संरक्षण हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना।
- xxviii. अन्य निकायों/सम्बंधित विभागों/संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना।
- xxix. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- xxx. आईईसी गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देना।
- xxxii. अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण हेतु राज्यों को सहायता देना।
- xxxiii. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु राज्यों को सहायता देना।
- xxxiv. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चोंको सहायता देना।
- xxxv. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोरों को संरक्षण प्रदान करना।
- xxxvi. सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बच्चों हेतु सहायता देना।
- xxxvii. विपदा ग्रस्त बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल करना।
- xxxviii. अनाथ अपरिपक्व तथा निराश्रित शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण करना।
- xxxviiii. बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत कामकाजी बच्चों का संरक्षण करना।

राज्य में योजना का -क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार व राज्यों सरकारके मध्य दिनांक 06.01.2010 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें विभिन्न घटकों को समयबद्ध क्रियान्वित करने के लिए योजना का प्रारूप तैयार किया जा कर -क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त एम.ओ.यू. में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के प्रभावी – क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार

द्वारा विभिन्न नियमितपदों का सृजन किया जा चुका है जिनके तहत कुछ पदों को भरा गया है।योजनान्तर्गत निम्न संस्थाएँ/कार्य किये गये हैं:-

19.3.6.1 स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी : समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधानानुसार योजना के – क्रियान्वयनहेतु राज्य स्तर पर सभी राज्यों में स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की स्थापनाकर दी गई है । यह सोसायटी राज्य में विभिन्न बाल संरक्षणकार्यक्रमों/कानूनों/नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिएउत्तरदायी है। सोसायटी एवं विभागकी गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं बाल संरक्षण विषयों पर यूनीसेफ़ राजस्थान द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

19.3.6.2 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी :राज्य में स्वदेशी दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने व अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के विनियमन, राज्य स्तर पर प्रवर्तकता, पालन पोषण देखरेख सहितपरिवार आधारित गैर संस्थागत कार्यक्रम केप्रोत्साहन -कार्यान्वयन-पर्यवेक्षण-निगरानी हेतु राज्य सरकारों द्वाराराज्य स्तर पर “राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी “सारा” की स्थापना की गईहै।

19.3.6.3 जिला बाल संरक्षण इकाई : योजनान्तर्गत राज्यों के सभीजिलों में ”जिला बाल संरक्षण ईकाई” कीस्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इकाई का कार्य जिला स्तर परबाल संरक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना, जोखिम-देखभाल-संरक्षण वाले बच्चों के लिए वैयक्तिक देखरेख कार्यक्रम बनाना, आईसीपीएस के कार्यक्रम/घटकों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित संगठनों कोचिन्हित कर समर्थन देना, प्रवर्तकता-पालन पोषण देखरेख-दत्तकग्रहण-अनुवर्ती देखरेख सहित परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाओं केक्रियान्वयन में सहयोग करना आदि है। इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण जिलाकलक्टर का है।

19.3.6.4 ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति : विभाग के आदेश क्रमांक 349 एवं 348 के आधार पर राज्यों मेंब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवंग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितिका गठन किया गया है, जिसके माध्यम से बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों कोसामुदायिक स्तर पर -क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत बाल गृहों के सुदृढीकरण हेतु संबंधितघटकों हेतु बाल संरक्षणमुद्दों पर आमूखीकरण तथा प्रचार-प्रसार इत्यादिकार्य किये गये हैं।

19.3.6.5 चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम परियोजना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा निर्मित वेबसाइट चाइल्ड ट्रैक सिस्टम परियोजना www.trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php का संचालन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित बाल संरक्षणयोजनान्तर्गत कार्यरत् घटकों बाल कल्याण समिति,किशोर न्याय बोर्ड/बाल गृहों /जिला बाल संरक्षण इकाई/संबंधित विभागों द्वारा डाटा संधारण व निगरानीकरना है। किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और मॉडल रूल्स 2007 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के विभिन्न प्रावधानों मेंदिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए 'ट्रेकचाइल्ड' पोर्टल विकसित किया गया है। ट्रेकचाइल्ड पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- सुनिश्चित करना कि "लापता बच्चों" पर समय अनुरूप नज़र रखी जाए।

- सुनिश्चित करना कि लापता बच्चों की स्वदेश वापसी और पुनर्वास हो सके।
- सुनिश्चित करना कि बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआईएस) में बच्चों की उचित देखभाल और विकास हो।
- इस प्रक्रिया में शामिल संगठनों की भागीदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।

19.3.5.6 केयरिंग वेबसाइट: सभी राज्यों कीराजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियों एवंगौर राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी को विभाग द्वारा यूजरआई एवंपासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है व वर्तमान में दत्तक ग्रहण के इच्छुकमाता-पिता हेतु कारा नई दिल्ली की केयरिंग वेबसाइटwww.adoptionindia.nic.in पर ऑन लाइन आवेदन किये जाते है।

19.3.6.7 चाइल्ड हेल्प लाइन -1098:

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्कआपातकालीन पहुँच सेवा है जो कठिनाईयों सेघिरे/पीडित/उपेक्षित/लावारिस/प्रताडित बच्चों तक पहुँचकर उसे आपातकालीनराहत देकर आगामी पुनर्वास के लिए सम्बंधित सेवाओं से जोड़ती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यहकार्यक्रममुम्बई-आधारित चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वितकिया जा रहा है।



चित्र: 3-चाइल्ड लाइन का प्रतिक चिह्न

19.3.6.8 संस्थागत सेवाएँ (Institutional Services): किशोर न्याय अधिनियम, 2000 व संशोधित अधिनियम, 2008 की धारा 8, 9, 34, 37 व 48 में क्रमशः सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह व गंभीर रोग/ विमंदित बच्चों/ HIV Positive बच्चों के लिए गृह स्थापना का प्रावधान है।

19.3.6.9 वैधानिक समर्थन योजनायें

- v. बाल कल्याण समितियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- vi. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- vii. विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना।
- viii. जुवेनाइल पुलिस युनिट अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था रहेगी।

19.3.6.10 कारा (Central Adoption Resource Agency): केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) ब्यूरो के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह बच्चे को गोद देने से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। निम्नलिखित योजनाओं को वर्तमान में कारा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है –

i. देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम्स के लिए सहायता: इस योजना के तहत उन गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो देश में बच्चे गोद देने की दृष्टि से बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखरेख करती है। यह प्रत्येक शिशु गृह को प्रति वर्ष 6 लाख रुपए देती है जिसमें कर्मचारियों का वेतन, दवाओं और अन्य आवश्यकताओं के रूप में बच्चों को बनाए रखने के लिए लागत को शामिल किया गया है।

ii. स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी के लिए कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनरल अनुदान सहायता कार्यक्रम में से उन स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को सोशल डिफेंस (VCAs) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो देश में गोद देने और निकासी के सक्रिय पदोन्नति के लिए कार्य करते हैं।

19.3.6.11 स्ट्रीट बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अभाव को रोकने और सड़कों पर जीवन से उनकी वापसी की सुविधा के लिए है। कार्यक्रम आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़क के बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा के लिए प्रदान करता है, और दुरुपयोग और शोषण के खिलाफ उनकी रक्षा करने का प्रयास है।

राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त के लिए पात्र हैं। इस परियोजना की लागत का 90% भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई और शेष है तक का संबंध संगठन / संस्था द्वारा वहन किया जाना है। कार्यक्रम के तहत अनुदान के दो बराबर छमाही किश्तों में चयनित संगठनों के लिए जारी की है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाते हैं –

- xiv. शहरी स्तर का सर्वेक्षण कराना।
- xv. मौजूदा सुविधाओं और कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना।
- xvi. निर्देशन, परामर्श और रेफरल सेवाओं के लिए कार्यक्रम करना।
- xvii. 24 घंटे सेवा देने वाले शेल्टरों की स्थापना।
- xviii. अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम करना।
- xix. केयर होम्स / छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले बेसहारा बच्चों के परिवार के साथ पुनः एकीकृत करने के लिए कार्यक्रम करना।
- xx. स्कूलों में नामांकन के लिए कार्यक्रम।
- xxi. व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम।
- xxii. व्यावसायिक नियुक्ति के लिए कार्यक्रम।
- xxiii. स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए कार्यक्रम।
- xxiv. कार्यक्रम नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन, एचआईवी / एड्स आदि की घटनाओं को कम करने के लिए कार्यक्रम।
- xxv. छह वर्षों से उपर बच्चों के लिए आंगनवाडीकार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

xxvi. कौशल निर्माण के लिए और बच्चों के अधिकारों की वकालत करना और जागरूकता के लिए कार्यक्रम करना।

19.3.6.12 बालिका-कल्याण: महिला तथा बालिका विकास मंत्रालय ने बालिकाओं के कल्याण तथा विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। पायलट रूप में 7 राज्यों में वर्ष 2008-09 से 'धनलक्ष्मी'- नामक एक योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, जो बालिका कोखास स्थिति में नकद स्थानान्तरण की सुविधा देता है। इसकी जानकारी महिला तथा बालिका विकास राज्य मंत्री श्रीमति कृष्णा तीरथ ने राज्य सभा में पूछे एक प्रश्न के लिखित जवाब में दिया था। यह योजना बालिका के परिवार को कुछ शर्तों को पूरा करने, जैसे जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षा, स्कूल में दाखिला तथा कक्षा आठ तक कक्षा में उपस्थिति आदि के आधार पर नकद राशि का हस्तांतरण करता है तथा यदि बालिका 18 साल तक अविवाहित है तो एक बीमा कवर भी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न:-1

सही और गलत का चयन कीजिये।

1. 7 राज्यों में वर्ष 2008-09 से बालिका कल्याण योजना को 'धनलक्ष्मी'- नामक एक योजना से किया जा रहा है।
2. स्ट्रीट बच्चों के लिए समन्वित प्रोग्राम में 90% राशी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
3. कारा का पूरा नाम केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी है।
4. चाईल्ड लाइन का हेल्प लाईन नंबर -1058 है।
5. 30 जनवरी 2010 को महिला तथा बाल विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है।

19.4 राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (NIPCCD)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कोनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख संस्थान है जो महिलाओं और बच्चों के विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य शोध, प्रशिक्षण और प्रलेखन की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना सन् 1966 में नई दिल्ली में हुई। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। देश के क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्तिके



चित्रसंख्या:
4NIPCCD का लोगो

लिए यह संस्थान, एक लंबे समय में, चार प्रादेशिक केन्द्रों गुवाहाटी (1978), बैंगलोर (1980), लखनऊ (1982) और इन्दौर (2001) की स्थापना की गई।

इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नोडल इंस्टिट्यूट के रूप में सार्क देशों के संस्थानों के विशेषज्ञता हेतु दो महत्वपूर्ण मुद्दों बालअधिकार और महिला और बच्चों की ट्रेफिकिंग की रोकथाम पर प्रशिक्षण सुझाव के लिए भी मनोनीत किया गया है तथा इसके कार्य को 1985 में UNICEF द्वारा मान्यता दी गई थी जब इसे बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मॉरिस पेट अवार्ड (Maurice Pate Award) प्रदान किया गया था।

19.4.1 उद्देश्य

महिला और बाल विकास मंत्रालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. समाज विकास में स्वैच्छिक कार्य का विकास करना और उसे बढ़ावा देना।
2. बाल विकास को व्यापक परिपेक्ष्य में देखना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में प्रासंगिक जरूरत अनुसार कार्य करना और उन्हें बढ़ावा देना।
3. समाज में विकास में सरकारी और स्वैच्छिक कार्यों के बीच तालमेल लेने के उपाय विकसित करना।
4. सरकारी और स्वैच्छिक के जरिये बच्चों के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचा और परिपेक्ष्य विकसित करना।
5. ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना जो संस्थान के समान कार्य करती हो।

19.4.2 आरंभिक अधिकार क्षेत्र

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं।

- शैशवावस्था देखभाल और विकास।
- छोटे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण।
- नवजात और छोटे बच्चे का आहार।
- सूक्ष्म तत्व कुपोषण रोकथाम।
- किशोर स्वास्थ्य, प्रजननीय स्वास्थ्य और HIV/AIDS।
- वृद्धि निरीक्षण।
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।
- बाल मार्गदर्शन और परामर्श।
- बालअवस्था मधुमेह की आरंभिक पहचान और रोकथाम।
- बच्चों की शिक्षा और व्यवहारात्मक समस्याएं तथा अविभावक शिक्षा।
- बाल अधिकार और बाल संरक्षण।
- यौवन संबंधी न्याय।
- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुख्यधारा विषयक।

- किशोरियों का समग्र विकास और परिवारिक जीवन शिक्षा ।
- बाल विवाह, मादा भ्रूण हत्या और मादा शिशु हत्या की रोकथाम ।
- तनावग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श और सहायक सेवाएं ।
- स्व-मदद समूहों का निर्माण और प्रबन्धन ।
- महिलाओं और बच्चों के अवैध-व्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम ।
- लैंगिक संतुलन।
- कानून सुदृढीकरण एजेंसी को समान सोच के अनुकूल बनाना।
- शिशु और छोटे बच्चे को दूध पिलाने की ।
- सीखना और बच्चों और माता पिता की शिक्षा के व्यवहार की समस्याओं ।
- बाल अधिकार और बाल संरक्षण।
- किशोर न्याय ।
- बाल विकास के क्षेत्र में सरकार / सामाजिक संगठनों की भागीदारी पहल ।
- सामाजिक विकास के क्षेत्र में जनशक्ति विकास ।
- नागरिक समाज संगठनों के क्षमता निर्माण ।

19.4.3 संवैधानिक निकाय व समितियाँ

संस्थान के दो प्रमुख निकाय है साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद् । जहाँ साधारण निकाय संस्थान से सम्बंधित कार्यों , नीतियों, योजनाओं का निर्माण करती है वही कार्यकारी परिषद् उनकी क्रियान्वयन पर कार्य करती है । दोनों निकाय सरकार और स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व है।

19.4.4 कार्यकारी स्वरूप

संस्थान के शैक्षिक और प्रशासनिक दो प्रमुख अंग है । संस्थान की गतिविधियाँ (1) माँ एवं बाल देखभाल प्रभाग एवं (2) प्रशिक्षण एवं सामान्य सेवा प्रभाग के माध्यम से सम्पादित की जाती है। इन दो प्रभागों के अंतर्गत 6 कार्यकारी प्रभाग कार्य करते है –

1. जन सहयोग
2. बाल विकास
3. महिला विकास
4. प्रशिक्षण
5. मोनीटरिंग एवं मूल्यांकन
6. सामान्य सेवा प्रभाग

अभ्यास प्रश्न:-2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

1. NIPCCD केऔर दो प्रमुख अंग है
2. NIPCCD कि नीतियों के क्रियान्वयन पर कार्य करती है ।
3. NIPCCD स्थापना सन्में नई दिल्ली में हुई।

4. NIPCCDकोमें UNICEF द्वारामान्यता दी गई थी।

5. UNICEF ने NIPCCD को बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए.....प्रदान किया गया था।

19.5 संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष(UNICEF)

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष(यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड-यूनीसेफ) की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्धमें नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापनासंयुक्त राष्ट्रकीमहासभाने 11दिसम्बर, 1946को की थी। 1953 में यूनीसेफ, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नामयूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंडकी जगह यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालयन्यूयॉर्कमें है। वर्तमान में इसके मुखियाऐन वेनेमनहै। यूनीसेफ को1964में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति केनोबेल पुरस्कारसे सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसकेकर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनीसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है।

यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालयकोपनहेगन, डेनमार्कमें है।

यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसेजीवन रक्षक टीके, एचआईवीपीडित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 36 सदस्यों काकार्यकारी दल यूनीसेफ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़ेकार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ मुख्यतः पांचप्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग केआधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा सेबचाव, शोषण, बाल-श्रमके विरोध में,



चिह्न

एचआईवीएड्सऔर बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक मारिओं की रोकथाम के लिए भी यूनीसेफ आर्थिक सहायता प्रदान करता है। हाल में नेपाल में आई में आई प्राकृतिक त्रासदी भूकंप में यूनीसेफ ने नेपाल को आर्थिक सहायता प्रदान की है।

19.6 विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) संसार के नक्शे पर अंकित देशों केस्वास्थ्यसंबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्यदेशतथा दो संबद्ध सदस्य हैं। यहसंयुक्त राष्ट्र संघकी एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल,1948 को की गयी थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालयस्विटजरलैंडकेजेनेवाशहर में स्थित है। वर्तमान में इसकी निदेशकहाँग काँगकीडॉ॰ **मागरेट चान**हैं, जिन्होंने 9 नवम्बर,2006 को अपना पदभार ग्रहण कियाथा।



भारतभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और जिसका मुख्यालय भारत की राजधानीदिल्लीमें स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्यदुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर ऊँचा को उठाना है। हर इंसान कास्वास्थ्य अच्छा हो और बीमार होने पर हर व्यक्ति को अच्छे प्रकार के इलाजकी अच्छी सुविधा मिल सके। दुनिया भर मेंपोलियो, रक्ताल्पता, नेत्रहीनता, कुष्ठ, टी.बी., मलेरिया और एड्स जैसी भयानकबीमारियों की रोकथाम हो सके और मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा मिल सके, और इन समाज को बीमारियों के प्रति जागरूक बनाया जाए और उनको स्वस्थ वातावरणबना कर स्वस्थ रहना सिखाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव-स्वास्थ्य की परिभाषाहै।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े 7000 कर्मचारी, 150 कार्यालयों से 1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम कर रहे है। चिकित्सा डॉक्टरों,सार्वजनिक स्वास्थ्यविशेषज्ञों,वैज्ञानिकों औरमहामारी विशेषज्ञोंके अलावास्वास्थ्य सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और आपातकालराहतके क्षेत्रों मेंप्रशासनिक, वित्तीय,और सूचनाप्रणालियों का प्रबंधनकरने के लिए प्रशिक्षितलोगोंऔर विशेषज्ञों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

19.6.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन सिद्धांत: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित सिद्धांतों के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे है—

1. स्वास्थ्य- पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई के साथ रोग या दुर्बलता केअभाव की एक स्थिति है।
2. स्वास्थ्य- हर इंसान के मौलिक अधिकारों में से एक है जिसमें उच्चतम मानकों मनोरंजन, जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्थिति में कोई भेदभाव ना हो।

3. सभी लोगों के स्वास्थ्य को शांति और सुरक्षा की प्राप्ति का मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों और राज्यों के पूरे सहयोग पर निर्भर है।
4. किसी भी राज्य की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए वहा के लोगों की पदोन्नति और स्वास्थ्य मूलाधार है।
5. स्वास्थ्य और रोगों के नियंत्रण के लिए कार्य करना।
6. संक्रामक रोग विभिन्न देशों में असमान विकास का एक आम कारण है।
7. बच्चे के स्वस्थ विकास के बुनियादी महत्व की है; एक बदलते कुल वातावरण में शांति पूर्वक रह करने की क्षमता इस तरह के विकास के लिए आवश्यक है।
8. चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और संबंधित ज्ञान का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए ताकि स्वास्थ्य की पूर्ण प्राप्ति हो सके।
9. लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए जनता की ओर से राय और सक्रिय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
10. सरकारों को पर्याप्त स्वास्थ्य और सामाजिक साधन उपलब्ध करने चाहिए क्योंकि अपने लोगों के स्वास्थ्य जिम्मेदारी उसकी है।

19.6.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य :- विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने संविधान में वर्णित अपने उद्देश्य "स्वास्थ्य के लिए संभव उच्चतम स्तर को सभी लोगों तक पहुंचाना है" के लिए कटिबद्ध है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य पर निर्देशन और समन्वय की एक संस्था है।

वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में WHO ने अपनी भूमिका को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-

1. स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मामलों पर नेतृत्व प्रदान करने और जहाँ संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता हो वहाँ साझेदारी में कार्य करना।
2. अनुसंधान एजेंडा को आकार देना और मूल्यवान ज्ञान कि पीढ़ी, अनुवाद और प्रसार को उत्तेजित करना।
3. मानदंडों और मानकों को स्थापित करना और उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देना और निगरानी करना।
4. नैतिकता और सबूत के आधार पर निर्मित नीतियों को प्रसारित करना।
5. तकनीकी सहायता उपलब्ध करना, परिवर्तन को विभाजित करना और टिकाऊ संस्थागत क्षमता का निर्माण करना।
6. स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखना और स्वास्थ्य के रुझानों का आकलन करना।
7. अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्देशन और समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करना।

8. उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रभावी सहयोग, विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और इस तरह के अन्य संगठनों के साथ सक्रिय सम्बन्ध रखना ।
9. उन राष्ट्रों की सहायता करना जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद की गुहार लगे हो।
10. उन समूहों व एजेंसियों के साथ सहयोग स्थापित करना जो पोषण, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन, आर्थिक या काम की परिस्थितियों और पर्यावरण स्वच्छता के अन्य पहलुओं में सुधार के लिए कार्यरत है।
11. स्वास्थ्य की उन्नति के लिए वैज्ञानिक और व्यावसायिक समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।
12. महामारी विज्ञान और सांख्यिकीय सेवाओं सहित प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं को स्थापित व प्रोत्साहित करना ।
13. आकस्मिक दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा विभिन्न बिमारियों के लिए विशिष्ट एजेंसियों के साथ अग्रिम योजनायें बनाना व उन्हें सक्रिय रखना ।

सारांश में हम यह कह सकते हैं की विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है

1. स्वास्थ्य प्रणालियां,
2. असंक्रामक रोग,
3. जीवन-कोर्स के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना,
4. संक्रामक रोगतैयारी, निगरानी और प्रतिक्रिया और
5. कॉर्पोरेट सेवाएँ

अभ्यास प्रश्न:-3

सही और गलत का चयन कीजिये ।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े 10000 कर्मचारी जुड़े हैं ।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्यदेश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं ।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गयी थी ।
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में स्थित है ।
5. वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन की निदेशक हाँग काँगकी डॉ॰ मार्गरेट चान हैं ।
6. यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है ।
7. यूनिसेफ स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभाने 11 दिसम्बर, 1956 को की थी ।
8. 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था ।
9. वर्तमान में यूनिसेफ मुखिया ऐन वेनेमन हैं ।
10. यूनिसेफ के 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं ।

19.7 रेड क्रॉस (RED CROSS)

रेडक्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेन्सी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेडक्रॉस आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध 1919 का विशेष स्थान है तब से लेकर आज तक से किसी भी प्रकार की मानव पीड़ा को कम करने की

विश्वव्यापी प्रवृत्ति की गणना रेडक्रॉस क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाने लगी । आज पूरे विश्व में 97 मिलियन लोग इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं ।

19.7.1 रेड क्रॉस का इतिहास

रेडक्रॉस से संबंधित आधारभूत भाव 1862 ई. मंश जेनोआ में जीन हेनरी ड्यूनेन्टकी सूवेनिर डी सफेरिनो नामक पुस्तिका में प्रकाशित हुआ । ड्यूनेन्ट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का भयानक दृश्य देखा था। चिकित्सकीय सहायता के अभाव में युद्धक्षेत्र कालकवलित हो जाने के लिए छूटे हुए घायलों के कष्टोंका हृदयविदारक विवरण उनकी पुस्तक में मिलता है। आहतों की सहायता के लिए उन्होंने स्थायी समितियों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। ड्यूनेन्ट की अपील की प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई पड़ी । जेनोआ की सोसाइटी डी यूटिलिटीपब्लिक के अध्यक्ष श्री गस्टवे मोइनिए प्रस्तुत सुझावों के महत्व से बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रार्थना पर ड्यूनेन्ट इस समिति की एक बैठक में सम्मिलित हुए तथा उसके सम्मुख अपने विचारों को स्पष्ट किया। तदुपरांत युद्ध में आहतों की स्थिति के सुधार के साधनों के अध्ययनार्थ एक आयोग मनोनीत किया गया। इस आयोग के मौलिक सदस्य जनरल डूफोर, स्विस् सेना के सेनापति गस्टवे मोइनिए, हेनरी ड्यूनेन्ट, डाक्टर लुई एपिया और डाक्टर थियोडोर मोनोइ थोइनका पहला काम ऐसी राष्ट्रीय समितियों के निर्माण के लिए एक प्रस्तावित समझौते का रूप तैयार करना था जितना उद्देश्य स्वयंसेवक सहायक दल बनाकर सैन्य चिकित्सा सेवाओं की सहायता करना था। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक भी बुलाई जो 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर सन् 1863 तक जेनेवा में हुई। वहाँ रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निश्चित किए गए। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेन्ट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

19.7.2 रेड क्रॉस मौलिक सिद्धांत

न्यू होफबर्ग, वियना में 9 अक्टूबर 1965 को आयोजित हुए 20 वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में -, रेड क्रॉस के सात मौलिक सिद्धांतों को घोषित किया जो इस प्रकार से हैं।

19.7.2.1 मानवता

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जन्म जहाँ भी मानव पीड़ा हो उसे कम करने के लिए हुआ है यह अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षमता में, युद्ध के मैदान में, घायल को बिना किसी भेदभाव के सहायता करेगा। इसका मूल उद्देश्य जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना और इंसान के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है। यह सब देशों के लोगों के बीच आपसी समझ, दोस्ती, सहयोग और स्थायी शांति को बढ़ावा देता है।

19.7.2.2 निष्पक्षता

यह राष्ट्रीयता, जाति, धार्मिक विश्वासों, वर्ग, जाति या राजनीतिक राय के रूप में कोई भेदभाव नहीं करता है। व्यक्तियों की पीड़ा को राहत देने के लिए और संकट को दूर करना ही इसकी प्रथम प्राथमिकता है।

19.7.2.3 तटस्थता

सभी देशों के विश्वास को बनाये रखने के लिए यह किसी एक राजनीतिक, जातीय, धार्मिक या वैचारिक भावना का पक्ष नहीं लेता है।

19.7.2.4 स्वतंत्रता

यह एक स्वतंत्र आंदोलन है। सभी देशों राष्ट्रीय समाज इसे अपने राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप मानवीय सिद्धांतों, सेवा और सहायता के लिए वह की सरकार के कानून के आधार पर चला सकते हैं। इसकी स्वायत्तता हमेशा रखना चाहिए।

19.7.2.5 स्वैच्छिक सेवा

एक स्वैच्छिक राहत आंदोलन है जो किसी प्रकार के कोई लाभ की इच्छा नहीं रखता।

19.7.2.6 एकता

किसी भी देश में केवल एक ही रेड क्रॉस हो सकता है। यह सभी के लिए खुला होना चाहिए। यह अपने क्षेत्र अपने मानवीय कामों के लिए जाना चाहिए।

19.7.2.7 सार्वभौमिकता

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा पूरे विश्व में सभी समाजों, व्यक्तियों और समूहों को मदद व कर्तव्यों के क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिया गया है।

19.7.3 रेडक्रॉस के उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस के उद्देश्य ये माने जाते हैं:

- सभी देशों में रेडक्रॉस आंदोलन को फैलाना।
- रेडक्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करना।
- नई रेडक्रॉस समितियों के संविधान से वर्तमान समितियों को सूचित करना।
- सभी सभ्य राज्यों को जेनोआ अधिवेशन स्वीकार करने के लिए राजी करना अधिवेशन के निर्णयों का पालन करना।
- इसकी होने वाली अवहेलनाओं की भर्त्सना करना।
- कानून बनाने के लिए सरकारों पर दबाव डालना तथा ऐसी अवहेलनाओं को रोकने के लिए सेना को आदेश देना।
- युद्धकाल में बंदियों की सहायता तथा अन्य पीड़ितों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी का निर्माण करना।
- बंदीशिविर की देखरेख, युद्धबंदियों को संतोष और आराम पहुँचना और सभी प्राप्य प्रभक्षों के प्रयोग से उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना।
- शांति तथा युद्ध के समय में भी सरकारों, राष्ट्रों तथा उपराष्ट्रों के बीच शुभचिंतक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
- युद्ध, बीमारी अथवा आपत्ति से होने वाले कष्टों से मुक्ति का मानवीय कार्य स्वयं करना अथवा दूसरों को ऐसा करने के लिए सहायता देना।

19.7.4 अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक स्थिति

इस आंदोलन के लिए, जो इस प्रकार प्रारंभ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकस्थिति प्राप्त करना दूसरा प्रयास था, जिसमें एक स्वीकृत चिह्न के द्वारा सबकी रक्षा होते हुए आहत व्यक्तियों की सेवा तथा आहतों की देखरेख में लगे हुए कार्यकर्ताओं का आक्रमण से बचाव के लिए प्रयत्न करना तथा आवश्यकता के समय प्रयोग हेतु अलग रखी हुई चिकित्सा सामग्रियों का निश्चित करना था।

मार्ग में परेशानियाँ बहुत थी, किंतु जनरल डूफोर के नाम से प्रसिद्धि जीनहेनरी ड्यूनेंट ने व्यक्तिगत रूप से अनेक देशों के अधिकारियों से बातचीत की और गस्टवे मोइनिए के विधिवत्संगठन के विस्तार में आ रही कठिनाइयाँ सफलतापूर्वक दूर कर दी। नैपोलियन तृतीय ने इस योजना के समर्थन में अपना व्यक्तिगत प्रभाव लगाया और अंतर्राष्ट्रीयसमिति स्विस फेडरल कौंसिल को 8 अगस्त, 1864 ई. को जेनेवा में सम्मेलन बुलाने के लिए राजी करने में सफल हो गए। इस कूटनीतिक सम्मेलन में 26 सरकारोंके प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का परिणाम जेनेवा अधिवेशन हुआ, जिसमें सदा के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत निर्धारित हुए जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से थे –

1. युद्ध में घायल सैनिकों का सम्मान होना चाहिए।
2. सैनिकतटस्थ समझे जाने चाहिए।
3. चिकित्सा सेवाओं की सामग्रियों तथा कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की गई।
4. इस सुरक्षा का प्रतीक एक रेडक्रॉस वाला सफेद झंडा होगा।
5. युद्ध के मैदान पर राहत सहायता के लिए स्वयंसेवकबलों के उपयोग किया जाना चाहिए।
6. कानूनी तौर पर इन अवधारणाओं को अंतर्राष्ट्रीय संधियों में लागू करने के लिए विशेष सम्मेलनों को आयोजित करना।

सभीदेश अब जेनेवा अधिवेशन के निर्णयों को स्वीकार करते हैं। एक नए कूटनीतिकसम्मेलन द्वारा 6 जुलाई, 1906 ई. को जेनेवा अधिवेशन के ये निर्णय संशोधित तथा पूर्ण किए गए। सन् 1899 तथा 1907 में हेग में होने वाले सम्मेलन ने जेनेवा अधिवेशन सन् 1864 तथा संशोधित अधिवेशन सन् 1906 के सिद्धांतों का सामुद्रिक युद्धों तक विस्तार कर दिया।

19.7.5 अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के विश्वस्तरीय कार्य

अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के कार्यों के विस्तार को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। प्रारंभ से ही स्वतंत्र रेडक्रॉस समिति के निर्माण तथा जेनेवा अधिवेशन के सदस्यों की स्वीकृति ने शीघ्र सफलता प्राप्त कराई। फ्रांसीसी और जर्मन घायलों तथा बीमार सैनिकों की भलाई के लिए बास्ले में 1870 ई. में एक सूचना एजेन्सी का निर्माण हुआ।

19.7.6 युद्धकाल में कार्य

1912 ई. में बालकान युद्ध के समय इसी तरह की एक एजेन्सी बेलग्रेड में बनी। 1914 ई. में प्रथम विश्वयुद्ध के समय युद्धबंदियों के लिए दो हजार व्यक्तियोंकी जिनमें विशेषकर स्वयंसेवक थे, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी जेनेवा में बनाई गई। इस एजेन्सी के 17 विभिन्न विभागों ने युद्धलिप्त 30 देशों से आने वाले आवेदनों का निपटारा किया। 2 हजार से 15 हजार तक प्रतिदिन पत्रव्यवहार किया और इसके यहाँ युद्ध समाप्त होने के पहले सूचना हेतु प्रार्थनाएँ 50 लाख से अधिक थीं।

इस एजेन्सी के कारण विभिन्न सेनाओं तथा जहाजी बेड़ों के हज़ारों खोएहुए मनुष्यों का पता लगाया गया, युद्धबंदियों को सहायता दी गई 500 विभिन्न बंदी-शिविरों की नियमित देखरेख हुई और अधीन जिलों के नागरिकों कोहटाने के लिए तथा स्वदेश आगमन के लिए अथवा अधिक आहतों, कुछ श्रेणी के रोगीबंदियों और चिकित्सा कर्मचारियों को तटस्थ भागों के बंदी शिविर में रखने के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी की वित्तीय सेवाने 31 दिसंबर, 1917 ई. तक 71,500 पौंड से ऊपर की धनराशि नकद रूप के रूपमें भेजी।

19.7.7 रेड क्रॉस के युद्ध के पश्चात के कार्य

राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन्स की सहायता के कारण अंतर्राष्ट्रीयसमिति सभी देशों के युद्धबंदियों के लिए जो रूस और सायबेरिया में रह गए थे, स्वदेशागमन की व्यवस्था कर सकने में समर्थ हुई और मध्य यूरोप के विभिन्नदेशों ने रूसी बंदियों को वापस करने में भी सफल हुई। संबंधित सरकारों के यहाँ प्रदर्शन करने, सैनिकों को सुरक्षित जहाजों में ले जाने की व्यवस्थाकरने और उनकी पहचान करने, जहाज में उनकी देखरेख करने और रक्षित जहाजों कोमास्को तथा बाल्टिक बंदरगाहों तथा ब्लाडीवास्तक, नोवरोसिस्क और ट्रिस्टे केबीच आने जाने का प्रबंध करने के लिए समिति के प्रतिनिधि बुलाए गए। इसप्रकार रेड क्रॉस ने पाँच लाख बंदी स्वदेश पहुंचाए गए।

यूनान में नियमित स्थान पर बंदी व्यक्तियों की वापसी तथा यूनान औरटर्की के बीच बंदियों का आदान प्रदान किया गया। कालांतर में अंतर्राष्ट्रीयसमिति के सदस्यों का संबंध ऊपरी सिलेसिया में जर्मन और पोलैंड केशरीरबंधकों के आदान प्रदान से रहा।

19.7.8 विश्व रेडक्रॉस दिवस

रेडक्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महान मानवता प्रेमी **जीन हेनरी डयूनेन्ट** का जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। अतः उनके जन्म दिवसको 8 मईको ही विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है।

19.7.9 भारतीय रेडक्रॉस

भारतका रेडक्रॉस से संबंध प्रथम विश्वयुद्ध से है। भारत में वर्ष 1920 में पार्लियामेंटी एक्ट के तहत भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी का गठन हुआ, तबसे रेडक्रॉस के स्वयं सेवक विभिन्न प्रकार के आपदाओं में निरंतर निस्वार्थभावना से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस समय एक करोड़ रुपया, जो इस संस्था के लिए दान मिला था, इसका मूल धन बना। अब तक इसकी 18 प्रांतीय संस्थाएँ और 412 जिला शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं।

समय समय पर आई प्राकृतिक दुर्घटनाओं में इसने मदद की है, जैसे बंगाल की भुखमरी से लेकर कई प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय इसने सहायता पहुँचाई है।

19.8 सारांश

बच्चों के लिए भारत में कार्यरत राष्ट्रीय संगठनों महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MWC), राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूनिसेफ, डब्लू.एच.ओ. और रेड क्रॉसके कार्यो, संगठन, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों और महिलाओं के लिए सभी स्तर पर योजनायें और नियम, कायदे बने हुए है जिनके माध्यम से बच्चे और महिलायें

अपना जीवन गरिमा के साथ के साथ जी सकते है । इन संगठनों के माध्यम से उनका शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास पूर्णरूप से हो सकता है ।

19.9 शब्दावली

● वैधानिक	कानूनी
● संविधान	नियमों व कानून की किताब/ हिसाब
● युद्धकालीन बंदियों	युद्ध के दौरान पकड़े गए कैदी
● बंदीशिविर	केदियों के लिए चलाये जा रहे शिविर
● डब्लू एच. ओ. WHO Organization)	विश्व स्वास्थ्य संगठन(World Health Organization)
● यूनिसेफ (UNICEF) इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड)	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष (यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड)
● मोनीटरिंग	देखभाल करना
● ट्रैफिकिंग	आना जाना/ व्यापार
● HIV/AIDS Deficiency	Human Immune Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome
● सम्प्रेक्षणगृह	सुधारालय
● विमंदित	मानसिक रूप से कमजोर
● भुखमरी	भोजन की कमी
● शरीरबंधकों	कैदी

19.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. असत्य

अभ्यास प्रश्न -2

1. शैक्षिक और प्रशासनिक 2. कार्यकारी परिषद् 3.1966
4. 1985
5. मॉरिस पेट अवार्ड (Maurice Pate Award)

अभ्यास प्रश्न -3

- | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 1. असत्य | 2. सत्य | 3. सत्य | 4. असत्य | 5. सत्य | 6. सत्य |
| 7. असत्य | 8. सत्य | 9. सत्य | 10. सत्य | | |

19 .11 निबंधात्मक प्रश्न

1. बच्चों के लिए कार्यरत महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालयके कार्यों का वर्णन कीजिये ।
2. राष्ट्रीय लोक सहभागिता एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) के स्वरूप और उसके कार्यों का उल्लेख कीजिये ।
3. “यूनिसेफ बच्चों के लिए वरदान है। ” कैसे?
4. डब्लू.एच.ओ. पर प्रकाश डालिए ।
5. रेड क्रॉस क्या है ? इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए।
6. बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं का वर्णन कीजिये ।
7. यूनिसेफ और डब्लू.एच.ओ. के कार्यों के तुलना कीजिये ।

19 .12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- india.gov.in
- www.nipccd.nic.in
- www.who.int
- www.unicef.org
- इंटरनेशनल रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेन्ट मोवमेंट– विकिपीडिया
- रेडक्रॉस - भारतकोश, ज्ञान का हिन्दी महासागर
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization

इकाई - 20

बचपन की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका

(Role of NGOs in protecting childhood)

इकाई की रूपरेखा

- 20.1 प्रस्तावना
- 20.2 उद्देश्य
- 20.3 गैर-सरकारी संगठन : संप्रत्यय
- 20.4 गैर-सरकारी संगठन के प्रकार
- 20.5 गैर-सरकारी संगठन के कार्य
- 20.6 बचपन की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका
- 20.7 सारांश
- 20.8 शब्दावली
- 20.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 20.10 निबंधात्मक प्रश्न
- 20.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

20.1 प्रस्तावना

नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पिछले तीन दशक से ज्यादा समय से बाल अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें और मजबूती से लागू करवाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, 80 हजार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और उन्हें जीवन में नई उम्मीद दी। उनके दृढ़ निश्चय एवं उत्साह के कारण ही गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन का गठन हुआ। प्रस्तुत इकाई में आप बचपन की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठन की भूमिका के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

20.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- बचपन का अर्थ समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।
- बचपन की प्रमुख विशेषताओं के प्रति समझ विकसित कर सकेंगे।
- गैर सरकारी संगठन के संप्रत्यय को बता सकेंगे।
- गैर सरकारी संगठन के प्रकार और प्रकृति को समझ सकेंगे।
- गैर सरकारी संगठन की कार्यप्रणाली के विषय में बता सकेंगे।

- बचपन की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठन की भूमिकाकी व्याख्या कर सकेंगे।

20.3 गैर सरकारी संगठन : संप्रत्यय

25 अप्रैल 2015 का दिन नेपाल के इतिहास में दर्ज हो गया, जब 7.9 की तीव्रता के भूकंप में हजारों लोग काल कलवित हुए। इस प्राकृतिक आपदा में हजारों की संख्या में बचपन ने अपने आसरे को खोया है। बाबा रामदेव के गैर-सरकारी संगठन ने उन्हीं बच्चों में से 500 अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी ली है। यह आपको एक सामान्य जानकारी लग सकती है, परन्तु बचपन के भविष्य की सुरक्षा में उठाया गया यह कदम गैर-सरकारी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मान्यता है कि गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथिनिर्धारण लगभग 1839 से माना जाता है। गैर-सरकारी संगठन की अवधारणा सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई। 1905 में रोटररी क्लब, बाद में रोटररी इंटरनेशनल गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया गया था। यद्यपि, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही "गैर सरकारी संगठन" वाक्यांश प्रयोग में आया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमरीकी गरीबों, अल्पसंख्यकों और काले लोगों की मदद की बात की जाने लगी, तब सरकार ने जहाँ एक ओर जनशिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया तो वहीं दूसरी ओर, प्राथमिकता की कार्यवाही भी शुरू की। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम गैर-सरकारी संगठनों को आरम्भ करना था। गैर-सरकारी संगठनों का सर्वाधिक प्रचलित नाम एनजीओ है। विश्व बैंक के अनुसार- "एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुःख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियाँ संचालित करता है।" दूसरे शब्दों में, "एनजीओ वैधानिक रूप से गठित संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं और इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक हितों के उद्देश्यों को आगे बढ़ानेवाले ऐसे गैर-सरकारी समूहों के तौर पर देखा जाता है जिनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता।"

भारत में दान और सेवा की अवधारणा पर आधारित नागर समाज (सिविल सोसाइटी) का लंबा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्द्धन शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन गैर सरकारी संगठनों के रूप में सक्रिय थे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के प्रत्येक भाग में जा पहुंचा था। सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों ने स्वयं सेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का मार्ग अपनाया। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्यशोधन समाज (1873), आर्य समाज (1875), नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया (1875), दि इंडियन नेशनल कांफ्रेंस (1887) आदि ऐसे गैर-सरकारी संगठन थे जिन्होंने तात्कालिक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सन् 1860 में समितिपंजीकरण विधेयक को अनुमोदित करके, गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ती संख्या को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। भारत में एनजीओ की शब्दावली को 1980 के दशक में ही लोकप्रियता मिल सकी थी। पिछली सदी के आठवें दशक के बाद सामाजिक उद्देश्यों से जुड़े मुद्दों को एक निर्णायक मोड़ देने की पाक-साफ नीयत से ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के गठन की बाढ़ आ गई। ये संस्थाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए आगे आने लगीं जिनको सरकारें या तो करना नहीं चाहती थीं या फिर वे कर नहीं सकती थीं।

विश्व बैंक के 'वर्किंग विद एनजीओज' दस्तावेज के अनुसार पिछली शताब्दी के आठवें दशक के मध्य में एनजीओ सेक्टर ने विकासशील और विकसित देशों में समान रूप से अप्रत्याशित वृद्धि हासिल की। एक अनुमान के मुताबिक कुलविदेशी विकास संबंधी सहायता राशि का करीब 15 प्रतिशत से अधिक भाग ऐसे एनजीओ की सहायता से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इन संगठनों का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक सेवा भावना है कि लाभ कमाना।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या 40,000 है। भारत में दस से बीस लाख के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है। 1.2 अरब लोगों के जिस देश में 943 लोगों पर एक पुलिस कर्मी है वहीं 400 लोगों पर एक एनजीओ काम कर रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही देश के नौ हजार गैर-सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली सरकारी जाँच के दायरे में आ गयी है। क्योंकि भारत में इन संगठनों के सम्बन्ध में लोगों की आम राय अच्छी नहीं है।

अभ्यास प्रश्न :-1

सही विकल्प का चयन करें -

- 25 अप्रैल/20 अप्रैल 2015 का दिन नेपाल के इतिहास में दर्ज हो गया।
- गैर-सरकारी संगठन की अवधारणा सामान्यतः ब्रिटेन/संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि-निर्धारण लगभग 1839 से माना जाता है।
- भारत में एनजीओ की शब्दावली को 1980/1960 के दशक में ही लोकप्रियता मिल सकी थी।
- भारत में 200/400 लोगों पर एक एनजीओ काम कर रहा है।

20.4 गैर सरकारी संगठन के प्रकार

मान्यता यह है कि गैर-सरकारी संगठनों को समाज सेवा से प्रेरित व्यक्ति आरम्भ करते हैं। इनका संचालन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन जिस प्रकार का काम करते हैं उसके आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

- **सहायतार्थ गैर-सरकारी संगठन** - गैरसरकारी संगठनों की इस श्रेणी में वे संगठन आते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि के शिकार व्यक्तियों को फौरी राहत उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय पुनर्निर्माण के समय तक इस प्रकार के गैर सरकारी संगठन ही सबसे प्रमुख थे। इस श्रेणी में मुख्यतः ईसाई धार्मिक संस्थान जैसे कि चर्च आदि आते हैं। यद्यपि गैर सरकारी संगठनों की दूसरी और तीसरी श्रेणी में भी मौजूद रहते हैं।
- **विकासात्मक गैर-सरकारी संगठन** - गैर-सरकारी संगठनों की यह श्रेणी अपना ध्यान दीर्घावधि के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केन्द्रित करती है। ये 1960 के दशक में यूरोप में प्रमुख रूप से उभरीं तीसरी दुनिया के देशों में इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठन तकनीकी प्रशिक्षण देने में, स्कूलों, अस्पतालों और शौचालयों आदि के निर्माण में लगे हुए हैं। ये आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादक संसाधनों के विकास को, ग्रामीण बाजार के विकास को, विकास गतिविधियों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का दावा करते हैं। ये स्वयं सहायता समूहों, छोटे पैमाने की कर्ज देने वाली संस्थाओं आदि को बढ़ावा देते हैं।

- **वैश्विकगैर-सरकारीसंगठन** – यह श्रेणी सामाजिक कार्यवाइयों पर ध्यान केन्द्रितकरती है। ये लोगों की क्षमताओं को मजबूत करने की, उनमें अन्तर्निहितसंभावनाओं को तलाशने की, लोगों की सामाजिक चेतना को बढ़ाने की, पूर्वपूँजीवादी व्यवस्थाओं के प्रभाव से उबरने की बात करते हैं। ये गैर-सरकारीसंगठन विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन और अन्यसंयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ समझौता करते हैं और सुधारों की वकालतकरते हैं, लोगोंको शांतिपूर्ण ढंग से लामबंद करते हैं और इन साम्राज्यवादीएजेंसियों तथा सरकारों पर सुधार लाने और नीतियों में बदलाव लाने के लिएदबाव बनाते हैं।

यद्यपि कुछ गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में इनके काममिश्रित हैं, इसके बावजूद इनका श्रेणीकरण इनकी प्रमुख गतिविधि के आधार परकिया गया है।विश्वबैंक ने गैर-सरकारी संगठनों को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है, यथा-क्रियात्मक (ऑपरेशनल) गैर-सरकारी संगठनऔर पैरोकार (एडवोकेसी) गैर-सरकारी संगठन। प्रथम संगठन का मूल उद्देश्य विकासोन्मुखी परियोजनाओं की रूपरेखातैयार करना और क्रियान्वित करना है। क्रियात्मक गैर-सरकारी संगठनों कोराष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, समुदाय आधारित संगठन आदि के रूप मेंवर्गीकृत किया जा सकता है। इसके विपरीत, पैरोकार गैर-सरकारी संगठनों का मूलउद्देश्यअन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों और कार्यप्रणालियों कोप्रभावितकरना है।

अभ्यास प्रश्न :-2

- गैर-सरकारी संगठनों को ----- से प्रेरित व्यक्ति आरम्भ करते हैं।
- इनका संचालन ----- द्वारा किया जाता है।
- गैर-सरकारीसंगठनों की यह श्रेणी अपना ध्यान दीर्घावधि के -----और----- विकासपर केन्द्रित करती है।
- यह श्रेणी ----- पर ध्यान केन्द्रितकरती है।
- ----- ने गैर-सरकारी संगठनों को दो मुख्यवर्गों में वर्गीकृत किया है।

20.5 गैर सरकारी संगठन के कार्य

सामान्य तौर पर गैर- सरकारी संगठन सामाजिक विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करतेहैं। इसके अतिरिक्त ये शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सौर ऊर्जा, भूमि संरक्षण, बैंकिंग और जल संरक्षण आदि क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं। जिन क्षेत्रों और श्रेणियों में सरकार के व्यापक कार्यक्रम तथा योजनायें नहीं पहुँच पाते हैं, वहां गैर- सरकारी संगठनके माध्यम से लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो कमजोर और उपेक्षित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन विकास और विस्तार का कार्य करते हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि सरकार विकास के सभी कार्य अपने सीमित संसाधनों में नहीं कर सकती। अतः गैर-सरकारी संगठनों को सीमांत श्रेणी और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे आकर अलग से कार्य करने की आवश्यकता होती है। वैश्विकरण की आंधी में सीमांत श्रेणी के लोग काफी पीछे छूट जाते हैं। उनका विकास बाजार की आर्थिक शक्तियों से सम्भव नहीं है। अतः सरकार ऐसी व्यवस्था करती है ताकि लोग यह समझें कि उनके लिए भी सरकार द्वारा कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में इनका कार्य बहुत व्यापक होता है

जिसे इनके समर्पित कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतया इनके द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं -

- गैर सरकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य विकास-संबंधित परियोजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करना है।
- गैर सरकारी संगठन आम तौर पर प्रचार, प्रेस कार्य और कार्यकर्ता घटनाओंके द्वारा जागरूकता, स्वीकृति और जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
- पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार-विरोध, बाल-श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण आदि क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक कार्य करना।
- प्राकृतिक पर्यावरणकी स्थिति में सुधार करना, मानव अधिकारोंके पालन को बढ़ावा देना, सीमांत वर्गके कल्याण में सुधार करना, या किसी कंपनीके एजेंडे का प्रतिनिधित्व करना।
- विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिये विशिष्ट तकनीक उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना।
- गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना।

सारांशतः गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति, मानवाधिकारों, उपभोक्ता अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, यहां तक कि सामाजिक परिवर्तन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार-विरोध, बाल-श्रम उन्मूलन, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन, उपभोक्ता संरक्षण, राहत, आपदा, प्रबंधन और अन्य अनेक क्षेत्रों में निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न :-3

सही विकल्प का चयन करें -

1. वैश्वीकरण की आंधी में उच्च श्रेणी /सीमांत श्रेणी के लोग काफी पीछे छूट जाते हैं।
 - गैर- सरकारी संगठन/पोस्ट मैन के माध्यम से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है।
 - गैर सरकारी संगठन का द्वितीयक/प्राथमिक उद्देश्य विकास-संबंधित परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है।
 - गैर सरकारी संगठन आम तौर पर प्रचार, प्रेस कार्य और कार्यकर्ता घटनाओंके द्वारा प्रसिद्धि/जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
 - किसी कंपनीके एजेंडे/संरचना का प्रतिनिधित्व करना।
 -

20.6 बचपन की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका

बचपन हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होती है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर जब आपको उस उन्मुक्त और निश्चिन्त बचपन की याद आती है तो एक मधुर और स्निग्धमुस्कान होठों पर छा जाती है। लेकिन जब आप अपने समाज में ही सड़कपर आते जाते, रेलवे प्लेटफार्मपर या गलियों में नजर दौड़ाते हैं तो अनगिनतबच्चे कूड़ा-करकट और गंदगी के ढेर में से कागज के टुकड़े समेटते, सामानढोते, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते या दुकान पर काम करते दिख जायेंगे।

हमारे देश में परम्पराओं के नाम पर बच्चों को अंधेरे में धकेल दिया जाता है जिसका एक उदाहरण है बाल-विवाह। दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक बाल-विवाह भारत में संपन्न होते हैं। इससे अल्पायु में बच्चों के कर्धों पर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। उनके स्वस्थ पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा बाधित होती है या उस पर विराम लग जाता है। आप इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। "मेरा नाम सपना है। जब मैं 13 वर्ष की थी, तब मेरे परिवार में मेरी शादी की योजना बनने लगी क्योंकि हमारे समाज में अल्पायु में शादी करने की परम्परा है। मैं इतनी डरी हुई थी कि इसके विरुद्ध एक भी शब्द कहने में असमर्थ थी। हमारे समाज में पुरानी परम्परा के तहत जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं पर हुक्म चलाया जाता है। मैं अपनी माँ के पास गयी और पढ़ाई करके नौकरी लगने के बाद शादी करने की इच्छा प्रकट की। मैं जानती थी कि मेरे परिवार में पुरुष सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध मेरी माँ को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तब मैं स्थानीयस्तर पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के अधिकारियों के पास सलाह की तलाश में पहुँची और इस विषय पर अपने परिवार पर दबाव डलवाया कि भारत में विवाह करने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। इन अधिकारियों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई जिस वजह से मेरे परिवार ने शादी की योजना को निरस्त कर दिया।" सपना तो एक उदाहरण है लेकिन भारत में उसके जैसी लड़कियों की संख्या बहुत कम हैं जो बचपन में शादी करने के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। उसने अपने समाज में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। उसने अपने जीवन को स्वयं के तरीके से जीने का निर्णय लेकर परम्परागत क्रूरता के प्रभाव को साहसपूर्ण चुनौती दी है। यह कार्य वह अकेली नहीं कर सकती थी। इसमें गैर-सरकारी संगठन के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी जिनकी सहायता से वह इस लड़ाई में जीती। भारत में ऐसे सैकड़ों गैर-सरकारी संगठन हैं जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और विकास के लिए ईमानदारी से सरकार और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों को अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये समुदाय के साथ इस तरह के स्वस्थ संबंधों की आवश्यकता होती है।

गैर-सरकारी संगठन "बचपन बचाओ आन्दोलन"के जनक और नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपने संगठन के माध्यम से बच्चों के हितों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा प्रदान की है। उनका यह संगठन अब तक 80 हजार से अधिक बच्चों को बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बालश्रमके बन्धन से मुक्त कर चुका है। गैर-सरकारी संगठनों तथा कार्यकर्ताओं की सहायतासे कैलाश सत्यार्थी ने हज़ारों ऐसी फैक्ट्रियों तथा गोदामों पर छापे पड़वाए, जिनमें बच्चों से काम करवाया जा रहा था। कैलाश सत्यार्थी ने 'रगमार्क' (Rug mark) की शुरुआत की, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि तैयार कालीनों तथा अन्य कपड़ों के निर्माण में बच्चों से काम नहीं करवाया गया है। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में बहुत

बड़ी सफलता मिली। वह लगातार कहते रहे कि बच्चोंकी तस्करी एवं श्रम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि का कारण है। दिल्ली और मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों कल-कारखानों में बच्चों के उत्पीड़न से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के दूरवर्ती नक्सली क्षेत्रों से लेकर देश के लगभग हर कोने में उनके संगठन ने बंधु आमजदू के रूप में नियोजित बच्चों को सुरक्षा दी।

तालिबान ने 2007 से मई 2009 तक अफगानिस्तान की स्वात घाटी पर कब्जा कर रखा था। इसी बीच तालिबान के भय से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। मलाला यूसुफजई तब आठवीं की छात्रा थीं, तब तालिबान ने वहां सिनेमा, डांस और ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मलाला का संघर्ष यहीं से आरम्भ हुआ। फलस्वरूप मलाला के पिता उसे पेशावर ले गए जहां उन्होंने नेशनल प्रेस के सामने 'हाउडेयर द तालिबान टेक अवे माय बेसिक राइट टू एजुकेशन?' शीर्षक से प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। तब मलाला की आयु केवल 11 वर्ष थी। वर्ष 2009 में मलाला ने अपने गोपनीय नाम 'गुल मकई' से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी। इसमें उसने स्वात घाटी में तालिबान की क्रूरता का वर्णन किया था। बीबीसी के लिए डायरी लिखते हुए मलाला पहली बार दुनिया की नजरों में तब आईं, जब दिसंबर 2009 में पिता जियाउद्दीन ने उसकी पहचान सार्वजनिक की।

9 अक्टूबर 2012 को तालिबानी आतंकी उस बस पर सवार हो गए जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जा रही थी। उनमें से एक आतंकी ने पूछा, 'मलाला कौन है?' सभी खामोश रहे लेकिन उनकी निगाह मलाला की ओर घूम गईं। इससे आतंकी को पता चल गया कि मलाला कौन है। उन्होंने मलाला पर एक गोली चलाई जो उसके सिर में जा लगी। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वह स्वस्थ होकर लौटी तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, पाकिस्तान काराष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार (2011) के अतिरिक्त नोबेल शांति पुरस्कार (2013) जैसे कई बड़े सम्मान मलाला के नाम दर्ज हो चुके हैं। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफजई की बहादुरी के लिए संयुक्तराष्ट्रसंघ द्वारा मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। मलाला को जीवनदान मिला अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका के निर्वहन से।

किसी भी सभी समाज के लिए बच्चे उसकी धरोहर होते हैं, परन्तु इन भावी कर्णधारों का जीवन संकट में उलझता जा रहा है। सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रियता भी बचपन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में भी मानव तस्करी एवं बालश्रम के अतिरिक्त 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को औद्योगिक संस्थानों में जोखिम भरे काम पर रखने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी दुनिया में 14 वर्ष से कम आयु के सबसे ज्यादा बालश्रमिक भारत के कारखानों और जोखिम भरे कार्यों में संलग्न हैं। गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 16 करोड़ से अधिक बच्चे स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक वातावरण वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 11 करोड़ लड़कियाँ विविध जोखिम वाले औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रही हैं। एक गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 6 लाख बच्चे भिखारी, घरेलू नौकर, बालश्रमिक और अन्य अनियमित कार्यों में संलग्न हैं। केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग दो करोड़ बालश्रमिक हैं जिनमें से 15 लाख के करीब

खतरनाक औद्योगिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। सस्ते दर में बालमजदूरों की उपलब्धता एवं कानून की ढील से बेरोजगारी की समस्या भी विकरालरूप धारण कर रही है। ऐसे देश में जहाँ करोड़ों युवक-युवतियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहीं बाल मजदूरों के लिए साधन कहाँ से जुट पड़ते हैं। सेठ-साहूकार और ठेकेदार इनका शोषण कर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जहाँ बच्चे अपने कोमल एवं नाजुक हाथों से ज्यादा कुशलता से काम कर सकते हैं। जैसे-माचिस के तिल्ली में मसाला लगाना, बीड़ी में तम्बाकू भरना, कालीन बुननाइत्यादि। लेकिन इन्हीं पेशों एवं उद्योगों धंधों में काम करते करते वे कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जैसे तपेदिक, श्वासनली शोथ, दमा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, दुर्घटना के शिकार होकर अपनी जान भी गवां बैठते हैं। बच्चों को ऐसे धंधों में लगाने के अन्य कारण हैं कम वेतन एवं मुआवजा, बच्चों के कानूनी संरक्षण का अभाव, बच्चों में प्रतिरोध की कम क्षमता, अनुशासन इत्यादि, और यदि बाल मजदूरी पर पूर्ण रोक लगा दी जाए तो सबसे अधिक हानि ऐसे ठेकेदारों को ही होगी। उदाहरण के लिए रामलाल बिहार के एक गाँव में खेतों पर मजदूरी करता है। पटना आते समय उसने अपने भतीजे बिट्टू को भी साथ ले लिया। पटना आकर उसने बिट्टू को लकड़ी काटने की एक आरा मशीन पर सफाई के लिए रख दिया। उसने मालिक से 500 रुपये ले लिए। मालिक बिट्टू को बिना पैसे दिए काम करवाने लगा। किसी गैर-सरकारी संगठन के संज्ञान में जब यह मामला आया तो बच्चे को “गिरवी” में देने के लिए रामलाल के साथ बिट्टू से बाल श्रमिक की तरह काम लेने के लिए आरा मशीन के मालिक को भी सजा हुई।

मानवाधिकार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, फुटपाथ पर रात बिताने वाले लगभग एक करोड़ बच्चों में से अधिकांश यौन शोषण और सामूहिक हिंसा का सामना करते हैं। अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स स्मगलिंग, कालाबाजारी, अप्राकृतिक यौन शोषण आदि में भी बच्चों का खुले तौर पर उपयोग किया जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बच्चे अपहरण या किसी अन्य कारण से गायब हो रहे हैं जिनसे भिक्षावृत्ति, मजदूरी, और अप्राकृतिक कुकृत्य आदि कार्यों को सुसंगठित तरीकों से कराया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में भी प्रतिदिन अनुमानतः 20 बच्चे गायब हो रहे हैं। बहुत से गैर-सरकारी संगठनों में भी बच्चों के यौन शोषण की खबरें आये दिन अखबारों की शुरुियाँ बनी रहती हैं। आखिर बच्चों की सुरक्षा कौन करे? किस पर विश्वास किया जाये? यहाँ तक कि परिवारों में भी बच्चों का बचपन असुरक्षित होता जा रहा है। कहीं अनायास तो कहीं जानबूझकर बच्चों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उनकी संवेदनाएँ परिवारों की आकांक्षाओं के नीचे दबी जा रहीं हैं। सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में किताबों का बोझ और शिक्षकों की अरुचिकर शिक्षण पद्धति के साथ-साथ अनुपयोगी पाठ्यक्रम बचपन को असमय ही मानसिक बिमारियों से ग्रसित कर रहा है। इसलिए उनके कल्याण और संरक्षण के लिए सरकार और समाज को सर्वाधिक सजग रहने की जरूरत है। लेकिन यह अत्यंत खेदजनक है कि कुपोषण, असुरक्षा, शोषण और तमाम समस्याओं से ग्रसित बचपन अधिकारों से वंचित अभिशाप्त जीवन जीने को विवश है। सभी माता-पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर काम का अधिक बोझ न डालें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के ऊपर न थोपें। संविधान भी आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है।

गैर-सरकारी संगठनों की ताकत और प्रभाव को उस स्तर पर नहीं पहुँचने दिया जाना चाहिए कि वे राष्ट्रीय चुनावों तक को प्रभावित करने लगे। माना जाता है कि बांग्लादेश में गैर-सरकारी संगठन

चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भारत में भी ऐसे संगठनों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है। दिल्ली में हुए चुनावों में गैर-सरकारी संगठनों के संस्थापक वहां की सरकार चला रहे हैं। कई दूरस्थ इलाकों, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन हीजरूतमंदों और गरीबों तक मदद पहुंचाने का अंतिम जरिया बने हुए हैं। गूँज, सम्मान फाउंडेशन, उड़ान वेलफेअर फाउंडेशन, अक्षय ट्रस्ट, स्माइल फाउंडेशन, प्रथम, दीपालय, उदय फाउंडेशन, प्लान इण्डिया क्राई और हुमना प्यूपिल टू प्यूपिल इण्डिया आदि ऐसे गैर-सरकारी संगठन हैं जो भारत में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। बच्चों से सम्बंधित सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में इन संगठनों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। उदाहरणतया “10 वर्षीय चन्दन को फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित चूड़ी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए स्वयं उसके परिवार ने भेजा था। उसका परिवार मूलतः बदायूं जनपद (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था। चन्दन को कई घंटों तक तपती भट्टी के सामने काम करना पड़ता था और उसका मालिक मुश्किल से उसे 80 रुपये साप्ताहिक देता था। कांच को गलाते समय कई बार उसके हाथ भी झुलस गए थे। फिरोजाबाद में वह अपने मौसा जी के साथ रहता था जो उससे खाना वनबाते और रोटियाँ सिकवाते थे न सेकने पर या कच्ची रह जाने पर उसकी पिटाई करते और गलियाँ देते थे। इससे परेशान होकर चन्दन उनके घर से और कांच की फैक्ट्री से भागकर आगरा आ गया। हुमना प्यूपिल टू प्यूपिल इण्डिया की टीम को वह ताजमहल के पूर्वी गेट पर नगर निगम के कूड़ेदान से प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करते हुए मिला। संगठन की टीम उसे अपने साथ दिल्ली मुख्यालय ले गयी और वहाँ से उसे अकादमी फार वर्किंग चिल्ड्रन गुडगाँव भेज दिया जहाँ उसने लिखना-पढ़ना सीखा। आज चन्दन हुमना प्यूपिल टू प्यूपिल इण्डिया का सक्रिय सदस्य बनकर सम्मानित जीवन जी रहा है। इस तरह संगठन की टीम ने उसके मानवीय मूल्य को समझा और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया।” यह कहानी बचपन की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को इंगित करती है। संक्षेप में, गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, मानवाधिकारों, उपभोक्ता अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, यहां तक कि सामाजिक परिवर्तन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न :-4

- ----- हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होती है।
- हमारे देश में ----- के नाम पर बच्चों को अँधेरे में धकेल दिया जाता है।
- दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक ----- भारत में संपन्न होते हैं।
- दुनिया में ----- से कम आयु के सबसे ज्यादा बालश्रमिक ----- के कारखनों और जोखिम भरे कार्यों में संलग्न हैं।
- भारत में प्रतिवर्ष लगभग ----- बच्चे अपहरण या किसी अन्य कारण से गायब हो रहे हैं।

20.7 सारांश

बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर अपितु समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है। रूसो के अनुसार - "इन मासूमों की खुशियों को क्यों लूटें जो इतनी जल्दी बीत जाता है। शुरुआती बचपन के जल्दी निकल जाने वाले दिनों में कड़वाहट क्यों भरें, जो दिन न उनके लिए और ना ही

आपके लिए कभी लौट कर आने वाले हैं?" सामान्यतः बचपन खुशी, आश्चर्य, चिंता और लचीलेपन का संयुग्मन है। यह संसार में वयस्कों के हस्तक्षेप के बिना, अभिभावकों से अलग रहकर खेलने, सीखने, मेल-मिलाप और खोज करने का समय है। यह वयस्क उत्तरदायित्वों से पृथक रहते हुए जिम्मेदारियों के विषय में सीखने का समय है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बचपन की परिभाषा के सन्दर्भ में कहा गया है कि - **कक्कड़ (1980)** के अनुसार - "भारतीय परंपरा में बच्चा वैचारिक रूप से एक मूल्यवान और स्वागत योग्य मनुष्य है जिसके प्रति वयस्कों को सुरक्षा, प्रेम और पूरा ध्यान देना चाहिए।" सामान्यतः जन्म से लेकर 13 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था को बचपन की संज्ञा दी जाती है। जिसमें 6 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं।

मान्यता है कि गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि-निर्धारण लगभग 1839 से माना जाता है। गैर-सरकारी संगठन की अवधारणा सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई। 1905 में रोटरि क्लब, बाद में रोटरि इंटरनेशनल गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया गया था। यद्यपि, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही "गैर सरकारी संगठन" वाक्यांश प्रयोग में आया। विश्व बैंक के अनुसार - "एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियाँ संचालित करता है।" भारत में एनजीओ की शब्दावली को 1980 के दशक में ही लोकप्रियता मिल सकी थी। ये संस्थाएं उस खाली स्थान को भरने के लिए आगे आने लगीं जिनको सरकारें या तो करना नहीं चाहती थीं या फिर वे कर नहीं सकती थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या 40,000 है। भारत में दस से बीस लाख के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है। 2 अरब लोगों के जिस देश में 943 लोगों पर एक पुलिस कर्मी है वहीं 400 लोगों पर एक एनजीओ काम कर रहा है।

विश्व बैंक ने गैर-सरकारी संगठनों को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है, यथा- क्रियात्मक (ऑपरेशनल) गैर-सरकारी संगठन और पैरोकार (एडवोकेसी) गैर-सरकारी संगठन।

सामान्य तौर पर गैर- सरकारी संगठन सामाजिक विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। इसके अतिरिक्त ये शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सौर ऊर्जा, भूमि संरक्षण, बैंकिंग और जल संरक्षण आदि क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं। जिन क्षेत्रों और श्रेणियों में सरकार के व्यापक कार्यक्रम तथा योजनायें नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ गैर- सरकारी संगठन के माध्यम से लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो कमजोर और उपेक्षित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन विकास और विस्तार का कार्य करते हैं। अतः गैर-सरकारी संगठनों को सीमांत श्रेणी और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे आकर अलग से कार्य करने की आवश्यकता होती है।

गैर-सरकारी संगठन "बचपन बचाओ आन्दोलन" के जनक और नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपने संगठन के माध्यम से बच्चों के हितों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा प्रदान की है। उनका यह संगठन अब तक 80,000 से ज़्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बालश्रम के बन्धन से मुक्त कर चुका है। गैर-सरकारी संगठनों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता से कैलाश सत्यार्थी ने हज़ारों ऐसी फैक्ट्रियों तथा गोदामों पर छापे पड़वाए, जिनमें बच्चों से काम

करवाया जा रहा था। गूज, सम्मान फाउंडेशन, उड़ान वेलफेअरफाउंडेशन, अक्षय ट्रस्ट, स्माइल फाउंडेशन, प्रथम, दीपालय, उदय फाउंडेशन, प्लान इण्डिया क्राई और हुमना प्यूपिल टू प्यूपिल इण्डिया आदि ऐसे गैर-सरकारी संगठन हैं जो भारत में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और विकास के लिए सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। बच्चों से सम्बंधित सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में इन संगठनों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। संक्षेप में, गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, मानवाधिकारों, उपभोक्ता अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, यहां तक कि सामाजिक परिवर्तन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

20.8 शब्दावली

- **बचपन**—अल्पवयस्क होने की अवस्था या भाव।
- **उन्मुक्तता**—स्वतन्त्र रूप से छोड़ देना या त्यागना।
- **सृजनशीलता**—किसी नवीन वस्तु या मौलिक विचार का निर्माण करना।
- **परिपक्व**—जो अभिवृद्धि और विकास आदि की दृष्टि से पूर्णता तक पहुँच चुका हो।
- **संवेग**—एक जटिल भावात्मक परिस्थिति जो विशेष व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं के साथ होती है।
- **सामाजिक**—जन-समाज से सम्बन्ध रखने वाला।
- **समुदाय**—बहुत से लोगों का समूह जिसका मुख्य उद्देश्य सामान्य हितों की रक्षा होता है।
- **जनशिक्षा**—जीवनयापन के लिए आवश्यक आधारभूत या सामान्य शिक्षा।
- **बुनियादी**—किसी कौशल या विषय के आधारभूत तथ्य।
- **पैरोकार**—तथ्यों के आधार पर किसी पक्ष का समर्थन करना।
- **मानवाधिकार**—जन्म के साथ मिलने वाले आधारभूत अधिकार जो न किसी सरकार द्वारा सृजित किये जाते हैं और न ही उनका निषेध किया जाता है।
- **रगमार्क**—वह स्तर जो प्रमाणित करता है कि तैयार कालीनों तथा अन्य कपड़ों के निर्माण में बच्चों से काम नहीं करवाया गया है।
- **बालश्रमिक**—कर्मचारी के तौर पर किसी व्यापार या उद्योग में संलग्न बच्चे।
- **वैश्विकरण**—अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाली प्रक्रिया।
- **शोथ**—उभार की स्थिति।

20.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

अभ्यास प्रश्न -1

1. 25 अप्रैल
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. अंतर्राष्ट्रीय
4. 1980
5. 200

अभ्यास प्रश्न -2

1. समाज सेवा
2. सामाजिक कार्यकर्ताओं
3. सामाजिक, आर्थिक
4. सामाजिक कार्यवाहियों
5. विश्वबैंक

अभ्यास प्रश्न -3

1. सीमांत श्रेणी
2. गैर- सरकारी संगठन
3. प्राथमिक
4. जागरूकता
5. एजेंडे

अभ्यास प्रश्न -4

1. बचपन
2. परम्पराओं
3. बाल-विवाह
4. 14 वर्ष, भारत
5. 50 हजार

20.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. “बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर अपितु समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है।” इस कथन को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
2. गैर-सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं ? इसकी अवधारणा का वर्णन कीजिए।
3. विश्वबैंक ने गैर-सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।
4. गैर-सरकारी संगठन के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।
5. बचपन बचाओ आन्दोलनके विषय में विस्तार पूर्वक समझाइए।
6. बचपन को संरक्षित और सुरक्षित करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
7. भारत में संचालित दस प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के विषय में एक आभिलेख लिखिए।

20.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

- आहूजा, आर. (2004). *भारतीय सामाजिक व्यवस्था*, जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स।
- गुप्ता, एस. पी. (2003), *उच्चतर शिक्षामनोविज्ञान*, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- होल्ट, जॉन (2005). *बचपन से पलायन*, भोपाल: एकलव्य प्रकाशन।
- कुमार, के. (2002). *शिक्षा और ज्ञान*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- कुमार, के. (1998). *शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व*, नई दिल्ली: ग्रन्थ शिल्प (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।

- लाल, आर. बी. (2009). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स ।
- लिन्थ्रेन, एच. सी. (1973). कक्षा अध्यापन में शिक्षा-मनोविज्ञान, भोपाल: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।
- माथुर, एस.एस. (2009). सामान्य मनोविज्ञान, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर ।
- मंगल, एस. के.(2009).जनरलसायकोलोजी, नई दिल्ली:स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड ।
- सिंह, जे. पी. (2013).समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत,नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड ।